सर्व शिक्षा अभियान
सिद्धार्थनगर
...त कार्ययोजना एवं बजट
2001-2007

अध्याय –1

जनपद की पृष्ठिभूमि

इतिहास–

उत्तर प्रदेश में स्थित जनपद–सिद्धार्थनगर पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जनपद है। हिमालय की गोद में स्थित जनपद–सिद्धार्थ नगर की उत्तरी सीमा अतंराष्ट्रीय रूप से नेपाल राष्ट्र को स्पर्श करती है दक्षिण में जनपद–बस्ती, पूरब में जनपद–महाराजगंज और पश्चिम में जनपद–बलरामपुर स्थित है।

इस जनपद की स्थापना 29 दिसम्बर 1988 में बस्ती जपनद **से** 4 तहसीलों को पृथक करके की गई। गौतम बुद्ध की पैतृक राजधानी कपिलवस्तु जनपद में स्थित होने के कारण इस जनपद का नाम उनके बचपन के नाम सिद्धार्थ के नाम पर सिद्धार्थनगर रखा गया। कपिलवस्तु एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। जनपद से लगभग 20 कि0मी0 दूर नेपाल राष्ट्र मे बुद्ध का जन्म–स्थान 'लुम्बनी' स्थित है। ऐतिहासिक महत्व के कारण इस जनपद को बौद्ध परिपथ (सड़कमार्ग) से जोड़ा गया है। गोण्डा से गोरखपुर को जोड़ने वाला मीटर गेज रेलमार्ग भी जनपद से होकर गुजरता है।

जनपद में 5 तहसीलें क्रमशः नौगढ़, बाँसी, डुमरियागंज, इटवा एवं शोहरतगढ़ है तथा 14 ब्लाक, न्यायपंचायत 160 एवं ग्राम पंचाग्रत 1078 है। यहाँ दो संसदीय तथा 6 विधान सभा क्षेत्र है।

भौगोलिक स्थिति :

इस जनपद का क्षेत्रफल, 3,06,660 हेक्टेयर है। जनपद में 2994.00 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। जनपद में 27649 हेक्टेयर कृषि अयोग्य भूमि है।, 2531 हेक्टेयर ऊसर भूमि है, 4235 हेक्टेयर वन रहित भूमि तथा 3415 हेक्टेयर बंजर भूमि है। जनपद की भौगोलिक विषमता के कारण समतल एवं उपजाऊ भूमि का आभाव है। जलवायु की दृष्टि से यह जनपद समशीतोष्ण है, भूमि मटियार है। धान यहां की मुख्य फसल है।

जनपद में, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कूड़ा, धोंधी, बानगंगा आदि प्रमुख नदियाँ बहती है, नदियों की बहुतायतता एवं हिमालय की तराई होने के कारण लगभग आधी आबादी प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित रहती है। बाढ़ से प्रभावित रहने के कारण यहां के अधिकांश परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं तथा व्यापक प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है।

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति :

जनपद की अर्थ व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। लघु उद्योग शून्य है, कुटीर उद्योग में चमड़ा, बेकरी एवं औषधि निर्माण है। इसके साथ ही भेड़, मछली, मुंर्गी पालन जैसे व्यवसाय भी किये जाते हैं। जनपद का अलीदापुर क्षेत्र विख्यात "कालानमक" चावल उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जनपद में चाय उत्पादन की सम्भावना को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनपद के वर्डपुर ब्लाक एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में चाय के व्यावसायिक उत्पादन हेतु प्रयासरत हैं। जनपद में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग का बाहुल्य हैं। अधिकांश पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों में प्रायः बाल विवाह प्रचलित हैं तथा शिक्षा के प्रति सजग नही है। जनपद में विकास खण्ड बाँसी एवं भनवापुर में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें लाल बत्ती क्षेत्र कहा जाता है। यहां की शैक्षिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अल्पसंख्यकों में पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां विद्यमान है। संयुक्त परिवारों की बाहुल्यता है।

प्रशासन व्यवस्था :

जनपद के विकास कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता है। जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था तालिका 1.1 मे वर्णित है–

तलिका–1.1

विवरण	संख्या
ग्रामीण क्षेत्र 1. तहसील	05
2. विकास खण्ड	14
3. न्याय पंचायत	160
4. ग्राम पंचायत	1078
5. राजस्व ग्राम/बस्तियों की संख्या	2674
नगर क्षेत्र 1. नगर पालिका परिषद्	02
2. नगर पंचायत	02
3. पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत में स्थित वार्डो की संख्या	70

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका 1998 अर्थ एवं संख्या विभाग, सिद्धार्थनगर

नोट – जनपद में शैक्षिक व्यवस्था विकास खण्ड सांथा (सन्तकबीर नगर) का भी देखा जा रहा है। अतः विकास खण्ड साथा की पूरी व्यवस्था भी उपर्रिलिखित सारणी में वर्णित है।

तालिका-1.2

प्रशासनिक संरचना सिद्धार्थनगर

क्र0 सं0	तहसील का नाम	विकास का नाम	न्यायपंचायतों की सं0	ग्राम पंचायतों की सं0	राजस्व ग्रामों/बस्तियों की सं0
1.	बांसी	1. सांथा	08	63	142
		2. खेसरहा	13	84	262
		3. बाँसी	12	70	201
		4. मिठवल	15	106	313
2.	डुमरियागंज	5. डुमरियागंज	16	121	250
		6. भनवापुर	14	94	233
3.	इटवा	7. इटवा	12	83	197
		8. खुनियांव	13	90	216
4.	नौगढ़	9. नौगढ़	09	59	152
		10. जोगिया	09	61	148
		11. उस्का	12	89	218
		12. वर्डपुर	10	50	106
5.	शोहरतगढ़	13. शोहरतगढ़	8	49	113
		14. बढ़नी	9	59	123
	सम्पूर्ण योग		160	1078	2674

नगर क्षेत्र	वार्डो की संख्या
1. नगर पालिका बाँसी	25
2. नगर पालिका तेतरी	25
3. नगर पंचायत शोहरतगढ़	10
4. नगर पंचायत बढ़नी	10
योग–	70

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका 1997–98 जनपद–सिद्धार्थनगर

जनसंख्या :–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या 2038598 है। किन्तु विकास खण्ड सांथा (सन्तकबीर नगर) की जनसंख्या सम्मिलत हो जाने से जनपद की जनसंख्या 2169732 है। जनपद में 1991 की जनसंख्या के अनुसार 26.78 प्रतिशत की बृद्धि हुयी है । यहां पर 3.81 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र तथा 96.19 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है। जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.70 प्रतिशत तथा अल्पसंख्यक की 21.01 प्रतिशत है।

तालिका 1.3

जनसंख्या का सारांश

क्र.सं0	विवरण	पुरूष	महिला	योग	प्रतिशत
1	कुल जनसंख्या	1118082	1051650	2169732	–
2	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	193584	173313	366897	16.90 प्रतिशत
3	अल्पसंख्यक की जनसंख्या	238620	215645	454265	21.01 प्रतिशत
4	पिछड़ावर्ग की जनसंख्या	508655	475551	984206	45.52 प्रतिशत

स्रोत :– सांख्यिकीय पंजिका 1997–98 से वर्ष 2001 के लिये 2.67 वार्षिक वृद्धि की दर से अनुमानित।

जनपद की विकास खण्ड वार जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणनानुसार तालिका 1.4 में वर्णित है–

तालिका संख्या 1.4

जनपद की विकासखण्ड वार जनसंख्या

जनपद–सिद्धार्थनगर, वर्ष 2001 की जनगणनानुसार

क्र.सं0	विकास खण्ड	पुरूष	महिला	योग
1	बाँसी	63528	60604	124132
2	मिठवल	86101	84196	170297
3	खेसरहा	75025	72885	147910
4	डुमरियागंज	126132	121156	247288
5	भनवापुर	87735	84264	171999
6	इटवा	85053	72405	157458
7	खुनियांव	90110	87149	177259
8	जोगिया	56108	51284	107392
9	उस्का	83381	77077	160658
10	नौगढ़	65209	63460	128669
11	वर्डपुर	69428	64121	133549
12	शोहरतगढ़	55592	53449	109086
13	बढ़नी	63239	61959	125198
	योग	*1006841*	*954054*	*1960895*
1	नगर क्षेत्र तेतरी बाजार	11586	10329	21915
2	नगर क्षेत्र बाँसी	18599	17029	35628
3	नगर क्षेत्र शोहरतगढ़	4299	4037	8336
4	नगर क्षेत्र बढ़नी	6248	5576	11824
	योग	*40732*	*36971*	*77703*
14	*कुल योग*	*1047573*	*991025*	*2038598*
14	साथा	70509	60625	131134
	महायोग	*1118082*	*1051650*	*2169732*

स्रोत– जनगणना 2001 के अनुसार जनगणना कार्यलय से प्राप्त।

जनपद में विकास खण्ड वार अनुसूचित जाति की जनसंख्या का विवरण तथा कुल आबादी के अनुसार अनुसूचित जाति का विकास खण्डवार प्रतिशत निम्नांकित तालिका में वर्णित है–

तालिका संख्या 1.5

अनुसूचित जाति की जनसंख्या (2001)

क्र.सं0	विकास खण्ड	पुरूष	महिला	योग	कुल आवादी का प्रतिशत
1	बाँसी	9554	8507	18061	14.54 प्रतिशत
2	मिठवल	17845	15970	33815	19.85 प्रतिशत
3	खेसरहा	17193	15249	32442	21.93 प्रतिशत
4	डुमरियागंज	17195	15340	32535	13.15 प्रतिशत
5	भनवापुर	16552	14351	30903	17.96 प्रतिशत
6	इटवा	10008	8967	18975	12.05 प्रतिशत
7	खुनियांव	12601	11263	23864	13.46 प्रतिशत
8	जोगिया	11748	10732	22480	20.93 प्रतिशत
9	उस्का	16749	14764	31513	19.61 प्रतिशत
10	नौगढ़	12707	11733	24440	18.99 प्रतिशत
11	वर्डपुर	12358	11561	23919	17.91 प्रतिशत
12	शोहरतगढ़	10162	9709	19871	18.21 प्रतिशत
13	बढ़नी	10232	8951	19183	15.32 प्रतिशत
14	सांथा	14523	12451	26974	20.56 प्रतिशत
15	नगर क्षेत्र	4157	3765	7922	10.19 प्रतिशत
	योग	*193584*	*173313*	*366897*	*16.90 प्रतिशत*

स्रोत – जनगणना 1991 के अनुसार प्रोजेक्टेड @ 2.67 / वर्ष

सबसे अधिक खेसरहा वि0 खण्ड – 21.93 प्रतिशत

सबसे कम इटवा वि0 खण्ड – 12.05 प्रतिशत

तथा नगर क्षेत्र – 10.19 प्रतिशत

तालिका संख्या 1.6

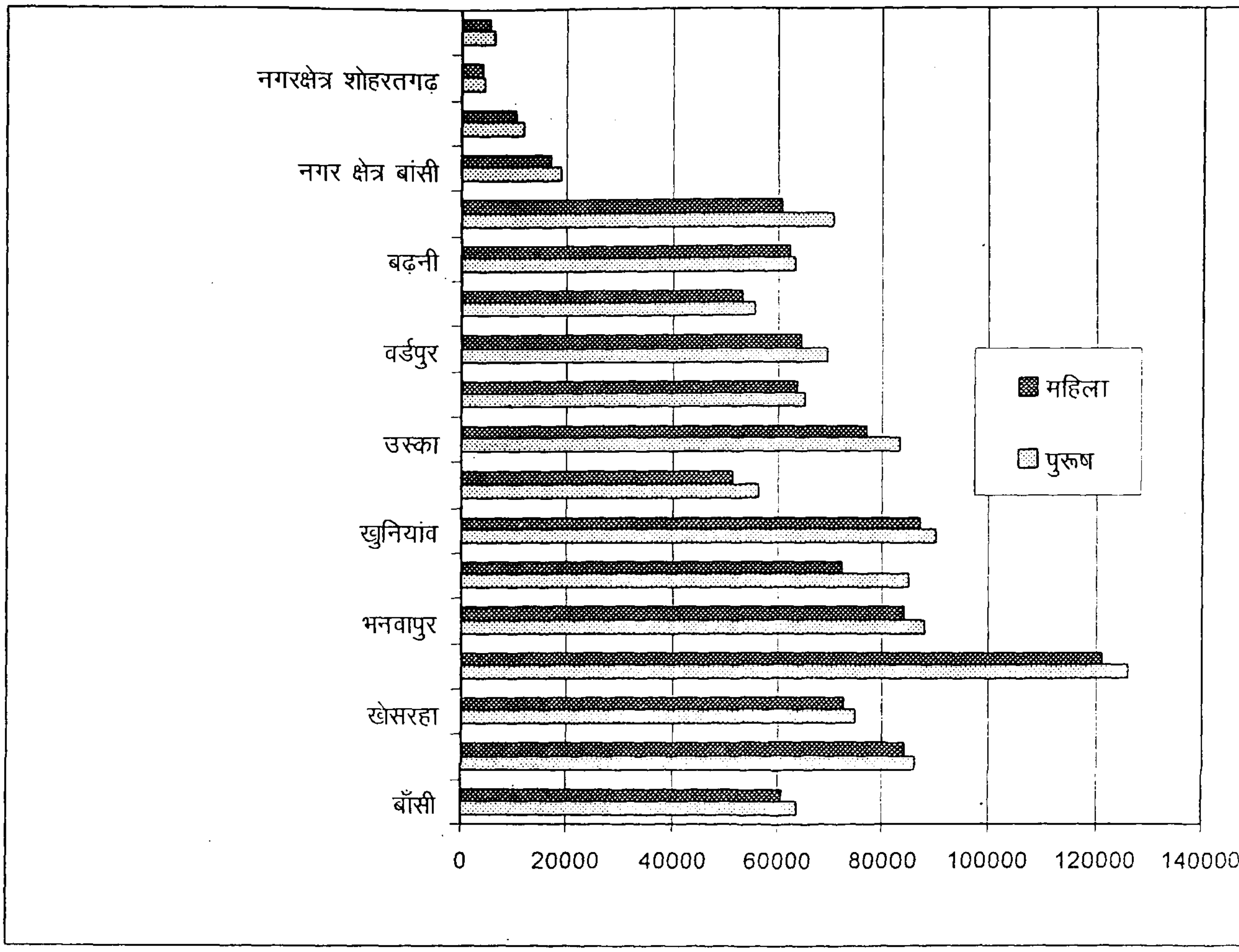
नगरक्षेत्र शोहरतगढ़
नगर क्षेत्र बांसी
बढ़नी
वर्डपुर
उस्का
खुनियांव
भनवापुर
खेसरहा
बाँसी
महिला
पुरूष
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000

अध्याय –2

शैक्षिक परिदृश्य

जनपद सिद्वार्थनगर साक्षरता की दृष्टि से प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा जनपद है। 1991 की जनगणना के अनुसार जिले का साक्षरता मात्र 27.1 प्रतिशत जिसमें महिलाओं की साक्षरता 11.95 प्रतिशत थी। प्राथमिक शिक्षा में उन्नयन के लिए जनपद में 1994–95 में सुरूचि पूर्ण शिक्षा योजना चलाई गयी । इसके बाद 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0 पी0 ई0 पी0) चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में शतप्रतिशत नामांकन, शत प्रतिशत उपस्थिति एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्वि करना है। इसके लिए समुदाय में जागरूकता लाना, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना, बालिका शिक्षा पर विशेष घ्यान , गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण सहायक सामग्री हेतु अध्यापक अनुदान आदि अनेक प्रयास किये गये हैं।

पहुँच के विस्तार के लिए 222 नवीन प्रा0 वि0 की स्थापना, 175 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा ठहराव के लिए 150 ई.सी.सी.ई. केन्द्र, 428 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 172 हैण्डपम्प, 636 शौचालय आदि की स्थापना की गयी है, साथ ही 93 विद्यालयों का पुनर्निर्माण एवं 160 एन0पी0 आर0 सी0 बनवाये गये।

डी0 पी0 ई0 पी0 मात्र प्रा0 वि0 तक ही सीमित रखा गया। सर्व शिक्षा अभिमान के अन्तर्गत पू0 मा0 वि0 को केन्द्रित करते हुए नामांकन, उपस्थिति, सप्प्राप्ति एवं भौतिक सुविधाओं सहित शैक्षिक सुविधाओं की पूर्ति हेतु प्रयास किया जाना है। परियोजना के आधारभूत लक्षण के पूर्ति हेतु प्राथमिक विद्यालयों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

साक्षरता–वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता 27.16 प्रतिशत थी। जिसमे पुरूषो की 40.92 प्रतिशत, तथा महिलाओं की 11.95 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 के जनगणना में कुल साक्षरता 43.97 प्रतिशत है तथा पुरूषों की 58.68 प्रतिशत, महिलाओं की 28.35 प्रतिशत है। जनपद का साक्षरता विवरण निम्नांकित है–

तालिका 2.1

क्र	विवरण	1991 जनगणना के अनुसार प्रतिशत में	2001जनगणना के अनुसार प्रतिशत में
1	कुल साक्षरता प्रतिशत	27.16 %	43.97 %
2.	पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत	40.92 %	58.68 %
3.	महिलाओ का साक्षरता प्रतिशत	11.95 %	28.35 %
4.	ग्रामीण साक्षरता	25.95 %	34.05 %
5.	नगरीय साक्षरता	53.8 %	57.71 %

स्रोत :–2001 की जनगणना

उपरिलिखित तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में वर्ष 1991 के सापेक्ष साक्षरता दर मे 16. 81 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। महिला साक्षरता दर मे अभूत पूर्व वृद्धि 16.4 प्रतिशत अर्थात लगभग दो गुना से अधिक की वृद्धि हुयी है।

साक्षरता बृद्धि का परिदृश्य

तालिका – 2.2

पिछले चार दशकों में साक्षरता प्रतिशत (जनगणना आधारित) बदलता शैक्षिक

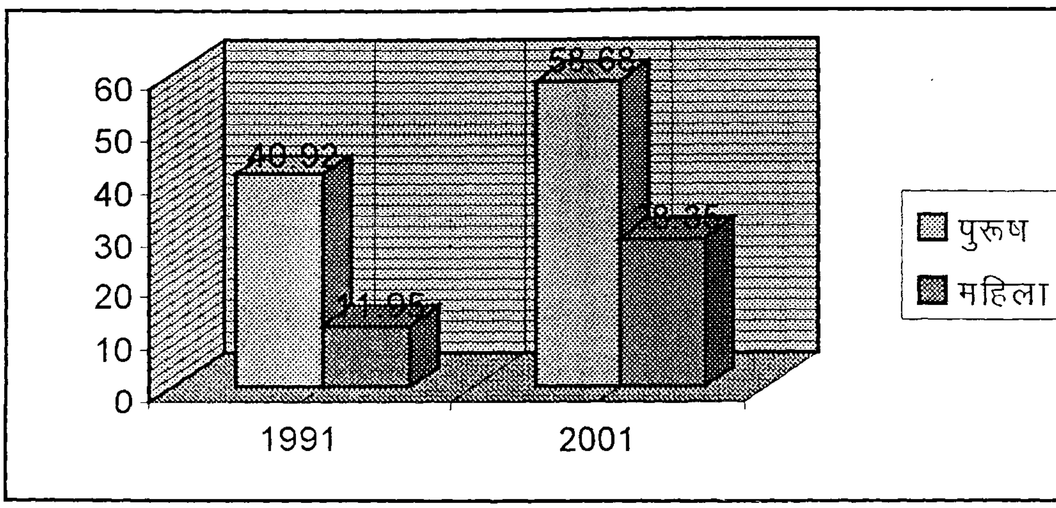

परिदृश्य)

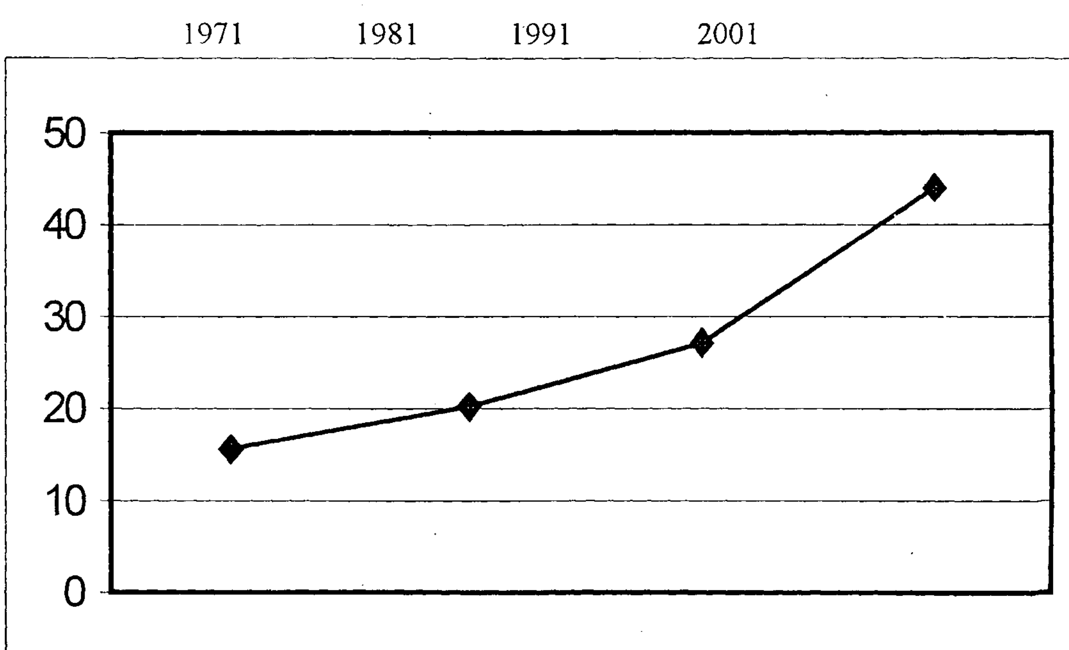

साक्षरता परिदृश्य से प्रतीत होता है कि जनपद मे अभी भी शिक्षा के क्षेत्र मे बहुत कार्य करना है। डी0 पी0 ई0 पी0 कार्यक्रम के अर्न्तगत चल रहे बालिका शिक्षा कार्यक्रम का और

अधिक विस्तार किया जाना आवश्यक है जिससे महिलाओं की साक्षरता मे आशातीत वृद्धि हो सके । विकास खण्ड वार साक्षरता परिदृश्य तालिका 2.3 मे वर्णित है।

तालिका –2.3

क्र. स.	विकास खण्ड	1991 जनगणनानुसार (प्रतिशत मे)			2001 की जनगणनानुसार (प्रतिशत में)		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	साथा	47.53	12.67	30.10	53.46	42.73	48.50
2	खेसरहा	42.04	10.79	26.41	48.39	22.73	35.75
3	बॉसी	34.33	8.1	21.21	43.43	17.20	30.62
4	मिठवल	44.52	11.96	28.24	50.58	24.73	37.94
5	डुमरियागंज	47.61	19.22	33.41	50.82	29.53	40.39
6	भनवापुर	36.32	9.57	22.94	41.85	18.21	30
7	इटवा	33.81	10.16	21.98	41.08	23.68	33.13
8	खुनियांव	32.38	6.44	19.41	38.65	16.96	27.85
9	जोगिया	33.54	5.73	19.63	43.21	17.18	30.80
10	उस्का	41.4	11.02	26.21	47.6	21.3	34.45
11	नौगढ़	43.83	10.64	27.23	51.86	24.84	38.82
12	शोहरतगढ़	39.62	8.68	24.15	49.2	20.02	34.28
13	बढ़नी	32.14	9.34	20.74	40.38	19.36	30.2
14	वर्डपुर	44.13	11.53	27.83	49.07	23.62	36.85
15	नगर क्षेत्र	67.4	38.2	53.8	72.98	66.25	57.71

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनपद मे सबसे अधिक साक्षरता सांथा विकास खण्ड तथा सबसे कम खुनियांव विकास खण्ड का है। महिला साक्षरता के दृष्टि से सबसे अधिक सांथा तथा सबसे कम खुनियांव विकास खण्ड का है।

शैक्षिक संस्थायें :–

जनपद मे शैक्षिक संस्थाओ का विवरण निम्नलिखित तालिका 2.4 मे वर्णित है।

तालिका – 2.4

क्र		परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
1	प्राथमिक विद्यालय	ग्रा0	नगरीय	योग	ग्रा0	नगरीय	योग	ग्रामीण	नग0	योग	ग्रा0	नग0	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्राथमिक विद्यालय	1316	12	1328	94	09	103	1410	21	1431	259	12	271
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राथमिक वि0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	401	04	405	61	06	67	462	10	472	02	01	03
4	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध पूर्व माध्यमिक अनुभाग	01	02	03	67	05	72	68	07	75	02	–	02
5	केन्द्रीय विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	नवोदय विद्यालय	–	–	–	–	–	–	01	–	01	–	–	–
7	हाईस्कूल	0	0	0	28	0	28	28	0	28	02	–	02
8	इण्टरमीडिएट	01	02	03	39	05	44	40	07	47	–	–	–
9	डिग्री कालेज	–	03	–	04	03	07	04	03	07	–	–	–
10	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	तकनीकी संस्थान (आईटीआई / पॉलीटेक्निक	01	–	01	01	–	01	02	–	02	–	–	–
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाए	–	–	–	–	01	01	–	01	01	02	03	05
14	आंगन बाडी केन्द्रो की संख्या	1205	–	1205	–	–	–	1205	–	1205	–	–	–
15	मकतब / मदरसे	–	–	–	153	08	161	153	08	161	21	–	21
16	संस्कृत पाठशालाएं	–	–	–	14	–	14	14	–	14	–	–	–
17	विकलांग बच्चो की शिक्षा हेतु संस्थाएं	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	बाल श्रमिक विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

शिक्षको की उपलब्धता :

परिषदीय विद्यालयो मे अध्यापको की उपलब्धता का विवरण निम्नवत् है

(1.7.2003 की स्थिति)

क0 सं0	विवरण	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्र
1	प्राथमिक विद्यायलय	3710	1865	1845	1463
2	पूर्व माध्यमिक विद्यालय	721	673	48	—

स्रोत — विभागीय आंकड़े

विद्यालयों की सारिणी तथा शिक्षको की उपलब्धता की सारिणी से स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालयों पर 01 प्राथमिक विद्यालय पर 1.52 शिक्षक तथा 01पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर 3.02 शिक्षक कार्यरत है। जब कि छात्र नामांकन की दृष्टि से प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का 1:103 का अनुपात है। शिक्षा मित्रो सहित 1:58 छात्रो का अनुपात है।

बस्तियों का विवरण :—

विद्यालयी सुविधा की दृष्टि से बस्तियों का विवरण निम्नलिखित है—

तालिका — **2.6**

परिषदीय व मान्यता प्राप्त परिषदीय विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण	1किमी0 से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 से कम दूरी पर उपलब्ध विद्यालय	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु आवश्यकता	कुल बस्तियों की संख्या 2+3+4
1	2	3	4	5	6
ऐसे बस्तिया/ ग्रामों की संख्या जिनकी संख्या 300 से अधिक है।	294	1553	—	—	1847
ऐसे बस्तियों/ ग्रामों की सं. जिनकी आवादी 300 से कम है	109	270	448	—	827
योग	403	1823	448	—	2674

मई 2003 में परिवार सर्वेक्षण के दौरान जनपदीय समिति द्वारा असेवित क्षेत्रों की भी पहचान करायी गई तद्नुसार जनपद में अब नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यक्ता नही है अपितु 448 क्षेत्रों में ई.जी.एस. केन्द्र तथा 132 स्थलों पर बैकलिपिक शिक्षा केन्द्र खोलने की आवश्यक्ता महसूस की गई है इससे जनपद पूर्ण रूप से प्राामिक शिक्षा से सेंवित हो जायेगा।
तालिका – 2.7

परिषदीय व मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय की उपलब्धता

विवरण	3किमी0 अथवा उससे कम दूरी पर परिषदीय व मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयो की उपलब्धता	3 किमी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता	पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु आवश्यकता	योग
ऐसे बस्तियों/ ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	885	–	–	885
ऐसे बस्तियों/ ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है	1588	201	–	1789
योग	2473	201	–	2674

मई 2003 में परिवार सर्वेक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया कि जनपद में पूर्वमाध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यक्ता नहीं है अपितु 201 उच्च प्राथमिक स्तर के वैकल्पिक केन्द्र खोल देने से जनपद उच्च प्राथमिक शिक्षा से पूर्ण रूप से आच्छादित हो जायेगा।

विकास खण्ड का सारिणी 2.6 तथा 2.71 का पूर्ण विवरण निम्नलिखित है–

नामांकन –

परिवार सर्वेक्षण वर्ष 2002–03 के आधार पर जनपद में 6–11 वर्ष वर्ग के कुल 356355 बच्चो की संख्या है, जिसमे 214766 बालक तथा 141589 बालिकायें है। इनमे से 169581 बालक, 96499 बालिका अर्थात कुल 266080 बच्चे पढ़ते है तथा अव भी 45185 बालक तथा 45090 बालिकाये कुल 90275 बच्चे विद्यालय नही जा रहे है। माह अगस्त 2003 में 65115 बचचे नामांकित कराये गये है शेष 25160 बच्चों को ई.जी.एस./ए.आई. केन्द्रों में नामांकित कराने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व विवरण तालिका 2.8 में वर्णित है।

उक्तानुसार ही 11–14 वय वर्ग के 91004 बालक तथा 69024 बालिकाएं कुल 160028 बच्चे हैं। जिसमें से 11–14 वर्ष वर्ग के 78175 बालक तथा 55957 बालिकाये कुल 134130 बच्चे पढ़ते है तथा 12831 बालक तथा 13067 बालिकाये अर्थात कुल 25898 बच्चे विद्यालय की शिक्षा से वंचित है।इसमें से 18131 का नामांकन माह अगस्त 2003 मे कराया गया है शेष 7767 बच्चों

को ए.आई.ई. उच्च प्राथमिक स्तर में नामांकित कराने के प्रयास किये जा रहे है। पूर्ण विवरण तालिका 2.8 व 2.9 मे वर्णित है।

तालिका – 2.8

प्राथमिक विद्यालय स्तर

6–11 वय वर्ग की जनसंख्या			नामांकन									एन.ई. आर.
			परिषदीय			अन्य विद्यालय			योग			
बालक	बालिक	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
214766	141589	356355	114347	83881	198228	55134	12618	67852	169581	96499	266080	74.66

तालिका संख्या 2.9

11–14 वय वर्ग की जनसंख्या			नामांकन									एन0 ई0 आर0
			परिषदीय			अन्य विद्यालय			योग			
बालक	बालिक	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
91004	69024	60028	14809	7292	22101	63364	48665	112029	78173	55957	134130	83.81

तालिका – 2.12

परिषदीय विद्यालयों में नामांकन 6–11 वय वर्ग

30–9–2002 प्राथमिक विद्यालय सिद्वार्थ नगर

क्र0 सं0	विकास खण्ड	कुल नामांकन			अनुसूचित जाति नामांकन		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	सांथा	6501	4313	10814	2136	1783	3919
2	खेसरहा	12491	8475	20966	3010	2573	5583
3	बाँसी	10699	7649	18348	2730	1813	4543
4	मिठवल	15498	10242	25740	3862	2792	6654
5	डुमरियागंज	20083	14926	35009	2978	2597	5575
6	भानवापुर	16555	6230	22785	3276	2814	6090
7	इटवा	12828	5328	18156	1794	934	2728
8	खुनियांव	14722	8641	23363	2922	1292	4214
9	जोगिया	8475	4987	13462	2144	1469	3613
10	उस्का	13941	5167	19108	3226	2243	5469
11	नौगढ़	8059	3793	11852	2343	2057	4410
12	बर्डपुर	12876	6972	19848	2224	1794	4023
13	शोहरतगढ़	7336	4532	11868	1677	1231	2908
14	बढ़नी	9517	5244	14761	1628	902	2530
	योग	169581	96499	266080	35955	26294	62249

स्रोतः– विभागीय आंकड़े

विद्यालयो मे उपलब्ध भौतिक सुविधायें –

जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों मे भौतिक सुविधाये 30–9–2002 के अनुसार निम्नलिखित है।

तालिका – 2.13

प्राथमिक स्तर 30–9–2002

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	विवरण
1	प्राथमिक विद्यालय भवन	1328	
2	एक कक्षीय प्रा0 वि0 की संख्या	–	
3	दो कक्षीय प्रा0 वि0 की संख्या	802	1604 कक्ष
4	तीन कक्षीय प्रा0 वि0 की संख्या	489	1467 कक्ष
5	चार कक्षीय प्रा0 वि0 की संख्या	28	112 कक्ष
6	पांच कक्षीय प्रा0 वि0 की संख्या	08	40 कक्ष
7	पांच से अधिक कक्ष वाले प्रा0 वि0 की संख्या	01	07 कक्ष
	योग	–	3230 कक्ष
8	लघु मरम्मत योग्य प्रा0 वि0 की संख्या	150	
9	वृहद मरम्मत योग्य प्रा0 वि0 की संख्या	60	
10	शौचालय विहीन प्रा0 वि0 की संख्या	307	
11	हैण्डपम्प विहीन प्रा0 वि0 की संख्या	–	
12	चहरदीवारी विहीन प्रा0 वि0 की संख्या	1203	

कुल प्रा0 वि0 संख्या – 1328

कुल कक्षा कक्षो की संख्या – 3230

आवश्यकता @ 3 कक्ष 754

तालिका –2.14

जनपद के परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मे भौतिक सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित हैं–

(पूर्व माध्यमिक स्तर) 30–9–2002

क्र0सं0	विवरण	संख्या	
1	कुल पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	405	
2	भवन युक्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	397	
3	भवनहीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	08	
4	जर्जर पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की सख्या	57	
5	लघु मरम्मत योग्य पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	27	
6	वृहद मरम्मत योग्य पूर्व माध्यमिक विद्यायल की संख्या	15	
7	शौचालय विहीन पूर्व माध्यमिक विद्यालय की संख्या	84	
8	हैण्ड पम्प विहीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	0	
9	चहरदीवारी विहीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	135	
10	पूर्वमाध्यमिक विद्यालय मे कक्षा कक्षो की संख्या		
	1. एक कक्षीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय संख्या		
	2. दो कक्षीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की संख्या	02	04 कक्ष
	3. तीन कक्षीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की संख्या	325	975 कक्ष
	4. चार कक्षीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की संख्या	72	288 कक्ष
	5. पांच कक्षीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की संख्या	04	20 कक्ष
	6. पांच से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय की संख्या	02	14 कक्ष

कुल पू0 मा0 वि0 संख्या – 405

कुल कक्षा कक्षो की संख्या – 1301

आवश्यकता @ 5 कक्ष 724

- **छात्र अध्यापक अनुपात तथा छात्र कक्षाकक्ष अनुपात :**

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	पूर्व माध्यमिक विद्यालय
1	2	3
1997-98	1:66.7	
1998-99	1:76.6	
1999-2000	1:80.2	
2000-01	1:76.9	
2001-02	1:71.7	
2002-03	1:83	1:27

- **छात्र कक्षाकक्ष अनुपात :**

वर्ष	प्राथमिक पाठशाला	पूर्व माध्यमिक विद्यालय
1	2	3
1997-98	1:66	
1998-99	1:77	
1999-2000	1:76	
2000-01	1:62	
2001-02	1:65	
2002-03	1:62	1:44

कारण :-

- ❖ अध्यापकों के लगातार सेवानिवृत्त होने तथा मानक के अनुसार बी.टी.सी. प्रशिक्षुओं की भती न होना। गत 2 वर्षो में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के बाद पी.टी.आर. घटा है।
- ❖ जनसंख्या एवं नामांकन में निरन्तर बृद्धि ।
- ❖ विद्यालय, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष ए.एस, ई.जी.एस. की संख्या बढ़ने के कारण एस.सी. आर. घटा है।

रणनीति :–

❖ मानक के अनुरूप (1:40) के आधार पर शिक्षक/शिक्षा मित्रों की नियुक्ति।

❖ एस.सी.आर.घटाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्ष की संख्या एवं नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना तथा मानक न पूरा कर पाने वाले क्षेत्रों में ई.जी.एस. केन्द्रों की स्थापना। वर्ष 2003-04 के लिए 497 ए.एस./ई.जी.एस./ब्रिजकोर्स कैम्प संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

GROSS ENROLLMENT RATIO, NET ENROLLMENT RATIO(GER, NER) :-

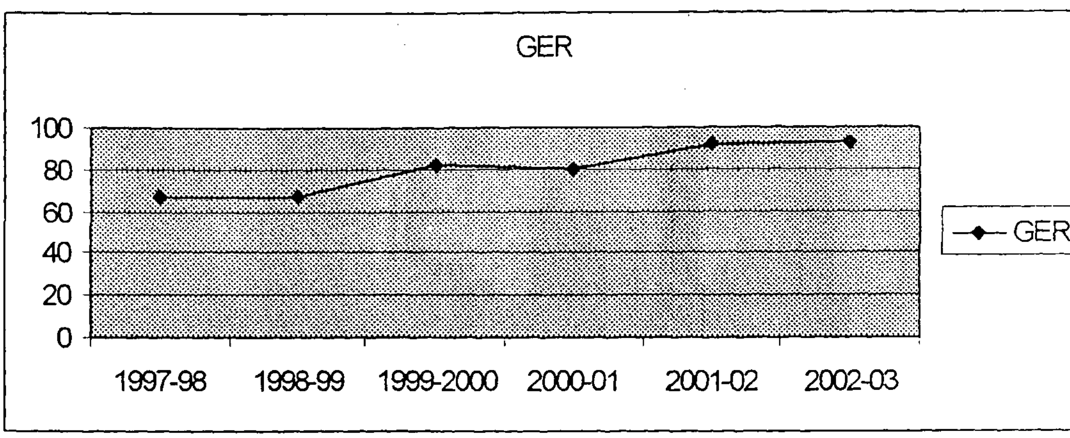

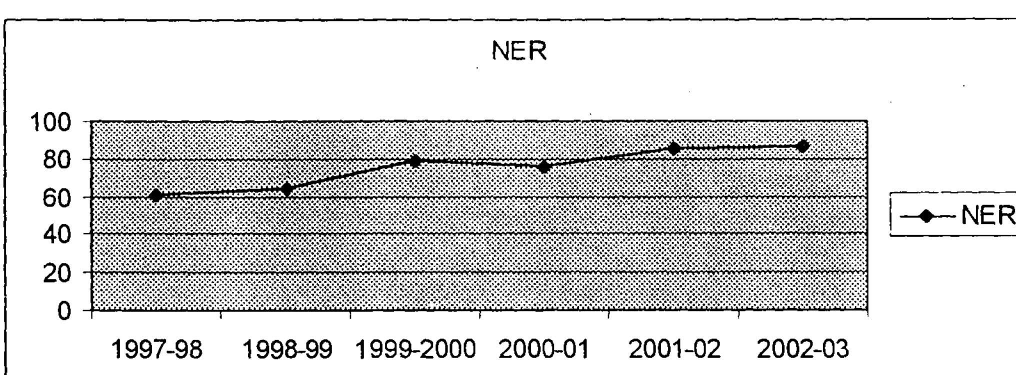

कारण :–

❖ समुदाय की सक्रियता एवं जागरूकता में कमी ।

❖ वी.ई.सी.,पी.टी.ए., एम.टी.ए. आदि का प्रभावी रूप से कार्य न करना ।

❖ महिलाओं की निम्न साक्षरता दर एवं जागरूकता का आभाव।

❖ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आने वाले जनपद के 35प्रतिशत विद्यालय प्रतिवर्ष डेढ़ माह बाढ़ के कारण बन्द रहते है।

- ❖ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण बच्चों से श्रम तथा तस्कारी का कार्य लेना ।
- ❖ अध्यापकों का तकनीकी तौर पर रूचि न लेना ।
- ❖ एकल विद्यालयों का माह में कई दिन तक बन्द रहना।
- ❖ गरीबी एवं अभिभावकों के साथ बच्चों का कृषि एवं घर के कार्य में संलग्न रहना।

रणनीति :–

- ❖ समुदाय को सक्रिय बनाने के लिए निरन्तर प्रयास ।
- ❖ वी.ई.सी.,एम.टी.ए., पी.टी.ए. का गठन पूरे जनपद में करना तथा इनके अन्दर दक्षता विकास लाने हेतु प्रशिक्षित करना साथ प्रभावी कार्य करने हेतु निरन्तर प्रोत्साहित करना।
- ❖ महिलाओं में महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए मीना मंच का गठन कर उसे प्रभावी बनाना तथा माँ–बेटी मेला इत्यादि का नियोजन ।
- ❖ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की वजह से प्रभावित होने वाले डेढ़ माह के पाठ्यक्रम को 10 माह के बजाय 8 माह में समापत करने की योजना तैयार करना।
- ❖ अध्यापकों की अरूचि को समाप्त करने के लिए प्रभावी श्रेणीकरण करना एवं प्रभावी निरीक्षण करते हुए शिक्षक प्रोत्साहन प्रदान करना।
- ❖ छात्र प्रोत्साहन (नि:शुल्क पाठ्यपुस्तके, छात्रवृत्ति एवं स्वाल्पाहार) का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

GENDER GAPE (लैंगिक विषमता) :–

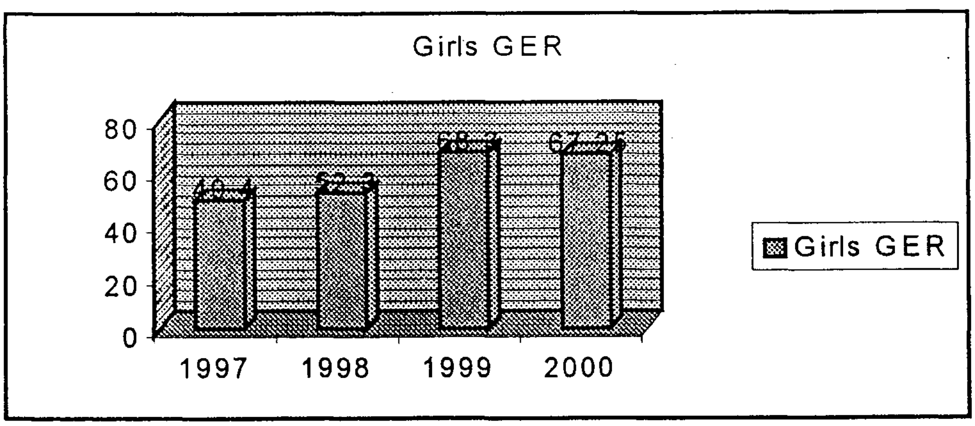

GIRLS DROP OUT RATE :-

कारण :–

- जनपद में महिला साक्षरता की न्यून स्थिति है अतः इसका प्रभाव बालिका शिक्षा पर भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित/प्रदर्शित होता है।
- गरीबी – जागरूकता का आभाव ।
- बालिकाओं के प्रति समाज की नकारात्मक सोच ।
- अधिकांश प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों की कमी/न होना ।

रणनीति :–

- महिलाओं को इतना सक्षम बनाना कि वह स्वयं बालिका शिक्षा की मांग करें।
- स्थानीय महिलाओं की सेवावों का उपयोग ।
- मीना मंच का गठन ।
- ग्राम स्तर पर रैलियों/संगोष्ठियों का आयोजन ।
- बालिकाओं की जरूरतों के मुताबिक शैक्षिक प्रणाली का विकास ।
- अनुसर्मथन एवं संकेन्द्रण आधारित विशेष निवेश ।
- लैंगिक संवेदनशीलता को अभिवृत्त परिवर्तन की ओर ले जाना ।
- किशोरी केन्द्रों की स्थापना ।
- लैंगिक संवेदनशीलता हेतु विभिन्न प्रशिक्षण/कार्यशाला ।
- चयनित ग्रामों/एन.पी.आर.सी में बालिका शिक्षा पर संकेन्द्रित निवेश।
- छात्र प्रोत्साहन (निःशुल्क पाठ्यपुस्तके, छात्रवृत्ति एवं स्वाल्पाहार) का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

SOCIAL GAP :–

जनपद में बालिकाओं (खास तौर से अनुसूचित एवं अल्प संख्यक जाति) की शैक्षिक स्थिति के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति भी खस्ताहाल है और सामान्यतः इस तबके के लोग इन कठिनाईयों से जूझने के कारण व शिक्षा के प्रति नकारात्मक सोच होने की वजह से अपनी बच्चियों का नामांकन नही कराते है। अतः शैक्षिक स्थिति के साथ-साथ इनकी

सामाजिक स्थति भी खराब है और समाज में हर क्षेत्र में ये तबका कमजोर है, ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हुए इन क्षेत्रों में शैक्षिक विकास के लिए उनकी निजी कठिनाईयों को महसूस करते हुए शैक्षिक सुविधा मुहैया करवाने की योजना तैयार की गई है। जिसके लिए उसी समुदाय के व्यक्तियों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करने की योजना है तथा इनके अभिभावकों को जागरूक व अभिप्रेरित भी किया जाना है। साथ ही इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दिये जाने का यत्न करना है जिससे इनकी कुछ पारिवारिक आय भी संभव हो सके साथ ही ये बच्चे जीवनोपयोगी शिक्षा भी हासिल कर सकें और समाज में इनका स्तर ऊँचा उठाया जा सके।

DROP OUT RATE (TOTAL) :–

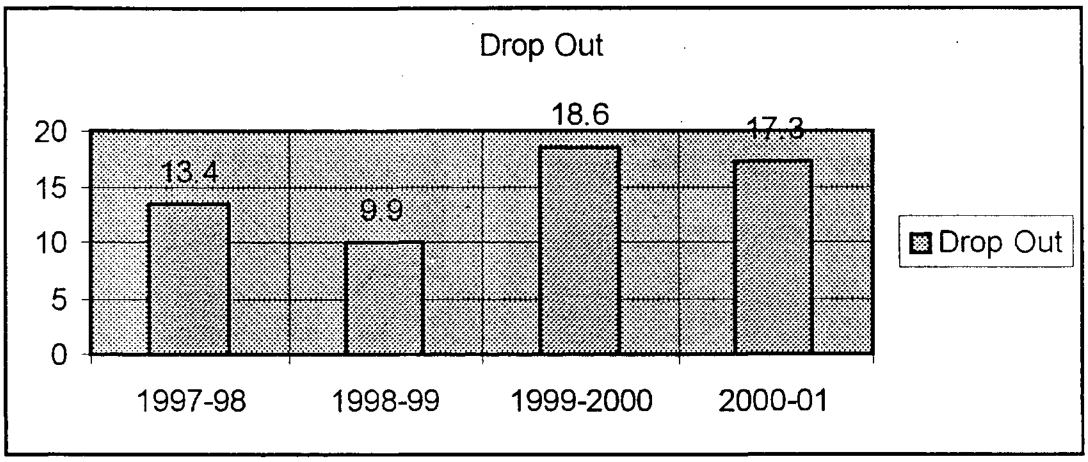

निष्कर्षः–

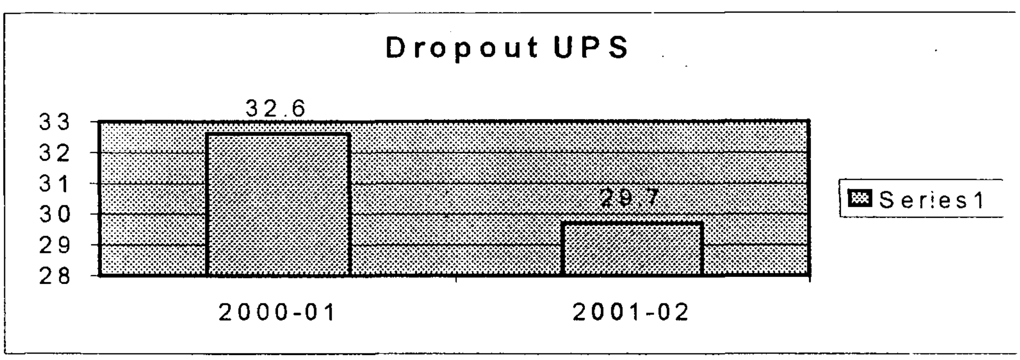

जनपद में ड्राप आउट की दर अत्याधिक है । डण्डारेख से स्पष्ट है कि वर्ष 1998 में यह दर 9.9 प्रतिशत थी जो 99 में बढ़कर 18.6 प्रतिशत हो गयी और वर्ष 2000–01 में 17.8 प्रतिशत है।

ड्राप आउट के कारण :–

❖ विद्यालयों का भौतिक परिवेश आकर्षक न होना ।

- ❖ अध्यापकों द्वारा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण न बनाना ।
- ❖ अरूचिकर शिक्षण विधायें अपनाना ।
- ❖ समुदाय/अभिभावकों के साथ बैठकें आयोजित न होना ।
- ❖ गांव के लोगों को विद्यालय से न जोड़ना ।
- ❖ विद्यालयीय कार्यक्रमों एवं बच्चों की सम्प्राप्ति का सही अनुश्रवण व मूल्यांकन न होना ।
- ❖ जनप्रतिनिधियों एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रापत न होना ।

रणनीति :-

- ➢ विद्यालयीय परिवेश को आकर्षक बनाने के लिए विद्यालय अनुदान का सदुपयोग सुनिश्चित करना। दीवारों पर शैक्षिक चित्रण आदि ।
- ➢ शिक्षण विधा को रोचक बनाना, शिक्षण में टी.एल.एम. का उचित समावेश एवं बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं ।
- ➢ शिक्षण में गीत, कविता, कहानी, नाटक का प्रयोग एवं प्रर्दशन का समावेश। शैक्षिक भ्रमण आदि ।
- ➢ समुदाय को गतिशील बनाने के लिए नियमित बैठकें।
- ➢ गांव के लोगों (कथा/कहानीकार, कलाकार) को विद्यालय में अपने अनुभव बांटने का मौका देना।
- ➢ बच्चों का सही मूल्यांकन कर उन्हे प्रोत्साहित करना तथा उनके कमजोर पक्षों को दुरूस्त करना ।
- ➢ जन प्रतिनिधियों एवं एन.जी.ओ. के सदस्यों को विद्यालय पर आमंत्रित करना तथा उनसे बेहतर तालमेल स्थापित करना।

TRANSITION RATE (PS LAVEL)

कोहार्ट ड्राप आउट रेट (प्राथमिक विद्यालय, 1997-98 से 2000-01) :-

कक्षा 1 से 5 -	63 प्रतिशत
बालक -	62 प्रतिशत
बालिका -	65 प्रतिशत

TRANSITION RATE (UPS LAVEL) :- (1997-98 से 2000-01)

CLASS 5TH TO 6TH	-	34.1%
BOYS	-	36.9%
GIRS	-	28.9%

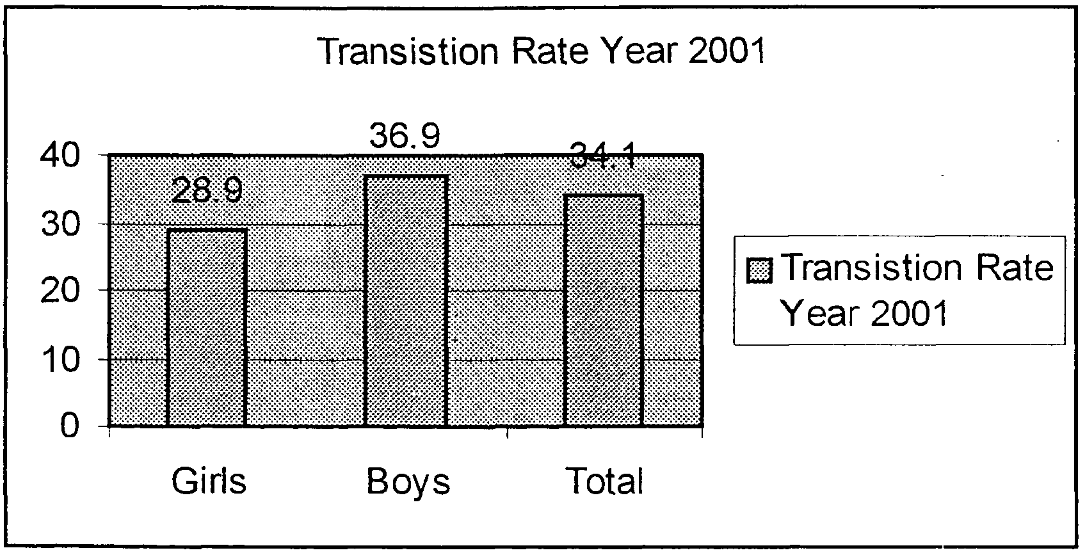

निष्कर्ष :—

जनपद में ड्राप आउट अत्यधिक है खासतौर से बालिकाओं में और भी ज्यादा है।

कारण :—

ट्रांजिशन रेट बहुत कम है इसका मुख्य कारण जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी है। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में अध्यापकों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मात्र 1 या दो ही अध्यापक कार्यरत हैं।

रणनीति :—

1. वर्तमान सत्र 2002—03 के फरवरी माह में तकरीबन 300 अध्यापकों की प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति हुयी है अतः अब उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी की समस्या स्वतः हल हो गयी हैं। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत आगामी सत्र 2003—04 में 100 उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की योजना है जिससे असेवित क्षेत्रों को वरीयता क्रमानुसार 2 वर्षो में सेवित किया जा सके।

2. शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना जिससे कि शिक्षण कार्य गतिविधि आधारित, अधिगम परक एवं रोचक हो सके। साथ ही प्रत्येक शिक्षक को सहायक शिक्षण सामग्री

अनुदान उपलब्ध कराया जाना जिससे कि शिक्षण सामग्री के प्रयोग से बच्चों को सिखाने में शिक्षकों को मदद मिले।

3. जनपद के 5 विद्यालयों में नवाचार अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा एवं कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना।

4. माता–पिता/अभिभावक एवं समुदाय को जागरूक करना ।

5. अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष निवेश। ठोस कार्यनीति के क्रियान्वयन के प्रयास।

परिवार सर्वेक्षण :–

जनपद में मोह मई 2003 में परिवार सर्वेक्षण कराया गया जिसमें जनपद के 6–14 वय वर्ग के बच्चें का चिन्हीकरण कराया गया जिससे स्कूल जाने वाले जिससे स्कूल न जाने वाले बच्चों साथ ही स्कूल न जाने का कारण भी चिन्हित कराया गया। इन बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कराया जा रहा है साथ ही इन्हे ई.जी.एस. केन्द्र तथा ए.आई.ई. केन्द्रों पर भी नामांकित कराने के लिये कार्ययोजना अध्याय–7 में वर्णित है।

तालिका –2.15

वर्तमान में भौतिक सुविधाओ की कमी /आवश्यकता

क्र0 सं0	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	डी0पी0ई0पी0 11वें वित्त आयोग मे प्राविधान जिला योजना /अन्य श्रोत	एसएसए के अन्तर्गत मांग	कमी	डी0पी0ई0पी0 11वें वित्त आयोग मे प्रविधान जिला योजना / अन्य श्रोत	एसएस के अन्तर्ग मांग
1	नवीन विद्यालय	0	0	0	0	–	0
2	विद्यालय पुर्नर्निमाण	197	117	80	34	10	24
3	अतिरिक्त कक्षा कक्ष (प्रति शिक्षक /प्रति कक्षा कक्ष एवं नामांकन में वृद्वि के आधार पर	754	0	754	724	0	724
4	पेयजल सुविधा	–	–	–	–	–	–
5	शौचालय	307	80	227	84	–	84
6	चहरदीवारी	0	–	0	0	–	0

अध्याय–3

नियोजन प्रक्रिया–

शत प्रतिशत शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान एक ऐतिहासिक प्रयास है। इस अभियान के माध्यम से समयवद्ध एवं समुचित प्रयास तथा जन भागीदारी के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन लाने की अपेक्षा की गयी है। इस अभियान का उद्देश्य सन 2010 तक न सिर्फ 6 से 14 वर्ष के सभी वच्चों को उपयोगी एवं गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है बल्कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं विशेष क्षमता वाले वच्चों तथा किशोरियों को भी उनके अनुरूप प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस अभियान में समुदाय को विद्यालय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी, विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनमें गुणवत्ता परक शिक्षा मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी का एहसास भी कराना है। इस कार्यक्रम में लिंग के आधार पर भेदभाव तथा अन्य सामाजिक विषमताओं को भी समाप्त करने की परिकल्पना की गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा सम्बन्धी सभी परियोजनाओं को एक साथ लाने एवं संगठित रूप से संचालित करने का प्रयास किया गया है। इस अभियान में ग्रामीण सहभगिता, सीनीय आवश्यकता, कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण के आधार पर कार्ययोजना निर्माण करने का प्रयास किया गया है। इस अभियान में ग्राम, न्याय पंचायत, ब्लाक, तहसील एवं जनपद स्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं, जनप्रतिनिधि, शिक्षणथियों, अधिकारियों तथा एन0 जी0 ओ0 के साथ बैठकें कर कार्य योजना की रूपरेखा तय की गयी तथा गैरसरकारी संगठनो, शिक्षकों, स्वयं सेवकों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों आदि को शामिलकर उनके उत्तरदायित्व को तय करने का प्रयास किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान (2001–2010) की दीर्घ कालीन योजना (प्रस्पेक्टिव प्लान) का निर्माण जनपद स्तर पर गठित अकादमिक कोर टीम द्वारा किया गया है।

कोर टीम निम्नवत है।

- प्राचार्य (डायट) – अध्यक्ष
- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी
- वरिष्ठ प्रवक्ता (डायट) – (1)
- जिला समन्वयक (डी0 पी0 ई0 पी0) – (5)

- सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी (डी० पी० ई० पी०)
- ए० बी० एस० ए० (मिठवल, नौगढ़) – (2)
- लेखाकार (डी० पी० ई० पी०) – (1)
- ब्लाक को–आर्डीनेटर – (1)
- एन० पी० आर० सी० को–आर्डीनेटर –(2)
- असिसटेन्ट को–आर्डीनेटर – (1)
- सीनियर हेड टीचर (फीमेल) – (1)
- मेंम्बर (एन० जी० ओ०) – (2)

कोर टीम के सदस्यों ने योजना निर्माण के लिये जनपद में व्यापक प्रचार–प्रसार एवं बैठके आयोजित कर चर्चा के दौरान उभरे विन्दुओं एवं मुद्दों, समस्याओं एवं सुझावों को शामिल करते हुये व सूक्ष्म नियोजन, स्कूल अभियान, ग्राम शिक्षा योजना आदि को आधार बनाते हुये इस दीर्घकालीन योजना का निर्माण किया गया है।

सूक्ष्म नियोजन–

सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु बस्ती से जनपद स्तर तक किन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए उनका चिन्हित किया जाना किसी कार्यक्रम की सफलता का मूल विन्दु है। वैसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को प्रारम्भ करने से पहले आधार भूत सर्वेक्षण के माध्यम से मौलिक आवश्यकताओं, वास्तविक स्थिति आदि की पहचान की गयी थी तथा सूक्ष्म नियोजन को अधिक महत्व दिया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि बस्ती से लेकर जनपद स्तर तक की शैक्षिक स्थिति का समग्र आकलन किया जाय तथा कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना का निर्माण किया जाय। इसी आधार पर स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप 6 से 11 वय वर्ग के समस्त वच्चों हेतु शिक्षा की व्यवस्था की जाय।

सूक्ष्म नियोजन करने से पूर्व जनपद स्तर की सभी ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराकर उनको इस कार्यक्रम में सम्पूर्ण रूप से भागीदार बनाने एवं उनके दायित्व निर्धारण करने का प्रयास किया गया।

सूक्ष्म नियोजन में निम्नलिखित सूचनाओं में आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया।

- ग्राम एवं बस्ती में 6 से 11 वय वर्ग के कुल वच्चों की संख्या
- विद्यालय जाने वाले वच्चों की संख्या

- विद्यालय ना जाने वाले वच्चों की संख्या
- अनौपचारिक/वैकल्पिक केन्द्रों में पढ़ने वाले वच्चों की संख्या
- न पढ़ने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/वैकल्पिक केन्द्र नही है, तो विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय नही खोला जा सकता तो ग्राम वासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते है।
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन एवं अन्य उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त है।
- यदि नहीं तो ग्राम वासियों का क्या सुझाव है।
- छात्र अध्यापक अनुपात क्या है?
- शिक्षण कार्य की स्थिति
- शिक्षा की गुणवत्ता में ग्राम वासियों के विचार

सूक्ष्म नियोजन के आधार पर उपर्युक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात् निम्नलिखित कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये।

1— परिवार सर्वेक्षण।
2— शैक्षिक मानचित्रण।
3— सूचनाओं का विशलेषण।
4— ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण।

परिवार सर्वेक्षण—

ग्राम प्रधान के अध्क्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों उत्साही युवक, युवतियों, शिक्षकों, की एक वैठक बुलाकर शैक्षिक एवं अन्य समस्याओं पर चर्चा की गयी तथा परिवार सर्वेक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र के सभी विन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर उन्हें स्पष्ट किया गया तथा सर्वेक्षण कार्य हेतु समूह बनाये गये।

उक्त समूहों के द्वारा परिवार सर्वेक्षण कराया गया तथा सूचनाएं एकत्र किये गये।

शैक्षिक मानत्रिण एवं सूचनाओं का विशलेषण–

प्रत्येक ग्राम पंचायत का शैक्षिक मानचित्र तैयार कराया गया तथा उसी आधार पर ज्ञात सूचनाओं की सूची तैयार की गयी जो कि निम्नवत् है।

1 बस्ती की सम्पूर्ण जनसंख्या

2 विभिन्न आयुवर्ग (0–6, 6–11, 11–14) की जनसंख्या

3 स्त्री पुरूष की जनसंख्या

4 पढ़ने एवं न पढ़ने वाले वच्चों की संख्या

5 बाल श्रमिको के विषय में जानकारी

6 बालिका शिक्षा की स्थिति

7 विकलांग वच्चों की जानकारी

8 पेयजल आदि से सम्बन्धित जानकारी

उपरोक्त सभी सूचनाओं को आधार मानकर उनका विशलेषण किया गया तथा जिस स्तरकी आवश्यकता महसूस की गयी उसे ग्राम शिक्षा योजना निर्माण में सम्मिलित किया गया।

ग्राम शिक्षा योजना निर्माण–

ग्राम शिक्षा योजना के निर्माण हेतु सभी उपरोक्त सूचनाओं का विशलेषण किया गया तथा सभी को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम शिक्षा समिति द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। इस योजना को अद्यतन बनाने हेतु वर्ष 98–99 एवं 99–2000 में उपरोक्त प्रक्रिया पुनः दोहरायी गयी तथा उसके रिकार्ड को वी0 आर0 सी0 पर रखा गया। तथा विद्यालय स्तर भी रखा गया जिससे उसका उपयोग ग्राम स्तर पर हो सके। वर्ष 98 से 2000 तक शिक्षा अभियान के अन्र्तगत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसकी भी सहायता ली गयी।

माइक्रो प्लानिंग से प्राप्त आँकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्र्तगत उपयोगी बनाने हेतु विकास खण्ड के सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी एवं व्लाक समन्वयकों की सहायता से वर्गीकृत व विकास खण्डवार संकलित किया गया। 6–11 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले वच्चों की चिन्हित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्र्तगत प्रस्तावित शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार के कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय न जाने वाले वच्चों को आयुवार चिन्हिंत किया गया तथा बालक बालिका संख्या पृथक–पृथक ज्ञात किया गया। इसके अतिरिक्त ऐसे वच्चों की संख्या आकलित की गयी जो पैतृक व्यवसाय में माता पिता का सहयोग करते हैं अथवा चाय के दुकानो पर काम करते हैं या ईट भट्टों पर काम करते हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है जो नवीन विद्यालय खोलने का मानक पूरा करते हैं। तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गई है जिनमें शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा तथा नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थपित किये जाने हैं।इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान की योजना तैयार करने में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्र कर उपयोग में लायी गई है। ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन को अद्यतन सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों एवं सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002 एवं 2003 के अर्न्तगत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण और इस उद्देश्य से इस बात के प्रति कृतसंकल्प हैं कि जनपद के सभी 6–11 वय वर्ग के वच्चों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में माननीय जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने का संकल्प व्यक्त किया गया। इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में प्राथमिक विद्यालय, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, ई0 जी0 एस0 के अन्तर्गत विद्या केन्द्रों के स्थापना करते हुए उनमें अध्यापक/शिक्षा मित्रों/अनुदेशकों की व्यवस्था की गयी–उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश में स्कूल चलो अभियान दो चरणों में करने का निर्णय लिया गया। यह अभियान वर्ष 2000–2001, 2001–2002, 2002–03, 2003–04 के शैक्षिक सत्र हेतु चलाया गया। इस अभियान को दो चरणों में विभाजित कर कार्यक्रम किये गये।

प्रथम चरण–

1 जुलाई, से 15–जुलाई तक वातावरण सृजन , जनसम्पर्क तथा स्कूल न जाने वाले वच्चों की पहचान कर बालगणना (माइक्रो प्लानिंग) अद्यतन किया गया।

द्वितीय चरण–

16 जुलाई, 2003 से 31 जुलाई, 2003 तक चिन्हित स्कूल न जाने वाले बच्चों के नामांकन से सम्बन्धित कार्ययोजना आगे वर्णित है। संलग्न कार्यक्रम के अनुसार स्कूल चलो अभियान जपनद में संचालित होगा तथा समस्त विभाग के कार्यलयाध्यक्ष एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।

स्कूल चलो अभियान के क्रियान्वयन हेतु समितियों का गठन–

1 जनपद स्तर पर कार्यक्रम के संचालन हेतु कोर टीम का गठन
2 योजना की समीक्षा हेतु जपनद स्तरीय समीक्षा समिति का गठन
3 तहसीन स्तरीय समीक्षा तथा क्रियान्वयन उपसमिति का गठन
4 ब्लाक स्तरीय समीक्षा तथा क्रियान्वयन अपसमिति का गठन
5 न्याय पंचायत स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन
6 ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति को उत्तरदायी बनाया गया।

कार्ययोजना

प्रथम चरण–

मुख्य रूप से 6–14 वय वर्ग के बच्चों का चिन्हाकन किया गया। जनपद मुख्यालय पर अभियान का शुभारम्भ माननीय जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर प्रभात फेरी निकाल कर किया गया तथा जनपद में वातावरण सृजन हेतु कलाकारों की एक टीम को "कला जत्था" के माध्यम से संस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

द्वितीय चरण–

चिहिन्त बच्चों का नामांकन प्रातः 8 जे से 11 बजे तक किया गया। साथ ही अपरान्ह 1:00 बजे से 4 बजे तक अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया गया। ब्लाक समन्वयक/सहसमन्वयक, संकुल प्रभारियों द्वारा पर्यवेक्षण कार्य किया गया समय–समय पर नोडल अधिकारियों द्वारा ग्रामेां का भ्रमण एवं तीन दिन पर समीक्षा बैठक किया गया। विद्यालय न जाने वाले बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराने हेतु ब्लाक, न्यायपंचायत,

एवं ग्राम स्तर पर की समितियों द्वारा जन सम्पर्क किया गया एवं गोष्ठियों को भी आयोजित किया गया ।

6–11वयवर्ग के न पढ़ने वाले कुल 90275 चिन्हित बच्चों मे से 65115 बच्चों को नामांकन कराया गया। इसी क्रम में 11–14 वय वर्ग के न पढ़ने वाले 25898 बच्चे चिन्हत किये गये जिसमें से 18131 का नामांकन कराया गया।

उक्त अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों/स्वंयसेवी संस्थाओं, पत्रकार, जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया उनके बीच समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये आमंत्रित किया गया।

तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी, ब्लाक स्तर खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लाक प्रमुख/जिलापंचायत सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय स्तर पर ग्राम प्रधानों तथा प्रधानाध्यापकों सहित ग्राम पंचायत के सदस्यों के माध्यम से स्कूल चलो अभियान का शुभारम्भ रैली/प्रभात फेरी निकाल कर की गयी।

6–11 वय वर्ग के बच्चों को चिन्हित करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर अध्यापको/आगनबाड़ी कार्यकत्रियों, स्वास्थ्य कर्मियों, बहुउद्देश्यीय कर्मी को उक्त कार्य हेतु लगाया गया। इन लोगों ने घर–घर जाकर सर्वेक्षण कार्य व चिन्हांकन किया।

कार्यक्रम की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जपनद स्तरीय अधिकारियों को विकास खण्ड वार नोडल अधिकारी बनाया गया।

जनपद के कुल 14 विकास क्षेत्र के 160 न्यायपंचायत के परिवारों का बाल गणना किया गया। इसमें 6–14 वय वर्ग के कुल 506383 बच्चे चिहिन्त किये गये। 6–11 वय वर्ग के कुल स्कूल न जाने वाले 90275 बच्चे तथा 11–14 वय वर्ग के 25898 बच्चे चिहिन्त किये गये।

1 जुलाई, 2003 से 31 जुलाई, 2003 तक–

विवरण	परिवार सर्वेक्षण में कुल चिन्हांकित बच्चों की संख्या		अभियान के अन्तर्गत न पढ़ने वाले चिन्हांकित बच्चे		अभियान के अन्तर्गत नामांकित वच्चे	
	6–11 वय वर्ग	11–14 वय वर्ग	6–11 वय वर्ग	11–14 वय वर्ग	6–11 वय वर्ग	11–14 वय वर्ग
बालक	214766	91004	45185	12831	32465	8983
बालिका	141589	69024	45090	13067	32650	9148
योग	356355	160028	90275	25898	65115	18131

पिछले जितनी भी परियोजनाये संचालित की गयी यों कहें नियोजन प्रक्रिया अपनायी गयी वह एक केन्द्र स्तर पर मानक मानकर किया गया। जो त्रुटि पूर्ण रही। डी0 पी0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत यह अनुभव करते हुये। नीचे से ऊपर की ओर नियोजन की प्रक्रिया अपनायी गयी। नियोजन की योजना माइक्रोप्लानिंग के आधार पर ग्राम शिक्षा योजना ग्राम, मजरे के लोगों विशेष कर महिलाओ, अनुसुचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, बाल श्रमिक, अपवंचित वर्ग के अभिभावाकों से वैचारिक विचार विमर्श कर बनाई जाये। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक को शिक्षा प्रदान कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गांव स्तर की शैक्षिक मुद्दो को चिहिन्त करके जन जागरण अभियान जनपद स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक चलाये जाने हैं। सहभागी प्रक्रिया विकास खण्ड स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाया जाना है। जिसका कार्य न्याय पंचायत स्तर से नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़, व्यवहारिक एवं गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा किया जाना है।न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक को त्रिदिवसीय कार्यक्रम को प्रभावी बनाने का दायित्व सौंपा जायेगा–

1 **वातावरण सृजन**– सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोष्ठियों, कार्यशालों, मीडिया के माध्यम से

2 ग्राम शिक्षा समिति की खुली बैठक आहूत करना एवं सर्वशिक्षा की विशिष्टताओं एवं लक्ष्य को समुदाय में प्रभावी ढंग से प्रचारित / प्रसारित करना।

3 शिक्षकों एवं अन्य विभाग से कन्वर्जन्स कर बाल गणना करना।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समुदाय तथा विशेष क्षेत्र की विशिष्ट समस्यायें उभर कर आयीं। सामान्य रूप से निम्नलिखित समस्यायें एवं सुझाव सामने उभर कर आये–

- भौतिक संसाधनों की कमी।
- विद्यालय प्रबन्धन में सामुदायिक सहभागिता का अभाव।
- अध्यापकों की कमी।
- शिक्षा में बढ़ता राजनैतिक हस्तक्षेप।
- अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य लिया जाना।
- प्रभावी निरीक्षण, पर्यवेक्षण का अभाव।
- अध्यापकों का सभी विषयों में दक्षता का अभाव।

स्कूल चलो अभियान की प्रक्रिया निरन्तर 2006 तक चलाने की आवश्यकता है। 2006 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घ कालीन योजना तैयार करने हेतु विभिन्न स्तरों पर बैठके/ कार्यशालाएं आयोजित की गयी। सर्वप्रथम जनपद स्तर पर विशेषज्ञ शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में लेखाधिकारी, जिला समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक समन्वयक एंव सहसमन्वयक आदि की बैठक की गई। जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु चर्चा की गयी तथा संचालन हेतु कार्ययोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

जिसमें निर्णय लिया गया कि ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तर तक विभिन्न स्तरो पर बैठकें आयोजित कर ली जांय तथा सर्व शिक्षा अभियान की मूलभूत विशेषताओं, उसके उद्देश्य तथा लक्ष्यों पर विस्तृत चर्चा कर ली जाय।

जनपद स्तरीय बैठकों के उपरान्त 14 ब्लाक संसाधन केन्द्र, 160 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं 247 ग्राम सभाओं में बैठकें आयोजित की गई एवं 12 प्राथमिक विद्यालय एवं 8 पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का अध्ययन किया गया इनमें से कुछ का सक्षिप्त विवरण निम्नवत् है–

समय सारणी

बैठक / कार्यशाला / अध्ययन (जनपद, विकास खण्ड, न्याय पंचायत एवं ग्राम स्तर)

क्र0सं0	स्तर	स्थल	तिथियाँ
1	जिला अधिकारी की अध्यक्षता में	कार्यालय जिलाधिकारी	1.10.2001
2.	अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षता में	कार्यालय जिलजा पंचायत	8.10.2001
3.	प्राचार्य डायट की अध्यक्षता में	जिला शिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान	13.10.2001
4.	बी.आर.सी. स्तर पर	ब्लाक संसाधन केन्द्र	15 से 17.10.2001
5.	न्याय पंचायत स्तर	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	18 से 25.10.2001
6.	ग्राम पंचायत स्तर पर	ग्राम पंचायत भवन	18–28.10.2001
7.	विद्यालय स्तर पर	प्राथमिक विद्यालय	28–30.10.2001

क्र.	दिनांक	स्थान	सर्वेक्षण / इन्टरव्यू पक्ष	चर्चा के दौरान उभरे प्रमुख विन्दुओं का संक्षिप्त विवरण
1.	3.10.2001	प्रा.वि. गोसाई पुर नौगढ़	सह–समन्वयक (बी.आर. सी.नौगढ़) (अध्ययनकर्ता) प्रधानाध्यापक प्रा.वि. गोसाईपुर (उत्तरदाता)	1. विद्यालय में फर्नीचर की कमी है इसकी पूर्ति की जाय। 2. विद्यालय अनुदान बढ़ाया जाय तथा विद्यालय के खाते का संचालन एकल किया जाय क्योंकि ग्राम प्रधान को–आपरेट नही करते। 3. प्रत्येक कक्षा मे लर्निंग कार्नर का निर्माण कराया जाय। 4. विकलांग बच्चों के लिए रैम्प का निर्माण कराया जाय। 5. गणित, विज्ञान एवं पर्यावरण विषयों पर अतिरिक्त प्रशिण की जरूरत। 6. टी.एल.एम. निर्माण करने में दिक्कत आती है इसके लिए कार्यशाला कराई जाय तथा सचित्र पुस्तक उपलब्ध कराई जाय। 7. अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाय, एक अध्यापक अकेले शिक्षा कार्य पूरा नही कर सकता। 8. मल्टीक्लास टीचिंग में समस्या उत्पन्न होती है इसके लिए प्रशिक्षण अथवासरल विधि बताई जाय। 9. अध्यापकों से अतिरिक्त कार्य लिए जाने तथा सिंगल टीचिंग स्कूल होने की वजह से एक शैक्षिक सत्र में विद्यालय मात्र 168 दिन ही खुल पाते है। 10. एकल अध्यापकीय होने के कारण समय प्रबन्धन नही हो पाता है।
2.	1.10.2001	उच्च	सह–समन्वयक (बी.आर.	1. विज्ञान कक्षा एवं पुस्तकालय की व्यवस्था की

		प्रा0 विद्यालय वर्डपुर	सी. वर्डपुर) अध्ययनकर्ता, प्रधानाध्यापक उ0प्रा0वि0 वर्डपुर उत्तरदाता	जाय। 2. ए0डी0एल0 क्लास रूप स्थापित किये जांय। 3. उ0प्रा0वि0 में विद्यालय अनुदान 5000 रू0 दिया जाय। 4. अध्यापकों के विषयगत प्रशिक्षण (गणित, विज्ञान एवं पर्यावरण) के दिए जायं। 5. क्रीडा सामग्री एवं आडियो विजुअल सामग्री उपलब्ध कराये जांय। 6. टीचिंग गाइड लाइन और मैनुअल भी दिया जाय। 7. शिक्षण के लिए कम कार्य दिवस मिल पाते हैं, शिक्षकों से अतिरिक्त कार्य न लिया जाय। 8. मूल्यांकन कार्ड उपलब्ध कराये जांय। 9. प्रत्येक विद्यालय में अनुचर की व्यवस्था की जाय। 10. गेम टीचर की नियुक्ति की जाय। 11. आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जांय।

क्र	दिनांक	स्थान	प्रतिभागी	प्रमुख विन्दु एवं सुझाव का संक्षिप्त विवरण
1	1.2.2001	सभागार कक्ष कार्यालय जिलाधिकारी	जिलाधिकारी, मुख्यविकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्य संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, जिला खेल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला समन्वयक नेहरू युवा	1. सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए समस्त विभागों से समन्वय आवश्यक। 2. ब्लाक, न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यशालाओं एवं बैठकें कराकर सर्वशिक्षा अभियान का प्रचार–प्रसार एवं चर्चा के दौरान उभर कर आये विन्दुओं के आधार पर जनपद की आवश्यकताओं का निर्धारण। 3. उक्त के लिए इ.बी.एस.ए., समस्त जिला समन्वयक डी.पी.ओ. की तरफ से कार्यक्रम का निर्धारण एवं बी.आर.सी. सी.

			केन्द्र, प्राचार्य डायट, जिला समन्वयक (डीपीईपी) वरिष्ठ प्रवक्ता डायट, जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई.सी.डी.एस.) जिला उद्योग अध्किारी एवं शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि, एन.जी.ओ.	आर.सी. एवं बी.आर.जी, डी.आर.जी. की मदद से उक्त के सम्बन्ध में बैठकों का आयोजन। 4. जो क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित रहते हैं उन क्षेत्रों में एक से दो माह तक विद्यालय बन्द रहते हैं अतः इस क्षेत्र में बच्चे शिक्षा से इतने दिनों तक बंचित रहते हैं जिससे आपूर्णनीय क्षति होती है। इससे निपटने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। 5. स्वयं सेवी संगठनों एवं स्वायत्व संस्थाओं को चिन्हित करना तथा उनसे सहयोग प्राप्त करना। 6. व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से जन समान्य को षिक्षा के प्रति जागरूक करना। 7. बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन पर विशेष बल ।
2.	8.10.2001	कार्यालय जिला पंचायत	अध्यक्ष जिला पंचायत, डी. पी.आर.ओ., विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई. सी.डी.एस) जिला समन्वयक (एन.वी.आई.सी.), जिला ग्राम विकास अधिकारी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, तेतरी	1. जनपद के समस्त असेवित बस्तियों की पहचान की जाय एवं वहां पर नवीन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। 2. जिन विद्यालयों के बच्चों की संख्या अधिक है वहां पर अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण। 3. शिक्षकों की नियुक्ति द्वारा शिक्षक अनुपात के आधार पर संतुलित करना। 4. जन प्रतिनिधियों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं

			बाजर एंव बाँसी, अक्ष्यध नगर पंचायत शोरतगढ़ एंव बढ़नी, समस्त जिला समन्वयक, डी.पी.ई.पी, समस्त ए.बी.एस.ए., एस. डी.आई. बेसिक शिक्षा परिशद, प्रवक्ता डिग्री कालेज, इण्टर कालेज, जनपद के शिक्षाविद एवं शिक्षाशास्त्री, विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारी, सदस्य क्षेत्र पंचायत के साथ वरिश्ठ जन प्रतिनिधि एंव जनपद के प्रमुख एन. जी.ओ. के वरिश्ठ सदस्य आदि	एवं बैठकों में आमंत्रित किया जाय एवं उनके सुझावों को योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में शामिल किया जाय। 5. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों बी. आर.सी., सी.आर.सी. के अतिरिक्त अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रभावी अनुश्रवण कर विशेष बल दिया जाय। 6. ग्रामीण स्तरीय प्रतिभागओं तथा शिक्षा मित्र तथा अन्य तरीकों से विद्यालयिक कार्यो में सहययोग लिया जाय जिससे विद्यालय के शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ प्रतिभाओं का पयालन भी रूकेगा।
3.	15.10.01	सभाकक्ष शिवपति इण्टर कालेज शोहरतगढ़	नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, प्रवक्ता इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, (9) बी.आर.सी., ए.बी.आर.सी., सी.आर.सी., (5) सदस्य शोहरतगढ़ इनवायरमेण्टर सोसायटी (4)	1. उच्च प्राथमिक विद्यालय जादा दूरी पर स्थित है। विद्यालयों के स्थापना की आवश्यकता है। 2. महिलाओं की निरक्षता अधिक होने के कारण जनजागरण सहित संवेदनशील बनाना। 3. नेपाल सीमा से सटी बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना, क्योंकि यहां पर विद्यालय ज्यादा दूरीपर है। 4. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना जरूरी है, क्योंकि बाल विवाह प्रथा अभी भी विद्यमान है।
4.	16.10.01	बी.आर.सी.	बी.आर.सी., ए.बी.आर.सी,	1. मुस्लिम आबदी अधिक होने और उनमें

		मिठवल बाजार	सी.आर.सी.(10), खण्ड विकास अधिकारी, ए.डी.ओ. समाज कल्याण, बी.डी.सी(3), ग्राम प्रधान, शिक्षक(7)	शिक्षा के प्रति सजगता न होने के कारण इस वर्ग की साक्षरता दर कम है। इस वर्ग की शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाया जाना। 2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी तथा विद्यालयों का दूर होने के कारण छात्र नामांकन प्रभावित। 3. प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्प संख्यक वर्ग के बच्चों के लिए नामांकन में समस्या खड़ी होती है, क्योंकि उर्दू विषय अध्यापक की कमी है। 4. छात्र अनुपात के सापेक्ष कक्षा–कक्षों की कमी, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की स्थापना किया जाय। 5. मुस्लिम वर्ग की बालिकाएं अधिकतर प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं, इनके शिक्षा के प्रति समुदाय को जागरूक करने की आवष्यकता है। 6. जीवनोपयोगी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाय।
5.	18.10.01	एन.पी.आर.सी. चेतरा शेख शोहरतगढ़	न्याय पंचायत समन्वयक, ग्राम प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत (6), शिक्षक (8), गांव के संभ्रान्त व्यक्ति(15), शिक्षित युवक, युवतियां(20)	1. सी.आर.सी. द्वारा प्रभावी अकादमिक सहयोग न प्राप्त होना तथा क्षेत्र भ्रमण का कार्य न किया जाना। 2. पाठ सहगामी क्रिया कलाप का अभाव। 3. शिक्षण कार्य निम्न स्तर का होना। 4. शिक्षकों का अपने दायितवों के निर्वहन मे कम रूचि। 5. समुदाय विद्यालयों के सक्रिय सहयोग के लिए तत्पर परन्तु इस दिशा में शिक्षक

				निष्क्रिय।
6.	20.10.01	एन.पी.आर. सी. सिसवा बुजुर्ग (बढ़नी)	सदस्य बी.डी.सी., ग्राम प्रधान, न्याय पंचायत समन्वयक, शिक्षक (5) गांव के संभ्रान्त व्यक्ति(10) शिक्षित युवक(5)	1. शिक्षकों की व्यवहार कुशलता में कमी। 2. रूढ़िवादिता के कारण बालिका नामांकन में अवरोध। 3. विद्यालयों में टी.एल.एम. का अभाव। 4. विद्यालय एंव अध्यापकों की घोर कमी।
7.	23.10.01	एन.पी.आर. सी. धरूआर (बढ़नी)	ब्लाक प्रमुख, अध्यक्ष नगर पंचायत, सदस्य नगर पंचायत (6), सी.आर.सी(3) बी.डी.ओ / ए.डी.ओ. एवं अध्यापक (16)	यह एनपीआरसी. नेपाल राष्ट्र के जनपद कृष्णानगर से सटी हुयी है। 1. बाल श्रमिकों की बाहुल्यता के कारण बच्चे विद्यालयी शिक्षा के अधिकार से वंचित । 2. विद्यालयों में टी.एल.एम. एवं अच्चे शिक्षकों के साथ ही शिक्षण कार्य की कमी। 3. अभिभावकों द्वारा अपने पाल्यों को अपने साथ तस्करी में संलिप्त रखने के कारण उनका शिक्षण कार्य प्रभावित।
8.	24.10.01	एनपीआरसी बलेटीकर नौगढ़	उप ब्लाक प्रमुख एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य बी.डी.सी., ग्राम प्रधान, न्याय पंचायत समन्वयक, अध्यापक (10) गांव के संभ्रान्त व्यक्ति (12), शिक्षित युवक (7)	1. उर्दू अध्यापकों की कमी से यह विषय पढ़ने वाले छात्र उर्दू भाषा ज्ञान से वंचित । उर्दू भाषा अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाय। 2. मुस्लिम वर्ग के लोगों के बीच शिक्षा की जागरूकता के लिए आवश्यक सामुदायिक गतिविधियां की जाय। 3. भौगोलिक वातावरण अनुकूल न होने के कारण तथा नदी किनारे बांध पर स्थित आवादी के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की जाय। 4. अनुसचित जाति के बच्चे विद्यालय से दूर

				हैं उन्हे विद्यालय में लाने के लिए सार्थक प्रयास किये जायं।
9.	25.10.01	ग्राम पंचायत जूड़ी कुईयां (जोगिया)	ब्लाक प्रमुख, सदस्य बी. डी.सी., ग्राम प्रधान, ब्लाक समन्वयक, न्याय पंचायत मन्वयक(3) गाांव के संभ्रान्त व्यक्ति (12) शिसक्षित युवक–युवतियाँ(11)	1. शिक्षकों की कमी, छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की जाय। 2. उर्दू अध्यापकों की कमी, उर्दू पढ़ने वाले छात्रों का इस विषय से वंचित रहना। उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति। 2. बाढ़ की समस्या के कारण विद्याल एक से 2 माह तक बन्द रहना। बाढ़ के दौरान बच्चों की शिक्षा क नुकसान। इस अवधि में पढ़ाई क माकूल इन्तजाम।
10.	16.10.01	ग्राम पंचायत पटनी जंगल (नौगढ़)	ग्राम प्रधान, न्याय पंचायत समन्वयक, सदस्य बी.डी. सी.(2) सदस्य ग्राम पंचायत(5) गांव के सम्भ्रान्त व्यक्ति (11) शिक्षक(13)	1. प्रा0वि0 दुरजनपुर में ग्राम वासियो द्वा विद्यालय को निरन्तर क्षति पहुँचाना त विद्यालय भवन का अपने निजी कार्यो लिए उपयोग करना। 2. अध्यापकों का तिरस्कार एवं शिक्षण का में बाधा उत्पन्न करना। 3. बच्चों को घरेलू कार्यो एवं मजदूरी तरफ बल देना। 4. अनुसूचित जनसंख्या बाहुल्यता परन्तु इ बर्ग के बच्चे शिक्षा के पहुँच से काफी है। सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम इन्हे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना।
11.	23.10.01	ग्राम पंचायत बिस्कोहर (भनवापुर)	ग्राम प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत (9) ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक न्याय पंचायत समन्यक (4)शिक्षक(12) गांव के	1. विद्यालयी सुविधा होने के बाव अपवंचित वर्ग (गड़िका) के ब विद्यालयी शिक्षा से वंचित। 2. समाज द्वारा इनका तिरस्कार वि जाना।

			सम्भ्रान्त व्यक्ति (3)	3. तिरस्कृत समाज द्वारा अपने लिए अलग विद्यालय की मांग। 4. अशिक्षा के कारण समाज की मुख्य धारा में शामिल होने से वंचित। समुदाय के द्वारा किये गये ऐसे प्रयासों में कठिनाईयां।
12.	16.10.01	बी.आर.सी. जोगिया	उपबेसिक शिक्षा अधिकारी, ए.बी.एस.ए. ब्लाक समन्वयक, प्रमुख विकास खण्ड, खण्ड विकास अधिकारी, ए.डी.ओ., समाज कल्याण, न्याय पंचायत समन्वयक(3) शिक्षक(18) ग्राम पंधान (5) सदस्य बी.डी.सी.(2) गांव के असामान्य नागरिक एवं शिक्षित युवक/ युवतियाँ	यह ब्लाक जनपद का सर्वाधिक पिछड़ा एवं सबसे अधिक बाढ़ की विभीषिका से प्रतिवर्ष प्रभावित रहता है। 1. अध्यापकों की अत्यन्त कमी, विद्यालय जयादा दूरी पर स्थित है। अध्यापक छात्र अनुपात से शिक्षकों की पूर्ति की जाय। 2. अशिक्षा एवं अत्यधिक पिछड़ेपन के कारण जन सहभागिता में कमी। 3. नदी के समीप आवादी वाले बच्चों का विद्यालय न जाना य कम जाना। 4. भौगोलिक स्थित अनुकूल न होने के कारण बच्चों को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना कठिन अतः वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था पर अधिक बल देना। 5. बाढ़ के समय 1 से 2 माह तक विद्यालयों का बन्द रहना और विद्यालय बन्द रहने के कारण स्कूली शिक्षा का व्यापक नुकसान। इसके लिए बाढ़ के समय बांधो पर कैम्प के माध्यम से वैकल्पिक शिक्षा की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना।
13.	14.10.01	बी.आर.सी. डुमरियागंज	उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, प्रमुख विकास खण्ड, सहायक	जनपद के मुस्लिम बाहुल्य विकास खण्डों में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला विकास खण्ड

			बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक, न्याया पंचायत समन्वयक(5) सदस्य क्षेत्र पंचायत (2) ग्राम प्रधान (5) शिक्षक इण्टर कालेज(8), पूर्व माध्यमिक (10) प्रार्थमिक स्तर(15) नगर के संभ्रान्त व्यक्ति, शिक्षित युवक युवतियां, युवतियां, एन.जी.ओ. आदि	1. अधिकांस मुस्लिम समुदाय के बच्चे मकतब एवं मदरसों एवं दारूल उलूमों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनके सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था जरूरी है। 2. अल्य संख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए विशेष प्रयास की जरूरत। 3. ड्राप आउट की दर कम करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता। 4. ज्यादातर अध्यापकों का डी.पी.ई.पी. द्वारा प्रदान की गई निःषुल्क पाठ्य सामग्री। साहित्य जैसे, शैक्षिक प्रेक्षक, गतिविधिबैंक शिक्षक संदर्शिका, समवेत आदि को पढ़ने और उससे लाभान्वित होने में प्रर्याप्त रूचि न लेना।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/ विभागों से समन्वयः

प्ररम्भिक शिक्षा के विकास एवं उन्यन हेतु एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एंव सर्वशिक्षा अभियान के तहत, उद्देष्यों की पूर्ति हेतु निम्न विभागों/ संस्थाओं से सहयोग एंवं समन्वय स्थापित कर कार्य किये जा रहे है तथा किया जाना है।

(अ) स्वयं सेवी संगठन/ संस्थाएं (एन.जी.ओ.)

जनपद में शिक्षा एवं पर्यावरण क्षेत्रों में अनेक स्वयं सेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जैसे शोहरतगढ़ एनवायरमेन्टल सोसायटी, सिद्धार्थ शिक्षा समिति, कपिलवस्तु शोध एवं विकास संस्थान।

यह संस्थाएं वी.ई.सी. प्रशिक्षण प्रचार–प्रसार, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक, बालिका शिक्षा पूव माध्यमिक शिक्षा आदि क्षेत्रों में सहयोग प्रदान कर रही है। साथ ही समेकित शिक्षा हेतु दो विकास खण्डों, बांसी एवं खेसरहा में "शिक्षित युवा सेवा समिति" बस्ती के द्वारा शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण, विकलांग बच्चों की पहचान, उन्हे शिक्षा की मुख्य धारा से जाड़ने के अतिरिक्त समेकित शिक्षा हेतु पूर्ण सहयोग कर रही है।

(ब) Intregrated Children Development Scheme (ICDS)

ई.सी.सी.ई केन्द्रों के संचालन के सम्बन्ध में बाल विकास विभाग के साथ निम्नवत् समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

1. ई.सी.सी.ई केन्द्रों हेतु कार्यकत्रियों का चयन एवं प्रशिक्षण
2. आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय विद्यालय के समय के अनुसार करना।
3. आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रागण में करना।
4. आंगनबाड़ी केन्द्रों में सहायक शिक्षक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
5. केन्द्रों का प्रभावी अनुश्रवण एवं कार्यकत्रियों को अतिरिक्त मानदेय उपलब्ध कराना।

ग्राम पंचायतों से सहयोग :

ग्राम पंचायतों द्वारा विद्यालय की देख–रेख एवं रख–रखाव, अध्यापकों एवं बच्चों की नियमित उपस्थिति के साथ–साथ सफाई आदि के बारे में जागरूक बनाना।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा आहूत बैठकों में सयम से नियमित प्रतिभाग करना। असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना। विद्यालय में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सुझाव एवं सहयोग।

ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य शैक्षिक सुधार की योजनाओं को निर्मित एवं कार्यान्वित करने में समन्वय स्थापित करना। गांव के जागरूक एवं उत्साही व्यक्तियों को साथ लेकर चलना।

स्वास्थ्य विभाग :

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी परिषदीय विद्यालयों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण चिन्हित रोगी बच्चों के उपचार एवं अध्यापकों एवं ए.एस.सेन्टर से अभिभावकों को परिचित कराना, उन्हे निःशुल्क औषधि मुहैया कराना। गंभीर बीमारियों के प्रति अभिभावकों को विशेष रूप से अवगत कराना जिससे बच्चों के स्वास्थ्य की सुनिश्चित देख–भाल हो सके।

चिन्हिंत विकलांग बच्चों को राजकीय चिकित्सकों के दल द्वारा कैम्प आयोजित कर बच्चों का मेडिकल असिस्मेंट कार्य तथा उन्हें विकलांगता प्रमाण उपलब्ध करानें के साथ–साथ बच्चों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना।

बन विभाग/ उद्यान विभाग–

समस्त परिषदीय, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वृक्षारोपण हेतु पेड़ पौधे आदि निःशुल्क अथवा अर्ध धनराशि पर उपलब्ध कराये जाते हैं। तथा कृषि एवं वागवानी से सम्बधित जानकारी एवं सलाह भी मुफ्त प्राप्त की जाती है।

उत्तप्रदेश जल–निगम/ उत्तरप्रदेश एग्रो–

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक एवं उच्चप्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्ड पम्पों की स्थापना का कार्य किया जाता है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग–

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सहयोग से प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय) में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र/ छात्राओं को 3 किग्रा0 प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित किया जाता है।

उद्योग विभाग–

बच्चों को जीवनोपयोगी शिक्षा देने हेतु उद्योग विभाग का निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग लिया जायेगा।

- चाक
- अगरवत्ती/ मोमबत्ती
- टाटपट्टी
- पत्तल/ दोना
- रस्सी
- बाँस की टोकरी आदि

रिवार सर्वेक्षण :–

वर्ष 2002–03 में 6–11 वय वर्ग के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन कराने हेतु मांह ई 2003 में जनपद के 6–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या तथा पढ़ने वाले व न पढ़ने

वाले बच्चों की संख्या व उनके नाम साथ ही न पढ़ने के कारणों को जानने की आवश्यक्ता महसूस हुई।

उपरोक्त प्रकरण पर जिला परियोजना समिति के निर्णयानुसार जनपद के प्रत्येक राजस्व ग्राम वार विभागीय शिक्षकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से परिवार सर्वेक्षण कराया गया तथा ग्राम/बस्ती वार विद्यालय न जाने वाले बच्चों को कारण सहित चिन्हित किया गया उन्हें विद्यालय में नामांकित कराने हेतु माह जुलाई 2003 में स्कूल चलो अभियान के माध्यम से विद्यालय तथा एजूकेशन गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत ई.जी.एस./ए.आई.ई केन्द्रों में नामांकित कराया जा रहा है। माह सितंबर 2003 तक नामासंकन में अभिवृद्धि कराने का यथासंभव प्रयास विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों व अन्य विभाग के सहयोग से व साथ ही स्वयं सेवी संस्थाओं के भी सहयोग से किया जा रहा है।

अध्याय–4

सर्वशिक्षा अभियान 'लक्ष्य एवं उद्देश्य'–

केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा देश में प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण शिक्षा के माध्यम से सार्वजनिक न्याय को बढ़ावा, गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु जनपद में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

सर्वशिक्षा अभियान का वित्तीय मानक–

सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र तथा राज्यों के बीच लम्बी अवधि का करार हैं। सर्वशिक्ष अभियान के नियोजन में वित्तीय मानक नवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष (1997–2002) में केन्द्र वा राज्य का अंशदान 85:15, कमशः दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में 75.25 तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में (2007–2012) में 50.50 केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के अंशों की वचनवद्धता, स्वीकारोक्ति लिखित की जानी है।

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य–

6–14 वय वर्ग के लोग सभी बच्चों को 2010 तक (other limit) उपयोगी एवं प्रासांगिक प्रारम्भिक शिक्ष उपलब्ध कराना। सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।

E.C.C.E. के महत्व को देखते हुये वय वर्ग का विस्तार 0–14 करना I.C.D.S. के प्रयास का समर्थन देना एवं जहाँ I.C.D.S. का क्षेत्र नहीं है वहाँ विशेष रूप से पूर्व विद्यालयी सेवा उपलब्ध कराना।

उद्देश्य–

राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्ष अभियान के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं–

- 2003 तक 6–14 वय वर्ग के समस्त वच्चों को– विद्यालय, वेकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारण्टी योजना, विद्याकेन्द्र, नवाचार वैकल्पिक केन्द्र, किशोरी केन्द्रों –Bridose Course Camp, Summer Champ आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 ते सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।

- गुण्वत्तपरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर नामाँकन, ठहराव, सम्प्रप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत राष्ट्रीय वृहद लक्ष्यों के साथ जनपद के लिये विभिन्न कार्यशालाओं, सेमीनार, अध्ययन, सर्वे एवं अनुश्रवण के दौरान उभर कर आये विन्दुओं एवं स्थानीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में जनपद के विशिष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किये गये हैं।

नामाकंन के लक्ष्य–

आयुवर्गानुसार संख्या तथा नामाँकन प्रोजेक्सन हेतु उपयोग में लायी गयी प्रकिया–

वर्ष 2001, की जनगणना सम्बन्धी जनपद स्तरीय आंकड़ों के विशलेषण से परिलक्षित होता है कि जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.678 प्रतिशत है। डी0 पी0 ई0 पी0 योजनार्न्तगत वर्ष 1998 में कराई गई माइक्रो प्लानिंग को वर्ष 2001 में अपडेट कराया गया। जिससे ज्ञात हुआ कि जपनद में 6–11 वय वर्ग के 2,82,173 वच्चे हैं। इस जनसंख्या में वर्ष 2002 से वर्ष 2010 तक जनसंख्या वार्षिक वृद्धि की दर से प्रक्षेपित किया गया है।

इनरोलमेन्ट प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान एन0 ई0 आर0 को आधार मानते हुये एन0 आई0 ई0 पी0 ए0 नयी दिल्ली द्वारा आंगणित इनरोलमेन्ट रेसियो मेथड द्वारा 2002से 2010 तक का एव0 ई0 आर0 प्रक्षेपित किया गया है। प्रत्येक वर्ष के लिये प्रेक्षेपित एन0 ई0 आर0 तथा प्रेक्षेपित आयुवर्गानुसार जनसंख्या के आधार पर एतद् सम्बन्धी आगामी वर्षो में नामांकन का आगणन किया गया है जिससे वर्ष 2004–05 में 6–11 तथा 11–14 वय वर्गो के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसका पूर्ण विवरण तालिका 4.1, 4.2 में बर्णित है।

तालिका–4.1

प्राथमिक विद्यालयों मे नामांकन का अनुमानित लक्ष्य–

वर्ष	6–11 वय वर्ग की कुल जनसंख्या	6–11 वय वर्ग के कुल नामाकित वच्चों की सं0	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामाकित वच्चों की सं0	परिषदीय विद्यालयों में नामांकित वच्चा की सं0	ऐसे वच्चों की संख्या जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं।	एन0 ई0 आर0	बालिका +अनु0 जा. बालक (परिषदीय)
2002–03	356355	266080	67852	196228	90275	74.66	62249
2003–04	363517	363517	76087	267430	0	100	76338
2004–05	370823	370823	100117	270706	0	100	77873
2005–06	378276	378276	102378	275898	0	100	79438
2006–07	387879	385879	105696	280183	0	100	81035

तालिका–4.2

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों मे नामांकन का अनुमानित लक्ष्य–

वर्ष	11–14 वय वर्ग की कुल जनसंख्या	11–14 वय वर्ग के कुल नामाकित वच्चों की सं0	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामाकित वच्चों की सं0	परिषदीय विद्यालयों में नामांकित वच्चों की सं0	ऐसे वच्चों की संख्या जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं।	एन0 ई0 आर0	बालिका +अनु0 जा. बालक (परिषदीय)
2002–03	160028	134130	112029	22101	25898	83.81	25484
2003–04	163245	163245	118514	44731	0	100	30835
2004–05	166526	166526	112175	54351	0	100	37311
2005–06	169873	169873	111317	58556	0	100	45146
2006–07	173287	169873	106751	63122	0	100	54627

ठहराव के लक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कोरटीम ने निर्णय लिया कि ड्राप आउट की दर को निरन्तर घटा कर 2007 तक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्तर पर 2010 तक शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट ज्ञात करने के लिए 03 ब्लाकों सांथा, भनवापुर तथा इटवा में 05–05 विद्यालय की कोहार्ट ड्राप आउट ज्ञात किया गया, ड्राप आउट कम करने के लक्ष्य निम्नलिखित है–

तालिका संख्या– 4.3

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर		पूर्व माध्यमिक स्तर पर	
	ड्राप आउट दर	ठहराव	ड्राप आउट दर	ठहराव
2001–02	59.1	40.9	32.6	67.4
2002–03	47.1	52.9	24.6	75.4
2003–04	35	65.0	19.4	80.6
2004–05	23	77.0	15.0	85.0
2005–06	11	89.0	10.0	90.0
2006–07	05	95.0	04.0	96.0
2007–08	–	100	–	100
2008–09	–	100	–	100
2009–10	–	100	–	100

पहुँच का विस्तार :–

जनपद के 6–11 आयु वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा के सर्व सुलभीकरण हेतु जनपद के समस्त असेवित बस्तियों को विभिन्न शिक्षा स्वरूपों के माध्यम से जिनका विवरण निम्नवत् है, से सेवित करने का लक्ष्य रखा गया है–

तालिका संख्या–4.4

वर्ष	प्रा.वि. प्रास्तावित	ई0जी0एस0 प्रस्तावित	पूर्व माध्यमिक प्रस्तावित	एआईईप्रस्तावित
2001–02	–	–	–	–
2002–03	–	–	0	–
2003–04	0	260	0	232
2004–05	–	188	–	151
2005–06	–	–	–	
योग	0	448	0	383

गुणवत्ता परक प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा में बच्चें के सम्प्राप्ति स्तर एवं शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए जो रणनीति अपनीई गयी है वह इस प्रकार है–

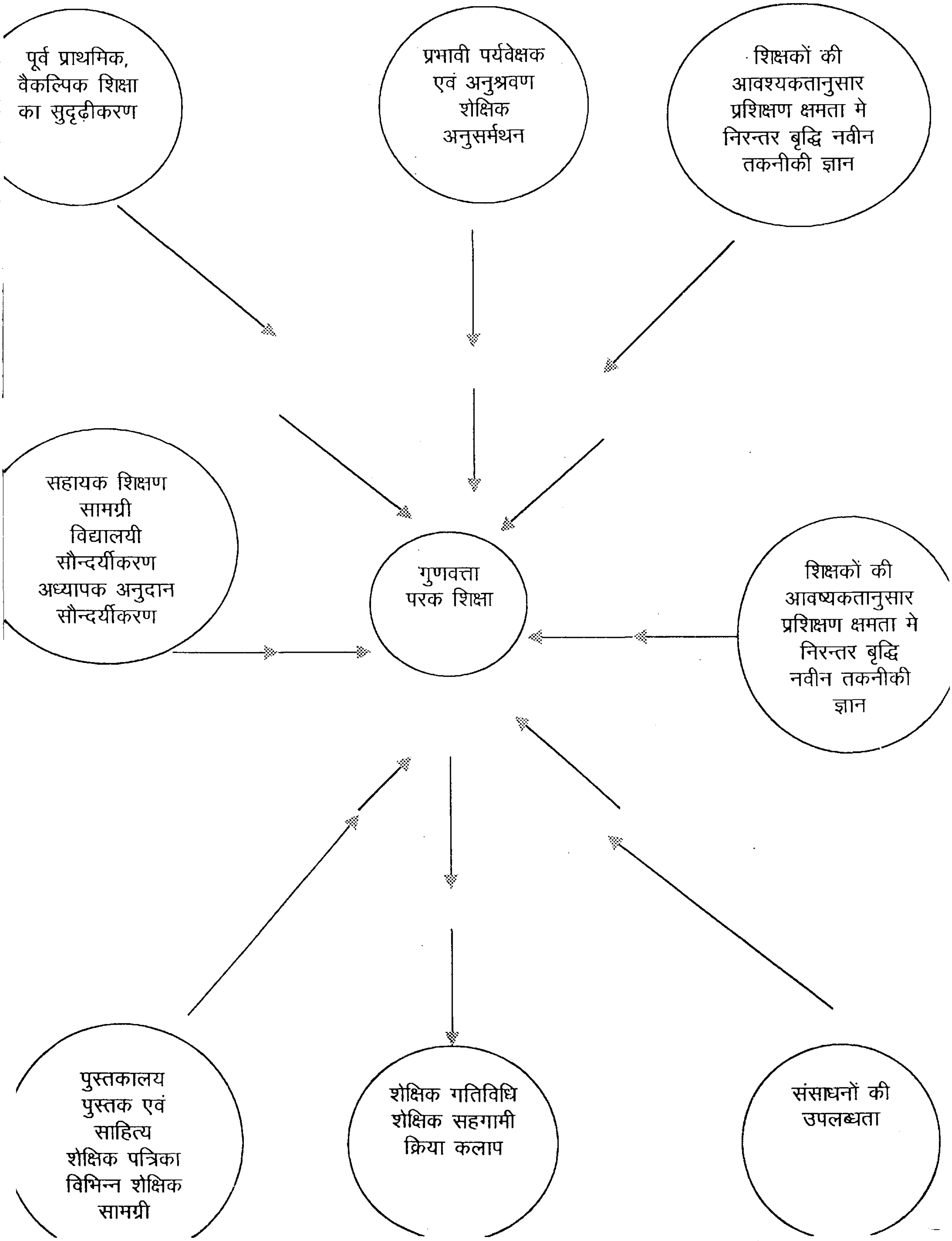

अध्याय–5

समस्यायें एवं रणनीति–

सर्व शिक्षा अभियान निर्णय लेने, नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि की दृष्टि से विकेन्द्रीकृत योजना है। सर्व शिक्षा अभियान (2001–2010) के लिए दीर्घकालिक योजना बनते समय जनपद स्तर से ग्राम स्तर तक अनेक बैठकें आयोजित की गयी (विस्तृत वर्णन–अध्याय–3)। सर्व शिक्षा अभियान के जनपदीय लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए इसके अनुसार अनेक समस्याएं एवं मुद्दे उभर कर आये। इसके साथ ही विश्व वैंक एवं केन्द्र सरकार के ज्वाइन्टरिव्यु मिशन द्वारा अप्रैल 2001 में जनपद भ्रमण के दौरान भी कुछ मुद्दे एवं सुझाव उभर कर आये, उनको भी सम्मिलित कर समस्याओं के सम्यक समाधान के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो रणनीतियां बनायी जानी हैं वह इस प्रकार हैं।

शिक्षा की पहुँच का विस्तार–

मुद्दे	रणनीति
(1) जिन क्षेत्रों मे प्रा0 वि0 नही हैं (असेवित क्षेत्र)	माईक्रो प्लानिंग के आधार पर असेवित बस्तिओं (300 की आबादी तथा 1.5 कि0 मी0 प्रा0 वि0 से दूर) का चिन्हांन एवं उनमें नवीन प्रा0 वि0 की स्थापना करना।
(2) पू0 मा0 वि0 की कमी	जनपद में पू0 मा0 वि0 की कमी को देखते हुए माईक्रो प्लानिंग आधार पर (800 की आवादी तथा पू0 मा0 वि0 से 3 कि0 मी0 की दूरी) असेवित बस्तियों में पू0 मा0 वि0 खोलना।
(3) विखरी आवादी जिसमें मानक के अनुसार विद्यालय नही खोले जा सकते।	ऐसी विखरी बस्तियों में 6–11 वय वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक वैकल्पिक केन्द्र एवं 11–19 वय वर्ग के लिए अलग से वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलना।
(4) ईट भटटों में रहने वाले बच्चे, लाल बत्ती क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे, घुमन्तु समुदाय के बच्चे एवं होटलो, ढाबों पर काम करने वाले बच्चे जो शिक्षा से वंचित है।	सर्व प्रथम इन बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना, तथा इन बच्चों को वै0 शि0 के विभिन्न माडलों के माध्यम से केन्द्र खोलकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना।

ठहराव–

मुद्दे	राणनीति
(1) जनता का अपेक्षित सहयोग ना प्राप्त होना	जनता में जागरूकता लाना तथा शिक्षा एवं विद्यालय के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करानां
(2) सभी ग्राम शिक्षा समितियों सहयोग ना प्राप्त होना।	ग्राम शिक्षा समितियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण (1 वर्ष के अन्तराल पर) नियमित बैठक एवं कार्यशालायें आयोजित करके वी0 ई0 सी0 के कर्तव्य एवं दायित्व तथा अधिकारों का बोध कराना।
(3) पू0 मा0 वि0 में साज–सज्जा एवं विद्यालय परिवेश का आर्कषण ना होना।	विद्यालय अनुदान एव जन सहयोग के माध्यम से परिवेश को आकर्षक बनाना एवं विद्यालय को सुसज्जित करना।
(4) पेयजल तथा शौचालयों का आभाव।	परियोजना द्वारा प्रदत्त धनराशि का समुदाय के सहयोग एवं निर्देशन में उपयोग करना।
(5) कक्षा कक्षों की आवश्यकता	तदैव
(6) सालत्यागी बच्चों की उच्च दर (59.1 प्रतिशत)	जनसहयोग एवं शिक्षण विधा में सूधार कर सालात्याग की दर को कम करना।

नामांकन–

मुद्दे	रणनीति
(1) कुछ क्षेत्र विशेष में कम नामांकन।	नवीन शिक्षण विधा के आधार पर बहुकक्षीय एवं बहुस्तरीय शिक्षण एवं नवीन तकनीक आधारित शिक्षण।
(2) अध्यापको का नामांकन के प्रति रूचि ना लेना।	विद्यालय के सेवित क्षेत्रों मे नामांकन को अनिवार्य करना तथा शिक्षकों हेतु क्षेत्र निर्धारित करना।
(3) किसी तरह से नामांकन के बाद बच्चों का विद्यालय के प्रति अरूचि।	विद्यालय को घर जैसा वातावरण प्रदान करना एवं बोझ रहित शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों को प्रेरित करना।

शिक्षक, शिक्षणविधा और बच्चों की सम्प्राप्तिस्तर की समस्याएं–

मुद्दे	रणनीति
(1) शिक्षकों को नवीन पाठ्य पुस्तके पढ़ाने में समस्याएं।	इस हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कराया जा चुका है परन्तु स्थलीय क्रियान्वयन हेतु एन0 पी0 आर0 सी0 बैठक की ओर से अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करना।
(2) बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर में कमी (मिडटर्म एसेसमेन्ट एवं अनुश्रवण के दौरान उभरे विन्दु)	नियमित शिक्षण के साथ बच्चों का नियमित मूल्याकंन एवं न्याय पंचायत समन्वयक की कार्यशालाओं के माध्यम से स्थलीय कार्यो की क्षमता में बृद्धि।
(3) सहायक सामग्री पर्याप्त ना होना।	मैटीरियल मेला, प्रतियोगिता एवं नवाचार के माध्यम से शिक्षकों एवं बच्चों के सहयोग से निरन्तर सहायक सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग। अच्छे एवं उपयोगी टी0 एल0 एम0 का शिक्षकों की बैठक में प्रदर्शन।
(4) विषयगत कुछ विशेष प्रकरणों के शिक्षण सम्बन्धी समस्या।	ऐक्शन रिसर्च के माध्यम से समस्याओ को तलाशना एवं उनके दूर करने के उपाय हेतु विशेषज्ञों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों की खोज।

ज्वाइन्ट रिव्यू मिशन द्वारा उभारे गये विन्दु–

मुद्दे	रणनीति
(1) साख्यिकी प्रपत्र के आंकड़ों में त्रुटि एवं उनका कम प्रयोग होना।	बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 स्तर पर प्रशिक्षण देना। अध्यापकों को सांख्यिकी प्रपत्र भरने की जानकारी देना एवं एन0 पी0 आर0 सी0 / बी0 आर0 सी0 स्तर पर इन प्रपत्रों को प्रभावी तरीके से चेक करना।
(2) कक्षा 4–5 के अध्यापको में गणित एवं विज्ञान शिक्षण की दक्षता मे कमी।	इस हेतु एक अतिरिक्त प्रशिक्षण पैकेज का जनपद स्तर पर ही निर्माण करके प्राथमिक के उच्च कक्षाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षित करना एवं प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

अध्याय–6

शिक्षा के पहुँच का विस्तार– (औपचारिक)

प्रत्येक वच्चों को विद्यालयी शिक्षा देने हेतु प्रयास करने के पूर्व यह आवश्यक है कि क्षेत्र विषेश की स्थिति का परिक्षण किया जाय कि वच्चे को विद्यालय जाने हेतु उपागम सुविधा है कि नहीं। बच्चे की पहुंच में यदि विद्यालय है तो निश्चित रूप से प्रयास करके नामांकित कराया गया बच्चा अपनी विद्यालयी शिक्षा पूरी कर सकेगा।

(1) नवीन प्रथमिक विद्यालयों की स्थापना–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0 पी0 ई0 पी0) योजनान्तर्गत कराये गये परिवार सर्वेक्षण एवं मानचित्रण (माइक्रो प्लानिंग) के आधार पर जनपद के 1105 ऐसी वस्तियों का चिन्हांकन किया गया है, जिसकी आवादी 300 से अधिक थी साथ ही 1.5 कि0मी0 के परिधि में कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं था। डी0 पी0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 1997–98 में 50 तथा वर्ष 1998–99 में 172 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी।

माइक्रो प्लानिंग डेटा को वर्ष 2001 में अपडेट कराया गया, जिससे ज्ञात हुआ कि अब भी 783 ऐसी बस्तियां है जहां प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यक्ता है। इस स्थिति का विश्लेषण करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि यदि 209 प्राथमिक विद्यालयों की तथा 448 ई.जी.एस. केन्द्रों की स्थापना कर दी जाय तो 783 चिन्हित असेवित क्षेत्र सेवित हो जायेगा। इस व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए 66 प्राथमिक विद्यालय डी0 पी0 ई0 पी0 से खोले जायेंगे शेष 72 प्राथमिक विद्यालय "सर्वशिक्षा अभियान" के अर्न्तगत खोला जाना प्रस्तावित है। डी0 पी0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत 33 प्रतिशत की सीलिंग होने के कारण मात्र 66 विद्यालय ही खोलना सम्भव है, इस कारण ~~72~~ 77 प्राथमिक विद्यालय "सर्वशिक्षा अभियान" के अर्न्तगत खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रस्तवित नवीन प्राथमिक विद्यालयों को वर्तमान में नर्सरी स्कूलो के प्रतिस्पर्धा में आकर्षक बनाने की दृष्टिकोंण से विद्यालयों को अन्य भौतिक संसधनों तथा आवश्यक आवश्कताओं की व्यवस्था जैसे शौचालय, पेयजल, चहरदीवी, शिक्षण सामग्री (काष्ठोपकरण) एवं मानक अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

प्रत्येक नवीन विद्यालयों को सुसज्जित करने की दृष्टि से प्रति विद्यालय रू0–15,000 की दर से ग्राम शिक्षा समिति को विद्यालयों में आवश्यक संसाधनो के लिए उपलब्ध कराया

जायेगा, जिससे विद्यालयों में टाट–पट्टी (चटाई) बैठने के लिए, अध्यापकों के लिए कुर्सी, मेज, श्यामपट, बाल्टी, गिलास, कूड़ादान, संगीत के वाद्ययंत्र जैसे– हारमोनियम, ढोलक, बाँसुरी आदि क्रीड़ा–सामग्री (फुटबाल, वालीवाल, हवाभरने का पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण को आर्कषक बनाने हेतु गणित किट, विज्ञान किट, (देश–प्रदेश व जनपद का मानचित्र) शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्द कोष, खिलौने भी उपरोक्त धनराशि से क्रय किये जायेंगे। जिसका आवश्यकतानुसार ग्राम शिक्षा समित क्रय करेगी।

वर्ष वार खुलने वाले विद्यालयों का विवरण निम्नलिखित है–

विवरण	वर्षवार खुलने की संख्या			
	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	२००५-०६	योग
नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना	–	72	05	77

असेवित क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों को खोलने हेतु विकास खण्ड वार स्थलों के नाम तालिका में वर्णित हैं। विकास खण्ड वार विस्तृत विवरण अध्याय 2 के तालिका 2.6.1 में उल्लिखित है।

शिक्षकों की व्यवस्था–

प्रत्येक खुलने वाले नवीन प्राथमिक विद्यालयों पर एक प्रधानाध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की नियुक्ति की जायेगी। इनकी नियुक्ति/चयन के सम्बन्ध में व्यवस्था निम्नलिखित होगी। इनमें 50 प्रतिशत महिला अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रधानाध्यापकों की व्यवस्था–

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत स्थाई सहायक अध्यापकों जिनकी कम से कम 5 **वर्ष** की सेवा हो गयी हो की जनपद स्तर पर उपलब्ध वरिष्ठता सूची के आधार पर उनकी विगत 5 वर्षो की चरित्र पंजियां तथा चन हेतु सुसंग अभिलेख अध्यापक सेवा नियमावली के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित समिति–

1. प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
   (अध्यक्ष)

2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
   (सदस्य / सचिव)
3. जनपद मुख्यालय पर स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेज की प्रधानाचार्या
   (सदस्य)
4. जिलाधिकारी द्वारा नामित यथास्थित हिन्दी,उर्दू या अन्य भाषा का एक विशेषज्ञ
   (सदस्य)

उपरोक्त समिति द्वारा ऐसे सहायक अध्यापकों का प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति की जायेगी तथा उन्हे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खुलने वाले नवीन प्राथमिक विद्यालयों पर पदस्थापित किया जायेगा।

शिक्षा मित्रों की व्यवस्था –

शिक्षा मित्रों की व्यवस्था प्रत्येक ग्राम पंचायत जहाँ पर विद्यालय खुलता है, वहाँ की ग्राम शिक्षा समिति द्वारा ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार–प्रसार करने के बाद ग्राम पंचायत के पढ़े–लिखे नवयुवकों, जिनकी आयु न्यूनतम् 18 वर्ष तथा अधिकतम् 30 वर्ष होगी के आवेदन पत्र प्राप्त करेगी। इस हेतु न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित की गयी है तथा प्रशिक्षण योग्यता से वरीयता प्रदान की जायेगी। ऐसे प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की ग्राम शिक्षा समिति हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची ग्राम पंचायत की बैठक में तैयार कर सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्ण वृत्त व चरित्र का सत्यापन करते हुए ग्राम षिक्षा समिति स्वयं शिक्षा मित्रों की तैनाती करेगी।

वर्ष वार प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था का निर्धारण तालिका 6.2. में वर्णित है।

तालिका संख्या–6.2

वर्षवार प्रधानाध्यापकों एंव शिक्षा मित्रों की प्राथमिक विद्यालयों में तैनाती का विवरण

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	२००५ २००६	कुल योग	
1	प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय	–	72	5	77	
2	शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय	–	72	5	77	
	योग	–	144	10	154	

2. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना–

जनपद में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का अत्यन्त अभाव है। जिला योजना से आवश्यकतानुसार नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति न मिल पाने के कारण बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 6–7 किमी0 की परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय नही है। माइक्रोप्लानिंग डेटा 2001 के आधार पर प्रादेशिक मानक 800 की आवादी तथा 3 किमी. की परिधि में कोई विद्यालय न हो, ऐसे स्थानो पर पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर 853 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं जहां पर 3 किमी0 से अधिक दूरी में कोई भी पूर्व माध्यमिक विद्यालय नही है। इन क्षेत्रों को विश्लेषण करने पर यदि 261 पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना तथा 201 वैकल्पिक केन्द्रों की स्थापना कर दी जाय तो समस्त 853 असेवित क्षेत्र सेवित हो जायेंगे इससे धन की बचत होगी तथा सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक अर्थात पूर्व माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित हो जायेगी। योजना संरचना टीम ने जनपद में २२5 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लेते हुए इन्हे वर्ष वार खोलने का निम्नांकित प्रस्ताव किया गया है।

तालिका संख्या–6.3

वर्षवार खुलने वाले नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का विवरण

विवरण	वर्ष 2002–2003	वर्ष 2003–04	वर्ष 2005–06	योग
नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना	20	200	– 5	२२5

- नवीन स्थापित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को आवश्य संसाधनों जैसे हैण्ड पम्प, शौचालय आदि से सुसज्जित करते हुए अध्यापकों की पर्याप्त व्यवस्था करने का प्राविधान किया गया हैं।
- समस्त नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु का प्राविधान है, इस हेतु ग्राम शिक्षा समिति को धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी तथा ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय हेतु कुर्सी, मेंज, श्यामपट, चटाई, विज्ञान सामग्री, गिलास, बाल्टी, कूड़ादान, घन्टी, वाद्ययंत्र (हारमोनियम, ढ़ोलक, बांसुरी आदि) क्रीड़ासामग्री (क्रिकेट,

वॉलीबाल, फुटबाल, रिंग, कूदने की रस्सी) ग्लोब मानचित्र, टूइनवन, सहायक सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा की जायेगी।

शिक्षकों की व्यवस्था–

प्रत्येक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिए एक प्रधानाध्यापक तथा दो सहायक अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी। प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों अथवा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय की सम्मिलित वरिष्ठता सूची तैयार कर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों के पदोन्नति की प्रक्रिया के अनुसार जनपदीय चयन समिति जैसा कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हेतु व्यवस्था है के द्वारा की जायेगी।

सहायक अध्यापकों की व्यवस्था सीधी भर्ती तथा प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों की पदोन्नति करके की जायेगी। पदोन्नति से ऐसे अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी जिन्होने कम सेकम स्थाई सेवा प्राथमिक विद्यालयों में कर ली है तथा पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति द्वारा ही इनकी पदोन्नति की जायेगी। पर्याप्त मात्रा में न मिलने की स्थिति शिक्षक प्राशिक्षण प्राप्त योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र विज्ञापन के माध्यम से लेकर जनपदीय चयन समिति द्वारा अध्यापक सेवा नियमावली के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत की जायेगी। वर्षवार पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की व्यवस्था का विवरण तालिका संख्या–6.4 में वर्णित है।

तालिका संख्या–6.4

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–.04	वर्ष 2004–05	योग
1	पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेतु प्राधानाध्यापक	20	200	–	220
2	पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेतु सहायक अध्यापक	80	800	–	880
	योग	100	1000	–	1100

नवीन प्राथमिक विद्यालयों की साज–सज्जा :

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालयों को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी इस उपलब्ध धनराशि का उपभोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाट–पट्टी आलमारी, सन्दूक, श्यामपट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्यूपमेन्ट (ढ़ोलक, मजीरा, हारमोनियम, रिंग, कूदने की रस्सी, गेंद, टायर युक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेल–कूद के ब्लाक आदि) उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराई जायेगी किन्तु ग्रामीण अन्चलों में विज्ञान किट, गणित किट सुलभता से उपलब्ध नही हो पाते हैं इसलिए इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से कराई जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय साज–सज्जा :

ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी, इस धनराशि से ग्राम शिक्षा समिति द्वारा मेंज, बाल्टी, कुर्सी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान म्यूजिकल इक्यूपमेन्ट (ढ़ोलक, मजीरा, बांसुरी, आदि), क्रीडा सामग्री (फुटबाल, वालीवाल, स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प, क्लास रूम टीचिंग मटेरियल, गणित किट, विज्ञान किट, , मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, ज्ञानकोष, टूइनवन आदि आदि) तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराई जायेगी।

निर्माण की व्यवस्था–

परियोजना संरचना टीम एवं विभिन्न स्तरो पर बैठकों की चर्चा के बाद निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु निर्माण कार्य की धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध कराई जायेगी। तथा प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विकास खण्ड वार तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनका समय–समय पर तकनीकी पर्यवेक्षण एवं सहयोग अभियन्ताओं के माध्यम से कराते हुए निर्माण कार्य कराए जायेंगे।

निर्माण कार्य की लागत, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना विद्यालयों की स्थापना पर 15 करोड़ 47 लाख 48 हजार पड़ेगा तथा कान्ट्रेक्टर

लाभ 10 प्रतिशत रू0 1,54,74,800.00 अतिरिक्त व्यय पड़ सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कार्य कराने से 1,54,74,800.00 की बचत होगी तथा ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण पर 60,00,000.00 व्ययकर लगभग 94 लाख 74 हजार की बचत की जायेगी।

शैक्षिक सुविधाओं का सर्वेक्षण–

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर प्रादेशिक मानक के अनुसार चिन्हित बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त भौतिक सुविधाओं का आंकलन कर अतिरिक्त संसाधनों की मांग प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्य योजना एवं वजट में किया जायेगा।

तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था–

निर्माण कार्यो के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु विकास खण्ड स्तर के आर0 ई0 एस0/लघु सिंचाई के अवर अभियन्ता द्वारा तथा जनपद स्तर पर इन अभियन्ताओं के सहयोग हेतु इन्हीं विभागों से एक सहायक अभियन्ता की व्यवस्था की जायेगी जो निर्माण कार्य प्रभारियों को प्रशिक्षित करने के साथ हो रहे प्रत्येक निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण भी करेंगे। इस हेतु इन्हें मानदेय का भी प्राविधान किया गया है। इन अभियन्ताओं की व्यवस्था से सम्बन्धित विवरण परियोजना क्रियान्वयन से सम्बन्धित अध्याय 10 में वर्णित है।

नवीन भवन निर्माण मित्तव्ययिता :

सर्व शिक्षा अभियान मे प्रति 2 प्राथमिक विद्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्राविधान है ऐसी दशा में नया भूमि न लेकर प्राथमिक विद्यालय परिसर में ही नवीन विद्यालय स्थापित किया जायेगा। जिससे हैण्ड पम्प, शौचालय, चहरदीवारी इत्यादि के व्यय से बचा जा सकता है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक हेतु यह धनराशि क्रमशः 259 एवं 280 हजार रू. बजट प्राविधानित है।

शैक्षिक सुविधाओं का सर्वेक्षण :

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर प्रादेशिक मानक के अनुसार चिन्हित बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त भौतिक सुविधाओं का आंकलन

कर अतिरिक्त संसाधनों की मांग प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा। इसके लिए ब्लाक प्रतिवर्ष का प्रस्ताव है।

तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :

निर्माण कार्यो के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु विकास खण्ड स्तर के आर.ई.एस./लघु सिंचाई के अवर अभियन्ता के द्वारा तथा जनपद स्तर पर इन अभियन्ताओं के सहयोग हेतु इन्ही विभागों से एक सहायक अभियन्ता की व्यवस्था की जायेगी, जो निर्माण कार्य प्रभारियों को प्रशिक्षित करने के साथ हो रहे प्रत्येक निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण भी करेंगे। इस हेतु इन्हे मानदेय का प्राविधान किया गया है। इन अभियन्ताओं की व्यवस्था से सम्बन्धित विवरण परियोजना क्रियान्वयन से सम्बन्धित अध्याय–10 में वर्णित है।

अध्याय –7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (द्वितीय) शिक्षा गारण्टी योजना /वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा

जनपद सिद्वार्थ नगर की जनसख्या वर्तमान में 2038598 है जिसमें 1047573 पुरूष तथा 991025 स्त्रियॉ है। जनपद की साक्षरता दर 43.97 है जिसमे 58.68 प्रतिशत पुरूष तथा 28.35 प्रतिशत महिला साक्षरता है। वर्ष 1991 मे जनपद की साक्षरता दर 27.16 थी जिसमे पुरूष 40.92 तथा महिला 11.95 थी वर्ष 97 मे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सचांलन के उपरान्त सम्पूर्ण साक्षरता के साथ ही महिला साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्वि की गयी है।

यद्यपि इससें पूर्व भी शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु अनौपचारिक शिक्षा परियोजना संचालित की गयी थी परन्तु कतिपय कठिनाइयो के कारण सभी लक्ष्य प्राप्त नही हेा सके। अतः भारत सरकार ने उन सभी बच्चो की शिक्षा की व्यवस्था हेतु वैकल्पिक एवं नवाचर शिक्षा द्वारा शिक्षित करने का अभिनव प्रयास किया है। जो विद्यालय के बाहर है जैसे – ड्राप आउट, कामकाजी बच्चे, बालश्रमिक, किशोरीयॉ अथवा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा से वंचित सभी बच्चे ।

इस प्रकार परियोजना परिषद के अधीन संचालित शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की कार्ययोजना तय की जाये इससे पहले आवश्यकता है कि अनौपचारिक शिक्षा के विषय में भी आवश्यक जानकारी कर ली जाये जिससे आगे की योजना संचालन में पूर्व में संचालित योजना से मदद लेने के साथ ही उसके संचालन मे हुई त्रुटियों से बचते हुए कठिनाइयों पर आवश्यक रणनीति भी बनाई जा सके।

अनौपचारिक शिक्षा–

यद्यपि 31 मार्च 2001 से अनौपचारिक शिक्षा समाप्त कर दी गयी है परन्तु इस परियोजना से यह तय करने में हमें मदद मिलेगी कि किसी प्रकार उन बच्चो हेतु शिक्षा के कार्यक्रम चलाये जांये जिससे निर्धारित समय सीमा में अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्राथमिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण हेतु सन् 1979–80 से पूरे देश में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। इसके अन्तर्गत 6–11 आयु वय वर्ग के उन बच्चो को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने या जो किसी

कारणवश विद्यालयी शिक्षा से वंचित थें। इस हेतु शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों तथा बालश्रमिक आधिक्य आदि स्थानें पर अनौपचारिक शिक्षा के बराबर शिक्षा उपलब्ध कराई गयी । उत्तर प्रदेश मे यह कार्यक्रम सभी जनपदों में संचालित किया गया। प्रत्येक विकास खण्ड में 100 केन्द्र खोलकर 2 वर्ष चलाने के उपरान्त केन्द्रों के बच्चो को कक्षा 5 की परीक्षा दिलाकर कक्षा 6 में नामांकित कराने का प्रयास किया गया । प्रत्येक केन्द्र पर 25 बच्चे नामांकित करने का लक्ष्य था जिनमे बालिकाओं की शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया गया जनपद के 14 विकास खण्डो में परियोजनाएं संचालित की गयी । इस परियोजना में कई त्रुटियां रही है जैसे – एक विकास खण्ड में पूरे 100 केन्द्र ही खुले थे भले ही इतने केन्दों की आवश्यकता न हो, इस प्रकार बिना सर्वेक्षण के केन्द्र खोले गये तथा प्रायः ओवरलैपिंग को ध्यान में नही रखा गया। केंन्द्रो के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु कोई योजना नही बनाई गयी जिससे केन्द्रो का विधिवत् संचालन नही हो सका। मानदेय इतना कम होने के साथ ही समय पर भुगतान नही हुआ तथा बच्वो हेतु आवश्यक सामग्री भी सही समय पर नही जुटाई जा सकी । अतः जो ऐच्छिक उपलब्धि इस परियोजना प्राप्त की जा सकती थी वह नही की जा सकी।

इस परियोजना में पाठ्यक्रम दो वर्षीय था जो प्राथमिक स्तर की सभी दक्षताओं को पूर्ण करता था अतः मुख्य धारा से जोड़ने में यह भी दिक्कत रही की कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद से ही शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता था, बीच में नही । इसके अतिरिक्त परिषदीय परीक्षा के साथ मानक से काफी कम ही बच्चे कक्षा पांच की परीक्षा मे सम्मिलित होते थे, तथा उर्त्तीण भी उतने बच्चे नही हो पाते थें जितनी की अपेक्षा की जाती थी। इस प्रकार उक्त परियोंजना द्वारा अत्यधिक व्यय करने के बाद भी सभी बच्चो को शिक्षा की मुख्य धारा से नही जोड़ा जा सका तथा परियोजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वैकल्पिक शिक्षा केंन्द्र–

जनपद में वर्ष 97–98 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम मे जो बच्चे किसी कारण बस विद्यालय से बाहर है उन्हे मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय आवश्यकता के आधार पर वैकल्पिक शिक्षा के माडल का संचालन किया जा रहा है। वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शालात्यागी बच्चो, बड़े हो जाने के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चे, किशोरियों को प्राथमिक शिक्षा के साथ– साथ गृह उपयोगी शिक्षा,

छोटे भाई–बहनों की देखभाल के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों, लालबत्ती क्षेत्र के बच्चो, भीख मांगने वाले बच्चो तथा अल्पसंख्यक बच्चों हेतु दीनी तालीम के साथ–साथ व्यावहारिक शिक्षा आदि उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त प्रकार के बच्चो हेतु विभिन्न माडलं विकसित किये गये है तथा माडल के अनुरूप ही शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अनुदेशक द्वारा प्रति सप्ताह समुदाय के साथ सम्पर्क करना अनिवार्य है तथा ग्राम शिक्षा समिति भी इस कार्य में सहयोग करती है। इस प्रकार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा विभिन्न माडल के 150 केन्द्र तथा ई0 जी0 एस0 के 25 केन्द्र संचालित किये जा रहे है। जिसमें क्रमशः 7501 तथा 1107 छात्र –छात्राएं पढ़ती है। साथ ही 862 बच्चो को अब तक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है।

उपरोक्त के बावजूद भी अभी वे बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित है जो होटलों, चाय की दुकानो तथा अन्य स्थानो पर काम करते है साथ ही प्रमुख समस्या किशोरियों की है जो किसी प्रकार कक्षा पांच उत्तीर्ण करने के अपरान्त कक्षा –छः में विद्यालय न होने के कारण अथवा सामाजिक समस्याओ के कारण प्रवेश नही ले पाती है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को भी विद्यालय से नही जोड़ा जा सका है। क्योकि रूढ़ियों के कारण वे कक्षा पांच उत्तीर्ण करने के पश्चात मकतब मे शिक्षा उपलब्ध न होने के कारण औपचारिक विद्यालय में प्रवेश नही ले पाती, फलस्वरूप वे उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा नही प्राप्त कर पाती है। फलस्वरूप अभी विभिन्न आयुवर्ग के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड के बाहर विद्यालय से बाहर बच्चो की संख्या निम्नवत है–

0–14 वयवर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चो की संख्या

विकास खण्ड वार स्थिति एवं आवश्यकता–

जनपद सिद्वार्थ नगर में क्षेत्र विशेष की सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियो के आधार पर शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक शिक्षा तथा नवाचार शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता के आधार पर विकास खण्डो की स्थिति एवं आवश्यकता का वर्णन किया जा रहा है।

1. जोगिया –

यह विकास खण्ड लगभग 4 माह प्रत्येक वर्ष बाढ़ से ग्रसित रहता है। यहां पर प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ बालिका शिक्षा की स्थिति दयनीय है इसका कारण यह है कि चार महीने तो विद्यालय चल नही पाते तथा लोग अपना गांव आदि छोड़कर ऊँचें स्थान पर चले जाते है जिस कारण पुनः वे उन कक्षाओं में वापस नही हो पाते फलतः शालात्याग कर जाते है। पिछड़ीं जाति के लोग अधिक संख्या मे रहते है जहां पर शीघ्र ही बच्चो का विवाह आदि करने की परम्परा है। जिसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ना ही पड़ना है। यहां पर शिक्षा गारण्टी योजना के साथ–साथ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र विशेषकर बालिकाओं हेतु चलाने की आवश्यकता है जिसमें उन्हे उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा भी प्राप्त हो सके।

आवश्यकता– ई. जी. एस.–25, ज्ञान केन्द्र–10, ज्ञान शाला–10, किशोरी केन्द्र–05, ब्रिज कोर्स कैम्प–02, ग्रीष्म कालीन शिविर–10

2. खुनियांव–

इस विकास खण्ड में अनु. जाति एवं पिछड़ी जाति के लोग निवास करते है । अभी इस विकास खण्ड मे विद्यालयों तक पहुँच न होने के कारण बालिका शिक्षा दर काफी कम है। यहां पर जन जागरण की अभी और आवश्यकता है तथा बड़ी बच्चियों और ईट भट्ठों मे काम करने वाले बच्चो को ब्रिज कोर्स कैम्प के माध्यम से उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। सबसे विषम परिस्थिति यह है कि सभी गांव तक पहुँचना काफी मुश्किल होता है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अभाव भी है। अतः यहां प्राथमिक शिक्षा हेतु ई0 जी0 एस0 एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र बड़ी बच्चियों एवं कामकाजी बच्चो के लिए ब्रिज कोर्स कैम्प की आवश्यकता है।

आवश्यकता– ई. जी. एस.–45, ज्ञान केन्द्र–15, ज्ञान शाला–10, किशोरी केन्द्र–10, ब्रिज कोर्स कैम्प–02, ग्रीष्म कालीन शिविर–10

3 . भनवापुर –

यह भी बाढ़ ग्रस्त विकास खण्ड है। यहां भी प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इस विकास खण्ड के बिस्कोहर कस्बे मे लालबत्ती क्षेत्र है जिसमे न पढ़ने वाले 83 बच्चो की पहचान की गयी थी जिन्हे ब्रिज कोर्स कैम्प कराकर वर्तमान में ई0 जी0 एस0 /ए0 एस0 केन्द्र से शिक्षित कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे गांव/कस्बे है जहां पर अभी भी शिक्षा की पहुँच नही हो सकी है। वहां के बच्चो को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने हेतु ई0 जी0 एस0 तथा बालिकाओं को जोडने हेतु ए0 एस0 तथा ब्रिज कोर्स कैम्प संचालित करने पड़ेंगे । अधिक कठिनाई उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में होगी क्योकि बिना बच्चो को ए0 एस0 में लाये सीधे उच्च प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ने मे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, सम्भव है कि जो बच्चे वर्तमान में उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पहुँच न होने के कारण वंचित है उन्हे जोड़ने में अधिक कठिनाई नही होगी। प्रायः ग्रीष्म कालीन शिविरो में देखा गया है कि मानक से कही अधिक बालिकाएं शिविरो में आयी है वही उनका नामांकन प्राथमिक विद्यालय में किया गया है। परन्तु आयु 6–11 वय वर्ग से अधिक होने के कारण वे पुनः शालात्यागने पर बाध्य हो जाती है। अतः उन्हें ब्रिज कोर्स के माध्यम से उन कक्षाओं मे प्रवेश दिलाया जा सकता है जिसमें उनकी आयु वर्ग की बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही है।

आवश्यकता– ई. जी. एस.–22, ज्ञान केन्द्र–10, ज्ञान शाला–10, किशोरी केन्द्र–05, ब्रिज कोर्स कैम्प–03, ग्रीष्म कालीन शिविर–10

4. डुमरियागंज–

यद्यपि इस विकास खण्ड की साक्षरता दर जनपद में सर्वाधिक है परन्तु यह विकास खण्ड मुस्लिम बाहुल्य है, अतः प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद अधिकतर बालिकाएं गृह कार्य से जुड़ जाती है। उक्त बालिकाएं चूँकि दीनी तालीम ही ग्रहण कर पाती है अतः यह कठिनाई भी होती है

कि विद्यालयी शिक्षा के अभाव मे वे विद्यालय से नही जुड़ पाती है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा कुछ मकतबों मे इसी समुदाय से विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक अनुदेशक रखा गया है जिसके द्वारा उन्हे विद्यालयी शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है। लक्ष्य यह है कि उक्त मकतबों से उत्तीर्ण होने वाले सभी बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

आवश्यकता : ई. जी. एस.–40, ज्ञान केन्द्र–15, ज्ञान शाला–12, किशोरी केन्द्र–06, ग्रीष्म कालीन शिविर–15

5. बढ़नी–

यह विकास खण्ड नेपाल देश के सीमांकन मे स्थित है। अतः यहाँ पर अधिकतर बच्चो के अभिभावक काम पर चले जाते है और बड़े बच्वे छोटे भाई– बहनों की देख–रेख के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते है। अतः यहां पर विद्यालयो के साथ ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा वाले केन्द्रो (ई0 सी0 सी0 ई0/आंगन बाड़ी) को भी जोड़ने की अवश्यकता है जिससे वे बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सके। उक्त के साथ ही यह भी कठिनाई होती है कि प्रायः बच्चो से ही सामान की तस्करी का कार्य लिया जाता है इसे रोकने तथा विद्यालयों मे नियमित उपस्थिति हेतु अन्य विभागो से भी सहयोग लेना पड़ेगा साथ ही औपचारिक विद्यालयों में उनका ठहराव भी सुनिश्चत करना पड़ेगा। सभी बच्चो को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से जाड़ने हेतु ई0 जी0 एस0 एवं ए0 एस0 केन्द्रो का संचालन करना पड़ेगा।

आवश्यकता : ई. जी. एस.–24, ज्ञान केन्द्र–10, ज्ञान शाला–12, किशोरी केन्द्र–03, ब्रिज कोर्स कैम्प–01, ग्रीष्म कालीन शिविर–08

6. बाँसी एवं मिठवल–

उपरोक्त दोनो विकास खण्ड ही ठहराव एवं नामांकन के क्षेत्र में काफी ठीक हैं परन्तु कुछ क्षेत्र नगर क्षेत्र होने के कारण बाँसी मे होटल आदि मे काम करने वाले बच्चो की संख्या काफी है

जो कि प्राथमिक शिक्षा नही प्राप्त कर पाते। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त भी रहता है जिसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ता ही है। इसके सापेक्ष मिठवल की समस्या अलग प्रकार की है जहां मुस्लिम आबादी अधिक है जो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा नही प्राप्त कर पाते। इसके अतिरिक्त ऐसे ही गांव मजरे है जहां पहुँच पाना छोटे बच्चों के लिए कठिन कार्य है। यहां पर डी0 पी0 ई0 पी0 द्वारा मकतबो को सुदृढ़ करते हुए नवाचार शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु दोनो ही विकास खण्डों मे विद्यालय खोलने पड़ेगे तथा ब्रिजकोर्स एवं ए0 एस0 केन्द्र भी संचालित करने पड़ेगे तभी सभी बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े जा सकते है।

आवश्यकता : मिठवल

ई. जी. एस.–66, ज्ञान केन्द्र–60, ज्ञान शाला–15, किशोरी केन्द्र–05,

बाँसी– ई. जी. एस.–31, ज्ञान केन्द्र–10, ज्ञान शाला–10,

ब्रिज कोर्स कैम्प–02, ग्रीष्म कालीन शिविर–08

7. नौगढ़ –

यह विकास खण्ड जनपद मुख्यालय का है परन्तु बाढ़ से यह विकास खण्ड भी प्रभावित रहता है जिससे नामांकन एवं ठहराव की समस्या बनी रहती है। उच्च प्राथमिक विद्यालय काफी संख्या में होने के बावजूद भी अधिकतर बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा नही प्राप्त कर पाते, जिनमें अधिकतर बालिकाएं है। इसके साथ ही जनपद मुख्यालय होने के कारण लगभग 129 बच्चे होटल/दुकानो तथा अन्य कामों में लगे रहते है; जो प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रह जाते है अध्यापक संख्या कम होने से भी अपेक्षित ठहराव नही हो पाता है।

आवश्यकता– ई. जी. एस.–24, ज्ञान केन्द्र–10, ज्ञान शाला–08, किशोरी केन्द्र–02,

ब्रिज कोर्स कैम्प–02, ग्रीष्म कालीन शिविर–05

8. बर्डपुर एवं शोहरतगढ़–

उक्त दानो विकास खण्डो मे भी अध्यापक संख्या बहुत कम है; फलतः यहां की शालात्याग की दर जनपद मे सर्वाधिक है। परियोजना द्वारा पैरा टीचर की व्यवस्था कराई गयी है जिसमें शिक्षा व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो सकती है। हालांकि इन विकास खण्डो में जागरूकता की कमी नही है, कमी है संसाधनो की । 50 विद्यालयों मे ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्र संचालित है साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र भी विद्यालयों से जोड़ दिए गये है परन्तु उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु अभी भी बहुत कार्य करने है, क्योकि यह भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र । अतः बर्डपुर हेतु ए0 आई0 ई. के अन्तर्गत केन्द्र संचालित करने आवश्यकता है तथा शोहरतगढ़ में बहुत कम संख्या में ई0 जी0 एस0 तथा ए0 आई0 ई0 केन्द्र संचालित करने होगें।

आवश्यकता : बर्डपुर– ई. जी. एस.–25, ज्ञान केन्द्र–07, ज्ञान शाला–10, किशोरी केन्द्र–02, ब्रिज कोर्स कैम्प–01, ग्रीष्म कालीन शिविर–25

शोहरतगढ़– ई. जी. एस.–11, ज्ञान केन्द्र–08, ज्ञान शाला–10, किशोरी केन्द्र–02, ग्रीष्म कालीन शिविर–30

9. उस्का बाजार –

यह विकास खण्ड भी बाढ़ से प्रभावित रहता है इस विकास खण्ड में भी ड्रापआउट दर अधिक है यहां विद्यालय पर जाने हेतु संपर्क मार्ग नही है तथा बालिकाओ की शिक्षा की समस्या अधिक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा माडल 'प्रहर' पाठशाला में 9–14 वयवर्ग की बालिकाओं के लिए संचालित किए जा रहे है आवश्यकता है कि इसी प्रकार के केन्द्रो के साथ ही ई0 जी0 एस0 केन्द्र जोड़े जांय जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

आवश्यकता – ई. जी. एस.–35, ज्ञान केन्द्र–03, ज्ञान शाला–08, किशोरी केन्द्र–07, ब्रिज कोर्स कैम्प–02, ग्रीष्म कालीन शिविर–25

इटवा–

यह विकास खण्ड तहसील मुख्यालय है । कुछ बच्चे होटल आदि में काम करने वाले है तथा काफी बच्चो का विद्यालय में अध्यापकों की कमी के कारण ठहराव नही हो पाता है। अतः पहले अध्यापक कमी की पूर्ति होनी चाहिए तत्पश्चात वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र आदि प्रारम्भ होना चाहिए। उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु केन्द्रो की आवश्यकता होगी तथा काम काजी बच्चो हेतु कैम्प की।

आवश्यकता – ई. जी. एस.–40, ज्ञान केन्द्र–19, ज्ञान शाला–10, किशोरी केन्द्र–05,
ग्रीष्म कालीन शिविर–10

11. खेसरहा तथा सांथा–

विकास खण्ड खेसरहा मे बहुत कम मजरे ऐसे है जहां यह आवश्यकता है कि यहां ई० जी० एस० या ए० एस० केंन्द्र खोले जांय उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जब तक विद्यालय नही हो जाते है तब तक 9–14 वय वर्ग के बच्चो हेतु ई० जी० एस० /ए० आई० ई० की व्यवस्था करनी पड़ेगी । बहुत कम संख्या मे ई० जी० एस० /ए० आई० ई० की आवश्यकता होगी इसके साथ ही जन सामान्य में जागरूकता का अभाव है। अतः यहां जन जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है।

आवश्यकता – खेसरहा– ई. जी. एस.–44, ज्ञान शाला–10, किशोरी केन्द्र–02,
ग्रीष्म कालीन शिविर–10
साथा– ई. जी. एस.–16, ज्ञान केन्द्र–15, ज्ञान शाला–10,
ग्रीष्म कालीन शिविर–10

ई०जी० एस०/ए० आई० ई० कार्यक्रम लक्ष्य समूह 6 से 14 वयवर्ग के बच्चे होगें। विकलांग बच्चो के लिए यह आयु सीमा 18 वर्ष तक होगी।

इस योजना के अन्तर्गत 6–8 वयवर्ग के बच्चो को विशेष प्रयास करके औपचारिक विद्यालयों में पंजीकृत कराया जायेगा अथवा ई0 जी0 एस0 योजना के विद्यालय में प्रवेश दिलाया जायेगा। 9–14 वयवर्ग के बच्चे जो पूर्व मे ही विद्यालयो से ड्रापआउट हो चुके है अथवा कभी भी विद्यालय मे पंजीकृत नही हुए है अथवा स्ट्रीट चाइल्ड/चाइल्ड लेबर या घुमन्त बच्चे हो चुके है, के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रो अथवा ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा में औपचारिक विद्यालय में किसी भी कक्षा में किसी भी समय जिसके लिए बच्चे उपयुक्त होंगें, प्रवेश दिलाना ही मुख्य उद्देश्य होगा।

ऐसी असेवित बस्तियों में जहां एक किमी0 की परिधि मे विद्यालय नही है 6–11 वय वर्ग के 15 बच्चो की उपलब्धता पर कक्षा 1 और 2 के लिए ई0 जी0 एस0 केन्द्र खोले जायेगें। प्रथम चरण में जिस क्षेत्र विशेष में ई0 जी0 एस0 केन्द्र खोला जाना विचाराधीन होगा वहां पर ए0 आई0 ई0 केन्द्र खोलने पर सम्प्रति विचार नही किया जायेगा; क्योकि सर्व प्रथम यह प्रयास होगा कि प्रत्येक बच्चा औपचारिक विद्यालयों में अथवा ई0 जी0 एस0 केन्द्र में प्रवेश ले। विशेष परिस्थितियों मे ही ऐसे स्थानो पर ए0 आई0 ई0 केन्द्र खोले जाने का विचार किया जायेगा। ए. आई. ई. के अन्तर्गत जो उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्र खोले जाऐगें उनमें आवश्यकतानुरूप ज्ञानशाला एवं किशोरियों हेतु किशोरी केन्द्र खोले जायेगें। इस योजना का संचालन राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार किया जायेगा। जनपद स्तर के प्रस्ताव जिसमें स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्ताव भी सम्मिलित होगें। इसे चिन्हित कर स्टेट सोसायटी द्वारा ही अनुमोदित/अग्रसारित किये जायेगे।

इस योजना के संचालन के लिए केन्द्र सरकार /राज्य सरकार के बीच 75:25 अनुपात में वित्तीय भागीदारी होगी। स्वैच्छिक संगठनों को शत प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा कराया जायेगा। स्टेट सोसायटी ही जनपदीय अधिकारियों/ स्वैच्छिक संगठनो को कार्यक्रम के संचालन हेतु समय–समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि को उपलब्ध कराएगी।

विकास खण्ड वार ई0. जी0 एस0/ ए0 आई0 ई0 /ब्रिज कोर्स आदि की सूची–

सारणी –7.1

क्र0 सं0	विकास खण्ड	ई0जी0एस0	वैकल्पिक केन्द्र प्राथमिक स्तर	वैकल्पिक केन्द्र उ0 प्र0 स्तर (ज्ञानशाला एवं किशोरी केन्द्र)	ब्रिज कोर्स कैम्प	ग्रीष्मकलीन शिविर
1	जोगिया	25	10	15	02	10
2	बर्डपुर	25	07	12	01	25
3	उस्का बाजार	35	03	17	02	25
4	नौगढ़	24	10	10	02	05
5	शोहरत गढ़	11	08	12	–	30
6	बढनी	24	10	15	01	08
7	खुनियाँव	45	15	20	02	20
8	इटवा	40	19	15	–	10
9	भनवापुर	22	10	15	03	10
10	डुमरियागंज	40	15	18	01	15
11	बाँसी	31	10	10	02	08
12	मिठवल	66	60	20	–	–
13	सांथा	16	05	10	–	04
14	खेसरहा	44	–	12	–	10
	योग	448	182	201	16	180

टिप्पणी :–वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो मे ही मकतबो का सुदृढ़ी करण सम्मिलित है।

वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा का वर्ष वार स्थापना का विवरण–

सारणी –7.2

क्र0 सं0	कार्यक्रम	01–02	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	योग
1	ई0 45/विद्या केन्द्र	–	–	260	188	–	–	448
2	वै.शि.के. (प्रा0स्तर)	–	–	132	50	–	–	182
3	वै0 शि0 के0 (उच्च प्रा0 स्तर)	–	–	100	101	–	–	201
4	ब्रिज कोर्स कैम्प	–	–	16	8	8	06	38
5	विद्यालय वापस चलो शिविर गैरआवासीय	–	–	160	160	160	160	640

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (ए0 आई0 ई0) कार्यक्रम –

स्वतंत्रता के 54 वर्ष बाद आज भी सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा से नही जुड़ सके है। इसके अनेक कारण हैं जैसे– अधिक आयु हो जाने के कारण, शालात्याग के कारण, बालश्रम एवं छोटे भाई– बहनो की देखभाल आदि । इस लक्ष्य समूह के बच्चे प्रायः शिक्षा से बंचित ही रह जाते है। यद्यपि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा इस प्रकार के बच्चो हेतु विभिन्न मॉडल के 150 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित हैं जिनमें 7501 बच्चे पढ़ रहे है तथा ई0 जी0 एस0 के अन्तर्गत 25 केन्द्र जिनमें 1107 बच्चे पढ़ रहे हैं। विशिष्ट समुदाय (लालबत्ती एवं घुमन्तु) के 78 बच्चो को शिविर के माध्यम से तथा 862 बच्चों को वैकल्पिक केन्द्रो के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा (विभिन्न कक्षाओं) से जोड़ा जा चुका है।

उपरोक्त के बावजूद आज भी ऐसे क्षेत्र है जिनमे बहुत से बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं जिन्हें मुख्य धारा से जोडने हेतु वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों, अल्पकालीन ग्रीष्म कालीन

शिविरों, ब्रिज कोर्स शिविरों, दीर्घ कालीन शिविरो को चलाये जाने की आवश्यकता है। जिसे वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा द्वारा पूरा किया जायेगा। इस तरह के स्थलों पर जहाँ 9–14 वय वर्ष के ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चे उपलब्ध होंगे वहाँ नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेगे । इन केन्द्रों के बच्चो को किसी भी समय उनकी उपयुक्त कक्षा मे प्रवेश दिलाया जा सकेगा।

ब्रिज कोर्स कैम्प–

जो बच्चे दुकानों, होटलो, ढाबो, एवं ईट भट्टो आदि मे कार्य करते है अथवा अनाथ है, घुमन्तू है, लाल बत्ती क्षेत्र के है जो 9–14 आयु वय वर्ष के है तथा सीधे प्राथमिक शिक्षा से नही जुड सकते। उन्हे ब्रिज कोर्स माध्यम से प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जायेगा। इन शिविरों की अवधि 4 माह से लेकर 18 माह तक की होगी। प्रत्येक शिविर मे न्यूनतम 50 बच्चे होगें तथा सभी शिविर आवासीय होगे।

शिविरो मे बच्चो के रहने, खाने–पीने एवं शिक्षण आदि को व्यवस्था निःशुल्क की जायेगी । ब्रिज कोर्स शिवर हतु 02 गुरूजी (किशोरियो के केन्द्र हेतु दीदी जी) 01 व्यवस्थापक 01 रसोइया 01सहायक तथा 01 चौकीदार की व्यवस्था होगी। इस प्रकार के केन्द्र विकास खण्ड – नौगढ़, भनवापुर, बाँसी, बढ़नी,एवं बर्डपुर आदि में संचालित किये जायेगे। इस प्रकार के सभी शिविर ब्लाक एवं जनपद मुख्यलय पर अथवा आवश्यकता आधारित स्थलो पर संचालित किये जायेगे।

विद्यालय वापस चलो शिविर–

वे बच्चे जो किसी भी कक्षा से ड्राप आउट हुए है विशेषकर बालिकाये जो ड्रापआऊट होकर घरेलू कार्यो मे लगा दी जाती है उन्हे पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने हेतु यह कार्यक्रम 10 दिन का होगा ।

केन्द्र संचालन का समय –

सभी केन्द्र दिन मे 4 घण्टे संचालित किये जायेगे। ये समय प्रातः 9 बजे से 4 बजे के बीच लगातार चार घंटे होगा। पूरे वर्ष मे ये केन्द्र 300 दिन चलाना अनिवार्य होगा । विषय परिस्थितियो को छोड़कर कोई भी केन्द्र रात्रि एवे शाम को नही चलाया जायेगा।

स्थल चयन–

ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर केन्द्र संचालन हेतु ऐसे स्थल का चयन किया जाायेगा जो सभी बच्चो को पहुँच मे होगा। उपरोक्त जिम्मेदारी समुदाय की होगी कि वह केन्द्र हेतु यथा सम्भव भवन पेयजल आदि की व्यवस्था करे।

आचार्य जी /अनुदेशक चयन–

आचार्य जी / अनुदेशक पद हेतु केन्द्र से संम्बधित ग्राम के ही युवक /युवती जों निधारित योग्यता रखते होगें को आचार्य जी/ अनुदेशक पद पर नियुक्त किया जायेगा। उस अनुदेशक की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी तथा महिलाओ को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की आयु न्यून्तम 18 वर्ष लेकिन अधिक आयु हेतु कोई प्रतिबन्ध नही होगा। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवदेन पत्र पाप्त कर हाईस्कूल के अंको के आधार पर वरीयता सूची का निर्धारण कर वरिष्ठ अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा तथा ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र निर्गत किया जायेगा उपरोक्त के अतिरिक्त चयन हेतु लिखित एवं मौखिक परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। अनुदेशक का कार्य सन्तोंष जनक न होने पर ग्राम शिक्षा समिति द्वारा 2/3 बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकेगा। इस सम्बध मे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्यण अन्तिम होगा। वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा में शिक्षण करने वाले पुरूष को गुरूजी तथा महिला को दीदीजी के नाम से जाना जायेगा।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र यथा भारत हेतु उसी समुदाय एवं ग्रामीण व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी । इस सम्बध मे मकतब प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाव अथवा अन्य इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति को शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया जायेगा। शेष सभी नियम आचार्य जी की तरह लागू होगें।

नगर क्षेत्रो में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द हेतु अनुदेशक / अनुदेशिका का चयन विशेषज्ञ/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र , सभासद सम्बन्धित वार्ड

तथा नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम शिक्षक / शिक्षिका द्वारा निर्धारित समिति द्वारा विहित नियमों के अधीन किया जायेगा।

उपरोक्त के साथ ही उच्च प्राथमिक वैकल्पिक एवं नावाचार केन्द्रो हेतु अनुदेशक की योग्यता स्नातक तथा आयु 21 वर्ष होगी । स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इण्टरमीडियेट का भी लिया जा सकता है। महिलाओं को वरीयता दी जायेगी साथ ही अनौपचारिक मे 3 वर्ष 4 संतोषजनक एवं पर्यवेक्षक कार्य करने वाले को भी वरीयता (5 अतिरिक्त अंक) दी जायेगी ।

उपरोक्त के साथ ही ग्राम शिक्षा समिति को उक्त कार्य हेतु खूब प्रचार–प्रसार करना होगा जिससे सभी को अनुदेशक चयन हेतु आवश्यक जानकारी उवलब्ध हो जाये। तत्पश्चात सभी आवेदनों को एकत्र करते हुए वरिष्ठता सूची निर्मित की जायेगी तथा वरिष्ठ (अंको के आधार पर) अभ्यर्थी को ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र निगत किया जायेगा जिसमे निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनुदेशक को कार्य करना होगा।

1. वर्ष मे कम से कम 300 दिन केन्द्र संचालन ।
2. प्रतिदिन शिक्षण के पूर्व 1 घण्टा की तैयारी।
3. प्रतिदिन 4 घण्टे शिक्षण कार्य।
4. सप्ताह मे कम से कम 01 बार समुदाय के साथ बातचीत।
5. प्रतिमाह ग्राम शिक्षा समिति एवं संकुलस्तरो की बैठको मे भाग लेना।
6. सम्बन्धित ग्राम /मजरे की बालगणना एवं बच्चो (6–14) को विद्यालय /वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में नामांकन ।
7. ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्देशित अन्य शैक्षिक कार्य।

आचार्य जी / अनुदेशक का प्रशिक्षण–

प्रत्येक अनुदेशक को 30 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान अथवा विकास खण्ड समूह पर उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण का माड्यूल एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 तथा आवश्यकतानुसार स्थानीय व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जायेगा। प्रत्येक अनुदेशक हेतु रू0 1500.00 की दर से प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओ को जिला स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण में अनुदेशक को कोई अतिरक्ति मानदेय नही दिया जायेगा। उक्त

प्रशिक्षण डी0 आई0 ई0 टी0 के प्रवक्ता /ए0 बी0 एस0 ए0 तथा योग्य अध्यापको आदि द्वारा किया जायेगा।

मानदेय वितरण–

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के अनुदेशको का मानदेय ग्राम शिक्ष समिति द्वारा 'एकाउंट पेयी चेक' के माध्यम से प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जायेगा। इससे पूर्व जिला बेसिक शिक्षा कार्यलय द्वारा 6 माह की एकमुस्त धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। केन्द्र के सफल संचालन की दशा में सहा0 वेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या पर अगले छः माह की धनराशि खातो में स्थानान्तरित की जायेगी।

नगर क्षेत्रों में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्दो के अनुदेशको का मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संतोष जनक कार्य किये जाने पर किया जायेगा। किसी भी अनुदेशक को नगद धनराशि उपलब्ध नही करायी जायेगी।

शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था–

प्रत्येक वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र को साज सज्जा एवं आवश्यक शिक्षण समग्री हेतु आवश्यक धनराशि परियोजना कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते मे अनुदेशक चयन के तुरन्त बाद स्थानान्तरित कर दी जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि केन्द्र संचालन से पूर्व सामग्री क्रय कर उपलब्ध कराये। साथ ही सभी नामांकित बच्चो को उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पुस्तके भी उपलब्ध करा दे तथा सभी धनराशि का आहरण परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी , धनराशि मे से किया जायेगां तथा अन्य आवश्यक सामग्री भी केन्द्र को उपलब्ध करा दी जायेगीं।

पर्यवेक्षण –

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / ब्लाक समन्वयक तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो द्वारा समय–समय पर किया जायेगा। प्रत्येक केन्द्र का रिकार्ड सम्बन्धित संकुल प्रभारी के पास उपलब्ध होगा तथा अनके द्वारा माहवार पर्यवेक्षित केन्द्रो की आख्याओं का प्रेषण भी बी0 आर0 सी0 को

किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक संकुल प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने केन्द्र को और उन्नत एव प्रभावी बनाने हेतु अकादमिक सहयोंग भी उपलब्ध कराते रहे तथा उनकी शैक्षिक समस्याओ का निराकरण करते रहे जिससे केन्द्र मे पढ़ रहे बच्चे शीघ्र ही शिक्षा को मुख्य धारा से जुड सके।

उपरोक्त के साथ ही सभी केन्द्रो का पर्यवेक्षण समय –समय पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डी0 आई0 ई0 टी0 एवं अन्य अधिकारियो द्वारां भी किया जायेगा साथ ही राज्य द्वारा गठित टीम भी पर्यवेक्षण करेगी।

बच्चो का मूल्यांकन एवं मेनस्ट्रीमिंग –

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में पढ़ने वाले बालक–बालिकाओ का नियमित एवं सतत् मूल्यांकन किया जायेगा । प्रत्येक केन्द्रं द्वारा तैयर की जायेगी तथा उसमे प्रत्यके बच्चे का रिकार्ड रखा जायेगा। साथ ही कमजोर बच्चो के लिए अधिक ध्यान दिया जयोगा। बच्चो की मासिक त्रय मासिक षटमासिक एवं वार्षिक परीक्षा भी लिखित एवं मौखिक प्रकार की ली जायेगी । मूल्यांकन में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो को भी सम्मिलित किया जायेगा।

केन्द्र मे अध्ययनरत बच्चो को अपैचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु बौद्विक एवं मानसिक रूप से तैयार किया जायेगा। उनके अभिभावकों से भी बातचीत की जायेगी तत्पश्चात उन्हें मुख्य धारा से जोडा जायेगा। कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चो को परिषदीय परीक्षा मे सम्मिलित किया जाये।

केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु चेक विन्दु–

1. निरीक्षण तिथि एवं समय
2. केन्द्र का नाम एवं स्वरूप
3. अनुदेशक का नाम एवं उपस्थिती
4. छात्र उपस्थिति सम्पूर्ण
5. केन्द्र स्थल एवं समय
6. शिक्षण सामग्री (बालकिट) का उपयोग
7. पाठ्य पुस्तक एवं लेजर सामाग्री की उपलब्धता

केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर ही केन्द्र पर व्यय की जाने वाली धनराशि तय की जायेगी।

इकाई लागत–

सारणी– 7.3

क्र0 सं0	मद	प्राथमिक स्तर के केन्द्र हेतु धनराशि	उच्च प्रा0 स्तर के केन्द्र हेतु धनराशि	अन्युक्ति
1–	अनुदेशक मानदेय	रू0 1000.00	रू0 2000.00	प्रतिमाह उच्च प्रा0 में प्रतिकेन्द्र 2 अनुदेशकों हेतु
2–	अनुदेशक प्रशिक्षण	रू0 1500.00	4000.00	प्रा0 में रू0 50.00 की दर से 30 दिनों हेतु एवं उच्च प्रा0 में उसी दर से 40 दिनों हेतु 2 अनुदेशकों के लिए
3–	शिक्षण सामग्री (बच्चों हेतु)	100.00	150.00	प्रति छात्र प्रति वर्ष
4.	शिक्षण सामग्री (केन्द्र हेतु)	1100.00	1200.00	प्रति केन्द्र प्रति वर्ष
5.	केन्द्र हेतु अन्य आवश्यक व्यय	468.00	500.00	प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष

जिला शिक्षा परियोजना समिति–

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों को विधिवत संचालित करने हेतु 'जिला परियोजना समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति के माध्यम से ही सभी क्रिया कलापों का क्रियान्वयन तथा उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा। समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे–

1. जिलाधिकारी — अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी — उपाध्यक्ष

3.	दो महिला ब्लाक प्रमुख	सदस्य
4.	दो अनु0 जाति के ब्लाक प्रमुख	सदस्य
5.	जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामिति एवं व्यक्ति	सदस्य
6.	प्राचार्य डायट	सदस्य
7.	दो शिक्षा विद् (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
8.	एन0 जी0 ओ0 का एक सदस्य (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
9.	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी	सदस्य
10.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
11.	अधिशाषी अभियन्ता	सदस्य
12.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
13.	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला शिक्षा परियोजना समिति के कार्य एवं दायित्व–

1– जनपद में वंचित वर्ष के बच्चों को ध्यान में रखते हुये सूक्ष्म नियोजन कराना तथा जनपद स्तर पर विश्लेषण करना। तत्पश्चात आवश्यकतानुरूप वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों का संचालन कराना।

2– सभी बच्चों को केन्द्रों में लाने हेतु कोर टीम का गठन कराकर कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराना।

3– अन्य विभागों से सहयोग प्राप्त करना

4– कार्यक्रमों का नियमित अनुपालन एवं पर्यवेक्षण कराना।

5– पर्यवेक्षण आख्याओ को विश्लेषण कर आवश्यक कार्यवाही कराना।

6– केन्द्रों के संचालन हेतु ग्राम शिक्षा समितियों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराना।

8– स्वैच्छिक संगठनों की मदद लेना तथा समुदाय को प्रेरित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम कराना।

9– बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ते हुए सभी स्तर पर नीति निर्धारित कर उसे क्रियान्वित कराना।

10– किशोरियों एवं बाल श्रमिको हेतु विशेष कार्यक्रम तय कर उनका क्रियान्वयन कराना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति–

1. खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2. दो बी0 डी0 सी0 सदस्य (क्षेत्र प्रमुख द्वारा प्रेषित)	सदस्य
3. दो महिला अनुसूचित प्रधान (बी0 डी0 ओ0 द्वारा प्रषित)	सदस्य
4. वरिष्ट संकुल प्रभारी (ए0 बी0 एस0 ए0 द्वारा प्रषित)	सदस्य
5. ब्लाक समन्वयक	सदस्य
6. डायट मेण्टर	सदस्य
7. सहा0 बे0 शि0 अधि0	सदस्य

ब्लाक स्तरीय समिति के कार्य एवं दायित्व–

1. विकास खण्ड में विधवत सूक्ष्म नियोजन करना
2. सूक्ष्म नियोजन का विशलेषण एवं कार्ययोजना निर्माण
3. केन्द्रो का चयन एवं नियमित पर्यवेक्षण कराना
4. संकुल प्रभारियों को प्रशिक्षित कराना तथा उनके द्वारा केन्द्रों को अकादमिक सहयोग प्रदान कराना
5. अनुदेशकों की नियमित बैठके एवं प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था कराना
6. ई0 एम0 आई0 एस0 प्रणाली विकसित करना तथा उनका विश्लेषण कर समुचित कार्यवाही कराना
7. समुदाय के साथ बेहतर ताल–मेल बनाने हेतु कार्ययोजना तैयार कराना

ग्राम शिक्षा समितियों के कार्य एवं दायित्व–

ग्राम शिक्षा समिति के वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्य हेतु निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे–

1. सूक्ष्म नियोजन के आधार पर विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिन्हिंत करना
2. विद्यालय न आने के कारणों को जानना
3. केन्द्र एवं अनुदेशक चयन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करना
4. योग्य अनुदेशक/ अनुदेशिका का चयन करना
5. केन्द्र का उचित स्थल एवं समय निर्धारित करना

6. केन्द्र पर सामग्री की समय से व्यवस्था करना

7. अनुदेशकों का प्रशिक्षण कराना तथा केन्द्र संचालन करवाना

8. समुदाय के साथ बैठकों में अनुदेशक का सहयोग करना

9. सभी बच्चों के नामांकन हेतु बेहतर प्रयास करना

10. केन्द्र का उचित प्रबन्धन कराना तथा पर्यवेक्षण करना

11. अनुदेशक को समय पर मानदेय का वितरण करना

12. समुदाय को शिक्षा के प्रति जागरूग करना

13. अनुदेशक को आकस्मिक सहयोग प्रदान करना तथा सम्भव हो तो "एक्सपोजर विजिट" आदि कराना

14. बच्चों को नियमित एवं साफ सुथरा केन्द्र पर आने की अपील समुदाय से कराना

15. सभी बच्चों को औपचारिक विद्यालयों से जोड़ने में सहयोग करना

16. अन्य आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों को ब्लाक स्तरीय समिति को बताना एवं सहयोग लेना

विभिन्न प्रकार के बच्चों हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र–

जनपद में कई प्रकार के बच्चे हैं कुछ तो शारीरिक अक्षमता वाले कुछ अल्पसंख्यक। तथा बालिकायें। इनके लिए उनसे सम्बन्धित केन्द्र ही सुलभ कराने होंगे।

विकलांग बच्चों हेतु–

जनपद सिद्धार्थ नगर में 3370 विकलांग बच्चें है। जो विद्यालय नही जाते है। इन्हें चिन्हित कर ई0 जी0 एस0 / ए0 आई0 ई0 केन्द्र में सम्मिलित कर शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस श्रेणी के बच्चों हेतु अधिकतम आयु सीमा 14 से बढ.कर 18 वर्ष निर्धारित की गयी है। इन केन्द्रों मे यदि 15 से भी कम बच्चें है तो भी केन्द्र संचालित किया जा सकेगा। प्रत्येक बच्चे की अक्षमता को ध्यान में रखकर उनको सुविधा मुहैया करायी जायेगी जिससे कोई भी विकलांग बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

अल्पसंख्यकों हेतु–

प्रायः सभी मकतबों में दीनी तालीम ही दी जाती हैं जिससे इस वर्ग के बालक एवं बालिकाएं औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं ग्राम एवं विकास खण्ड स्तरीय बैठकों में यह

विन्दु काफी चर्चा में रहा है अतः इस वर्ग हेतु मानक के अनुसार योग्य व्यक्ति को औपचारिक पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य पुस्तकों द्वारा उन बच्चों की औपचारिक शिक्षा भी दिलायी जा सकेगी। तब वे भी उच्च प्रा0 स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र–

सभी विकास खण्ड के जिन ग्रामों, नगरों, बस्तियों में बालिका साक्षारता दर न्यूनतम है वहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर बालिकाओ हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को संचालित किया जायेगा। इन केन्द्रों में शिक्षण कार्य हेतु महिला अनुदेशक (दीदी जी) की व्यवस्था की जायेगी। इससे समुदाय की भागीदारी प्राप्त करने हेतु कला जत्था, माँ–बेटी मेला, महिला सांसद आदि की स्थापना की जायेगी। महिला साक्षारता के आधार सर्वप्रथम ऐसे केन्द्र विकास खण्ड जोगिया, खुनियांव तथा भनवापुर में संचालित किये जायेंगे।

11. चौदह आयुवर्ग हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र–

11–14 आयु वर्ग के बालक / बालिकाओं जो किन्हीं कारणवश औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके उनके लिए अभिवन माडल तैयार कर स्थानीय परिवेश बच्चों के विशिष्ट समूह और उन्हें औपचारिक विद्यालय में जाने की प्रबल संभावनाओं अनुरूप संबंधित प्राप्त सामग्री वितरित की जायेगी। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अर्न्तगत जनपद के बजट में रू0 2 लाख का इन्नोवेटिव फन्ड रखा जायेगा तथा उक्त माडल एवं संबंधित सामग्री विकसित करने में वैकल्पिक शिक्षा विशेषज्ञों, शिक्षा विदो तथा अनुभवी एन0 जी0 ओ0 की सहायता भी ली जायेगी।

सर्वेक्षण एवं आंकड़ों का अद्यावधिकरण–

माइक्रो प्लानिंग आवर टू आवर सर्वे कर परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों का भरा जाना है तथा उसी माध्यम से पढ़ने, न पढ़ने वाले 6–11 तथा 11–14 वर्ग के बच्चों को चिन्हित किया जाना है तदानुरूप कार्ययोजना निर्मित की जायेगी। वर्तमान में जो आंकड़े हैं। उनमें शोधन कर सामयिक आंकड़ों को निरूपित किया जायेगा। यह कार्य प्रति वर्ष मई एवं जून मास में कराया जायेगा। जिसमें प्रति वर्ष लगभग रू0 1 लाख का व्यय आयेगा।

माईक्रो प्लानिंग के अन्तर्गत हाउसहोल्ड सर्वे के माध्यम से 11–14 वय वर्ग के बच्चों के विवरण की व्यवस्था है। जिसमें आवश्यकतानुरूप कार्ययोजना तैयार कर संचालित किया जायेगा। इसमें यह भी जानकारी होती है कि बच्चों द्वारा किसी कक्षा से साला त्याग किया गया है। आवश्यकतानुरूप बच्चों को पुनरक्षित एवं सशोधित कार्ययोजना का निर्माण कर केन्द्रों का संचालन किया जायेगा।

अध्याय–8

ठहराव में बृद्धि हेतु कार्ययोजना–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु अनेक प्रयास किये गये हैं, परन्तु अपेक्षित सफलता अभी तक प्राप्त नही हो पायी है। अब तक किये गये कार्यो से पता चलता है कि बच्चो का नामांकन प्रतिवर्ष कराने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त हो जाती है किन्तु धीरे–धीरे वे बच्चे विद्यालय बीच में ही छोड़ देते है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी) के अन्तर्गत ठहराव में बृद्धि के लिए कई रणनीतियां अपनायी गयीं जैसे–

1. विद्यालयों का पुर्ननिर्माण
2. अतिरिक्त कक्षाकक्षों का निर्माण
3. शौचालयों एवं हैण्डपम्पों की व्यवस्था
4. विद्यालयों का आकर्षक बनान एवं आवश्यक साज–सज्जा उपलब्ध कराना आदि
5. अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण।
6. शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने के लिए शिक्षा मित्रों की तैनाती आदि

उपरोक्त कार्यो को डी.पी.ई.पी योजनान्तर्गत करते हुए ठहराव में बृद्धि के प्रयास किये गये हैं। किन्तु अब भी जनपद में ड्रापआउट का दर 59.1 प्रतिशत है। इसका प्रमुख कारण जनपद की भौगोलिक स्थित के सापेक्ष अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। इसी कारण को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, किन्तु उक्त प्रयास में "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत भी किया जाना है, कारण की जनपद का ड्रापआउट दर इतना अधिक है कि उसे 2003 तक पूर्ण करना सम्भव नही हो पायेगा।

इस परिकल्पना के आधार आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हुए कक्षा शिक्षण, बच्चों के रूचि के अनुसार शिक्षण कार्य, अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था जिससे शिक्षकों की कमी पूरा किया जा सके। विकलांग बच्चों को अन्य बच्चों के साथ शिक्षा देने एवं बच्चों को खेल–कूद सहित अन्य सहगामी क्रियायें उनके दैनिक चर्या में प्राविधानित किये गये है, जिससे ड्रापआउट को कम किया जा सके।

1. *प्राथमिक विद्यालयों का पुर्ननिर्माण :*

वर्ष 2001 सूक्ष्म नियोजन से पता चलता है कि जनपद में 197 प्राथमिक विद्यालय जर्जर है। जिनका पुर्ननिर्माण कराया जाना आवश्यक है। कारण कि विद्यालय जर्जर होने के कारण बच्चे

विद्यालय नही आते तथा ड्राप आउट दर बढ़ता है इस स्थिति के विश्लेषण पर 117 प्राथमिक विद्यालय भवनों का पुर्ननिर्माण डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत प्रस्तावित है शेष 80 का निर्माण कार्य डी.पी. ई.पी में 33 प्रतिशत सीलिंग होने के कारण सम्भव नही है। अतः उसे "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इनके निर्माण की रूपरेखा वही रहेगी जो नवीन प्राथमिक विद्यालयो के निर्माण है। इनका विवरण अध्याय 2 के तालिका 2.14 में वर्णित है। एस.एस.ए. वर्ष 2002–03 में 10 प्राथमिक विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है।

प्राथमिक विद्यालय पुर्ननिर्माण

क्रम संख्या	विकास खण्ड	संख्या
1	सांथा	04
2	खेसरहा	03
3	बांसी	04
4	मिठवल	05
5	डुमरियागंज	08
6	भनवापुर	05
7	इटवा	07
8	खुनियाव	03
9	जोगिया	09
10	उसका	05
11	नौगढ़	05
12	वर्डपुर	06
13	शोहरतगढ़	08
14	बढ़नी	08
	योग	80

2. *पूर्व माध्यमिक विद्यालयो का पुर्ननिर्माण–*

जनपद में वर्तमान में संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में से 34 जर्जर हैं। इसका भी प्रभाव ड्राप आऊट पर व्यापक रूप से पड़ता है। अतः सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन 24 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को नवीन भवन से सुसज्जित करने का निर्णय लिया गया है। इनका निर्माण कार्य भी ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की भाँति ही किया जायेगा।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुर्ननिर्माण

क्रम संख्या	विकास खण्ड	संख्या	अन्य विवरण
1	सांथा	01	सम्भावित स्थापना/निर्माण वर्ष 1968 से 1975 के मध्य
2	खेसरहा	01	
3	बांसी	02	
4	मिठवल	01	
5	डुमरियागंज	03	
6	भनवापुर	01	
7	इटवा	02	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
8	खुनियाव	01	
9	जोगिया	02	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
10	उसका	03	
11	नौगढ़	02	
12	वर्डपुर	02	
13	शोहरतगढ़	01	
14	बढ़नी	02	
	योग	24	

3. *मरम्मत–*

1. विभागीय सर्वेक्षण के माध्यम से तथा डी.पी.ई.पी के ई.एम.आई.एस. डेटा से परिलक्षित होता है कि अब भी 150 प्राथमिक विद्यालयों में लघु मरम्मत तथा 60 प्राथमिक विद्यालयों में बृहद मरम्मत की आवश्यकता है डी.पी.ई.पी. में निर्माण कार्यो की सीलिंग पूर्ण हो जाने से इनकी मरम्मत हेतु धनराशि का प्राविधान "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत किया गया है।
2. विभागीय सर्वेक्षण से यह भी ज्ञात हुआ है कि 27 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में लघु मरम्मत तथा 15 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बृहद मरम्मत की आवश्यकता है। इनके मरम्मत हेतु आवश्यक धनराशि का प्रविधान "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत किया गया है।

मरम्मत कार्य की प्रक्रिया–

1. प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के मरम्तमत कार्यो हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर लघु मरम्मत कार्यो हेतु ग्राम शिक्षा समिति स्वंय तथा ग्राम पंचायतों के अच्छे राजगीर को समिति में सम्मिलित करके आवश्यक मरम्मत कराये जाने वाले कार्यो का विवरण व प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर कार्य देखने वाले सहायक अभियन्ता के सहयोग से उक्त का परीक्षण करने के उपरन्त रूपया 20000.00 तक की स्वीकृत प्रदान करेंगे।
2. बृहद मरम्मत कार्यो हेतु ग्राम शिक्षा समिति विकास खण्ड के अवर अभियान्ता अथवा अन्य पंजीकृत अवर अभियन्ताओं के द्वारा बृहद मरम्मतत योग्य कार्यो का पूर्ण विवरण सहित आंकलन सहित प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रस्ताव जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति के अनुमोदन पर अधिकतम् रू0 70000.00 की स्वीकृत का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति को होगा।

जनपद में प्राथमिक विद्यालय तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण तथा लघु एवं बृहद मरम्मत कार्यो का वर्षवार विवरण निम्नवत् है–

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय			पूर्व माध्यमिक विद्यालय		
	पुर्ननिर्माण की संख्या	लघु मरम्मत की संख्या	बृहद मरम्मत की संख्या	पुर्ननिर्माण की संख्या	लघु मरम्मत की संख्या	बृहद मरम्मत की संख्या
2001–02	–	–	–	–	–	–
2002–03	–	–	–	–	–	–
2003–04	10	100	30	10	20	10
2004–05	70	50	30	14	7	5
योग	80	150	60	24	27	15

4. *अतिरिक्त कक्षा कक्ष–*

जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में 3018 कक्ष उपलब्ध है। विद्यालयों में छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कक्ष की उपलब्धता न होने पर खुले आसमान में शिक्षण कार्य करना पड़ता है। जिससे बरसात, गर्मी आदि मौसम में प्रायः पठन–पाठन सुचारू रूप से नही हो पाता जिसका व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है तथा बच्चे ड्राप आउट होते है। इस स्थिति में सुधार लोने हेतु 40 छात्रों पर एक कमरा का निर्धारण करते हुए बच्चों को बैठने एवं शिक्षण कार्य की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है । कक्षा कक्षों का आंकलन तालिका 8.2 में वर्णित है।

तालिका संख्या–8.2

वर्ष	परिषदीय विद्यालयों में नामांकन	40:1 की दर से कक्ष की आवश्यकता	उपलब्ध कक्षों की संख्या	आवश्यक कक्षा कक्षों की संख्या @ 3 कमरे	एस.एस.ए. में निर्माण अतिरिक्त कक्षाकक्ष
2001–02	192287	4807	3018	1789	–
2002–03	202150	5054	5007	47	
2003–04	238486	5962	5140	822	
2004–05	292245	6231	5962	269	366
2005–06	254230	6356	6231	125	194
2006–07	259314	6483	6356	127	194

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़े प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़े प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

विद्यालय नही आते तथा ड्राप आउट दर बढ़ता है इस स्थिति के विश्लेषण पर 117 प्राथमिक विद्यालय भवनों का पुर्ननिर्माण डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत प्रस्तावित है शेष 80 का निर्माण कार्य डी.पी. ई.पी में 33 प्रतिशत सीलिंग होने के कारण सम्भव नही है। अतः उसे "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इनके निर्माण की रूपरेखा वही रहेगी जो नवीन प्राथमिक विद्यालयो के निर्माण है। इनका विवरण अध्याय 2 के तालिका 2.14 में वर्णित है। एस.एस.ए. वर्ष 2002–03 में 10 प्राथमिक विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है।

प्राथमिक विद्यालय पुर्ननिर्माण

क्रम संख्या	विकास खण्ड	संख्या
1	सांथा	04
2	खेसरहा	03
3	बांसी	04
4	मिठवल	05
5	डुमरियागंज	08
6	भनवापुर	05
7	इटवा	07
8	खुनियाव	03
9	जोगिया	09
10	उसका	05
11	नौगढ़	05
12	वर्डपुर	06
13	शोहरतगढ़	08
14	बढ़नी	08
	योग	80

2. *पूर्व माध्यमिक विद्यालयो का पुर्ननिर्माण–*

जनपद में वर्तमान में संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में से 34 जर्जर हैं। इसका भी प्रभाव ड्राप आऊट पर व्यापक रूप से पड़ता है। अतः सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन 24 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को नवीन भवन से सुसज्जित करने का निर्णय लिया गया है। इनका निर्माण कार्य भी ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से नवीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की भाँति ही किया जायेगा।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुर्ननिर्माण

क्रम संख्या	विकास खण्ड	संख्या	अन्य विवरण
1	सांथा	01	सम्भावित स्थापना/निर्माण वर्ष 1968 से 1975 के मध्य
2	खेसरहा	01	
3	बांसी	02	
4	मिठवल	01	
5	डुमरियागंज	03	
6	भनवापुर	01	
7	इटवा	02	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
8	खुनियाव	01	
9	जोगिया	02	बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
10	उसका	03	
11	नौगढ़	02	
12	वर्डपुर	02	
13	शोहरतगढ़	01	
14	बढ़नी	02	
	योग	24	

3. *मरम्मत–*

1. विभागीय सर्वेक्षण के माध्यम से तथा डी.पी.ई.पी के ई.एम.आई.एस. डेटा से परिलक्षित होता है कि अब भी 150 प्राथमिक विद्यालयों में लघु मरम्मत तथा 60 प्राथमिक विद्यालयों में बृहद मरम्मत की आवश्यकता हैं डी.पी.ई.पी. में निर्माण कार्यो की सीलिंग पूर्ण हो जाने से इनकी मरम्मत हेतु धनराशि का प्राविधान "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत किया गया है।
2. विभागीय सर्वेक्षण से यह भी ज्ञात हुआ है कि 27 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में लघु मरम्मत तथा 15 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बृहद मरम्मत की आवश्यकता है। इनके मरम्मत हेतु आवश्यक धनराशि का प्रविधान "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत किया गया है।

मरम्मत कार्य की प्रक्रिया–

1. प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के मरम्तमत कार्यो हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर लघु मरम्मत कार्यो हेतु ग्राम शिक्षा समिति स्वंय तथा ग्राम पंचायतों के अच्छे राजगीर को समिति में सम्मिलित करके आवश्यक मरम्मत कराये जाने वाले कार्यो का विवरण व प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर कार्य देखने वाले सहायक अभियन्ता के सहयोग से उक्त का परीक्षण करने के उपरन्त रूपया 20000.00 तक की स्वीकृत प्रदान करेंगे।
2. बृहद मरम्मत कार्यो हेतु ग्राम शिक्षा समिति विकास खण्ड के अवर अभियान्ता अथवा अन्य पंजीकृत अवर अभियन्ताओं के द्वारा बृहद मरम्मतत योग्य कार्यो का पूर्ण विवरण सहित आंकलन सहित प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रस्ताव जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति के अनुमोदन पर अधिकतम् रू0 70000.00 की स्वीकृत का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति को होगा।

जनपद में प्राथमिक विद्यालय तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के पुर्ननिर्माण तथा लघु एवं बृहद मरम्मत कार्यो का वर्षवार विवरण निम्नवत् है–

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय			पूर्व माध्यमिक विद्यालय		
	पुर्ननिर्माण की संख्या	लघु मरम्मत की संख्या	बृहद मरम्मत की संख्या	पुर्ननिर्माण की संख्या	लघु मरम्मत की संख्या	बृहद मरम्मत की संख्या
2001–02	–	–	–	–	–	–
2002–03	–	–	–	–	–	–
2003–04	10	100	30	10	20	10
2004–05	70	50	30	14	7	5
योग	80	150	60	24	27	15

4. *अतिरिक्त कक्षा कक्ष–*

जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में 3018 कक्ष उपलब्ध है। विद्यालयों में छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कक्ष की उपलब्धता न होने पर खुले आसमान में शिक्षण कार्य करना पड़ता है। जिससे बरसात, गर्मी आदि मौसम में प्रायः पठन–पाठन सुचारू रूप से नही हो पाता जिसका व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है तथा बच्चे ड्राप आउट होते है। इस स्थिति में सुधार लोने हेतु 40 छात्रों पर एक कमरा का निर्धारण करते हुए बच्चों को बैठने एवं शिक्षण कार्य की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है । कक्षा कक्षों का आंकलन तालिका 8.2 में वर्णित है।

तालिका संख्या–8.2

वर्ष	परिषदीय विद्यालयों में नामांकन	40:1 की दर से कक्ष की आवश्यकता	उपलब्ध कक्षों की संख्या	आवश्यक कक्षा कक्षों की संख्या @ 3 कमरे	एस.एस.ए. में निर्माण अतिरिक्त कक्षाकक्ष
2001–02	192287	4807	3018	1789	–
2002–03	202150	5054	5007	47	
2003–04	238486	5962	5140	822	
2004–05	292245	6231	5962	269	366
2005–06	254230	6356	6231	125	194
2006–07	259314	6483	6356	127	194

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़े प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

754 कक्षों का निर्माण "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत प्रस्तावित किये गये है। चतुर्थ वर्ष के लक्ष्य में 366 कक्षों का निर्माण तथा पंचम, षष्टम वर्ष में क्रमशः 194, 194 कक्षों का निर्माण कराया जायेगा । यह निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराया जायेगा।

2. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रति शिक्षक एक कमरा उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है जिसका आंकलन तालिका संख्या 8.3 में वर्णित है–

वर्ष	पूर्व माध्यमिक विद्यालय की संख्या			प्रतिपूर्व मा.विद्यालय 5 की दर से आवश्यक कक्ष	उपलब्ध कक्ष	आवश्यकता
	संचालित	नवीन प्रस्तावित	योग			
2001–02	159	–	159	795	513	123
2002–03	185	20	205	1025	573	452
2003–04	205	200	405	2025	1301	724
2004–05	405	–	405	2025	1301	724

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 724 अतिरिक्त कक्षों की अवश्यकता होगी जिसे वर्षानुसार आंकलन की दर उपरोक्त तालिका के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से बनवाया जायेगा।

5. शौचालयों का निर्माण–

सूक्ष्म नियोजन तथा विभागीय सर्वे से ज्ञात होताहै कि प्राथमिक विद्यालयों में 250 शौचालयो तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 84 शौचालयों की आवश्यकता है। प्राथमिक विद्यालयों में 250 शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत 84 शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसे परियोजना के अन्तर्गत निम्नवत् तालिकानुसार बनवाया जायेगा।

तालिका संख्या–8.4

वर्ष	आवश्यक शौचालय		कार्यदायी संस्था
	प्राथमिक स्तर	पू.मा.वि. स्तर	
2002–03	–	30	ग्राम शिक्षा समिति
2003–04	100	40	"
2004–05	150	14	"
2005-06	100	–	"
2006-07			

6. पेय जल व्यवस्था–

शूक्ष्म नियोजन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि समस्त प्राथमिक विद्यालय हैण्ड पम्प से आच्छादित हैं, तथा 27 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में हैण्ड पम्प की आवश्यकता है। जिसे बेसिक शिक्षा से यू0 पी0 एग्रो को प्राप्त स्वीकृतियों से वर्ष 2003–04 में लगाया जाना प्रस्तावित है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हैण्ड पम्प की मांग नही की गयी है।

7. विद्यालयों को रख–रखाव हेतु सुविधाएं–

विद्यालयों के रखरखाव एवं विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समिति के सुझावों पर छोटे–मोटे कार्य सम्पन्न करते हुए रू0 5000 की दर से प्रत्येक प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्राविधान किया गया है।

तालिका संख्या – 8.5

वर्ष	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	योग/एस.एस.ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित
2001–02	1222	159	1381
2002–03	1243	185	1428
2003–04	1250	205	1455
2004–05	1328	405	1733
2005–06	1328	405	1733
2006–07	1328	405	1733

प्राथमिक विद्यालयों को वर्ष 2003–04 से तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को वर्ष 2001–02 से ही दिए जाने का प्राविधान किया गया है।

8. *अतिरिक्त शिक्षकों/ शिक्षा मित्रों की व्यवस्था–*

(अ) प्राथमिक विद्यालय–

प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या को दृश्टिगत रखते हुए 40 छात्रो पर एक शिक्षक की व्यवस्था किये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों के सापेक्ष अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पर आंलन तालिका संख्या 8.7 में वर्णित है। जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अध्यापकों की कमी है। अतः स्वीकृत पदों के उपरान्त अतिरिक्त शिक्षकों की मांग के आधार पर आवश्यक शिक्षकों की मांग अभियान में की गयी है।

(ब) पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता–

जनपद में संचालित प्रत्येक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों पर कम से कम 5 शिक्षक के रखे जाने का प्राविधान किया गया है। इस व्यवस्था को निम्नांकित विवरण के अनुसार पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है–

तालिका संख्या – 8.6

वर्ष	परिषदीय विद्यालयों की सं.	नवीन विद्यालय प्रस्तावित	कुल विद्यालयों की सं.	1:3 शिक्षक की आवश्यकता	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	आवश्यक शिक्षकों का आंकलन		
							नवीन विद्यालय के शिक्षको से पूर्ति	आवश्यक	क्रमागत योग
2001–02	159	–	159	477	721	–	–	–	–
2002–03	185	20	205	615	721	–	60	–	–
2003–04	205	200	405	1215	781	434	600	–	–
2004–05	405	0	405	1215	1381	–	–	–	–
2005–06	405	0	405	1215	1381	–	–	–	–
2006–07	405	0	405	1215	1381	–	–	–	–

9. *विद्यालय विकास अनुदान–*

जनपद के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों सहित जनपद के समस्त राजकीय एवं अर्धशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर कक्षाओं वाले विद्यालयों को प्रत्येक वर्ष विद्यालयों को आकर्षक एवं आवश्यक संसाधनों की प्रतिपूर्ति हेतु रूपया 2000 की दर विद्यालय विकास अनुदान का दिया जाना प्रस्तावित जिसका विवरण निम्नलिखित है–

विद्यालय अनुदान :

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय सं0		पू.मा.वि. संख्या		योग
	परिषदीय	सहायता प्राप्त	परिषदीय / शासकीय	सहायता प्राप्त	
2003–04	1275	–	305	–	1580
2004–05	1328	–	408	58	1794
2005–06	1328	–	408	58	1794
2006–07	1328	–	408	58	1794

10. नवाचार कार्यक्रम–

विद्यालयों में ठहराव को बनाए रखने हेतु समय–समय पर स्वयं सेवी संगठनों एवं शिक्षा के क्षेत्रों में कार्य कर रही अन्य शैक्षिक संस्थाओं, योजनाओं के अनुभवों को "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत समाहित किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त के साथ ही बालिका शिक्षा के प्रति जन मानस में प्रेरणा जागृत करने हेतु भी इन संस्थाओं का सहयोग लिया जाना प्रस्तावित है। जनपद में बालिका शिक्षा का दर एवं महिला साक्षरता का दर सबसे न्यूनतम् वाले विकास खण्डों जिनका विवरण निम्नांकित है, के लिए इन संगठनों से कार्य किये जायेंगे।

1. खुनियांव	16.96 प्रतिशत	8. खेसरहा	21.3 प्रतिशत
2. जोगिया	17.18 प्रतिशत	9. वर्डपुर	23.62 प्रतिशत
3. बाँसी	17.25 प्रतिशत	10. इटवा	23.68 प्रतिशत
4. भनवापुर	18.21 प्रतिशत	11. मिठवल	24.75 प्रतिशत
5. बढ़नी	19.36 प्रतिशत	12. नौगढ़	24.84 प्रतिशत
6. शोहरतगढ़	20.02 प्रतिशत	13. डुमरियागंज	29.53 प्रतिशत
7. उस्का	30.3 प्रतिशत	14. साथा	42.73 प्रतिशत

बालिका शिक्षा

वर्ष 2001 की जनगणना के राष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 75 85 तथा 54.16 कुल 63.38 हैं। उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता दर 57.36 है। पुरूषों और महिलाओं का साक्षरता दर क्रमशः 70.23 तथा 42.98 है। जनपद सिद्धार्थनगर का साक्षरता दर 43. 97 है। पुरूषों एवं महिलाओं का साक्षरता दर क्रमशः 58.68 तथा 28.35 है।

विभिन्न पुचावर्षीय योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा पर की महत्तवपूर्ण स्थान दिया गया है। बालिका शिक्षा विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये गये और अभी भी चल रहा हैं बालिकाओं के शतिप्रतिशत नामांकन हेतु निम्नलिखित रणनिति प्रस्तावित है।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनिति शाला त्यागी बालिकाओं का कोहार्ड स्टडी–

N.P.R.C समन्वयक के माध्यम से जिन विद्यालयों में बालिकाओं का शाला त्याग दर अधिक है। उस विद्यालय से पिछले पांच वर्ष का रजिस्टर निकालवाकर शाला त्याग ने वाले बच्चों की सूची बनायी जायेगी ऐसे बच्चों को ग्रीष्म कालीन शिविर में प्रशिक्षित करके उनको विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

ग्रीष्म कालीन शिविर ब्रिजकोर्स–

शाला त्याग सर्वेक्षण के आधार पर यह विश्लेषित करना कि कौन से ऐसे ग्राम /ग्राम पंचायत है। जहाँ पर 40 बालिकाएं शाला त्यागी के यप में चिहिन्त की जायेगी एसमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चला कर उन्हे पुनः विद्वालय में प्रवेश दिलाया जायेगा। प्रति शैक्षिक शत्र के

पूर्व ग्रीष्म कालीन शिविर प्रति विकास क्षेत्र के अनुसार 140 शिविर आयोजित किये जाने का लख्य है। जिनका वर्षवार विवरण निम्न है–

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
शिविरों की संख्या	–	70	40	30	30	10

कला जत्था अभियान–बेटी हो स्कूल में –

सामुदायिक सह भागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक शशक्त माहध्यम है। विद्यालय में बालिकाओं का ठहराव बना कर रहें इसके लिए समुदाय में कला जत्था के माध्यमसे जागरूपकता पैदा करना आवश्यक है। उन्हें प्रशिक्षित करके गांव–गांव में नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुतियां की जायेग, यह अभियान ऐसे गांव में चलाया जायेगा जहो पर मलिला साक्षरता दर कम है। तथा बालिका शाला त्याग अधिक है।

समूहों का गठन–

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं विद्याालय में हेतु समूहों का गठन आवश्यक है।

माता शिक्षक संघ (M. T.A.)–

जिन गांवों में विद्यालय है। उस गांव की सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के संघ का निमार्ण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्वों के प्रति जागरूक बनानें का कार्य तथा बालिका शिक्षा को बढ़वा देनें तथा लिंग संवेदनशीलता के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा । यह माता–शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का काय्र एवं गांव के बच्चों का शतप्रतिशत नामांकन हेतु कार्य करेगा। प्रति माह में दो बार निर्धारित समय पर बैठकें भी करायी जायेगी।

महिला प्रेरक संघ–

प्रत्येक उस गांव के महिला प्ररक संघ का गठन किया जायेगा जो जिस गाँव/मजरे की दूरी विद्यालय से कुछ दूरी पर होगा इस समूह को जेझडर शिक्षा आदि पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।जिससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले। उक्त संघ सथानिय सतर पर विद्यालय वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र , ई0सी0सी0 ई0 केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग केन्द्रों आदि पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेगे।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकनः–

विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों की उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक गांव सतर पर निकाली जायेगी। जिसमें स्कूल के बच्चें, अध्यापक व अभिभावक एवं समुदाय के लिए शामिल होगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान अभिभावक की काउसिंलिंग तथा उन बच्चों के घेरें के बाहर थोड़ी देर तक खडे होकर नारे लगा कर बच्चों को विद्यालय आने हेतु दबाव बनाया जायेगा।

तारांकन हेतु :–

- विद्यालय में बच्चों के प्रति अभिभावको एवं बच्चों को सचेत करने के लिए हरा, पीला, लाल, निशन प्रतिमाह उनको उपस्थित के आधार पर दिया जायेगा । अभिभवकों को चचेत करने हेतु उनके घरों पर एवं बच्चों को सचेत करने हेतु विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में चार्ट पेपर पर बच्चों का नाम लिख कर उनके सामने स्टार दिया जायेगा ।साथ ही उन बच्चों की इस रंग के फीते उनकी शर्ट की जेब पर लगाया जायेगा। उपस्थिति के आधार प निम्नलिखित तारांकन किया जायेगा ।
- हरा निशन–माह में 15 दिन सोया या उससे अधिक उपस्थिति पर।
- पीला निशन– माह में 15 दिन से या 6 दिन तक उपस्थिति पर।
- लाल निशान–माह में 6 दिन या कम उपस्थिति पर।

जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षणः–

बालिकाओं शिक्षा के प्रति समुदायिक, शिक्षकों का नजरिया बदलने के लिए जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम बच्चों के बीच में विद्यालय छोड़ने के कारणें उनके निराकरण एवं सामान्य व्यवहार पर चर्चा/ सभी बच्चों के प्रति सामान्य व्यवहार पर चर्चा/ अभ्यास कर उनका संवेदी करण किया जायेगा।

प्रत्येक ग्राम शिक्षा समितियों का बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन काग्रक्रम के अर्न्तगत संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जायेगे।

माँ–बेटी मेला का आयोजनः–

गांव स्तर पर मां– बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा । जिसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करके उनके द्वारा उनकी बेटियों को विद्यालय में नामांकित करना तथा ठहराव सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक ब्लाक में प्रति वर्ष न्याय पंचायत सतर पर मेले का आयोजन किया जायेगा । इस मेले का आयेजन उस ब्लाक में किया जायेगा जहां पर महिला साक्षरता दर कम है। और शाला त्याग अधिक है। प्रति वर्ष 72 मेले का आरयेजित होगा।

महिला संसद–

गांव सतर पर बालिका शिक्षा के प्रति महिलाओं का संवेदीकरण किया जायेगा। महिला संसद, संसद की तरह कार्य करेगी। जिसमें उनके द्वारा क्षेत्रीय समस्याये शिक्षा समबंधी उठाये जायेगे। विशेष कर बालिका शिक्षा के मार्ग के आने वाली बाधाओं को दूर कैसे किया जाय । समस्या एवं क्रियान्वयन भी किये जायेगें।

मीना कैम्पेन का आयोजन –

जिस गांव के महिला साक्षरता दर कम है। शाला त्याग अधिक है। उन गांवों का माइक्रोप्लानिंग के आधार पर चयन करके समुदाय के साथ शैक्षिक गोष्ठीयों का आयेजन किये जायेगें। साथ ही मीना फिल्म दिखा कर बालिका शिक्ष के महत्व पर प्रकाश डाला जायेगा । एंव समुदाय से उक्त दिखाये गये फिल्म पर चर्चा किये जायेगे।

ग्राम शिक्षा समितियों की न्याय पंचायत स्तरीयः–

कार्यशालाये :– प्रत्येक न्याय पंचायत पर के समस्त V.E.C. को कार्यशाला का आयोजन किये जायेगें, जिससे माइक्रो प्लानिंग से प्राप्त आकड़ो को उनके सम्मुख प्रस्तुत कर शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं पर चर्चा किये जायेगें। जनपद में माडल कलस्टर के 20 न्याय पंचायतो में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये जिसमें मुद्दे निकल कर आये।

- विद्यालय में अध्यापक की कमी।
- विद्यालय गाँव से दूर होना।
- महिला अध्यापिका अभाव।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है।** **पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का** गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियाजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एव एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

- अध्यापको के पास शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य।
- विद्यालय में नाले आदि के कारण आवागमन की समस्या।
- बाढ़ के समय में विद्यालय में जल जमाव।
- बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिरूची।
- अभिभावकों की अशिक्षा, गरीबी आदि।
- पू0 मा0 वि0 बहुत दूर होने के कारण।

कुछ मुद्‌दों का समाधान समुदाय के सहयोग से किया गया कुछ मुद्‌दों का समाधान परियोजना से की गयी।

- समुदाय/V,E.C. द्वारा नवीन विद्यालय हेतु भूमि।
- V.E.C. द्वारा नालों पर पुलिया।
- पू0 मा0 वि0 की मांग।
- परियोजना द्वारा शिक्षा मित्रों का चयन।
- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।
- मीना कम्पेन, गोष्ठी, प्रभात फेरी, बैठके आदि।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तग शेष N.P.R.C. में N.P.R.C. स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों के कार्यशाला की आवष्यकता है। यह कार्यशाला प्रतिवर्ष 160 N.P.R.C. पर आयोजित होगें।

पी0 आर0 ए0/पी0एल0ए0 विधिः–

इस विधि के माध्यम से कम महिला साक्षरता दर एवं अधिक शाला त्याग वाले विकास क्षेत्र के न्याय पंचायतों में सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा। प्राप्त आकडो के आधार पर विशेष क्षेत्र में नामांकन अभियान एवं लक्ष्य समूह का बालिकाओं का नामांकन, वे नियमित रूप से विद्वालय आयें, शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि हो। इस विधि में स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं, ग्राम शिक्षा समिति, उत्साही नव युवकों युवतियों महिला प्रेरक समूहों का घर–घर जाकर बच्चों के चिन्हांकन में सहयोग प्राप्त किये जायेंगे।

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरणः–

जनपद–सिद्धार्थनगर के तीन विकास क्षेत्र में आई0 सी0 डी0 एस0 परियोजना के अर्न्तगत आंगनवाड़ी केन्द्रो का संचालित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में जहां बड़े बच्चे छोटे बच्चों की देख भाल हेतु घर में रूक जाते है। उन्हें प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रो का संचालन ई0 सी0 सी0 ई0 के रूप में प्राथमिक विद्यालय में चलाये जाने लगे। जिसकी स्वीकृति उ0 प्र0 सरकार के सहयोग से आई0सी0डी0एस0 दी गयी।

3–6 वय वर्ग के बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए शिक्षा दी जाती हैं। इसके प्रमुख उद्‌देश्य इस प्रकार है–

- छोटे भाई–बहनों की देख–रेख में लगी बालिकाओं को मुक्ति का विद्यालय तक लाना एवं ठहराव सुनिश्चित कराना।
- 3–6 वय वर्ग के प्रथम पीढ़ी के बच्चों को स्कूल पूर्व तैय़ार विषयक गतिविधियां उपलब्ध कराना।
- उचित पोषण आहार एवं स्वाथ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के समान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देख–रेख के लिए माताओ को योग्य बनाना।

ई.सी.सी.ई. केन्द्र जनपद के तीन विकास क्षेत्र के कुल 150 क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार संचालित किया जा रहा है। यह जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाया जा रहा है। 98–99, 99–2000 मे केवल 3 विकास क्षेत्र–वर्डपुर, नौगढ़ एवं डुमरियागंज में ही आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम संचालित किये जा रहे थे।

परन्तु वर्तमान समय में जनपद के सभी विकास खण्डों में संचालित किये जा रहे हैं अतएव आवश्यकतानुसार निम्नलिखित विकास खण्डों में जिन्हे ई.सी0सी0ई./ आई.सी.डी.एस. को आवश्यकतानुसार चिन्हित किया गया । उनके लिए ई.सी.सी.ई कन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

इस प्रस्तावित केन्द्रों के लिए आवश्यक सामग्री यथा खिलौने, रोचक चित्र युक्त पुस्तके, स्लेट, पेंसिल आलमारी, दरी इत्यादि की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है। ई.सी.सी.ई कार्यकत्रियों को शिक्षण सहायक सामग्री मद में अनुदान, अतिरिक्त मानदेय, कान्टीनजेन्सी तथा कररिंग अनुदान की व्यवस्था प्रस्तावित है सभी कार्यकत्रियों को सेवापूर्ण प्रशिक्षण दिया जायेगा।

माडल कलेस्टर डवलेपमेन्ट एप्रोच–

प्रत्येक विकास क्षेत्र के जहां पर महिला साक्षरता दर कम है एवं शाला त्याग अधिक है एसे न्यायपंचायत का माइक्रोप्लसनिग के आधार पर चयन किया जायेगा। कलस्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

- पी.आर.सी. / पी.एल.ए.के माध्यम से सूक्ष्म नियोजन
- 6–14 वय वर्ग के समस्त बालिकाओं / बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन ।
- समुदाय को बालिाक शिक्षा के प्रति जागरूक करना।
- मीना कम्पेन
- कला जत्था द्वारा बालिका शिक्षा के प्रति समुदाय को जागरूक करना।
- ग्रीष्म कालीन शिविर
- किशोरी संघों की स्थापना / प्रशिक्षण।
- एम.टी.ए. / पी.टी.ए. का गठन / प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर वी.ई.एस. कार्यशाला जिला शिक्षा परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 एन.पी.आर.सी. को माडल कलस्टर के रूप मे चयनित कर कार्य किया जा रहा है। जिसमें उपर्युक्त के सहयोग से विशेष सफलता मिली है। इनका वर्षवार विवरण निम्न है–

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
न्यायपंचायतों की संख्या	–	5	5	5	5	0

किशोरी केन्द्र –

जो किशोरिया प्राथमिक शिक्षा के पष्चात विद्यालय छोड़ देती हैं उनकी सामाजिक, मानसिक, विकास हेतु गांव संघ की महिलाओं तथा किशोरी से विचार करके आवश्यकतानुसारं स्थानीय महिला को ही अध्यापिका बनाकर केन्द्रों का संचालन कराया जायेगा। इन किशोरी केन्द्रों का उद्देश्य उच्च प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों को बढ़वा देना होगा।

बालिका शिक्षण केन्द्रों का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम–

बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने तथा उनका ठहराव बनाए जाने हेतु ज्यादा से ज्यादा संख्या में नामांकन हेतु केन्द्रों को शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम भी रखा जायेगा। इन्हे व अन्य ऐसे संगठन जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार प्रयोग कर रहे हैं उक्त समूहों का शैक्षिक भ्रमण कराके उन्हे वर्ष में दो शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम रखे जायेंगे।

किशोरियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण–

जो किशोरी केन्द्रों पर शिक्षा ग्रहण कर रही है उसमें कुछ बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु अन्य विभागों से कनवरसेसन कर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। उक्त कनवर्जन्स दो विभाग – डी.आर.डी.ए. एवं उद्योग विभाग से किया जायेगा। उक्त व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसे चाक बनाना, पत्तल बनाना, सिलाई – कढ़ाई, मोमबत्ती, अगरबत्ती आदि बनाने के प्रशिक्षण दिये जायेंगे एवं संघ द्वारा उत्पादन कर व्यवसाय हेतु सामग्री तैयार की जायेगी। उक्त कार्य सामूहिक रुप से होगा। उक्त प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षक की व्यवस्था की जाय जो कुशल प्रशिक्षण दे सके।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बालिकाओं के लिए अन्य कार्यक्रम– (SUPW)

बालिकाओं को करके सीखने की शिक्षण बिधि के आधार पर प्रत्येक पूर्व मा० वि० में कार्यानुभव शिक्षा को बढावा दिया जायेगा। जिसके अन्तर्गत परम्परागत ट्रेड तथा गैर परम्परागत ट्रेड का चयन कर उन्हें आधुनिक तकनीकी से जोड़कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। उक्त तकनीकी प्रशिक्षण जेसे–रंगाई, सिलाई–कढ़ाई, चाका बनाना, डलिया बनाना, बुनाई, खिलौने बनाना, इत्यादि के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। इनका वर्षवार लक्ष्य निम्नवत् है–

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सं.	–	185	205	405	0	0

छात्र अधिगम का मूल्यांकन–

छात्रों के मूल्यांकन का अभिलेख करने हेतु प्रत्येक छात्र के लिए छात्र प्रगति कार्ड की व्यवस्था की जायेगी। इससे छात्रों की प्रगति से अभिभावक अवगत हो सकेंगे। अभिभावक की विद्यालय के प्रति सहभागिता बढ़ेगी साथ ही वह अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति सोचेंगे। बच्चों में स्वप्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी।

क्रियात्मक शोध–

शिक्षकों द्वारा क्रियात्मक शोध किया जाना अति आवश्यक है। जिसासे विद्यालयी समस्या का समाधान हो सके। अध्यापक स्वयं अपनी समस्याओं की पहचान कर तदनुसार उनके समाधान हेतु प्रयास करेंगे। इस शोध से जहां अध्यापकों की क्षमता का विकास होगा वही दूसरी ओर विद्वालयी शिक्ष में गुणात्मक सुधार भी होंगे।

सत्र के मध्य एवं सत्रांत समारोह–

शिक्षा सत्र के मध्य में एवं सत्र के अन्तिम में अभिभावकों की बैठक करेंगे , बच्चों की प्रगति जिसमें बच्चे की उपस्थित तथा उससे प्रभवित होने वाले उनकी उपलब्धि स्तर दोनों को विषय में उन्हे अवगत करायेंगे। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक गतिविधि अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। सत्रांत समारोह मे नियमित आने वाले बच्चे को एवं अभिभावक को प्रोत्साहित कर सम्मानित करेंगे। अगले सत्र के लिए बच्चों का नामांकन भी सुनिशत कराया जायेगा।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तों का वितरण–

पाठ्य पुस्तोंकों के वितरण हेतु नामांकन व बृद्धि दर को दृष्टिगत रखते हुए छोत्रों के नामांकन का आंकलन किया गया है।

वर्ष	प्रा0वि0 का अनुमानित नामांकन		पूर्व माध्यमिक विद्यालय का अनुमानित नामांकन	
	परिषदीय नामंकन	अनु.जनजाति+ बालिकाओं का नामांकन	परिषदीय नामांकन	अनु.जनजाति+ बालिकाओं का नामांकन
2001–02	192287	0	28146	18855

2002—03	197800	0	30295	20295
2003—04	241822	161996	66890	44810
2004—05	255256	170996	72666	48678
2005—06	262432	175803	74120	49653
2006—07	269807	180744	75602	50646

उपर्युत विवरण के अनुसार प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयो में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसचित जाति बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तों का वितरण किया जाना प्रस्तावित हैं।

समेकित शिक्षा

सभी के लिए शिक्षा का आशय है, सभी बच्चों को शिक्षा मे ऐसे में बच्चों का एक वर्ग बचता है जो आजतक शिक्षा के क्षेत्र में उपेक्षित रहे हैं ये बच्चे हें अक्षम बच्चे। जो किसीन किसी अक्षमता , दृष्टि सम्बन्धी, श्रवण सम्बन्धी, अस्थि सम्बन्धी एवं मानसिक अक्षमता से ग्रस्त है, देखा जाय तो ऐस बच्चों में यदि अक्षमता है तो अनेक क्षमताएं भी हैं, देखा गया है कि शारीरिक रूप से अक्ष्म बच्चे मानसिक रूप से अधिक जागरूक एवं क्रियाशील होते है। इसलिए अभिभावक का समाज का एवं साथ ही साथ सभी का यह दायित्व है कि वे अक्षम बच्चों में लिहित क्षमताओं को पहचान कर उन्हे विकसित करने के लिए उत्साहित करके शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाय।

समेकित शिक्षा की अवधारणा को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, जिस योजना के अन्तर्गत अक्षम बच्चों को उनके परिवार से जोड़ते हुए स्थानीय विद्यालय में सामान्य छात्रों के साथ, सामान्य अध्यापकों द्वारा शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया जिससे अक्षम बच्चों का विकास अपने परिजन तथा समाज में रहते हुए समाज के अनुरूप उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके।

अक्षम बच्चा हमी आप में से किसी का भी हो सकता है, इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग विशेष तथा अध्यापकों के लिए यह सोचने का विषय है कि ये भी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, ये भी समाज और देश के विकास कार्यो में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सिर्फ सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। इन्हें उचित वातावरण और भावनात्मक समर्थन के साथ–साथ शिक्षण प्रशिक्षण की भी जरूरत है।

उद्देश्य –

समेकित शिक्षा का उद्देश्य यह है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली शुरू की जाय जिससे समाज एवं सरकार पर आर्थिक बोझ कम पड़े।

समेकित शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने परिवार में रहकर स्थानीय विद्यालय में सामान्य शिक्षकों के द्वारा अध्ययन करता है। अध्ययन के साथ–साथ पारिवारिक व्यवसाय की जानकारी मिलती रहती है । इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हैं–

समाज द्वारा अन्य सामान्य लोगों की भाँति इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को स्वीकृति दिलाना और उन्हें शिक्षा तथा रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना।

सामान्य बच्चों तथा अक्षमताग्रस्त बच्चों के बीच स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध विकसित करना जिससे इन बच्चों के प्रति भेदभाव मूलक दृष्टिकोण को बदलकर अनुकूल तथा सकारात्मक बनाया जा सके ।

उन्हें स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया है।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार –

1. दृष्टि अक्षमता
2. श्रवण अक्षमता
3. अस्थि अक्षमता
4. मानसिक अक्षमता
5. अधिगम अक्षमता

सत्र 2001–2002 में 0–14 वय वर्ग के अक्षमता ग्रस्त बच्चों की संख्या 3370 हैं जिसमें बालक 2614 तथा बालिकायें 1274 हैं। परन्तु इसका चिन्हांकन सही तरीके से नहीं हो पाया है और न ही और न ही 18 वय वर्ग तक के बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है।

क्र0 सं0	अक्षमता के प्रकार	बालक	बालिका	योग
1.	दृष्टि अक्षमता	278	151	429
2.	श्रवण अक्षमता	229	98	327
3.	अस्थि अक्षमता	649	430	1079
4.	मानसिक अक्षमता	199	135	334
5.	अधिगम अक्षमता	200	110	310
6.	बोलना	241	157	398
7.	अन्य	331	162	493

डी0 पी0 ई0 पी0 के द्वारा जनपद में कुल 460 बच्चों का मेडिकल एसेसमेन्ट कैम्प कराके इसमें 365 बच्चों को विकलांग प्रमाण पत्र दिया गया।

आवश्यक उपकरण के लिए चिन्हित किये गये बच्चों की सूची–

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ट्राई साईकिल	व्हील चेयर	कैलीपर्स	जूता	ब्लाइट स्टिक	ब्रेले किट	वैशाखी	श्रवण यन्त्र
1.	वर्डपुर	10	04	12	16	10	08	45	12
2.	मिठवल	13	06	15	18	13	10	48	17

जनपद सिद्धार्थ नगर में कोई स्वयंसेवी संगठन न होने के कारण बस्ती जनपद में स्थित शिक्षित युवा सेवा समिति के द्वारा जनपद के 2 विकास खण्ड बाँसी एवं खेसरहा में समेकित शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं। इस संस्था द्वारा जनपद में निम्नांकित कार्य किये गये हैं।

- 6–14 वर्ष के अक्षम बच्चों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें बाँसी में 214 बच्चे और खेसरहा में 339 बिभिन्न विकलांग बच्चों को चिन्हित किया गया। इसके बाद समुदाय एवं शिक्षा समितियों को संवेदनशील बनाके इनको नामांकित कराया गया।
- विकलांग बच्चों के मूल्यांकन के लिए ब्लाक स्तर पर आडियोमीटरी जांच, मानसिक विकलांग बच्चों का आई0 क्यू0 निर्धारण, दृष्टि बाधित बच्चों का दृष्टि क्षमता निर्धारण

तीनों विशेषज्ञों द्वारा दिया जाना है। ब्लाक स्तर पर एसे बच्चों के खेल–कूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

- संस्था द्वारा राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान के सहयोग से बाँसी के 4 और खेसरहा के 8 बच्चों (श्रवण विलांग) को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त एन0ए0बी0 मुम्बई के सहयोग से 12 पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चों को ब्रल किट उपलब्ध कराया गया है।
- बाँसी एवं खेसरहा के शिक्षकों को समेकित शिक्षा का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

सर्व शिक्षा अभियान में समेकित शिक्षाः–

भारत वर्ष की 5–10 प्रतिशत की जनसंख्या किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण में कक्षा को प्राप्त प्राप्त करने के लिए सर्व शिखा अभियान चलाया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है। जिससें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चें भी सम्मलिति है। सर्व शिक्षा के अभियान के मूल अवद्यनणा में भी ऐसे बच्चें की बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल देने की बात कही है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके जनपद में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चें के बुनियादी शिक्षा के लिए कार्यक्रम प्रस्तावित किये जा रहे है।

जनपद की वर्तमान स्थिति :– सिद्धार्थनगर जनपद जो कि नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है। तराई क्षेत्र होने के कारण आयोडिन की मकी की वजह से अक्षमता का प्रतिशत जयादा है। जनपद जो कि बस्ती मण्डल में सम्मिलित है। पूरे मण्डल में किसी प्रकार की विकलांगता का कोई विशेष विद्यालय नही है। और पूरे मण्डल में मनद बुद्धि एवं श्रवण विकलांग बच्चों के जांच का कोई व्यवस्था उपलब्ध है। जिसकी वजह से विकलांग बच्चों की बुनियादी शिक्षा का कार्य केवल समेकित शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है।

शिक्षकों को सर्वेक्षण एवं चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करने के लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जायगा । सर्वेक्षण के लिए न्याय स्तर पर शिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा विशिश्ट आवश्यकता वाले बच्चों के साथ बेहतरकार्य करने के

लिए जनपद के प्राथमिक उच्चप्राथमिक के समस्त शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों 3809 का प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

सर्व शिक्षा अभियान में समेकित शिक्षा को सफल बनाने वाले कारक–

समेकित शिक्षा को सफल प्रभावी तथा अर्थपूर्ण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक का स्नेह पूर्ण तथा साकारात्मक व्यवहार है। इसके अतिरिक्त शिक्षण सम्बंधी परिर्वन या सुधार की अर्न्तदृष्टि भी अपेक्षित है। जिससे इन बच्चों की आवश्यकतानुसार शिक्षण अधिगम की वयवस्था हो सके।

विकलांग बच्चों के साथ भी सामान्य बच्चों में जैसे व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे उनका भी विकास सामान्य बचचों के तरह हो सके ।

सर्व शिक्षा अभियान में जनपद में अपनाई जाने वाले कार्यनीतिः–

1. मेडिकल एसेसमेण्ट– 2–3 न्यायपंचायत मिलाकर न्यायपंचायत एवं ब्लाक स्तर पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का मडिकल एसेसमेण्ट विशेषज्ञ डाक्टरों टीम द्वारा किया जायेगा। इस टीम में नेत्र विशेषज्ञ, आर्थोपेडिक सर्जन, ई0एन0टी0 सर्जन एवं मानसिक विशेषज्ञ होगे। कैम्प में ऐसे बच्चों को भी चिन्हित किया जायेगा जिन्हे उपकरण की आवश्यकता होती है।
2. क्रियात्मक मूल्याकंन– चिन्हित विकलांग बच्चों को मेडिकल एसेसमेण्ट केपष्यात ब्लाक संसाधन केन्द्र पर तीनों विकलांगताओं के विशेषज्ञों द्वारा इन बच्चों का आडियों मीटरी, दृष्टि विकलांगबच्चों के दृष्टि क्षमता का निध्ररण आदि।
3. फाउडेशन कोर्स– जनपद के शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं न्याय पंचायत स्तर एवं विकास खण्ड स्तर चर शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए विकास खण्ड से 2 ABRC/NPRC का 45 दिवसीय फाउडेंशन कोर्स कराया जायेगा।
4. मास्टर ट्रेनर्स– जनपद के शिक्षको को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड से 4–4 मास्टर ट्रेनर्स का वचन करके संस्थान से या जिला समन्वयक समेकित शिक्षा द्वारा कुछजनपद को मिला कर या मण्डलीय स्तर पर किसी डायट में केन्द्र निर्धारण करके 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
5. शिक्षकों का प्रशिक्षण– समूचे देश में एक मात्र सुलभ सुविधा हमारे विद्यालय तथा अध्यापक है। अतः हमें शिक्षकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करके तैयार कर देना चाहिएकि विशिष्ट आवश्यक वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के भैति शिक्ष दे सके इसके

लिए इन्हे पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा । प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जाना चाहिए।

1. अध्यापक विकलांग बच्चों की पहचान एवं उनके विकलांगता का निर्धरण केसे करे।
2. इन बच्चों को विद्यालय तक कैसे लाया जाये।
3. इन बच्चों के लिए सामान्य बच्चों के साथ कैसे शिक्षित किया जाये।
4. इन बच्चों के लिए अलग से कैसे सपोर्ट किया जाये एवं उचित मूल्यांकन कैसे किया जाये।
5. अकादमी क्षेत्र में बार–बार की विफलता से उत्पन्न निराश बच्चों को विद्यालय छोडने से कैसे रोका जाये।
6. स्वास्थ परीक्षण – प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों का स्वास्थ परीक्षण स्वास्थ विभाग के सहयोग से कराया जायेगा। इसके लिए दूरस्थ स्थानों पर डाक्टरों को ले जाने हेतु यात्रा भत्ता एवं परिवहन की व्यवस्था की जाती होगी। जनपद के समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वास्थ परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट लिखने के लिए एक रजिस्टर रखा जायेगा।

शिक्षकों के लिए पाठ्य सामाग्री का विकास–

जनपद में प्रा0 वि0 के शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए एवं शिक्षा मित्रों को मिला कर कुल 3809शिक्षक वर्तमान है। इन शिक्षकों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तक एवं फोल्डर का मुद्रण करायष जायेगा जो निम्नांकित है।

1. श्रवण अक्षमता के कारण पहचान एवं आवश्यक उपकरण
2. शारिरिक अक्षमता के कारण एवं आवश्यक उपकरण
3. दृष्टिअक्षमता के कारण पहचान और आवश्यक उपकरण
4. मानसिक अक्षमता से सम्बन्धित फोल्डर
5. अधिगम अक्षमता से सम्बन्धित फोल्ड

इसे अतिरिक्त शिक्षकों के लिए विशिश्ट आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या पहचान कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका एवं जन समुदाय को संवंदनशील बनाने के लिए "आप क्या कर सकते " फौल्डर विकसित किये जायेगे।

ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना–

अक्षम बच्चों के शिक्षण मेंआने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए ब्लाक संसाधन केन्द्र पर अक्षम बच्चों के लिए उनमें विशेष प्रकार के शैक्षिक सहायता सामाग्री उपलब्ध कराई जाये एवं तीनों विकलांगताओं के विशेषज्ञ सन्दर्भ व्यक्ति को रखा जाये जो निसमित रूप से अभिभावक परामर्श शिक्षक प्रशिक्षण्र एक आवश्यक उपकरणों के रख्र–रखाव का कार्य करेगे।

टी0 उल0 एम0– सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बचचों के लिए भी टी0 एल0 एम0 का निमार्ण भी कराया जाये ये टी0 एल0 एम0 कुछ अलग होते इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की भी आवश्यकता होगी।

अक्षम बच्चों को ध्यान में रखकर विद्यालय का निर्माण–

अब से जो भी विद्यालय निर्माण कराया जाय या बने हुए विद्यायलय में सुधर किया जाये इसके लिए निम्न बिन्दु हो सकते है।

रैम्प का निर्माण –

1. प्रत्येक विद्यालय में रैम्प का निर्माण अवश्यक कराया जायें शारिरिक विकलोग बच्चों के हलन–चनल में सुविधा है।
2. आई0 ई0 डी0 के लिए लर्निंग कार्नर– बच्चे सहायक सामाग्री के माष्यम से आसानी से सीखते है। समेकित शिक्षा के बच्चों के लिए सामाग्री आधारितद शिक्षक और भी अधिक उपयोगी है। सहायक सामाग्री का निर्माण अध्यापक एवं बच्चों द्वारा कराया जाये इसके लिए कुछ सामाग्री जो निम्न हो।

- आंशिक दृष्टिवान बच्चों के लिए पुस्तक पढने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग।
- श्रवण विकलांग बच्चों के लिए श्रवण यन्त्र का प्रयोग एवं रख रखाव करना सिखाया जायें।
- मानसिक विकलांग बच्चों को खेलते हुए पढने का अभ्यास।
- यदि पूर्ण दृष्टिहीन बच्चा है। तो ब्रेल लिखने या पढने का अभ्यास।
- इस प्रकार के सामाग्री का बचचे एवं अध्यापक निरन्तर आसानी से प्रयोग करे इसके लिए आवश्यक हैं कि सामाग्री कक्षा में लर्निगं कार्नर बना कर रखी जाये।

3. आई0 ई0 डी0 के लिए पुस्तकालय–

समेकित शिक्षा के बच्चों के लिए विद्यालय में स्थित पुस्तकालय में अलग से एक रैक रखा जायें एवं उनके सम्बन्धित पुस्तके उसमें रखी जाये।

उपकरण एवं उपस्कर–

समेकित शिक्षा के बच्चों के शिक्षण कार्य के सहयोग के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से की जाती है। इसके लिए निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जा सकता है।

1. राष्ट्रीय एवं विकलांग संस्थान 116 रापुर रोड़ देहरादून।
2. अली यादवजंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बान्द्रा मुम्वई।
3. एलिम्को, जी0टी0 रोड कानपुर 208016।
4. अमर ज्येति रिहै विलटेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर ककरडुमा विकास मार्ग दिल्ली
5. भारत सरकार के सामाजिक न्याय मुत्रालय द्वारा स्थापित कम्पोजिट फिटमेण्ट सेन्टर।
6. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मनो विकासनगर सिकन्दराबाद।
7. नेशनल एसोसिऐशन फार डिब्लाइंड, एजू0 डिपार्टमेण्ट काटेनग्रीन एल पी बाला काम्पलेक्स मुम्बई।
8. मंगलम, ए–445 इन्द्रिरा नगर लखनऊ।
9. यू0पी0 विकलांग केन्द्र, 13 लुकरगंज इलाहाबाद।

उपकरण एवं उपस्कर वितरण शिविरः–

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोडने के लिए उपकरण एवं उस्कर की आवश्यकता होती है। जो मेडिकल एसेसमेण्ट में निर्धरित उपकरण एवं उपस्कर ब्लाक स्तर पर कैम्प लगाकर वितरण किया जायेगा ।

आई0 ई0 पी0 का निर्माणः–

विशेषज्ञ संदर्भ व्यक्ति द्वारा अति गम्भीर एवं बहुविकलांग के अभिभावक को परामर्श का किया जायेगा। पूरे ब्लाक के सर्वेक्षण के पश्चात चिन्हित विकलांग बच्चों के आवश्यक परामर्श हेतु उनके लिए कार्यरत संस्थाओं के माध्यम से ब्लाक स्तरीय एक परामर्श शिविर का आयोजन किया जायेगा।

आगनवाडी कार्यकत्रियों की दो दिवसीय कार्यशाला:–

जनपद के समस्त 14 विकास खण्डो में आगवाडी का संचालन किया जा रहा है। विद्यालीय पूर्व शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा के लिए जनपद के समस्त कार्यकत्रियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयेाजन किया जायेगा।

जनपद में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग कराना:–

खेल ही एकता की मानवता पैदा करती है। वहीं इसके साथ–साथ शारिरिक एवं मानसिक विकास भी होता है। इसलिए जनपद में विभिन्न स्तर जैसे न्यायपंचायत स्तर विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर आयेजित खेल कूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता समेकित शिक्षा में बच्चों को प्रतिभाग कराया जायएवं अलग से भी इनके लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के खेल एवं सांस्कृतिक आयोजित किये जा सकते है। जैसे खेल कूद में जलेबी की दौड़,कुर्सी दौड़ क्रिकेट प्रतियोगिता आदि।

सांस्कृतिक प्रतियोगिता में आनताक्षरी, गायन एवं वादन प्रतियोगितावाद वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि।

उपरोक्त प्रतियोगिताए विभिन्न अवसरों पर साथ–साथ या अलग से जैसे विकलांग दिवस लुई ब्रेक के जन्म दिन पर आयोजित किया जाये

वातावरण सृजन–

समेकित शिक्षा को प्रभावि बनाने हेतु सबसे पहले वातावरण सृजन का कार्य करना अति महत्वपूर्ण विषय है। वातावरण को समेकित शिक्षा मु अनुकूल बनाने के लिए आके मानव शिक्षा एंव समूदाय को बैठक कार्यशाला एवं संगोष्ठियों के माध्यम से अभिप्रेरित किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त वातावरण निर्माण के लिए निम्न कार्य नीतियां अपनाई जाती है।

- फोल्डर बैनरपम्प प्लेट वाल पेन्टिंग हैण्डिंग वोर्ड आदि के माध्यम से व्यापक सूचना प्रसार वातावरण सृजन का कार्य सुलभ किया जायेगा।
- वातावरण सृजन के अर्न्तगत शिक्षको भूमि अभिभावों को एवं समुदाय को प्रेरित करने के लिए निम्न कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

समुदाय सहायताः–

ग्राम शिक्षा समिति को विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षक प्रगति के लिएअति प्रेरित करना समेवित शिक्षा हेतु अनुकूल माहौल बनाने के लिए गांव के लोगों को जागरूकता बनाना विशिष्ट अवसर वाले बच्चों को सामान आवसर प्रदान करना। ग्राम शिक्षा समिति को प्रशिक्षण एवं बैठक के माध्यम से कार्यशिल बनाना ग्राम शिखा समिति के गठन में समय विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावों को प्राप्त स्थान देना ।

अभिभावक :–

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्य का पता लगाना और उन्हे अपने रूचि के अनुसार कार्य करने देना उनके द्वारी किये गये कार्य में इस ढंग से उनकी सहायता करना उन्हे यह मालूम हो कि उन्हे कमजोर समझ कर उनकी सहायता की जा रही है। उनके आत्मा विश्वास एवं आत्म सम्मान को बढावा देना एवं उनके द्वारा किये गये कार्यो पर परोतसीन देना ।

शिक्षकः–

विद्यालय वातावरण को ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी बनाना ऐसे बच्चों में विशेष लगाव प्रर्दिशत कराना ऐसे बच्चों को शिक्षक स्वास्थ खेल एवं मनोरंजन आदि के अवसर उपलब्ध कराना ऐसे बच्चों के प्रति समस्या बच्चों में साकारात्मक दृष्टि उत्पन्न करना ।

प्रत्येक कार्य में उनकी बराबर की भगीदारी सुनिश्चित करना ऐसे बच्चों के साभ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार का समाज एवं विद्यालय के वातावरण को अनुकूल बनाया जा सकता है। तथा मै। बच्चों की सफलता पूर्वक शिक्षा पूर्ण कर सकते है।

उपर्युक्त वातावरण सृजन के लिए निमनलिखित स्तर पर गोष्ठिया आयोजित करने की आवश्यकता है।

जनपद स्तरीय गोष्ठीः—

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकलांग कल्याण अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी मुख्यचिकित्साधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों एंव जिले के प्रतिष्ठित नागरिको के साथ समेकित शिक्षा को सफल बनाने के लिए जनपद स्तर गोष्ठी की जायेगी।

ब्लाक स्तरीय गोष्ठीः—

समेकित शिक्षा में समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए जनप्रतिनिधयां एवं ब्लाक को सम्मानित नागरीक के साथ एवं गोष्ठी का आयेजन किया जायेगा। जिसमें अक्षमता ग्रस्त बच्चों की शिक्षा एवं शासन सत्ता से मिलने वाला सहयोग के बारे मतें चर्चा किया जायेगा। इसमें मीडिया के लोगों को भी आमंत्रित किया जायेगा।

न्याय पंचायत स्तरीय गोष्ठीः—

जनपद के समस्त न्याय पंचायत स्तर पर वातावरण सृजन के लिए गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा। जिसमें न्याय पंचायत के जन प्रतिनिधिया सम्मानित नागरिक एवं सक्षम बच्चों के अभिभवको को आमंत्रित किया जायेगा ।

नारा लेखन'— विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभवको एंव जन समूदाय को संवेदनशील बनाने के लिए जनपद के गांव में नागरों में एंव प्रमुख मार्गे पर नारा लिखना वाल पेन्टिंग बैनर पोस्टर एंव होल्डिंग वोड लगाया जाय।

समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी की भूमिकाः—

सर्व शिक्षा अभियान में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों कि समेकित शिक्षा पर विशेष बल किया गया है। शिक्षा के मुख्य धरा से ऐसे बच्चों को जोडने के लिए स्वयं सेवी संगठनों की महत्पपूर्ण भूमिका होती है। स्वयं सेवी संगठन जन समुदाय को संवंदनशील बनाना अभिभावको को परामर्श देना शिक्षको को प्रशिक्षण देना एवं शिक्षक रिपोर्ट प्रदान करना है। जनपद सिद्धार्थनगर में

कोई भी ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठन नही है। लेकिल बस्ती स्थित शिक्षिति युवा सेवा समिति द्वारा जनपद के दो विकास खण्ड बाँसी सेखरहा में समेंकित शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जारहा है।

एन0 जी0 ओ0 की शर्तेः—

1. संस्था सोसायटीज की रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्ट्रर्ड हो तथा नवीनीकरण हुआ हो
2. संस्था के पास विकलांगता क्षेत्रों के विशेषज्ञों की उपलब्धता है।
3. विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो ।
4. संस्था विकलांगता का जन्म अधिनियम 1995 की धारा 5 के अधीन पंजिकृत हो ।

बी0 आर0 सी0 की भूमिकाः—

समन्वयक सह समन्वयक शिक्षकों के जांच कर्ता या निरीक्षक नही है। ब्लकि कठिनाईयों कमियों ो भी दूर करने में मददगार मित्र है। शिक्षक साथियों के शिक्षक अनुसमर्थन है। समेकित शिक्षा के क्षेत्र में बी0 आर0 सी0 की भूमिका का अत्यन्त महत्वपूर्ण है। क्योकि बी0 आर0 सी0 का समसमन्वय से ही समेकित का संचालन सुचार रूप से किया जासकता है। इस क्षेत्र में बी0 आर0 सी0 के कार्य निम्नवत है।—

1. ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बोध एंव पहचान प्रश्नवाली के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाना। ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण के स्तर पर एन0 पी0 आर0 सी0 बी0 आर0 सी0 के लेबल पर सर्वेक्षण कार्यो की समीक्षा कर वास्तविक चिन्हिकरण कर रिपोर्ट को जिला स्तर पर प्रेरित करना।
2. प्रचार प्रसंग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के मुख्य धारा से जोडने उसकी निजी कठिनाइयों को समण्ने के साथ–साथ उन्हे समर्थन प्रदान करने हेतु गांव में व्यापक प्रचार प्रसंग कराना।
3. **बैठकः**— ग्राम सभा के स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक शिक्षित युवा युचतियों एन0 जी0 ओ0 बी0 आई0 सी0 सी0 आर0 सी0 बी0 आर0 सी0 एवं जन प्रतिनिधियों तथा ग्राम प्रधान बी0 आई सी0 सदस्य के साथ बैठक आयेजित करना। इन बैठकों के माध्यम से जन समुदाय को संवेदनशील बनाना

4. मार्गदर्शनः— अभिभावक शिक्षक एवं जन समुदाय विशेष आवश्यकता को इन बच्चों की समस्याओं को समझने एवं उनके कठिनाईयों का दूर करने के साथ साथ उनके शिक्षा के प्रति जागरूक हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।
5. नैतिक समर्थनः— अभिभावकों शिक्षकों एवं ग्राम वासियों को ये समझना की अबच्चों की आम बच्चों की तरह पढ़ लिख सकते है। तथा अन्य क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ क र हिस्सा ले सकते है। वशर्ते की इन्हे मानवी आधार पर नैतिक समर्थन प्रदान किया जाये। और उनका उपदास न उडाया जाये।
6. अध्यापक प्रशिक्षणः— बी0 आर0 सी0 स्तर पर होने वाले समस्त शिक्षक प्रशिक्षण आयोजिक कराना

एन0 पी0 आर0 सी0 की भूमिकाः—

समेकित शिक्षा के लिए अपनाये गये समस्त कार्यक्रमों एवं रणनितियों सुचारू रूप से क्रिया करने का कार्य प्रमुख रूप से एन0 पी0 आर0 सी0 का है। अतः उन0 पी0 आर0 सी0 की भूमिका अतिविशिष्ट होजाती है। समेकित शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संसाधन केन्द्र को सुसज्जित बनाया अभिभावकों से सम्पर्क शिक्को की मदद एवं प्रभावी अनुश्रवण का कार्य एन0पी0 आर0 सी0 होना किया जायेगा । तथा उस सामाजिक गतिविधियों केमाध्यम से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना तथा इन्हे विकास की ओर अग्रसर कराना।एवं बी0 आर0 सी0 को रिंपोर्ट प्रेषित करना।

वास्तव में उपस्कर एवं उपकरण निःशुल्क वितरण करने वाली कई संस्थायें है। परन्तु प्रशिक्षण के बाद प्रायः में संस्थाये उपकरण उपलब्ध नही करा पाते है। अतः जनपद के 14 विकास खण्डों में समें कित शिक्षा को पूर्णरूप से सफल बनाने केलिए निम्नवत उपकरणें का प्रस्ताव किया गया है।

क्र.सं0	उपकरण का नाम	सम्भावित मात्रा	समभावितदर	सम्भावित मूल्य
1.	ट्राई सायकिल	500	4150	20.75000
2.	व्हील चेयर	100	5500	5.50000
3.	कैलिपर्स	100	1300	130000

नेशनल प्रोग्राम फार द एजूकेशन आफ गर्ल्स ऐट द एलीमेण्ट्री लेवल (एन0पी0ई0जी0ई0एल0) कार्यक्रम

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के सम्बर्धन हेतु एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में एन0पी0ई0जी0ई0एल0 नानक कार्यक्रम चलाया जायेगा। यह कार्यक्रम उन विद्यालयों में लागू होगा जहाँ महिला साक्षरता दर 30.62 (वर्ष 91 जनगणना) और पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में जेण्डर गैप 27.25 से अधिक हो तथा 642 Urban Wards के मलिन बस्तियों में समलित किया जायेगा। प्रथन चरण में वर्ष 2003–04 हेतु कुल 2374 ऐसे विद्यालय चिन्हित किये गये है। अगामी वर्ष में समस्त चिन्हित विकास खण्ड एवं नगरीय वार्डो के अन्य विद्यालयो के आच्छादन की योजना है। परियोजना हेतु, सर्व शिक्षा अभियान की भांति ही व्ययभार का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन होगा।

प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन ढाँचा

- राज्य स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। परिषद के अन्तर्गत विकसित जेण्डर यूनिट द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- जनपद स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन गठित जिला परियोजना समिति द्वारा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा। जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्षमता सम्बर्धन हेतु एक जेण्डर यूनिट का गठन किया जायेगा। परियोजना में कार्यरत समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा ही एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- ब्लाक स्तर पर परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत ब्लाक स्तरीय दो सहायक समन्वयक में से एक जेण्डर को–आर्डिनेटर के रूप में कार्य करेगा जोकि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।
- जिन जनपदों के विकास खण्डों में महिला सामाख्या कार्यरत है वहाँ पर ब्लाक स्तर पर एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम परियोजना के समन्वय के साथ महिला सामाख्या द्वारा क्रियान्वयन किया जायेगा तथा ब्लाक जेण्डर समन्वयक के रूप में महिला सामाख्या के ब्लाक प्रतिनिधि कार्य करेंगे / करेंगी। परियोजना में 5 जनपदों में महिला सामाख्या कार्यरत है तथा कुल 5 ब्लाकों में कार्यक्रम संचालित कर रही हैं।

बजट व्यवहार – परियोजना के पूर्व तक नियमानुसार एन0पी0ई0जी0ई0एल0 बजट व्यवहृत किया जायेगा। केवल ऐसे विकासखण्ड जहाँ महिला सामाख्या कार्यरत है वहाँ पर ब्लाक स्तर पर किया जाने वाला व्यय महिला सामाख्या द्वारा व्यवहृत किया जायेगा। परन्तु विद्यालय स्तर का व्यय परियोजना में नियमानुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। जिसकी मानीटरिंग महिला सामाख्या करेगी।

प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु एवं बजट विवरण

- आच्छादित क्षेत्रः– भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उ0 प्र0 के 70 जनपदों के 774 विकासखण्डों तथा 642 नगर क्षेत्रों के कुल 2374 विद्यालयों को प्रथम चरण मे मॉडल क्लस्टर विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है, अगामी वर्षो में अन्य विद्यालयों के चयन की येाजना है।
- मदवार बजट :–

1. क्लास्टर विद्यालय हेतु आवर्तक अनुदान :– बालिका शिक्षा सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से विद्यालय का रख–रखाव करनें तथा कौशल आधारित विषयों पर प्रति विद्यालय अनुदेशक की व्यवस्था हेतु कुल रू0 20,000.00 प्रति विद्यालय

आवर्तक अनुदान रखा गया है। अनुदेशक का मानदेय रू0 1000.00 प्रतिमाह होगा तथा एक विद्यालय पर अधिकतम तीन माह के लिए अनुदेशक रखा जायेगा। अनुदेशकों की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

आवर्तक अनुदान का मदवार विवरण–

- अनुदेशक मानदेय – 3000.00
- लकड़ी की बेंच एवं मेज (बच्चों के बैठने हेतु)– 15000.00
- अन्य रख–रखाव – 2000.00

2. छात्र मूल्यांकन, Remedial Teaching, ब्रिजकोर्स, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अन्तर्गत बालिकाओं के सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने, विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के लिए ब्रिजकोर्स अथवा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के संचालन हेतु प्रति विद्यालय रू0 10,000.00 की धनराशि प्रस्तावित है।

3. अध्यापक प्रशिक्षण – बालिकाओं के कौशल विकास हेतु पर एक विद्यालय के 4 अध्यापकों को कार्यानुभव शिक्षा प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसकी ईकाई लागत प्रति अध्यापक प्रति दिन रू0 70.00 होगी।

4. शिशु शिक्षा केन्द्र :– आंगनवाड़ी विभाग के साथ कन्वर्जेस करते हुए क्लस्टर विद्यालय पर ई.सी.सी.ई. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हैं वहाँ पर केन्द्र संचालन मीना मंच द्वारा किया जाने का प्रस्ताव है। प्रति केन्द्र रू0 6000 की दर से बजट प्रस्तावित किया गया है।

केन्द्र संचालन की प्रक्रिया तथा बजट का ब्रेक–अप निम्नवत है।

- चयन प्रक्रिया – मंच की आम सभा में संचालिका का चयन किया जायेगा तथा मंच के प्रस्ताव पर ग्राम शिक्षा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- मीना मंच की कार्यकारिणी समिति केन्द्र संचालन का सुपरविजन करेंगी।
- मंच की अन्य बालिकाएं केन्द्र का सहयोग करेंगी।
- केन्द संचालन मीना कक्ष में किया जायेगा।

संचालिका हेतु पात्रता–

14–18 वय वर्ग की मीना मंच की सदस्य हो तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास हो।

बजट विवरण –

मानदेय : 400 प्रतिमाह प्रति संचालिका। (10 माह हेतु)

केन्द्र स्थापना –2000 प्रति केन्द्र (सामग्री सूची तथा कय प्रकिया ई0सी0सी0ई0 की भांति रहेगी)।

5. क्लस्टर विद्यालयों की बालिकाओं हेतु यूनिफार्म तथा वर्क बुक हेतु प्रति बालिका रू0 150.00 की दर से धनराशि अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

6. सामुदायिक सहभागिता :– सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रति जनपद कुल रू0 1,40,000.00 की धनराशि का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार तथा टी0ए0/डी0ए0 की व्यवस्था शामिल है। उक्त धनराशि का फॉटवार विवरण निम्न है।

   प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक चयनित क्लस्टर विद्यालय पर एक विशेष डिजाइन का रिक्शा होगा जो लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार–प्रसार करेगा। क्लस्टर विद्यालय हेतु बालिकाओं की सांस्कृतिक टीम को गांव में भ्रमण करायेगा, ऐसी बालिकायों जो विकलांग हैं अथवा विद्यालय दूरी के कारण स्कूल नहीं आती हैं। उन्हे विद्यालय

लाने ले जाने का कार्य करेगा। रिक्शा चालक के रूप में गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को चयनित किया जायेगा, जिसका चयन ग्राम शिक्षा समिति करेगी । रिक्शा चालक को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जायेगा। वह खाली समय में रिक्शा का प्रयोग अपनी रोजी हेतु कर सकता है। यदि समुदाय चाहे तो रिक्शा चालक को मानदेय दे सकती है।

बजट ब्रेक अप–

- रिक्शा – 10,000.00 X क्लस्टर विद्यालयों की संख्या (यह बजट जनपदवार अलग–अलग होगा)
- टी0ए0 / डी0ए0– 20,000.00 प्रति जनपद
- मेला सेमिनार, कार्यशाला एवं प्रचार प्रसार – 20,000.00 प्रति जनपद

7. लायब्रेरी स्थापना खेलकूद की सामग्री आदि – क्लस्टर विद्यालयों में लायब्रेरी स्थापित की जायेगी तथा खेलकूद के लिए झूलों आदि की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिए प्रति विद्यालय रू0 30,000.00 की धनराशि प्रस्तावित की गयी हैजिसका बजट ब्रकअप निम्नवत है।

1	झूला	@ 15000.00
2	सायकिल	@ 900.00 X 5=4500.00
3	वेइंग मशीन	@ 500.00
4	कितावें	@ 5000.00
5	साउन्ड सिस्टम 1	@ 1500.00

6	आडियो सिस्टम 1 (टू इन वन)	@ 1500.00
7	अन्य आवश्यकतानुसार	3000.00

8. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण हेतु प्रति विद्यालय रू0 2,00,000 (दो लाख की दर से लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर नगर जनपदों हेतु धनराशि वर्ष 2003–04 हेतु प्रस्तावित की गयी है।

9. प्रदेश के 613 नगर क्षेत्रों के लगभग 8000 वार्डों के मलिन बस्तियों 20 प्रतिशत (लगभग 1600 वार्डों) विद्यालयों हेतु रू0 5 लाख प्रति वार्ड प्रस्तावित हैं।

10. कुल बजट का 6 प्रतिशत मैनेजमेंट कास्ट अनुमन्य है।

नोट :– विद्यालय स्तर पर निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की पी0ए0बी0 में उक्त प्रस्ताव गया था जिसमें कुछ संशोधन मांगे गये थे जिनको अवगतार्थ प्रेषित हैं। उनके द्वारा कुछ विस्तृत सूचनायें मांगी गई हैं। जिनका approval माँगा गया है।

प्रस्ताव :– **(A)** कार्य क्रम समिति एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम से उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहें जिससे इस कार्यक्रम को औपचारिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को योजना की मंजूरी हेतु प्रेषित किया जा सके।

LIST Regarding 8 selected districts

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता दर जनपद (%)	जेन्डर गैप जनपद (%)	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर (%)	जेन्डर गैप (%)	विद्यालय न जाने वाले बच्चें		
							बालक	बालिका	योग
1	वहराइच		21.17	शिवपुर	5.01	21.8			0
				पयागपुर	13.32	35.1			0
				चित्तौरा	8.11	31.81			0
				कैसरगंज	10.35	25.76			0
				महसी	10.64	26.56			0
				जरवल	9.62	26.04			0
				मिहीपुरवा	7.53	22.03			0
	13			बलहा	5.59	22.55			0
				तेजवा पुर	8.2	24.65			0
				हुजूरपुर	14.48	24.51			0
				विश्वेश्यर गंज	11.01	34.74			0
				फखरपुर	8.92	24.04			0
				नवाबगंज	8.42	27.01			0
2	गोण्डा	13.42	30.06	झंझरी	13.3	34			0
				पण्डरी कृपाल	8.1	28.8			0
				मुजेहना	8.7	30.5			0
				इटियाथोक	8.1	30.9			0
				रूपैडीह	7.7	31.02			0
				वजीरगंज	12.3	33.01			0
				नवाबगंज	10.2	27.05			0
	16			तरबगंज	10.8	30.09			0
				बेलसर	10.7	29.03			0
				कटराबाजार	5.5	28.06			0
				करनैलगंज	9.8	27.8			0
				बभनजोत	9.7	28.6			0
				छपिया	15.8	32.3			0
				हलधरमऊ	9.9	33			0
				मनकापुर	14.1	31.04			0
				परसपुर	12.6	32.06			0
3	श्रावस्ती		34.34	गिलौला	23.99	29.54	1924	1597	3521
				जमुनहा	18.31	24.24	4750	4158	8908
				हरिहरपुर रानी	20.12	24.02	7157	6380	13537
				सिरसिया	15.12	20.58	4112	3596	7708
				इकौना	24.63	29.73	6256	5780	12036
4	वलरामपुर		23.21	उतरौला	17.7	26.33	2395	2458	4853
				रहरा बाजार	10.4	27.3	2510	2264	4774
				हरैया सतधरवा	4.5	22.3	4639	3932	8571
				बलरामपुर	9.9	25.6	4691	4234	8925
				तुलसीपुर	7.2	18.6	4520	3939	8459
				पचपेड़वा	8.7	25.3	5346	5547	10893
				वैसड़ी	7.2	20.5	3872	3724	7596

- चयन प्रक्रिया – मंच की आम सभा में संचालिका का चयन किया जायेगा तथा मंच के प्रस्ताव पर ग्राम शिक्षा समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- मीना मंच की कार्यकारिणी समिति केन्द्र संचालन का सुपरविजन करेंगी।
- मंच की अन्य बालिकाएं केन्द्र का सहयोग करेंगी।
- केन्द संचालन मीना कक्ष में किया जायेगा।

संचालिका हेतु पात्रता–

14–18 वय वर्ग की मीना मंच की सदस्य हो तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास हो।

बजट विवरण –

मानदेय : 400 प्रतिमाह प्रति संचालिका। (10 माह हेतु)

केन्द्र स्थापना –2000 प्रति केन्द्र (सामग्री सूची तथा कय प्रकिया ई0सी0सी0ई0 की भांति रहेगी)।

5. क्लस्टर विद्यालयों की बालिकाओं हेतु यूनिफार्म तथा वर्क बुक हेतु प्रति बालिका रू0 150.00 की दर से धनराशि अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।

6. सामुदायिक सहभागिता :– सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्रति जनपद कुल रू0 1,40,000.00 की धनराशि का प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार तथा टी0ए0/डी0ए0 की व्यवस्था शामिल है। उक्त धनराशि का फॉटवार विवरण निम्न है।

   प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक चयनित क्लस्टर विद्यालय पर एक विशेष डिजाइन का रिक्शा होगा जो लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार–प्रसार करेगा। क्लस्टर विद्यालय हेतु बालिकाओं की सांस्कृतिक टीम को गांव में भ्रमण करायेगा, ऐसी बालिकायों जो विकलांग हैं अथवा विद्यालय दूरी के कारण स्कूल नहीं आती हैं। उन्हे विद्यालय

लाने ले जाने का कार्य करेगा। रिक्शा चालक के रूप में गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को चयनित किया जायेगा, जिसका चयन ग्राम शिक्षा समिति करेगी । रिक्शा चालक को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जायेगा। वह खाली समय में रिक्शा का प्रयोग अपनी रोजी हेतु कर सकता है। यदि समुदाय चाहे तो रिक्शा चालक को मानदेय दे सकती है।

बजट ब्रेक अप–

- रिक्शा – 10,000.00 X क्लस्टर विद्यालयों की संख्या (यह बजट जनपदवार अलग–अलग होगा)
- टी0ए0 / डी0ए0– 20,000.00 प्रति जनपद
- मेला सेमिनार, कार्यशाला एवं प्रचार प्रसार – 20,000.00 प्रति जनपद

7. लायब्रेरी स्थापना खेलकूद की सामग्री आदि – क्लस्टर विद्यालयों में लायब्रेरी स्थापित की जायेगी तथा खेलकूद के लिए झूलों आदि की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिए प्रति विद्यालय रू0 30,000.00 की धनराशि प्रस्तावित की गयी हैजिसका बजट ब्रकअप निम्नवत है।

1	झूला	@ 15000.00
2	सायकिल	@ 900.00 X 5=4500.00
3	वेइंग मशीन	@ 500.00
4	किताबें	@ 5000.00
5	साउन्ड सिस्टम 1	@ 1500.00

6 आडियो सिस्टम 1 (टू इन वन) @ 1500.00

7 अन्य आवश्यकतानुसार 3000.00

8. अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण हेतु प्रति विद्यालय रू0 2,00,000 (दो लाख की दर से लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर नगर जनपदों हेतु धनराशि वर्ष 2003–04 हेतु प्रस्तावित की गयी है।

9. प्रदेश के 6[illegible] नगर क्षेत्रों के लगभग 8000 वार्डों के मलिन बस्तियों 20 प्रतिशत (लगभग 1600 वार्डों) विद्यालयों हेतु रू0 5 लाख प्रति वार्ड प्रस्तावित हैं।

10. कुल बजट का 6 प्रतिशत मैनेजमेंट कास्ट अनुमन्य है।

नोट :– विद्यालय स्तर पर निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की पी0ए0बी0 में उक्त प्रस्ताव गया था जिसमें कुछ संशोधन मांगे गये थे जिनको अवगतार्थ प्रेषित हैं। उनके द्वारा कुछ विस्तृत सूचनायें मांगी गई हैं। जिनका approval माँगा गया है।

प्रस्ताव :– **(A)** कार्य क्रम समिति एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम से उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहें जिससे इस कार्यक्रम को औपचारिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को योजना की मंजूरी हेतु प्रेषित किया जा सके।

LIST Regarding 8 selected districts

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता दर जनपद (%)	जेन्डर गैप जनपद (%)	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर (%)	जेन्डर गैप (%)	विद्यालय न जाने वाले बच्चें		
							बालक	बालिका	योग
1	वहराइच		21.17	शिवपुर	5.01	21.8			0
				पयागपुर	13.32	35.1			0
				चित्तौरा	8.11	31.81			0
				कैसरगंज	10.35	25.76			0
				महसी	10.64	26.56			0
				जरवल	9.62	26.04			0
				मिहीपुरवा	7.53	22.03			0
	13			बलहा	5.59	22.55			0
				तेजवा पुर	8.2	24.65			0
				हून्नूरपुर	14.48	24.51			0
				विश्वेश्यर गंज	11.01	34.74			0
				फखरपुर	8.92	24.04			0
				नवाबगंज	8.42	27.01			0
2	गोण्डा	13.42	30.06	झंझरी	13.3	34			0
				पण्डरी कृपाल	8.1	28.8			0
				मुजेहना	8.7	30.5			0
				इटियाथोक	8.1	30.9			0
				रूपैडिह	7.7	31.02			0
				वजीरगंज	12.3	33.01			0
				नवाबगंज	10.2	27.05			0
	16			तरबगंज	10.8	30.09			0
				बेलसर	10.7	29.03			0
				कटराबाजार	5.5	28.06			0
				करनैलगंज	9.8	27.8			0
				बभनजोत	9.7	28.6			0
				छपिया	15.8	32.3			0
				हलधरनऊ	9.9	33			0
				मनकापुर	14.1	31.04			0
				परसपुर	12.6	32.06			0
3	श्रावस्ती		34.34	गिलौला	23.99	29.54	1924	1597	3521
				जमुनहा	18.31	24.24	4750	4158	8908
				हरिहरपुर रानी	20.12	24.02	7157	6380	13537
				सिरसिया	15.12	20.58	4112	3596	7708
				इकौना	24.63	29.73	6256	5780	12036
4	वलरामपुर		23.21	उतरौला	17.7	26.33	2395	2458	4853
				रहरा बाजार	10.4	27.3	2510	2264	4774
				हरैया सतधरवा	4.5	22.3	4639	3932	8571
				बलरामपुर	9.9	25.6	4691	4234	8925
				तुलसीपुर	7.2	18.6	4520	3939	8459
				पचपूड़वा	8.7	25.3	5346	5547	10893
				बैसड़ी	7.2	20.5	3872	3724	7596

N.P.EG.E.L. U.P. हेतु चयनित विकासखण्डों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	महिला साक्षरता	जेन्डर गेप जनपद	विकासखण्ड का नाम	महिला साक्षरता दर	जेन्डर गैप	विद्यालय न जाने वाले बच्चें		
							बालक	बालिका	योग
				घुघली	29.03	39.02	1526	2320	3846
				पुरतापल	29.02	43.03	3242	3538	6780
				पनियरा	26.04	40.05	2734	2236	4970
				फरेंदा	26.8	40.08	2385	1355	3740
				धानी	28.05	37.09	904	913	1817
				लक्ष्मी पुर	29.02	34.06	4579	4739	9318
				नौतनवा	28.09	35.08	13290	5717	19007

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रोग्राम आफ एजूकेशन फॉर गर्ल्स एट एलीमेन्ट्री लेवल (NPEGEL) की कार्ययोजना एवं बजट वर्ष **2003-04**

S.No	Name of Item	Unit	Balrampur		Budaun		Srabasti		Gonda		Bahraich	
		Cost	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Recurring grant	20000	9	180000	18	360000	5	100000	16	320000	14	280000
2	Awards to teachers	5000	9	0		0	0	0	0	0	0	0
3	Student evaluation, Remedial teaching, Bridge course, Alternative Schooling	10000	9	90000	18	180000	5	50000	16	160000	14	140000
4	Learning through open schools	50000					0		0		0	
5	Teachers Training	140	36	5040	72	10080	20	2800	64	8960	56	7840
6	Child care Centers	6000	9	54000	18	108000	5	30000	16	96000	1	6000
7	Uniforms and workbooks for girls	150	2712	176280	3600	234000	903	58695	4090	265850	3500	227500
8	Coommunity Mobilization	35000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000	4	140000
9	Library, Spots Etc..	30000	9	270000	18	540000	5	150000	16	480000	14	420000
10	Construction of Additional Class room	200000	9	1800000	18	3600000	5	1000000	16	3200000	1	200000
	Total			2715320		5172080		1531495		4670810		1421340
	Management cost (6%)			162919.2		310324.8		91889.7		280248.6		85280.4
	Grand Total		**2806**	**2878239.2**	**3766**	**5482404.8**	**952**	**1623385**	**4238**	**4951059**	**3604**	**1506620**

Rampur		Maharajganj		Siddarthngar		Total	
Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
6	120000	11	220000	12	240000	91	1820000
0	0	0	0	0	0	9	0
6	60000	11	110000	12	120000	91	910000
0		0		0		0	0
24	3360	44	6160	44	6160	360	50400
3	18000	0	0	6	36000	58	348000
1500	97500	2750	178750	3000	195000	22055	1433575
4	140000	4	140000	4	140000	32	1120000
6	180000	11	330000	12	360000	91	2730000
3	600000	10	2000000	6	1200000	68	13600000
	1218860		2984910		2297160	0	22011975
	73131.6		179094.6		137829.6	0	1320718.5
1552	**1291992**	**2841**	**3164005**	**3096**	**2434990**	**22855**	**45344668.5**

4.	विशेष जूते	75	300	22500
5.	ब्लाइड स्टील	100	200	20000
6.	ब्रेला केट	100	1000	100000
7.	बैसाखी मध्यम आकार	600	560	336000
	बैसाखी छोटा			
8.	श्रवण यन्त्र	450	520	243000
9.	वांलिगाष्टिल	150	2500	375000
10.	लोविजेन किट	100	150	15000
11.		200	1500	300000
		2475	—	4157500

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान के सफल संचालन हेतु समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज के परिस्थितियों में जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो चुका है तथा प्रत्येक स्तर पर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा चुकी है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों, नगर शिक्षा समितियों को जागरुक, मजबूत एवं सक्रिय बनाना होगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित बी0आर0जी0 के माध्यम से किया गया है। यह प्रशिक्षण तीन दिवसीय था। उक्त प्रशिक्षण के दौरान सर्वेक्षण, शैक्षिक मानचित्र का कार्य भी किया गया, जिसमें शिक्षा सम्बन्धी मुद्दे निकल कर आये। प्रशिक्षण में विद्यालय के प्रति समुदाय का क्या कार्य एवं उत्तरदायित्व है, स्पष्ट किया गया।

समुदायिक गतिशीलता को प्रभावी बनाने हेतु अन्य विभागों से कनवर्जन्स कर कार्यक्रम चलाये जा रहे है। उक्त प्रशिक्षणों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन उपरान्त भी अभी भी अधिकांश ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले प्रशिक्षण में स्थिति को घ्यानंगत रखते हुए उनके दायित्वों एवं कर्तव्यों का बोध कराने हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा।

वातावरण सृजन

समुदाय को सक्रीय एवं गतिशील बनाने हेतु वातावरण सृजन का कार्य प्रत्येक वर्ष किया जायेगा। उक्त कार्य निम्नलिखित माध्यम से किये जायेंगे––

जनपद स्तर से लेकर ग्राम स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन कला जत्था के माध्यम से गांव–गांव में नुक्कड़ नाटक के द्वारा, रैली, प्रभात फेरी, प्रेस मीडिया, होल्डिंगस, पिक्चर हाल में स्लाइड दिखाकर, विचार विमर्श, दीवार लेखन, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम आदि के द्वारा वातावरण सृजन किया जाना।

ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगरीय शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण–

विद्यालय एवं समुदाय के बीच सामन्जस स्थापित करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराना आवश्यक है। नवीन चयनित शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण तथा प्रति दो वर्ष पर दो दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण दिया जायेगा। पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए है, जिससे समुदाय को नयी गतिविधियों को बताया जा सकें एवं उनकी सहभागिता विद्यालय, नामांकन, ठहराव हेतु सुनिश्चित हो सके।

माइक्रोप्लानिंग आंकडों का संकलन / विश्लेषण(ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र)––

शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु समुदाय, वी0ई0सी0 के सहयोग से जनपद के समस्त गांव / मजरों का सूक्ष्म नियोजन करने की आवश्यकता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 98–99 में सूक्ष्म नियोजन करायी गयी थी। जिसका आंकडा केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयोगी था। परन्तु सर्व शिक्षा अभियान परियोजना प्रारम्भ के समय पुनः माइक्रोप्लानिंग की आश्यकता है।

1 परिवार सर्वेक्षणः–

शिक्षक / शिक्षिकाओं, ग्रामवासियों / ग्रामशिक्षा समितियों के सदस्यों,स्थानीय शिक्षित नव युवक / युवतियों के समूह द्वारा गांव के प्रत्येक परिवार के सदस्यों की शिक्षा की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जायेगा, परिवार का शैक्षिक सर्वेक्षण किया जायेगा। सर्वेक्षण के समय अभिभावकों, ग्रामवासियों को शिक्षा के प्रति जागरुक करने एवं रुचि उत्पन्न करने का कार्य किया जायेगा। जिससे गांव का शैक्षिक विकास हो सके। पूरे गांव का सर्वेक्षण हेतु तीन–चार सर्वेक्षण दलों का

गठन किया जायेगा। जिसमें महिलाएं भी शामिल की जायेंगी। सर्वेक्षण कार्य निर्धारित परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र पर किये जायेंगे। एवं गांव की सभी परिवारों की सूचनाओ का संकलन करेंगे।प्रत्येक वर्ष उक्त सूचना अपडेट किये जायेंगे।

अध्यापक अनुदान–

प्रत्येक शिक्षक रूपया 500 की दर से प्रतिवर्ष अध्यापक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। इस धनराषि से प्रत्येक शिक्षण कक्षा शिक्षण हेतु पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री आदि का निर्माण करेंगे। जिससे शिक्षा कार्य में रोचकता आये। अध्यापकों का अध्यापक अनुदान का वितरण निम्नांकित विवरण के अनुसार किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय सं0		पू.मा.वि. संख्या			योग
	परिषदीय	सहायता प्राप्त	परिषदीय/ शासकीय	सहायता प्राप्त पू.मा.वि.	हाई स्कूल इ. का. से सम्बद्ध	
2003–04	–	–	557	–	–	557
2004–05	6685	–	1381	41	150	8257
2005–06	6767	–	1781	41	150	8339
2006–07	6897	–	1381	41	150	8469

विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या :–

कारण	5 से 6		7 से 10		11 से 14		महायोग		
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
अपने घर के कामों में लगे रहना	5903	6449	8061	3955	5120	6320	19084	167247	35808
मजदूरी मे लगे रहना	1806	1879	1639	1581	1582	1026	5027	4486	9513
भाई बहनों की देखभाल करना	5594	5330	4412	4944	2787	2328	12793	12602	25395
विद्यालय का दूर होना	2576	1643	1085	3736	809	1086	4470	6465	10935
अन्य	12633	8083	1476	7490	2533	2303	16642	17880	34522
योग	28512	23384	16673	21706	12831	13067	58016	58157	116173

परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 116173 बच्चे विभिन्न कारणों से विद्याालय नहीं जा रहे है। सर्वेक्षण के अनुसार बच्चे मुख्य रूप से धरेलू कार्यो में लगे रहने, भाई बहनों की देख–भाल में लगे रहने के कारण विद्यालय नहीं आ रहे हैं। यह निम्न सारणी से स्पष्ट है–

विद्यालय न आने वाले बच्चों का विवरण :–

क्रम सं.	कारण	बालक	बालिका	योग
1.	घरेलू कार्य	19084	16724	35808
2.	मजदूरी	5027	4486	9513
3.	भाई बहनों की देख–भाल	12793	12602	25395
4.	विद्यालय दूर होना	4470	6465	10935
5.	अन्य	16642	17880	34522

विद्यालय से बाहर इन बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु विभिन्न रणनीतियां जिला परियोजना समिति द्वारा प्रस्तावित की गयीं हैं–

घरेलू कार्य में लगे बच्चें : 35808 बच्चे जो अपने घर के कार्य में लगे रहते हैं इन बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु ब्रिज कोर्स तथा समय कैम्प चलाने, जैसी व्यवस्था की गयी है।

क्रम	ब्रिज कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1	एन.पी.आर.सी. स्तरीय	160	4810	160	4800	160	4800	160	4800
2	वैकल्पिक केन्द्र	392	11760	630	18900	630	18900	630	18900
3	ब्रिज कोर्स कैम्प	16	640	8	320	8	320	6	240

यह कोर्स इन बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए इनके घरों के पास तथा इनकी सुविधा के अनुसार समय निर्धारित करके इन्ही के ग्राम निवासी अनुदेशक/आचार्य द्वारा संचालित किये जायेंगे।

मजदूरी :

9513 बच्चे मजदूरी कार्य में लगे होने के कारण विद्यालय नही आ पाते । ऐसी समस्या 11–14 वय वर्ग के बीच अधिक पायी गयी है। इन बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर ए.आई.ई. केन्द्र खोले जा रहे हैं । जिनका समय इनके कार्य समय के बाद संध्या में रखे जाने का प्रस्ताव है। जिससे ये बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे।

क्रम	ब्रिज कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1	ए.आई.ई.	100	5000	201	10050	201	10050	201	10050
2	आवासीय ब्रिज कोर्स	07	420	8	480	04	240	6	240

भाई बहनों की देखभाल :

छोटे भाई बहनों की देखभाल में लगे **होने** से 25395 बच्चे विद्यालय नही आ पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को विद्यालय लाने हेतु उनके छोटे भाई–बहनों की देखभाल के लिए विशेष रूप से ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है।

क्रम	ब्रिज कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1	ई.सी.सी.ई. केन्द्र	250	7500	250	7500	250	7500	250	7500
2	समर कैम्प	25	1000	70	2810	70	2810	70	2810

विद्यालय दूर होना :

जनपद में 4470 बालक तथा 6465 बालिकाएं कुल 10935 बच्चे विद्यालय दूर होने के कारण नही आ पा रहे हैं । इसके लिए ऐसे असेवित क्षेत्रों में जहां मानक रूप विद्यालय खाले जा सकते हैं वहीं विद्यालय खोले जा रहे हैं तथा अन्य स्थानो पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

विद्यालय	वर्ष	खोले जा रहे विद्यालयों की संख्या
प्राथमिक	2003–04	72
उच्च प्राथमिक	2003–04	200

अन्य कारण :

उक्त के अतिरिक्त गरीबी, धार्मिक कारणों तथ रूढ़ीवादिता के कारण भी कुछ बच्चे विद्यालय नही जा रहे हैं । इसके लिए 30 मकतब/मदरशों को सहायता देकर तथा स्कूल चलो अभियान चलाकर तथा ग्राम शिक्षा समितियों को प्राशिक्षित कर एवं विद्यालयों को आकर्षक बनाकर व निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, मिड डे मील आदि का वितरण कर अभिभावकों को अपने बच्चे विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही अन्य कारणों से विद्यालय न जा रहे 34522 में से 29576 का नामांकन कराया जा चुका है।

इस प्रकार सभी बच्चों का नामांकन विद्यालयों में करा लिया जायेगा।

विकास क्षेत्र मिठवल :-

क्र.	ई.जी.एस.	ज्ञान केन्द्र	ज्ञानशाला	किशोरी केन्द्र	ब्रिजकोर्स आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7
1	खदरा	सेहरी सेवक	सेहरी बुजुर्ग	बूढ़ापार	डढ़िया	बनकटिया
2	सुजनपुर	बूढ़ापार	भैंसहा	कोड़राव नानकार		
3	गोल्हौरा	लौकिया	भिटिया	असनहरी		
4	पोखरभिटवा	सेहरी बुजुर्ग	कठोलवा			
5	घघुआ	बनकटा	बनकटा			
6	धंवर	परदोहिया	जमुनी			
7	पुरैना	धनघटा				
8	रोंवारी	कहर पुरवा				
9	अहिरौली तिवारी	डड़वा राजा				
10	खजुरिया	हरैया				
11	बैरिहवा	देवभरिया				
12	सोनौरा	विशुनपुरवा				
13	धर्मपुरवा	भरौली				
14	मनिकौरा तिवारी	मरवटिया-चयनपुरवा				
15	नदया	धन्धापार				
16	द्वारिकापुर	महादेवा				
17	कटसरया खुर्द	हर्रेया				
18	छितौना	सेहरी बुजुर्ग				
19	हरैया					
20	पैड़ी बुजुर्ग					

विकास क्षेत्र-इटवा :-

क्र.	ई.जी.एस.	ज्ञान केन्द्र	ज्ञानशाला	किशोरी केन्द्र	ब्रिजकोर्स आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7
1	परसोहना	भुतहवा	पिपरी लंगड़ी	बगुलहवा ग्रान्ट		मुड़िला
2	जनिकौरा	सेहरी रोहिसा	सिहोंरवा तिवारी	मधवापुर		
3	पदमपुर	महादेव	सोनवरसा	अगया		
4	परसा बुजुर्ग	भुगवा	बकैनिया			
5	सोन नगर	मधवापुर				
6	बेलहरा	पिपरा छंगत				
7	सेमरा	गनवरिया				
8	रेहरा खुर्द	ककरही				
9	भैंसाही जंगल	भावपुर				
10	भगजवारी ग्राण्ट	बगरी				
11	जोगी कुण्ड	सरपोंका				
12	भुसैलवा					
13	हरीजोत					
14	देवरिया					
15	सुहिया					
16	मुड़िला					
17	खखरा					
18	बैरिहवा					
19	तेलवनवा					
20	तेनुआ					

विकास क्षेत्र-भवनापुर :-

क्र.	ई.जी.एस.	ज्ञान केन्द्र	ज्ञानशाला	किशोरी केन्द्र	ब्रिजकोर्स आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7
1	तेनुई	मनिकौरा	बिजौरा	त्रिलोकपुर	बिस्कोहर	गंगानगर गागापुर
2	धनोहरा	डेंगहर	बड़हरा	चन्दनजोत		
3	अन्दुआ शनिचरा	रोहांव बुजुर्ग	पोखर भिटवा	वेतनार		
4	पुरैना	खखरांव	राहांव बुजुर्ग	बरगदवा		
5	बेनी नगर	मनोहरापुर	बस्ती बरगदवा			
6	बदलिया	गुरूद्वारा				
7	सिसई	विशुनपुर-औरंगाबाद				
8	बौनाजोत	बिस्कोहर-।				
9	जूड़ी कुईया	परफेरिया तिवारी				
10	सफीपुर	बिलरिया				
11	कोहड़ौरा					
12	गुलरिहा					
13	देवीपुर					
14	कटया					
15	कोहलचक					
16	सुकालाजोत					
17	मनिकौरा					
18	खन्ता					
19						
20						

विकास क्षेत्र-खुनियांव :-

क्र.	ई.जी.एस.	ज्ञान केन्द्र	ज्ञानशाला	किशोरी केन्द्र	ब्रिजकोर्स आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7
1	जबजौआ	अगया				
2	मांझगाड़ा	धोबहा				
3	मनकरी	टेढ़वा				
4	रायपुर	परसा मझौवा				
5	बभनी	कपियवा				
6	बनगवां	केवटहिया				
7	रमवापुर-बेलवा	परसिया				
8	खुरखुर-बन्दी	मैनिहया				
9	पल्टा	अकोल्हिया				
10	मधवापुर	मिर्जापुर				
11	शनिचरा	पकड़ी				
12	महुआ	जिगनिहवा				
13	गोल्हौरा	कलेनिया				
14	चेराजोत	खरदेवरी				
15	धौरहरा	जमलाजोत				
16	सेन्दुरी	परसा मझौवा				
17	गोरया					
18	सुहेलवा					
19	मदनपुर गुलहरिया					
20	हरैया					

21	ककरहिया					
22	कलवारी नानकार					
23	गंगवार बुजुर्ग					
24	गिरधरपुर					
25	रमवापुर					

विकास क्षेत्र-डुमरियागंज :-

क्र.	ई.जी.एस.	ज्ञान केन्द्र	ज्ञानशाला	किशोरी केन्द्र	ब्रिजकोर्स आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7
1	देवरिया	महोखवा				
2	महुआ बुजुर्ग	सीरमझारी				
3	अल्लापुर	पड़िया				
4	पिपरा	परसापण्डित				
5	भटगवा	मनोहरपुर				
6	युसुफजोत	सुहेलवा				
7	सादुल्लापुर	पोखरिया				
8	अमौना पाण्डेय	चकचई				
9	जूड़ी कुईयां	तुरकौलिया				
10	धनखरपुर	परसा				
11	नौडिहवा	भगवानपुर				
12	बड़हरा	औराताल				
13	मिश्रौलिया	तिलगड़िया				
14	डिड़ई	थुम्हवा				
15	जिगड़ी	परसा जमाल				
16	मिरवापुर					
17	जंगलीपुर					
18	लोनियाडीह					
19	विकासनगर					
20	धौरहरा उर्फ धर्मपुर					

विकास क्षेत्र-शोहरतगढ़ :-

क्र.	ई.जी.एस.	ज्ञान केन्द्र	ज्ञानशाला	किशोरी केन्द्र	ब्रिजकोर्स आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7
1	कोमर	सेमरा				
2	मलगवा	लुचुईया				
3	मुड़िला बुजुर्ग	गुजरौलिया				
4	भावपुर खाल्सा	बोकनार				
5	सेहरिया	पिपरपतिया				
6	गौहनिया	बौढ़ारी				
7	बगहवा	नहरी				
8	सिसई	बेलभरिया				
9	सुरहवा					
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

विकास क्षेत्र-सांथा :-

क्र.	ई.जी.एस.	ज्ञान केन्द्र	ज्ञानशाला	किशोरी केन्द्र	ब्रिजकोर्स आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7
1	जोलहपुरवा					
2	परसोहिया					
3	सिरसिया					
4	तरैना					
5	उड़सार					
6	फुलवरिया					
7	बनगवां					
8	दुबौली					
9	कटहना					
10	देउरा					
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

विकास क्षेत्र-बाँसी :-

क्र.	ई.जी.एस.	ज्ञान केन्द्र	ज्ञानशाला	किशोरी केन्द्र	ब्रिजकोर्स आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7
1	करही डीह	सूपाघाट	टड़वलघाट	हाटाखास	मरचहवा	
2	सिंगिया	खिरिया	परसपुर	बभनीताल		
3	अमघट्टी	बघेरवा घाट	जीवपुर	बस्ठा		
4	तारा गुजरौलिया	पिरकौलिया	मझवनखुर्द	मदरहना ताल		
5	सुकरौली	मधवापुर	चन्दीडीह			
6	ओदनाताल	भगौतापुर	सन्दाडीह			
7	मियांजोत	सोनफेरवा बुजुर्ग				
8	अदिलापुर	बकुआंव				
9	दसिया	टेकापार				
10	सिरसियामिश्र	कदमहवा				
11	संग्रामपुर					
12	उड़वान तकिया					
13	मथुरापुर					
14	हड़वा					
15	मदरहना लाला					
16						
17						
18						
19						
20						

विकास क्षेत्र-खेसरहा :-

क्र.	ई.जी.एस.	ज्ञान केन्द्र	ज्ञानशाला	किशोरी केन्द्र	ब्रिजकोर्स आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7
1	बसडीला	महुई नानकार	फरीदाबाद			मंझरिया
2	कड़जहर	चौरीखुर्द	कलनाखोर			
3	कुनौना	विशुनपुर	सुहई कनपुरवा			
4	झहरांव	कलनाखोर	बेलउख			
5	मंझरिया	मकनाखोर				
6	मेथवनिया					
7	सिंहोरवा					
8	सोनौरा					
9	मिरवापुर					
10	दुलही					
11	भड़सर					
12	भरवलिया					
13	मैनहवा					
14	कंचनपुर					
15	कसिहररा					
16	अर्जी					
17	डड़वरिया					
18	बिछिया					
19	सकरा					
20	दनियापार					

21	मिश्रौलिया					
23	चन्दापुर					
24	बनकटा					
25	बकैती					

विकास क्षेत्र-बढ़नी :-

क्र.	ई.जी.एस.	ज्ञान केन्द्र	ज्ञानशाला	किशोरी केन्द्र	ब्रिजकोर्स आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7
1	रेकहट	पन्नापुर	मिश्रौलिया	हसुड़ी गनेहड़ी		औदहीं कला
2	नजरगढ़वा	धंधरा	रेड़वरिया	जलापुरवा		
3	अखेरइया	नड़वाडीह	तुलसियापुर	भरौली		
4	बनचौरा	टीकर	खरिकौरा			
5	नौडिहवा	सकरौरा	रोइनिहवा डिहवा			
6	महदेईया	गोल्हौरा	सिसवा उफ शिवभारी			
7	करौता	महादेव खुर्द	अलगा			
8	पड़रिया	पचउख				
9	सुरजी	कोहड़ौर				
10	मधवापुर	बेनीनानकार				
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

विकास क्षेत्र-वर्डपुर :-

क्र.	ई.जी.एस.	ज्ञान केन्द्र	ज्ञानशाला	किशोरी केन्द्र	ब्रिजकोर्स आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7
1	सठहवां	कटया	पनेरा	सेमरी		
2	गुल्हरिया	रमवापुर	निविहवा	गौरी गौरा		
3	देजौली	अन्नदापुर	शिवपुर	बरदहवा		
4	मुड़िला पाण्डेय	सगरहवा	बेलवा			
5	हरपौली गौरा	हरबौली	मटेहना आराजी			
6	बभनी					
7	लकड़ा					
8	वर्डपुर नं.-2					
9	बरगदही					
10	भरवलिया					
11	बरही पुरवा					
12	सिंहोरवा					
13	खरहरा					
14	गौरी उर्फ गौरा					
15	बहादुरपुर					
16						
17						
18						
19						
20						

विकास क्षेत्र-जोगिया :-

क्र.	ई.जी.एस.	ज्ञान केन्द्र	ज्ञानशाला	किशोरी केन्द्र	ब्रिजकोर्स आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7
1	आहड़	तनजहवा	नौडिहवा	सेहुड़ा		
2	सेहुड़ी	धेबहा	जोगीबारी	बैजनथा		
3	नगरा	देउरवा	मझवन	नगपरी		
4	गायघाट	पिपरहवा	बकरहुंआ			
5	डुमरिया	लमती	ककरही			
6	तरकुलहा	महरथा	कड़जहवा			
7	भुतिहवा	हड़हवा				
8	तेलडिहवा	लालपुर				
9	डुमरिया खुर्द	सिरसिया				
10	सिमरपुरवा	कुसमहर				
11	बड़हरा					
12	मुर्गहवा					
13	परसा					
14	मदुरा					
15	अमहवा					
16						
17						
18						
19						
20						

विकास क्षेत्र-नौगढ़ :-

क्र.	ई.जी.एस.	ज्ञान केन्द्र	ज्ञानशाला	किशोरी केन्द्र	ब्रिजकोर्स आवासीय	गैर आवासीय
1	2	3	4	5	6	7
1	बदलपुरवा	कपिया खालसा	महंथनगर	रोवांपार	नौगढ़	
2	कपिया मिश्र	मनोहरी	सिरवत	चनरगड्डी		
3	खरगौरा	बसौनी	मुड़िला	देवपुर ग्रान्ट		
4	दुबौलिया	कुड़वा पासी	पलिया			
5	बभनी	कपिया रावत				
6	मलपार	इस्लाम नगर				
7	तेलडिहवा	सरौता				
8	पण्डितपुर	महादेवा लाला				
9	पिपरा	पकड़िहवा				
10	चिल्लेदरा ग्रान्ट	कंचनपुर				
11	सोनवल					
12	लुचुइया					
13	महुआ, फतुहवा					
14	सेमरपार					
15	जमड़ी नानकार					
16						
17						
18						
19						
20						

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत संचालित ई.जी.एस. केन्द्र (विद्या केन्द्र)

क्र.	केन्द्र का नाम	विकास खण्ड	क्रमसंख्या	केन्द्र का नाम	विकास खण्ड
1	2	3	4	5	6
1	सुरई ताल	खेसरहा	2	भुसौला	खेसरहा
3	विशुनपुरवा	खेसरहा	4	फत्तेपुर	खेसरहा
5	नेबुहवा	खुनियांव	6	लक्ष्मनपुर	खुनियांव
7	बेलबनवा	खुनियांव	8	पटेहरी	खुनियांव
9	मझारी मय कोइल	खुनियांव	10	गोनरा	खुनियांव
11	केवटडीह	खुनियांव	12	डड़वाशुक्ल	मिठवल
13	भरमा	मिठवल	14	बघवा ताल	बांसी
15	भलुहिया	भनवापुर	16	मोहम्मदपुर	भनवापुर
17	हिजुरा	भनवापुर	18	डोमसरा	भनवापुर
19	बेवा मुस्तहकम	भनवापुर	20	पेड़रिया जीत	भनवापुर
21	बेलवा	भनवापुर	22	पल्हया	उस्का बाजार
23	बुचहा	उस्का बाजार	24	बगही	उस्का बाजार
25	भवानीपुर	उस्का बाजार			

आवश्यक सपोर्ट दिये जाते हैं। केन्द्रों पर बच्चों के स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आवश्यक समान तथा खेलने हेतु आवश्यक समान आदि जनपद स्तर से उपलब्ध कराये जाते हैं। इन केन्द्रों से 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त बच्चों को प्रा0 वि0 के कक्षा 1 में नामांकित करा कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता है।

वैकल्पिक शिक्षा–

माईक्रो प्लानिंग के विश्लेषण के उपरान्त आसेवित वस्तियों में पढ़ने योग्य उपलब्ध बच्चों एवं भौतिक एवं सामाजिक कारणों से विद्यालय न जाने वाले ऐसे बच्चों हेतु वैकल्पिक शिक्षा एवं शिक्षा गारन्टी केन्द्रों को खोला गया है। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के विभिन्न मांडलों जैसे शिक्षा घर, ऋषि वैली, प्रहर पाठशाला, बालशाला एवं मकतब विभिन्न क्षेत्रों की बच्चों की प्राथमिकताओं के आधार पर खोले गये हैं। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रोत्साहित करके केन्द्रों तक लाना तथा प्रा0 शि0 के मुख्य धारा से जोड़ना है। समय–समय पर इन केन्द्रों का एन. पी. आर. सी., बी. आर. सी. तथा डायट द्वारा अवलोकन कर आवश्यक अकादमिक सहयोग प्रदान किये जाते हैं। केन्द्रों के संचालन हेतु मानदेय के आधार पर अनुदेशकों का प्रशिक्षण भी कराये जाते हैं। सन् 2000 तक, अब तक 862 बच्चों का इन केन्द्रो से मेन स्ट्रीमिंग किया जा चुका है।

समेकित शिक्षा–

विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों को प्रोत्साहित कर सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण प्राप्त करने हेतु जनपद में समेकित शिक्षा चलाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र वितरण कराने हेतु मेडिकल एसेस्मेंट कैम्प कराये जाते हैं।साथ ही शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा वातावरण सृजन हेतु जनसमुदाय की कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता :

प्राथमिक शिक्षा के सभी गुणवत्ता पक्षों के सम्वर्धन के लिए बहुभुज रणनीति योजनानुसार निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

- एम.एल.एल. पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रयोंगों का पुनरीक्षण।
- इसे अधिक प्रासंगिक एवं बाल केन्द्रित बनाने हेतु गतिविधि आधारित कक्षाओं का निर्माण।
- रूचि पूर्ण, बाल केन्द्रित तथा क्रियार्धारित शिक्षण अधिगम प्रयोंगो एवं कक्षा–कक्ष अन्तः क्रियाओं का प्रोन्नयन।

- विशिष्ट संकेन्द्रित वर्गो का शिक्षा प्रदान करना।
- शिक्षक अभिप्रेरण एवं दक्षता अभिवर्धन के लिए बृहद शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुगमन पैकेजों का विकास जनपद स्तर पर करना।
- शैक्षिक आपूर्तियों के लिए विद्यालय, बी.ई.सी. एवं शिक्षकों को अनुदान।
- बहुकक्षा एवं बहुश्रेणी विद्यालयों के लिए रणनीतियों का विकास।
- शैक्षिक शोध को प्रोन्नत करना।
- कक्षा कक्ष निरीक्षण अध्ययनों का आयोजन करना।
- व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रणाली का विकास करना।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यो को सुचारू से समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिये जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को संसाधनों द्वारा सुसज्जित किया गया साथ ही ब्लाक संसाधन केन्द्र (14), न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र 160 की स्थापना की गई।

गुणवत्ता विकास में डायट एवं संसाधन केन्द्रों की भूमिका–

गुणवत्ता विकास के लिये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण करते हुये ब्लाक एवं न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित किये गये संसाधन केन्द्रों को विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा शैक्षिक समर्थन के लिये क्रियाशील बनाया गया है तथा विभिन्न शैक्षिक संसाधन/सामग्रियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गयी है।

शैक्षिक अनुसर्मथन एवं अनुश्रवण का चित्रण :

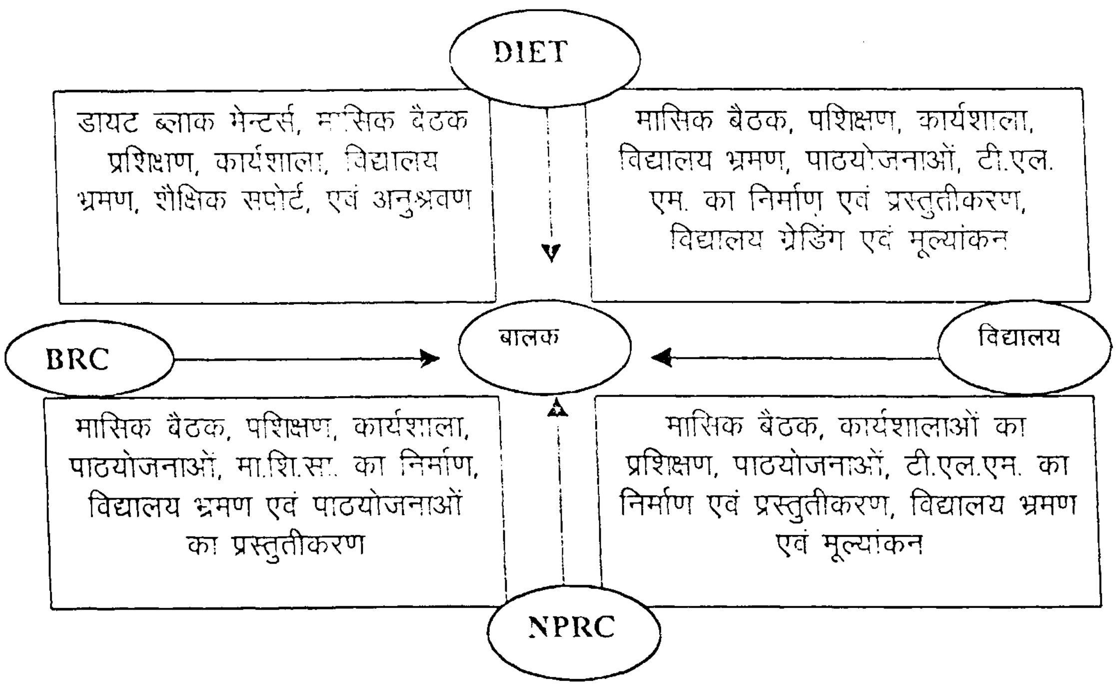

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की भूमिका :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा डायट का सुदृढ़ीकरण शीर्ष स्तरीय (जनपदीय) संस्थान के रूप में किया गया है। जो सामाजिक मिशन के रूप में कार्य करते हुए बेसिक शिक्षा प्राणाली में मौलिक परिवर्तन लाने एवं एतद्द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के शैक्षिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक परिदृश्य में परिवर्तन लाने का कार्य कर रहा हैं।

गुणवत्ता विकास में डायट की निम्न प्रमुख भूमिकायें है–

अकादमिक नेतृत्त्व प्रदान करना–

गुणवत्ता विकास के लिए डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जाना तथा वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित किये जाने के साथ–साथ जनपद, विकास खण्ड, न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियाजन एवं क्रियान्वयन, डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत किया जा रहा है जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत यथावत् किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणी करण हेतु कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा निर्वहन किया जायेगा।

जिसका उद्देश्य शिक्षकों के कार्यस्थल पर सहयोग एवं समर्थन प्रदान करना होगा। इसके लिए उपयुक्त रणनीतियों को अपनाते हुए समग्र कार्यवाही निम्नवत् की जायेंगी–

शिक्षण सामग्री का विकास करना :

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान कर एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार क्रमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्यक्रम मे डी.पी.ई.पी के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत शिक्षकों को 500 रुपया अनुदान के रूप में दिया जा रहा है इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षक आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री का निर्माण कर इसे कक्षा में प्रदर्शित करें। विषय आधारित तथा पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग हेतु इस

अनुदान की शिक्षकों को आवश्यकता है। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखना उपयुक्त होगा। इसका उपयोग सुचारू ढ़ंग से करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ–साथ आपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भाँति विभिन्न स्तरों पर मैटेरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचात स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगाई जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में कराई जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्याशाला / गोष्ठियों का आयोजन :

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निवारण हेतु कार्यशालाए एवं गोष्ठियां डायट पर की जायेगी। वर्तमान में डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकें की मासिक अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्त शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा अनुभूत कठिनाईयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि विन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषय पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियां आयोजित की जायेगी।

1. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण

विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण, स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा, कविता का संकलन।

2. शोध एवं मूल्यांकन :

जनपदीय परिस्थितियां एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यो का महत्व को देखते हुए विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण

विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व व्यवहारिक कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवाराणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, परीक्षक, निरीक्षक तक पहुँचा कर उनके द्वारा मार्ग दर्शन प्रदान करने का कार्य किया जायेगा। ब्लाक स्तरीय समन्वयकों को ऐक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जा सकता है। ऐक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता होगी । शिक्षक डायट के नेतृत्व में ऐक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः ऐक्सन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सूचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण करना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस. सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर 'क्लास रूप आब्जर्वेशन स्टडी' भी की जायेगी।

3. ऐक्शन रिसर्च :

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा ऐक्शन रिसर्च किये जाने की दृष्टि से पांच दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस.सी.आर.टी. लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूढने में सक्षम हो सके।इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अन्ततर विद्यालय स्तर तक ले जाएंगे। क्रियात्मक शोध हेतु क्षेत्रों का निर्माण बी.आर.सी. स्तर पर बैठकों में उभरे बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में तय किये जायेंगे। कुछ क्षेत्रों के उदाहरण निम्न हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. बहुकक्षा शिक्षा परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
3. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग ।
4. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
5. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास ।

7. कार्य निष्पादन के आधार पर चिन्हित कमजोर विद्यालय में प्रबंधन के मुद्दे।

8. विद्यालय विकल्प योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।

9. महिला शिक्षिकाओं का रोल – 4, परिवर्तित करने के लिए रणनीतियां।

10. जहां बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर कम है उसके कारणों की पहचान।

11. विद्यालयों के संदर्भ में समुदाय के सहयोग के अभाव के कारण का अध्ययन।

12. बच्चों की विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के कारणों का अध्ययन।

13. मध्यांतर के पश्चात विद्यालय से छात्रों के पलायन के कारणों का विश्लेषणात्मक निरूपण।

14. अध्यापकों के पठन–पाठन के स्तर में बृद्धि हेतु प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन।

आंकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग :

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गांव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालय वार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते है। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हे विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से इंडीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण किया जायेगा उदाहरण के लिए रेपिटेशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डयट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा । जिससे उनका उपयोग नियोजन तथ क्रियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली :

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली जो व्यवस्थावर्तमान में है, उचित है किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर तथ कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर की जाएगी। तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो साथ ही प्रश्नपत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाए जायेंगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हे फीडबैक प्रदान करने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है उसे और प्रभावी बनाने हेतु व्यापक प्रयास किया जायेगा।

लिए समुदाय के लोग, अभिभावकों को कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया देखने के लिए आमंत्रित करेंगे जिससे उनसे बच्चों की शिक्षा प्रति जागरूकता पैदा हो और बच्चों की शिक्षा पर विद्यालय के साथ–साथ घर पर भी ध्यान दिया जाय। समय–समय पर अभिभावकों को उनके बच्चों की उपलब्धि से भी अवगत कराया जायेगा। विद्यालय के वार्षिक समारोह में अच्छी उपलब्धि के लिए बच्चों को सम्मानित किया जायेगा ऐसा करके स्थानीय कार्यकर्ताओं का विद्यालय शिक्षण में सहयोग भी मिल सकेगा। विद्यालय से जुड़कर समुदाय इसे अपना भी अभिन्न अंग स्वीकार कर सकेगा यह विद्यालय की प्रगति/विकास का महत्पवूर्ण होगी।

सारणी 9.6

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का सम्वर्धन

पद	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	1	1	0
उप प्राचार्य	1	1	0
वरिष्ठ प्रवक्ता	6	1	5
प्रवक्ता	17	4	13
कार्यानुभव शिक्षक	1	1	0
तकनीकी सहायक	1	1	0
सांख्यिकीकार	1	1	0
प्रतिनियुक्ति पर तैनात	4	1	3

संकाय के सदस्यों के कौशल विकास सम्बन्धी विवरण :

संकाय के सदस्यों को कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्कता है। जिससे प्रशिक्षणों आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यो के संपादन में सुविधा हो सके।

1. समेकित शिक्षा हेतु संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाना।
3. लाईब्रेरी संचालन सुविधा हेतु एक सदस्य को प्रशिक्षित किया जाना।
4. शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने हेतु प्रशिक्षण।

5. मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों/अेस्ट के प्रयोगों हेतु प्रशिक्षण।

6. क्रियात्मक शोध संबंधी प्रशिक्षण

उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहन :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा कार्यक्रम के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्यायपंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की भूमिका होगी।सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रम का संचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा ।

जनपद में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्य निष्पादन वाले दो बी.आर.सी. को पुरस्कार प्रदान किया जायेगा इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में ये कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिए, प्रेरित करने के लिए पठन–पाठन के उत्कृष्ट मापदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयों व शिक्षकों के ज्ञान अभिबृद्धि व अर्न्तराज्यीय भ्रमण/एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्तासुधार में सामुदायिक सहभागिता :

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद दिसम्बर एवं वार्षिक परीक्षा के बाद (मई में) विद्यालय में वार्षिक समारोह आयोजित किये जायेंगे। जिसमे ग्राम शिक्षा समिति क सदस्यों एवं अभिभावकों को आमंत्रित किया जायेगा इस अवसर पर छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों को शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों के योगदान की चर्चा एवं प्रसंशा किया जायेगा ताकि सामुदायिक सदस्यों का मनोबल बढ़ सके।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बाँसी सिद्धार्थनगर में उपलब्ध भौतिक संसाधनों की सूची

क्रमांक	विवरण	अदद
1	डायट भवन	1
2.	छात्रावास	1
3	आवास भवन (5)	
	प्राचार्य भवन	1
	छात्रावास अधीक्षक	2
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
4.	ट्यूबवेल	1
5	फ्रीज	1
6	कूलर	5
7	प्रोजेक्टर	1 सेट
8	टी.वी.	2
9	अेप रिकार्ड	1
10	लाउडस्पीकर	1 सेट
11	हारमोनियम	1 सेट
12	तबला	1
13	बांसुरी	1
14	ढफला बड़ी एवं छोटी	4
15	मजीरा	3 जोड़ी
16	धुंघरू	3 जोड़ी
17	ढोलक (अनुपयुक्त)	2
18	तानपूरा	1
19	वी.सी.आर.	1
20	एपिडायस्कोप	1
21	टेलीफोन एवं फैक्स बिल न जमा होने से कटा हुआ	1

ब्लाक संसाधन केन्द की भूमिका

ब्लाक स्तर पर स्थापित किये गये संसाधन केन्द्र डायट एवं जिला परियोजना कार्यालय के नितृत्त्व मे शैक्षिक सहायता हेतु किये जाने वाले क्रिया–कलापों के लिए ब्लाक संाधन केन्द्रों की भूमिकाएं निम्न हैं–

अकादमिक	नियोजन, संगठन समन्वयक एवं प्रशासन	अनुश्रवण एवं अनुगमन
• बी.आर.सी. को संसाधन केन्द्र के रूप में विकासित करना, जहां पुस्तके, पत्रिकायें, विचार पत्रक आदि उपलब्ध हों	• प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों एवं मासिक बैठकों का बी.आर.सी. पर नियोजन	• एन.पी.आर.सी. के क्रिया कलापों का अनुश्रवण
◆ प्रशिक्षण	◆ बेसिक एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा डायट के साथ सहयोग एवं समन्वय	◆ विभिन्न बैठकों की आख्या का संकलन एवं जिला परियोजना कार्यालय को प्रेषण
▪ सामग्रियों की उपलब्धता एवं वितरण व रख रखाव एवं उपयोग	▪ वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट व प्रशिक्षण कलैण्डर आदि तैयार करना।	▪ विद्यालय भ्रमणों के माध्यम से शिक्षकों को सहयोग एवं समर्थन
▫ विद्यालय, वै.शि.केन्द्रों एवं ई.सी.सी.ई केन्द्रों का भ्रमण एवं मासिक बैठकें	▫ देयकों का भुगतान आदि	▫ समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग
❖ प्रशिक्षण प्रभाव	❖ एन.पी.आर.सी. स्तर पर अंगीकृत क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करना	❖ प्रशिक्षणोपरान्त उसके प्रभाव को जानना तथा उसे प्रभावी बनाना
➢ ऐक्शन रिसर्च	➢ शोध एवं मूल्यांकन, अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना	➢ बैठक में चर्चा में उभरे विन्दुओं, समस्याओं, कठिनाईयों एवं मुद्दों को सकलित करना।
♣ टी.एल.एम. निर्माण	♣ अी.एल.एम. निर्माण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना। ई.सी.सी.ई. कन्द्रों के साथ समन्वय	♣ शिक्षकों द्वारा टी.एल.एम. उपयोग का पर्यवेक्षण
♥ वी.ई.सी. बैठकों में प्रतिभाग	♥ वातावरण सृजन एवं नियोजन, जिला परियोजना कार्यालय से समन्वय	♥ वी.ई.सी. की बैठकों का अनुश्रवण

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की भूमिका :

प्रत्येक न्याय पंचायत मुख्यालय पर 10–15 विद्यालयों को आच्छादित करने के लिए एक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रकी स्थापना डी. पी. ई. पी. योजनान्तर्गत की गयी है। समस्त क्रियाकलाप सामुदायिक (वी. ई. सी.) की सहभागिता से किया जाता है।

न्याय पंचायत केन्द्र के समन्वयक अनुगमन कार्यो को बरकरार रखते हुए प्रशिक्षण निवेशों के पुर्नवलन, नवीन शिक्षा विधियों के निस्पादन से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए शिक्षकों की सहायता करने गुणवत्ता समवर्धन निवेशों की व्यापक भिन्नताओं के प्रबन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके अतिरिक्त बहुतसारी भूमिकाओं का निर्वहन न्यायपंचायम समन्वयक द्वारा निम्नवत किया जाता है।

अकादमिक	नियोजन, संगठन समन्वय	अनुश्रवण एवं अनुगमन
• एन. पी. आर. सी. को संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित करना	• कार्यशालाओं, गोष्ठियों एवं मासिक बैठकों का एन. पी. आर. पर नियोजन	• विद्यालयी क्रियाकलापों का अनुश्रवण
• ग्राम समुदाय की गतिशीलता एवं अभिप्रेरण	• वी.ई.सी. की नियमित बैठकों एवं आवश्यकतानुसार कार्यशाला का आयोजन	• वी.ई.सी. बैठकों का अनुश्रवण
• अधिगम सामग्री, विकास एवं आदर्श पाठ प्रदर्श	• अधिगम सामग्री विकसित करने हेतु शिक्षकों को प्रेरण एवं अनुसर्मथन	• विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षकों की कमजोरियों को चिन्हित करना तथा आदर्श पाठ प्रस्तुत करना
• सह पाठ्यक्रमीय क्रिया का संचालन	• सह पाठ्क्रमीय विकास के लिए कार्यशाला का आयोजन	• शिक्षकों के रूझान को समझना एवं सुझाव देना
• सूक्ष्म नियोजन	• विद्यालयी माचित्रण के आधार पर ग्रामाधारित कार्ययोजना निर्माण	• प्रत्येक विद्यालयों पर विद्यालयी मानचित्रण के कार्य को सुनिश्चित तौर पर पूर्ण करना
• नवाचार शिक्षा	• शिक्षकों को शिक्षक जनरल विचार पत्रक, पम्फलेट,	• प्रत्येक विद्यालयों पर इनका अनुश्रवण एवं सुझाव देना

	ब्रोसरन्यूज लेटर, प्रशिक्षण माड्यूल पुस्तकें नियमित रूप से उपलब्ध कराना	
• सूचना विनियम	• प्रबन्ध सूचना प्रणाली का विकास	• आंकलो के संकलन हेतु शिक्षकों के रिकार्ड को चेक करना

न्याय पंचायत समन्वयक के कर्तव्य एवं दायित्व–

समस्त न्याय पंचायत समन्वयकों को विशिष्टि प्रशिक्षण डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत दिया गया है। ताकि वह नवीन शिक्षण विधियों के निष्पादन से सम्बन्धित कठिनाईयों के निराकरण एवं निदानात्मक सहायता प्रदान कर अध्यापकों की छवि निखारने और अपने उत्तदायित्वों के प्रति उन्हें संवेदनशील बना सकें।

इसके अतिरिक्त सामुदायिक सहभागिता, शैक्षिक नियोजन (ग्राम शिक्षा योजना निर्माण), वी.ई.सी. प्रशिक्षण, कार्यशाला विद्यालय, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई के सुचारू रूप से संचालन तथा इससे सम्बन्धित बैठक, गोष्ठी एवं कार्यशाला समन्वयक विद्यालय सांख्यकी के आंकड़ों के संकलन, सत्यापन एवं संचयन तथा सूक्ष्म नियोजन के कार्य में भी सहायता प्रदान करते हैं।

न्याय पंचायत समन्वयक की भूमिका–

सर्व शिक्षा अभियान को दृष्टिगत रखते हुये न्याय पंचायत समन्वयक की भूमिका को निम्न प्रकार से प्रतिपादित किया गया है।

❖ अकादमिक–

- शिक्षकों को अभिप्रेरित करना एवं उनकी आत्म छवि में सुधार करना।
- अपने उत्तरदायित्वों के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील बनाना।
- सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को सक्षम बनाना।
- बाल केन्द्रित , क्रिया आधारित और रूचिपूर्ण कक्षा कार्य सम्पादन में अर्न्तदृष्टि प्रदान करना।

- आदर्श विद्यालय निर्माण हेतु सूक्ष्म दृष्टि निर्मित करना।
- उन्नत कक्षा कार्य में सम्पादन के लिए शिक्षकों को शक्ति सम्पन्न बनाना।
- आदर्श पाठ प्रदर्शन।
- सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों के प्रति शिक्षकों का अनुस्थापन करना।

नियोजन एवं अनुश्रवण :

- शिक्षकों के लिए अधिगम सामग्री का विकास ।
- सूचनाओं का संकलन, संचयन एवं सत्यापन।
- कार्यशालाओं गोष्ठियों एवं बैठकों का आयोजन ।
- विद्यालय भ्रमण एवं मार्गदर्शन ।
- पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन ।
- ग्रामीणों का सहयोग एवं समन्वय प्राप्त करना।
- सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालय मानचित्रण ।
- सामुदायिक सहभागिता हेतु कार्यक्रमों का आयोजन ।

सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण

बच्चों के अधिगम प्रतिफलों के सम्बर्धन एवं कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम विधियों मे परिवर्तन लाने के लिए शिक्षकों के शिक्षण दक्षताओं में उन्नयन एवं उन्हे नवीन शिक्षण विधाओं से परिचित कराने के लिए विशिष्ट रूप से विकसित प्रशिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कर शिक्षण विधियों में सुधार लोन के लिए नियमित शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण दक्षताओं एवं प्रभावकारिताओं के अभिवर्धन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जनपद के समस्त शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष डी.पी.ई.पी. योजनान्तर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रशिक्षकों का चयन :

उक्त प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों का चयन प्रथमतया ब्लाक स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है। चयन की प्रक्रिया दो चरणों में लिखित परीक्षा, समूह चर्चा, गतिविधि आदि

के आधार पर परामर्शी अभिकरण के द्वारा पूर्ण की जाती है। चयनित शिखक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण परियोजना द्वारा निर्धारित जनपदों में राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षित प्रशिक्षक संदर्भदाता के साथ ही अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के दायितव का निवर्हन भी करता है।

जनपद में शिक्षक प्रशिक्षण 3 चक्रों में अनिवार्य रूप से समस्त अध्यापकों को उपलब्ध कराया जा चुका है। जो कि निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट है–

क्रमांक	वर्ष	प्रशिक्षण	संकेन्द्रण
1	1998	शिक्षकोदय	• शिक्षक अभिप्रेरण एवं आत्मदृष्टि सुधार • वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण एवं शिक्षकों को सुसज्जित करना। • सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील बनाना। • लिंग एवं अपवंचित वर्गो का संदर्भन। • सामुदायिक सहभागिता हेतु शिक्षकों को सक्षम बनाना। • बाल केन्द्रित, क्रियाधारित एवं रूचिपूर्ण कक्षा–कक्ष कार्य सम्पादन। • आदर्श विद्यालय निर्माण • उन्नत कक्षा कार्य सम्पादन ।
2	1999	सबल एवं सर्मथन	• बच्चों के बारे में। • सीखने की प्रक्रिया। • शिक्षक के बारे में । • गतिविधि । • सामग्री । • भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन । • अनचाहे संदेश । • विद्यालय विकास ।

			• मूल्यॉकन ।
3	2000	साधन	• नवीन पाठ्य पुस्तक परिचय । • गतिविधि द्वारा पाठ्यपुस्तक को रोचक बनाने के तरीके • बहुउद्देशीय शिक्षक अधिगम सामग्री (टी.एल.एम) • बहुकक्षा / बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण। • समय प्रबन्धन। • समेकित शिक्षा। • स्कूलों का मूल्यॉकन । • सीखने का मूल्यॉकन । • कहानी–सफल संभावना । • सलेख–क्या, क्यों, कैसे । • वर्तनी में अशुद्धियॉं । • साप्ताहिक समय सारिणी।

न्याय पंचायत समन्यकों हेतु दो दिवसीय अतिरिक्त प्रशिक्षण :

द्वितीय चक्र प्रशिक्षण के साथ एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को शिक्षकों के प्रशिक्षण का अनुश्रवण न्याय पंचायत पर आयोजित होने वाली बैठकों प्रशिक्षणों एंव विद्यालय भ्रमण तथा स्कूलों के श्रेणीकरण से सम्बन्धित दो दिवसीय अतिरिक्त प्रशिक्षण किया गया है।

न्याय पंचायत स्तर पर प्रधानाध्यापकों / सहायक अध्यापकों की मासिक बैठकों मे सूचनाओं के आदान–प्रदान तथा शैक्षिक पहलुओं पर चर्चा एवं विचार–विमर्श के साथ ही उदाहरण स्वरूप संदर्भ दाताओं द्वारा स्थानीय विद्यालय भ्रमण के अनुभवों से परिचित कराकर उन्हें दक्ष बनाने का प्रयास किया गया है। उकत प्रशिक्षण निम्न विन्दुओं पर संकेन्द्रित था।

❖ विषयाधारित, पाठ्यपुस्तक आधारित आदर्श पाठ प्रस्तुत करना।

❖ विद्यालय भ्रमण के दौरान दिये गये शैक्षिक सुझावों को क्रियान्तिवत किये जाने की स्थिति ।

❖ शिखण कार्य में आने वाली कठिनाईयों पर चर्चा एवं उनका समाधान।

- शिक्षण अधिगम सामग्री (टी.एल.एम) का निर्माण व उनके उपयोग की समुचित जानकारी एपं समझ प्रदान करना।
- नवीन गतिविधियों का संग्रह एवं उनका प्रदर्शन।
- सामुदायिक सहयोग कैसे प्राप्त हो इस पर विचार।
- विद्यालय की स्थानीय कठिनाईयों एवं उनके समाधान पर विचार।
- शिक्षण विधियों एवं सामग्री के क्षेत्र में नवाचार लाने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना। नवाचारों की जानकारी बैठकों में देना।
- सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान वताई गयी नवीन शिक्षण विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग एवं क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने पर विचार।

उपुर्यक्त मुख्य विन्दुओं के अतिरिक्त मासिक बैठकों में स्कूल भ्रमण एवं मासिक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले अध्यापक कुछ नवीन विचारधारा के साथ प्रतिभाग करें।

प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण पर प्रभाव :

प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र का विस्तृत अभिलेख प्रतिभागियों के द्वारा स्वयं बनाया गया। प्रशिक्षण सत्रों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रणाली तैयार की गई जिसमें न सिर्फ भ्रमण एवं प्रेषण सम्मिलित थे वल्कि वाह्य अभिकरणों द्वारा कृत आंकलन भी किया गया। जनपद स्तर पर समस्त जिला समन्वयक, डायट मेन्टर एवं बी.आर.सी. द्वारा तथा ब्लाक एवं एन.पी.आर.सी. स्तर पर समन्वयकों के द्वारा भ्रमण एवं प्रेक्षण कार्य किया गया। बाद में इन मूल्यॉकन परिणामों को संम्मिलित कर इसकी आख्या डायट द्वारा तैयार की गई।

डायट द्वारा तैयार किये गये बेस लाईन सर्वे एवं मिड टर्म एसिस्मेन्ट स्टडी में लर्निंग एचीवमेंन्ट से यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि शिक्षकों ने प्रशिक्षणों को सम्मान दिया है। उन्होंने प्रशिक्षण का आंकलन अपनी स्वछवि निखारने एवं अपने उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायक के रूप में किया।

नियमित बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से समन्वय :

गुणवत्ता संवर्द्धन की दृष्टि से वी.ई.सी. स्तर पर आयोजित होने वाली मासिक बैठकों के माध्यम से समुदाय को सक्षम बनाने एवं सहायक तंत्र की स्थापना के लिए अध्यापक एवं ग्राम वासियों के मध्य समन्वयक का कार्य किया जा रहा है।

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए जागरूकता निर्माण एवं सामुदायिक सहायता को गतिशील बनाने के साथ–साथ अध्यापकों को अपेक्षित समर्थन एवं परियोजना उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संसाधन केन्द्रों को सुसज्जित करने व उनके सफल और सुचारू रूप से संचालन और निर्धारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु डायट, जिला संदर्भ समूह, बी.आर.सी. एवं सी.आर.सी. व विद्यालय के मध्य नियमित सम्पर्क कायम रखना जरूरी है। जिससे कि वी.ई.सी. सतर से डायट तक सभी एक सम्पर्क सूत्र में बंधे रहे तथा विद्यालयवीक्षण, मासिक बैठकों आदि भी अकादमिक प्रकृति को बरकरार रखा जा सके। तथा एक दूसरे से समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके लिए नियमित रूप से मासिक बैंठकों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना नितान्त आवश्यक है।

विद्यालय सौन्दर्यीकरण :

विद्यालयीय साज–सज्जाएवं सौनदर्यीकरण हेतु प्रत्येक विद्यालय को वार्षिक दो हजार रूपये की दर से अनुदान किया जाता है। विद्यालय अनुदान की धनराशि से विद्यालयों की रंगाइ पुताई, फर्नीचर आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति विद्यालयों के आकर्षण एवं साज–सज्जा तथा विद्यालजय की मूल–भूत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। जिसका निर्धारण वी.ई.सी. द्वारा किया जाता है।

सौन्दर्यीकरण क्यों ?

विद्यालयों को आकर्षक बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे जहाँ विद्यालयों का भौतिक परिवेश सुन्दर होता है वहीं समुदाय एवं बच्चे विद्यालय की तरफ आकर्षित होते हैंतथा उनका लगाव विद्यालय से बढ़ता है विशेष रूप से बच्चों के मस्तिष्क पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है और बच्चों का जहाँ एक तरफ विद्यालय से आत्मीयता बढ़ती है वही सीखने–सिखाने में यह एक प्रभावी कारक है।

सहायक सामग्री :

स्कूली शिक्षा तथा शिक्षण कार्य को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए सहायक सामग्री का निर्माण अध्ययापकों के लिए विशेष महत्व रखता है। टी.एल.एम. निर्माण के लिए डी.पी.ई.पी.

परियोजनान्तर्गत प्रतिवर्ष जनपद के प्रत्येक अध्यापकों को रू0 500.00 की दर से अध्यापक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

सामग्री निर्माण एवं उपयोग :

सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण स्वयं अध्यापकों द्वारा बच्चों द्वारा एवं अध्यापकों एवं बच्चों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता ळै। शिक्षण कार्य में विषयवस्तु के अनुसार निर्मित सहायक शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन एंव शिक्षण में उसके उपयोग से जहाँ अध्यापक को विषयवस्तु सिखाने में सहजता होती है वही बच्चे आसानीपूर्वक सीखते हैं तथा उन्हे चिरस्थाई कर लेते है।

मैटेरियल मेला :

प्रत्येक शिक्षकों में नवीनतम् सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एक दूसरे अध्यापकों को अपने अनुभवों के आदान--प्रदान एवं प्रतिस्पर्धा की भावना से विकास हेतु प्रत्येक वर्ष ब्लाकवार बी. आर.सी. व एन.पी.आर.सी. स्तर पर मैटेरियल मेले आयोजित किये जाते हैं। जिसमें अध्यापक अपने द्वारा निर्मित नवीनतम् शिक्षण सहायक सामग्री प्रदर्शित करते हैं, दूसरे अध्यापकों का नवाचार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। तत्पश्चात जनपद स्तर पर टी.एल.एम. का प्रदर्शन किया जाता है। इस मैटेरियल मेले के माध्यम से संवेदनशील बनाने के साथ प्रोत्साहित भी किया जाता है।

अनुपूरक शैक्षिक सामग्री :

शिक्षकों में स्वयं की ज्ञान बृद्धि हेतु समय–समय पर परियोनान्तर्गत विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्रियाँ एंव शैक्षिक साहित्य राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा शैक्षिक प्रेक्षक, समवेत, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद द्वारा "अभिनव एवं जिलापरियोजना कार्यालय" द्वारा ग्राम शिक्षा समिति कार्य पुस्तिका, आकर्षक विद्यालय, टी.एल.एम. निर्माण पैकेज एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रथम चरण में प्रशिक्षण में टी.एल.एम. निर्माण फोल्डर, द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में गतिविधि बैंक, विचार पत्रक तथा तृतीय चक्र के प्रशिक्षण में विचार पत्रक के अतिरिक्त शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षक संदर्शिका एवं गणित शिक्षण की कठिनाईयों के निवारण के लिए सोपान नामक पुस्तकें एवं पत्रिकायें उपलब्ध कराई गई है।

शिक्षकों को समय सारणी बनाने एवं शिक्षण कार्य के लिए किये गये नियोजन व कार्ययोजना निर्माण को सफल बनाने के लिए किये गये नियोजन व कार्य योजना निर्माण को सफल बनाने के साथ साि सत्रान्त से पहले विषयों को पूर्ण करने व उनकी पुनरावृत्ति हेतु कक्षा 1–5 तक 6–8 तक विषयवार व माहवार पाठ्क्रम भी उपलब्ध कराये गये है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकः

जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के शिक्षा के सुलभी करण व अभिभवको पर अतिरिक्त बोझा न पड़ने देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वह बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाता है। परियोजना के प्रथम दो वर्षो में अनुसूचित जाति के बच्चों व अन्य वर्ग की बालिकाओं को मुफ्त में पाठ्यपुस्तके उपलब्ध कराइ गयी हैं। इस वर्ष विद्यालय के समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई हैं ।

पुस्तकालय की स्थापना :

शिक्षकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं समुदाय के लिए शैक्षिक ज्ञान बृद्धि, विभिन्न विषयों की जानकारी, नवाचार एवं शैक्षिक अनुसर्मथन को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला परियोजना कार्यालय, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र व नवीन प्राथमिक विद्यालयों में की गई है।

प्रभावी अनुश्रवण :

शिक्षा को गुणवत्ता परक बनाने हेतु अपनायी गई कार्य नीतियों एवं शिक्षकों को सहयोगात्क भूमिका का निर्वहन करने के लिए शैक्षिक निरीक्षण के कार्य को प्रभावी बनाने हेतु निम्न लिखित रूपरेखा इस आशय तैयार की गई है कि अनुश्रवणकर्ता संसाधन केन्द्रों एवं विद्यालयों का भौतिक, शैक्षिक एवं सहगामी क्रिया कलापों का अनुश्रवण करे और शिक्षण कार्य में सुधार के लिए सुझाव पेश करे एवं संदर्भदाताओं व अध्यापकों को अपेक्षित सहयोग भी प्रदान करे।

1. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र :

न्याय पंचायत समन्वयक प्रभावी अनुश्रवण की प्राथमिक ईकाई होने के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के द्वारा विद्यालयों, ए.एस. केन्द्रों व ई.सी.सी.ई. का शैक्षिक अनुश्रवण का कार्य एवं शैक्षिक कठिनाई के निराकरण हेतु शिक्षकों को सहायता प्रदान की जाती है।

2. ब्लाक संसाधन केन्द्र :

ब्लाक समन्वयक और सह–समन्वयकों के द्वारा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों व विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है। शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए इन्हे अपेक्षित सहयोग भी प्रदान किया जाता है।

- शिक्षण अधिगम सामग्री (टी.एल.एम) का निर्माण व उनके उपयोग की समुचित जानकारी एपं समझ प्रदान करना।
- नवीन गतिविधियों का संग्रह एवं उनका प्रदर्शन।
- सामुदायिक सहयोग कैसे प्राप्त हो इस पर विचार।
- विद्यालय की स्थानीय कठिनाईयों एवं उनके समाधान पर विचार।
- शिक्षण विधियों एवं सामग्री के क्षेत्र में नवाचार लाने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना। नवाचारों की जानकारी बैठकों में देना।
- सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान वताई गयी नवीन शिक्षण विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग एवं क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने पर विचार।

उपुर्यक्त मुख्य बिन्दुओं के अतिरिक्त मासिक बैठकों में स्कूल भ्रमण एवं मासिक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले अध्यापक कुछ नवीन विचारधारा के साथ प्रतिभाग करें।

प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण पर प्रभाव :

प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र का विस्तृत अभिलेख प्रतिभागियों के द्वारा स्वयं बनाया गया। प्रशिक्षण सत्रों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रणाली तैयार की गई जिसमें न सिर्फ भ्रमण एवं प्रेषण सम्मिलित थे बल्कि वाहय अभिकरणों द्वारा कृत आंकलन भी किया गया। जनपद स्तर पर समस्त जिला समन्वयक, डायट मेन्टर एवं बी.आर.सी. द्वारा तथा ब्लाक एवं एन.पी.आर.सी. स्तर पर समन्वयकों के द्वारा भ्रमण एवं प्रेक्षण कार्य किया गया। बाद में इन मूल्यॉकन परिणामों को संम्मिलित कर इसकी आख्या डायट द्वारा तैयार की गई।

डायट द्वारा तैयार किये गये बेस लाईन सर्वे एवं मिड टर्म एसिस्मेन्ट स्टडी में लर्निंग एचीवमेंन्ट से यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि शिक्षकों ने प्रशिक्षणों को सम्मान दिया है। उन्होने प्रशिक्षण का आंकलन अपनी स्वछवि निखारने एवं अपने उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायक के रूप में किया।

नियमित बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से समन्वय :

गुणवत्ता संवर्द्धन की दृष्टि से वी.ई.सी. स्तर पर आयोजित होने वाली मासिक बैठकों के माध्यम से समुदाय को सक्षम बनाने एवं सहायक तंत्र की स्थापना के लिए अध्यापक एवं ग्राम वासियों के मध्य समन्वयक का कार्य किया जा रहा है।

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए जागरूकता निर्माण एवं सामुदायिक सहायता को गतिशील बनाने के साथ–साथ अध्यापकों को अपेक्षित समर्थन एवं परियोजना उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संसाधन केन्द्रों को सुसज्जित करने व उनके सफल और सुचारू रूप से संचालन और निर्धारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु डायट, जिला संदर्भ समूह, बी.आर.सी. एवं सी.आर.सी. व विद्यालय के मध्य नियमित सम्पर्क कायम रखना जरूरी है। जिससे कि वी.ई.सी. सतर से डायट तक सभी एक सम्पर्क सूत्र में बंधे रहे तथा विद्यालयवीक्षण, मासिक बैठकों आदि भी अकादमिक प्रकृति को बरकरार रखा जा सके। तथा एक दूसरे से समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके लिए नियमित रूप से मासिक बैंठकों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना नितान्त आवश्यक है।

विद्यालय सौन्दर्यीकरण :

विद्यालयीय साज–सज्जाएवं सौनदर्यीकरण हेतु प्रत्येक विद्यालय को वार्षिक दो हजार रूपये की दर से अनुदान किया जाता है। विद्यालय अनुदान की धनराशि से विद्यालयों की रंगाइ पुताई, फर्नीचर आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति विद्यालयों के आकर्षण एवं साज–सज्जा तथा विद्यालजय की मूल–भूत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। जिसका निर्धारण वी.ई.सी. द्वारा किया जाता हैं।

सौन्दर्यीकरण क्यों ?

विद्यालयों को आकर्षक बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे जहाँ विद्यालयों का भौतिक परिवशे सुन्दर होता है वहीं समुदाय एवं बच्चे विद्यालय की तरफ आकर्षित होते हैंतथा उनका लगाव विद्यालय से बढता है विशेष रूप से बच्चों के मस्तिष्क पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है और बच्चों का जहाँ एक तरफ विद्यालय से आत्मीयता बढ़ती है वही सीखने–सिखाने में यह एक प्रभावी कारक है।

सहायक सामग्री :

स्कूली शिक्षा तथा शिक्षण कार्य को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए सहायक सामग्री का निर्माण अध्ययापकों के लिए विशेष महत्व रखता है। टी.एल.एम. निर्माण के लिए डी.पी.ई.पी.

परियोजनान्तर्गत प्रतिवर्ष जनपद के प्रत्येक अध्यापकों को रू0 500.00 की दर से अध्यापक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

सामग्री निर्माण एवं उपयोग :

सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण स्वयं अध्यापकों द्वारा बच्चों द्वारा एवं अध्यापकों एवं बच्चों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता ळै। शिक्षण कार्य में विषयवस्तु के अनुसार निर्मित सहायक शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन एंव शिक्षण में उसके उपयोग से जहाँ अध्यापक को विषयवस्तु सिखाने में सहजता होती है वही बच्चे आसानीपूर्वक सीखते हैं तथा उन्हे चिरस्थाई कर लेते है।

मैटेरियल मेला :

प्रत्येक शिक्षकों में नवीनतम् सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एक दूसरे अध्यापकों को अपने अनुभवों के आदान–प्रदान एवं प्रतिस्पर्धा की भावना से विकास हेतु प्रत्येक वर्ष ब्लाकवार बी. आर.सी. व एन.पी.आर.सी. स्तर पर मैटेरियल मेले आयोजित किये जाते हैं। जिसमें अध्यापक अपने द्वारा निर्मित नवीनतम् शिक्षण सहायक सामग्री प्रदर्शित करते हैं, दूसरे अध्यापकों का नवाचार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। तत्पश्चात जनपद स्तर पर टी.एल.एम. का प्रदर्शन किया जाता है। इस मैटेरियल मेले के माध्यम से संवेदनशील बनाने के साथ प्रोत्साहित भी किया जाता है।

अनुपूरक शैक्षिक सामग्री :

शिक्षकों में स्वयं की ज्ञान बृद्धि हेतु समय–समय पर परियोनान्तर्गत विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्रियाँ एंव शैक्षिक साहित्य राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा शैक्षिक प्रेक्षक, समवेत, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद द्वारा "अभिनव एवं जिलापरियोजना कार्यालय" द्वारा ग्राम शिक्षा समिति कार्य पुस्तिका, आकर्षक विद्यालय, टी.एल.एम. निर्माण पैकेज एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रथम चरण में प्रशिक्षण में टी.एल.एम. निर्माण फोल्डर, द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में गतिविधि वैंक, विचार पत्रक तथा तृतीय चक्र के प्रशिक्षण में विचार पत्रक के अतिरिक्त शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षक संदर्शिका एवं गणित शिक्षण की कठिनाईयों के निवारण के लिए सोपान नामक पुस्तकें एवं पत्रिकायें उपलब्ध कराई गई है।

शिक्षकों को समय सारणी बनाने एवं शिक्षण कार्य के लिए किये गये नियोजन व कार्ययोजना निर्माण को सफल बनाने के लिए किये गये नियोजन व कार्य योजना निर्माण को सफल बनाने के साथ सााि सत्रान्त से पहले विषयों को पूर्ण करने व उनकी पुनरावृत्ति हेतु कक्षा 1–5 तक 6–8 तक विषयवार व माहवार पाठ्क्रम भी उपलब्ध कराये गये है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकः

जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के शिक्षा के सुलभी करण व अभिभवको पर अतिरिक्त बोझा न पड़ने देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वह बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाता है। परियोजना के प्रथम दो वर्षो में अनुसूचित जाति के बच्चों व अन्य वर्ग की बालिकाओं को मुफ्त में पाठ्यपुस्तके उपलब्ध कराइ गयी हैं। इस वर्ष विद्यालय के समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई हैं ।

पुस्तकालय की स्थापना :

शिक्षकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं समुदाय के लिए शैक्षिक ज्ञान बृद्धि, विभिन्न विषयो की जानकारी, नवाचार एवं शैक्षिक अनुसर्गथन को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला परियोजना कार्यालय, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र व नवीन प्राथमिक विद्यालयों में की गई है।

प्रभावी अनुश्रवण :

शिक्षा को गुणवत्ता परक बनाने हेतु अपनायी गई कार्य नीतियों एवं शिक्षकों को सहयोगात्क भूमिका का निर्वहन करने के लिए शैक्षिक निरीक्षण के कार्य को प्रभावी बनाने हेतु निम्न लिखित रूपरेखा इस आशय तैयार की गई है कि अनुश्रवणकर्ता संसाधन केन्द्रों एवं विद्यालयों का भौतिक, शैक्षिक एवं सहगामी क्रिया कलापों का अनुश्रवण करे और शिक्षण कार्य में सुधार के लिए सुझाव पेश करे एवं संदर्भदाताओं व अध्यापकों को अपेक्षित सहयोग भी प्रदान करे।

1. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र :

न्याय पंचायत समन्वयक प्रभावी अनुश्रवण की प्राथमिक ईकाई होने के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के द्वारा विद्यालयों, ए.एस. केन्द्रों व ई.सी.सी.ई. का शैक्षिक अनुश्रवण का कार्य एवं शैक्षिक कठिनाई के निराकरण हेतु शिक्षकों को सहायता प्रदान की जाती है।

2. ब्लाक संसाधन केन्द्र :

ब्लाक समन्वयक और सह–समन्वयकों के द्वारा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों व विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है। शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए इन्हे अपेक्षित सहयोग भी प्रदान किया जाता है।

3. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं विद्यालय के अनुश्रवण के लिए ब्लाकवार 'मेन्टर' नियुक्त किये गये है। संसाधन केन्द्रों को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सुझाव, परामर्श एवं सहयोग करने का कार्य मेन्टर के द्वारा किया जाता है।

क्षमता में निरनतर बृद्धि एवं समस्या समाधान :

जनपद के समस्त संसाधन केन्द्रों व विद्यालयों एवं अध्यापकों में उनकी क्षमता `स और अधिक कार्य करने व कौशलों एवं दक्षताओं के विकास के साथ–साथ विभिन्न स्तरो पर शैक्षिक कठिनाई के समाधान हेतु निरन्तर प्रयास जारी हैं। इस कार्य के लिए संसाधन केन्द्रों को और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु जनपद स्तर पर ए.आर.जी., एवं डी.आर.जी. का गठन तथा विकास खण्ड स्तर पर बी.आर.जी. का गठन किया गया है। जिसका ढाचा निम्नवत् है–

1. अकादमिक संसाधन समूह (ए.आर.जी.)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के तहत इसका गठन किया गया है जिसके सदस्य निम्न हैं। प्राचार्य (डायट) 'अध्यक्ष', उप प्राचार्य 'उपाध्यक्ष', जिला समन्वयक कुद ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक, न्याय पंचायत समन्वयक एवं शिक्षक इसके सदस्य हैं। प्रत्येक माह में इस समूह की एक बैठक डायट में आयोजित की जाती है। जिसमें जनपद स्तर पर उभर कर आयी समस्याओं एवं कठिनाईयो पर चर्चा की जाती है तथा उसके समाधान के लिए ठोस कार्यनीति तैयार कर उसे अमल में लाने पर भी विचार किया जाता है।

2. जिला संदर्भ समूह :

जिला परियोजना कार्यालय के मातहत जनपद स्तर पर इसका गठन किया गया है। यह समूह परियोजनान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न कार्यो जैसे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों टी. ओ. टी. चयन चंबामवम कमसवउमदज, समस्याओ को चिन्हित करने एवं उनके समाधान को ढूढ़ने के साथ–साथ प्रशिक्षण के प्रभावों का व्यवपक अनुश्रवण करने के साथ शैक्षिक अनुसमर्थन एवं संसाधन केद्रों वा अध्यापको की क्षमता में वृद्धि के लिये कार्य करता है। इस समूह का ढाचा निम्नवत है।

जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) अध्यक्ष एवं समस्थ जिला समन्वयक कुछ ब्लाक समन्वयक सह समन्वयक, न्याय पंचायत समन्वयक, कुछ प्रतिभावान शिक्षक/शिक्षिका व विभिन्न विभागों के सेवायुक्त अधिकारी और एन. जी. ओ. के सदस्य।

3. ब्लाक रिसोर्श ग्रुप (बी. आर. जी.)

ब्लाक संसाधन के जेरे तहत इसका गठन किया गया है। न्याय पंचायत संसाधन केद्रों एवं विद्यालयों को विकसित करने एवं न्याय पंचायत समन्वयक व अध्यापको को अधिक क्षमतावान बनाने के सक्रिय रूप से सहभागिता एवं सहयोग का कार्य इस समूह द्वारा किया जाता है। जिसके सदस्य निम्नवत् है।

ब्लाक समन्वयक अध्यक्ष, कुछ प्रतिभावान शिक्षक/ शिक्षिका कुछ न्याय पंचायत समन्वयक, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने वाले जुझारू युवक/युवतिया, व एन. वाई. के. के कार्यकर्ता आदि।

4. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानः (डायट)

ब्लाक, न्याय पंचायत संसाधन केद्रों एवं विद्यालयों को गुणवत्ता संवर्धन, शैक्षिक कठिनाईयों के निराकरण, शैक्ष्जिक वातावरण में निरंतर सुधार करने एवं इन्हें सुदृढ़ वा समृद्ध करने के लिये प्रत्येक माह में दो बार बैठके आयोजित कर व कार्यशालाओं के माध्म से विद्यालयों के गुणात्मक विकास अध्यापको की दक्षतओं एवं कौशलो को उभारने का कार्य संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

शैक्षिक कठिनाईयों के निदान हेतु ठोस कार्य योजना का निमार्ण एवं उसे प्रभावी बनाने हेतुरणनीति तैयार करने के साथ ही उपरोक्त की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिये भी नीति निर्धारित की जाती है।

प्राथमिक विद्यालयों की ग्रेडिंग–

जनपद के प्रा वि., संकुल एवं ब्लाक संसाधन केद्रों के बेहतर संचालन एवं और अच्छा करने की प्रतिस्पर्धा विकसित करने हेतु इनकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग का प्रारूप राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया गया है जैसे विद्यालय हेतु उसका भौतिक परिवेश, शिक्षण विधि, बैठक व्यवस्था, सहायक सामंग्री का प्रयोग एवं सम्पत्ति स्तर आदि सं संबंधित बिन्दु सम्मिलित किये गये है। इस कार्द को संकुल प्रभारी, ब्लाक समन्वयक, डायट मेण्टर तथा जिला समन्वयको द्वारा की जाती है। ग्रेडिंग द्वारा कमियों का चिन्हित किया जाता है।

ब्लाकवार श्रेणीकरण

जनपद–सिद्धार्थनगर

सितम्बर 2001

क्रमांक	ब्लाक का नाम	श्रेणी विद्यालयों की संख्या				
		ए	बी	सी	डी	योग
1	नौगढ़	12	23	30	20	85
2	वर्डपुर	05	19	25	31	80
3	जोगिया	13	20	30	11	74
4	उस्का बाजार	12	20	35	40	107
5	डुमरियागंज	19	73	31	2	125
6	भनवापुर	2	13	25	55	95
7	खुनियांव	9	49	23	—	81
8	इटवा	35	36	9	4	74
9	शोहरतगढ	4	3	36	24	67
10	बढ़नी	—	40	38	—	78
11	मिठवल	16	62	26	—	104
12	बांसी	20	29	26	31	106
13	खेसरहा	—	85	2	—	87
14	सांथा	—	52	10	—	62

निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में लाने का प्रयास :

सारिणी 9:1 को देखने पर यह पता चलता है कि विद्यालय की स्थिति ठीक नही है।'ए' श्रेणी में 334 विद्यालय है , बी श्रेणी में 477 विद्यालय है। सी अंग्रेजी में 250 तथा डी श्रेणी मे 151 है। इसलिए डायट की जिम्मेदारी बनती है कि निम्न श्रेणी के विद्यालय को उच्च श्रेणी में लायें इसके लिए डायट स्तर पर बी. आर.सी. समन्वयक का बैठक कर उनक कारणों का पता लगाया गया और इसमें सुधार हेतु निम्न बिन्दुओं पर इनके उपाय प्रस्तावित है–

1. जिन विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होगी उसे उपलब्ध कराने का प्रयाय करेंगे।
2. छात्रों की अनुपात के अनुसार शिक्षक–नही हैं कम से कम दो जिला बेसिक यिाक्षा अधिकारी से सम्पर्क करें प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक की व्यवस्था का प्रयास करेंगे।
3. सहायक सामग्री का प्रयोग कराकर शिक्षा के प्रति छात्रों की रूचि जगाने का प्रयास करेंगे।
4. 'डी' श्रेणी के विद्यालय का बार–बार अनुश्रवण कराया जायेगा।

5. शिक्षक की शैक्षिक मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

6. डायट द्वारा विषय विशेषज्ञ को विद्यालय में भेजकर शिक्षक को मार्ग निर्देशन किया जायेगा।

7. बी.आर.सी. समन्वय को हर महीने में एक निश्चित लक्ष्य दिया जायेगा कि डी. श्रेणी के विद्यालयों को सी. में, सी. श्रेणी के विद्यालयों को बी. में तथा बी. को ए में लायें।

8. ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को मिलकर विद्यालय के रख–रखाव एवं विद्यालय के सौन्दर्यीकरण पर सहयोग लिया जायेगा।

9. प्रगति प्राप्त विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को पुरस्कृत एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किा जायेगा।

10. कमजोर छात्र/छात्राओं के लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

11. अच्छे शिक्षक तथा अवलोक कर्ताओं के माध्यम से आदर्श पाठ प्रस्तुत किये जायेंगे।

जनपद स्तर पर विकसित किये गये पैकेज : (शैक्षिक साहित्य)

जनपदीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिनन प्रकार के क्रिया कलापों को उन्नत ढंग से प्रचारित करनक एवं उनका प्रभव निचले स्तर तक पड़ने हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न पैकेजों का निर्माण किया गया। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है–

1. सृजन (पाठ आधारित सहायक सामग्री) :

पाठ आधारित सहायक सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग से सम्बन्धित कठ्निाईयों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद स्तर पर शिक्षकों के सहयोग से सृजन टी.एल.एम. पैकेज का निर्माण किया गया है। पैकेज में बिना मूल्य एवं बहुउद्देशीय पाठ आधारित सामग्री निर्माणतथा विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाने हेतु सरल एवं आवश्यक सुझाव दिये गये है।

2. पहचान (ब्रिज कोर्स कैम्प हेतु शिक्षक संदर्शिका) :

जनपद में वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित ब्रिज कोर्स कैम्प हेतु 'पहचान' संदर्शिका का विकास किया गया। इस संदर्शिका में दो माह में कैम्प में आने वाले बच्चों में कक्षा एक एवं दो की अपेक्षित दक्षताओं का विकास करने हेतु आवश्यक सामग्री तय की गई है।

3. चौपाल

नवगठित ग्राम शिक्षा समितियों को क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला हेतु 'चौपाल' पैकेज का निर्माण किया गया है।

ब्लाक संसाधन केन्द्रों द्वारा समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन –

शिक्षकों के अनुभवों का आपस में आदान–प्रदान करने एवं शिक्षा के प्रति रूचि तथा नवीनतम् जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बी.आर.सी. डुमरियागंज से मासिक पत्र. 'शिक्षा दर्पण' तथा बी.आर.सी. वर्डपुर से त्रैमासिक पत्रिका 'तरूण' का प्रकाशन गत दो वर्षो से किया जा रहा है। इस कार्य में अध्यापक एवं बच्चों की सक्रिय सहभागिता के साथ ही साथ जन समुदाय का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है।

विद्यालय स्तर पर बाल समाचार पत्रों का प्रकाशन :

जनपद में बच्चों की सृजनात्मक एवं लेखन क्षमता का विकास करने के लिए अनेक प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से मासिक बाल समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जा रहा है। जैसे हमारी कचबच, सम्पन्न लुटेरे, बचपन आदि।

पाठ्यपुस्तक अभिरूचि परीक्षा प्रतियोगिता :

नवीन पाठ्यक्रमानुसार प्राथमिक स्तर की नवीन पाठ्यपुस्तकें वर्ष 2000–2001 से लागू की गई हैं। इन पाठ्यपुस्तों को शिक्षक गहराई से अध्ययन करें तथा उनमें उनके प्रति रूचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न हो के लिए फरवरी 2001 में संकुल, विकास खण्ड तथा मार्च 2001 में जनपद स्तर पर 'पाइय पुस्तक अभिरूचि' परीक्षा का आयोजन किया गया। विकास खण्ड स्तर पर तथा जनपद स्तर पर प्रथम 5 स्थान पाने वाले अध्यापकों को पुरस्कृत करते हुए उन्हे शैक्षिक पुस्तकें यथा बच्चे सीखते कैसे हैं ? आकर्षक विद्यालय तथा दिवास्वप्न आदि पुस्तकें उपलब्ध कराई गई।

सत्रांन्त मूल्याँकन समारोह :

जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा परिणाम सत्रांन्त मूल्याँकन समारोह आयोजित कर लिया जाता है इसका उद्देश्य बच्चों एवं अभिभावकों को शिक्षा एवं विद्यालय के प्रति आकर्षित करने, बच्चों में बेहतर सीखने की क्षमता में भी बृद्धि करना है।

वार्षिक कार्ययोजना :

जनपद के समस्त बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. की माहवार वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें गुणवत्ता सुधार सम्प्राप्ति स्तर में बृद्धि एवं समुदाय की सक्रियता आदि हेतु अनेक बिन्दु शामिल किये गये है।

जुलाई माह में वार्षिक कार्ययोजना निर्माण हेतु तहसील स्तर पर एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. समन्वयकों की कार्यशालाएं आमंत्रित की गई थीं। मासिक बैठकों में इस कार्ययोजना के आधार पर गतमाह किये गये कार्यो की समीक्षा एवं आगमी माह की कार्ययोजना तैयार की जाती है।

प्राथमिक शिक्षाा के गुणातमक उन्नयन की समस्याए एवं समाधान के उपाय :

1. InService teacher training (Primary School Teachers)

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रतिवर्ष सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यह प्रशिक्षण राज्य स्तर पर विकसित प्रशिक्षण पैकेज के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो जनपद के शिक्षकों एवं उनसे जुड़ी शैक्षणिक कठिनाईयों को पूरी तरह से हल करने के लिए प्रर्याप्त नही हैं। साथ ही प्रशिक्षण सभी अध्यापकों के लिए एक सा है जबकि अध्यापक की समस्याएं अलग–अलग है।

इसलिए जनपदीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जनपदीय दिक्कतों एवं मुद्दों का आधार बनाते हुए ट्रेनिंग पैकेज जनपद मे तैयार किये जाने की जरूरत है।

2. Uper Primary School Teacher's

जनपद के विभिन्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किये गये अध्ययन के बाद खास तौर पर यह तस्वीर उभर कर सामने आती है कि कुछ प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी समय–समय पर सेवारत प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत है। चूँकि उत्तर प्रदेश स्तर पर विषय अध्यापक नियुक्त हैं और बहुत से अध्यापकों ने सम्बन्धित विषय के प्रशिक्षण की मांग की है।

इसलिए इन शिक्षकों की जरूरत के मुताबिक विषयाधारित प्रशिक्षण प्रदान किय`जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

मूल्यॉकन :

शिक्षक प्रशिक्षण मूल्यॉकन तकनीकी के माध्यम से प्राप्त रिपार्ट के विश्लेषण से यह तथ्य उजागर हुआ है कि शिक्षकों ने प्रशिक्षण को प्रर्याप्त सम्मान नही दिया है उन्होने प्रशिक्षण का उपयोग अपनी स्वछवि निखारने और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाने में, करने से गुरेज की है।

इसलिए प्रशिक्षण के मूल्यॉन एव अनुश्रवण को प्रणाली ठोस जामा पहनाये जाने की जरूरत है। जिसमें सिर्फ स्थानीय भ्रमण एवं पर्यवेक्षण हो बल्कि बाहरी लोगों के जरिए भी इसके आंकलन के कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

जानपद के निराजरी अध्ययन के बाद जो तथ्य उजागरहुए हैं वे बेहद निराशाजनक है। मूल्यॉकन के नाम पर विद्यालय में सिर्फ लिखित परीक्षा व्यवस्था प्रभावी है। जिससे कि बच्चों में सिर्फ संज्ञानात्मक पत्रों की जानकारी मिल पाती है तथा अन्य पक्ष अधूरे रह जाते है। जैसे–बौद्धिक, मानसिक कौशल, सृजनात्मक पक्ष, संग्रहकता, जागरूकता, कल्पनाशक्ति, तक, एकाग्रता, अभिव्यक्ति, सम्प्रेषण उनके आचार विचार, व्यहार एवं रहनन–सहन आदि के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन को व्यापक एवं समग्र बनाने की आवश्यकता है। तथा इसके अभिलेखीकरण की भी जरूरत है। ए.एस. एवं ई.सी.सी.ई केन्द्रों के बच्चों के लिए मूल्यॉकन कार्ड विकसित किये जाने की जरूरत है।

शिक्षकों के कार्यो का मूल्याकन :

शिक्षकों की दक्षताओं एवं कौशलों एवं उनकी अभिवृत्ति मापन हेतु मूल्यॉकन की कोई ठोस व्यवस्था प्राभावी नही हो सकी है। शिक्षा में गुणात्मक उन्नमन्य लाने हेतु विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रभावी मूल्यॉकन की जरूरत है।

शिक्षकों के स्वमूल्यॉकन के लिए भी उनके अन्दर सृजनात्मक सोच को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है ताकि उनके द्वारा किये गये कार्यो में रचनात्मकता आने के साथ ही उनके परिश्रम का उन्हे वास्तविक मूल्य प्राप्त हो और वे कर्म के तनाव से ग्रसित न रहें। उन्हे समाजिक व विभागीय सम्मन का लाभ मिल सके। जिसमें सचेनात्मकता लने की दृष्टि से ठोस एवं प्रभावी कार्यनीति तैयार करने की जरूरत है।

प्रशिक्षण :

शिक्षक शक्ति सम्पन्नता एवं नवीन शिक्षण पद्धतियो की जानकारी शिक्षकों के दक्षता एवं कौशलों के विकास उनके अभिवृत्ति परिवर्तन के साथ–साथ जनपदीय स्तर पर विद्यालयी, शैक्षणिक विषयवस्तु एवं अध्यापक व बच्चों की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों की सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है।

क्लास रूप आब्जरवेशन स्टडी :

जनपद सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए जनपदीय आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु निम्न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अध्ययन/सर्वेक्षण किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है–

क्रम.	दिनांक	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल
1	10.10.2001	प्रा.वि. साडी (वि0क्षे0 नौगढ)	
2.	10.10.2001	प्रा.वि. गोंसाईपुर (वि0 क्षे0 नौगढ)	
3.	13.10.2001		बलदेव उच्च प्राथमिक विद्यालय, दतरंगवा, वि0 क्षे0 उस्का (मान्यता प्राप्त)
4	15.10.2001	प्रा0 वि0 देलरूड(वि0क्षे0 नौगढ)	
5	16.10.2001	प्रा0 वि0 नासिरगंज (वि क्षे0 खेसरहा	उच्च प्राथमिक विद्यालय, करमा बाबू वि0 क्षे0 खेसरहा
6	18.10.2001	प्रा.वि. पचपेडवा, (वि.क्षे. मिठवल)	उच्च प्रथमिक विद्यालय, कटबन्ध वि. क्षेत्र मिठवल
7.	18.10.2001	प्रा.वि. हथियवा (वि.क्षे. वर्डपुर)	उच्च प्रथमिक विद्यालय, वर्डपुर, वि. क्षेत्र वर्डपुर

3. चौपाल

नवगठित ग्राम शिक्षा समितियों को क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से एक दिववसीय कार्यशाला हेतु 'चौपाल' पैकेज का निर्माण किया गया है।

ब्लाक संसाधन केन्द्रों द्वारा समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन –

शिक्षकों के अनुभवों का आपस में आदान–प्रदान करने एवं शिक्षा के प्रति रूचि तथा नवीनतम् जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बी.आर.सी. डुमरियागंज से मासिक पत्र. 'शिक्षा दर्पण' तथा बी.आर.सी. वर्डपुर से त्रैमासिक पत्रिका 'तरूण' का प्रकाशन गत दो वर्षो से किया जा रहा है। इस कार्य में अध्यापक एवं बच्चों की सक्रिय सहभागिता के साथ ही साथ जन समुदाय का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है।

विद्यालय स्तर पर बाल समाचार पत्रों का प्रकाशन :

जनपद में बच्चों की सृजनात्मक एवं लेखन क्षमता का विकास करने के लिए अनेक प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से मासिक बाल समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जा रहा है। जैसे हमारी कचबच, सम्पन्न लुटेरे, बचपन आदि।

पाठ्यपुस्तक अभिरूचि परीक्षा प्रतियोगिता :

नवीन पाठ्यक्रमानुसार प्राथमिक स्तर की नवीन पाठ्यपुस्तकें वर्ष 2000–2001 से लागू की गई हैं। इन पाठ्यपुस्तों को शिक्षक गइराई से अध्ययन करें तथा उनमें उनके प्रति रूचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न हो के लिए फरवरी 2001 में संकुल, विकास खण्ड तथा मार्च 2001 में जनपद स्तर पर 'पाइय पुस्तक अभिरूचि' परीक्षा का आयोजन किया गया। विकास खण्ड स्तर पर तथा जनपद स्तर पर प्रथम 5 स्थान पाने वाले अध्यापकों को पुरस्कृत करते हुए उन्हे शैक्षिक पुस्तकें यथा बच्चे सीखते कैसे हैं ? आकर्षक विद्यालय तथा दिवास्वप्न आदि पुस्तकें उपलब्ध कराई गई।

सत्रांन्त मूल्याँकन समारोह :

जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा परिणाम सत्रांन्त मूल्याँकन समारोह आयोजित कर लिया जाता है इसका उद्देश्य बच्चों एवं अभिभावकों को शिक्षा एवं विद्यालय के प्रति आकर्षित करने, बच्चों में बेहतर सीखने की क्षमता में भी बृद्धि करना है।

वार्षिक कार्ययोजना :

जनपद के समस्त बी.आर.सी. एवं एन.पी.आर.सी. की माहवार वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें गुणवत्ता सुधार सम्प्राप्ति स्तर में बृद्धि एवं समुदाय की सक्रियता आदि हेतु अनेक बिन्दु शामिल किये गये है।

जुलाई माह में वार्षिक कार्ययोजना निर्माण हेतु तहसील स्तर पर एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. समन्वयकों की कार्यशालाएं आमंत्रित की गई थीं। मासिक बैठकों में इस कार्ययोजना के आधार पर गतमाह किये गये कार्यो की समीक्षा एवं आगमी माह की कार्ययोजना तैयार की जाती है।

प्राथमिक शिक्षा के गुणातमक उन्नयन की समस्याए एवं समाधान के उपाय :

1. InService teacher training (Primary School Teachers)

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रतिवर्ष सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यह प्रशिक्षण राज्य स्तर पर विकसित प्रशिक्षण पैकेज के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो जनपद के शिक्षकों एवं उनसे जुड़ी शैक्षणिक कठिनाईयों को पूरी तरह से हल करने के लिए प्रर्याप्त नही हैं। साथ ही प्रशिक्षण सभी अध्यापकों के लिए एक सा है जबकि अध्यापक की समस्याएं अलग–अलग है।

इसलिए जनपदीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जनपदीय दिक्कतों एवं मुद्दों का आधार बनाते हुए ट्रेनिंग पैकेज जनपद मे तैयार किये जाने की जरूरत है।

2. Uper Primary School Teacher's

जनपद के विभिन्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किये गये अध्ययन के बाद खास तौर पर यह तस्वीर उभर कर सामने आती है कि कुछ प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी समय–समय पर सेवारत प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत है। चूँकि उत्तर प्रदेश स्तर पर विषय अध्यापक नियुक्त हैं और बहुत से अध्यापकों ने सम्बन्धित विषय के प्रशिक्षण की मांग की है।

इसलिए इन शिक्षकों की जरूरत के मुताबिक विषयाधारित प्रशिक्षण प्रदान किय`जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

मूल्याँकन :

शिक्षक प्रशिक्षण मूल्याँकन तकनीकी के माध्यम से प्राप्त रिपार्ट के विश्लेषण से यह तथ्य उजागर हुआ है कि शिक्षकों ने प्रशिक्षण को प्रर्याप्त सम्मान नही दिया है उन्होंने प्रशिक्षण का उपयोग अपनी स्वछवि निखारने और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाने में, करने से गुरेज की है।

इसलिए प्रशिक्षण के मूल्यॉन एव अनुश्रवण को प्रणाली ठोस जामा पहनाये जाने की जरूरत है। जिसमें सिर्फ स्थानीय भ्रमण एवं पर्यवेक्षण हो बल्कि बाहरी लोगों के जरिए भी इसके आंकलन के कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

जनपद के सिंहावलोकी अध्ययन के बाद जो तथ्य उजागरहुए हैं वे बेहद निराशाजनक है। मूल्यॉकन के नाम पर विद्यालय में सिर्फ लिखित परीक्षा व्यवस्था प्रभावी है। जिससे कि बच्चों में सिर्फ संज्ञानात्मक पत्रों की जानकारी मिल पाती है तथा अन्य पक्ष अधूरे रह जाते है। जैसे–बौद्धिक, मानसिक कौशल, सृजनात्मक पक्ष, संग्रहकता, जागरूकता, कल्पनाशक्ति, तर्क, एकाग्रता, अभिव्यक्ति, सम्प्रेषण उनके आचार विचार, व्वहार एवं रहनन–सहन आदि के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन को व्यापक एवं समग्र बनाने की आवश्यकता है। तथा इसके अभिलेखीकरण की भी जरूरत है। ए.एस. एवं ई.सी.सी.ई केन्द्रों के बच्चों के लिए मूल्यॉकन कार्ड विकसित किये जाने की जरूरत है।

शिक्षकों के कार्यो का मूल्याकन :

शिक्षकों की दक्षताओं एवं कौशलों एवं उनकी अभिवृत्ति मापन हेतु मूल्यॉकन की कोई ठोस व्यवस्था प्राभावी नही हो सकी है। शिक्षा में गुणात्मक उन्नमन्य लाने हेतु विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रभावी मूल्यॉकन की जरूरत है।

शिक्षकों के स्वमूल्यॉकन के लिए भी उनके अन्दर सृजनात्मक सोच को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है ताकि उनके द्वारा किये गये कार्यो में रचनात्मकता आने के साथ ही उनके परिश्रम का उन्हे वास्तविक मूल्य प्राप्त हो और वे कर्म के तनाव से ग्रसित न रहें। उन्हे समाजिक व विभागीय सम्मन का लाभ मिल सके। जिसमें सचेनात्मकता लने की दृष्टि से ठोस एवं प्रभावी कार्यनीति तैयार करने की जरूरत है।

प्रशिक्षण :

शिक्षक शक्ति सम्पन्नता एवं नवीन शिक्षण पद्धतियो की जानकारी शिक्षकों के दक्षता एवं कौशलों के विकास उनके अभिवृत्ति परिवर्तन के साथ–साथ जनपदीय स्तर पर विद्यालयी, शैक्षणिक विषयवस्तु एवं अध्यापक व बच्चों की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों की सेवारत प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है।

क्लास रूम आब्जरवेशन स्टडी :

जनपद सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए जनपदीय आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु निम्न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अध्ययन/सर्वेक्षण किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है–

क्रम.	दिनांक	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल
1	10.10.2001	प्रा.वि. साड़ी (वि0क्षे0 नौगढ)	
2.	10.10.2001	प्रा.वि. गोंसाईपुर (वि0 क्षे0 नौगढ)	
3.	13.10.2001		बलदेव उच्च प्राथमिक विद्यालय, दतरंगवा, वि0 क्षे0 उस्का (मान्यता प्राप्त)
4	15.10.2001	प्रा0 वि0 देलसड(वि0क्षे0 नौगढ)	
5	16.10.2001	प्रा0 वि0 नासिरगंज (वि क्षे0 खेसरहा	उच्च प्रथमिक विद्यालय, करमा बाबू वि0 क्षे0 खेसरहा
6	18.10.2001	प्रा.वि. पचपेड़वा, (वि.क्षे. मिठवल)	उच्च प्रथमिक विद्यालय, कटबन्ध वि. क्षेत्र मिठवल
7.	18.10.2001	प्रा.वि. हथियवा (वि.क्षे. बर्डपुर)	उच्च प्रथमिक विद्यालय, बर्डपुर, वि. क्षेत्र बर्डपुर

प्राथमिक विद्यालय–साड़ी :

- ❖ ई.वी.एस. (भूगोल) पढाने में सभी शिक्षकों को दिक्कत महसूस होती है तथा शिक्षकों का कथन है कि बहुत से पाठ बच्चों के बौद्धिक स्तर से ऊपर है।।
- ❖ कक्षा कक्ष में जगह कम है, छात्रों को बैठने में दिकक्त आती है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है।
- ❖ प्रधानाध्यापक ने बताया कि उन्हे विज्ञान विषय की प्रारम्भिक जानकारी भ्ज्ञी नही है।
- ❖ बच्चों का सम्प्राप्ति स्तर मध्यम है।
- ❖ बच्चों के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन कहानी सुनाने, अभिनय करने, (बच्चों के द्वारा) किया जाता है।
- ❖ Time table on followup व्यावहारिक रूप से नही हो पा रहा है।
- ❖ N.P.R.C. का सपोर्ट बहुत ही बेहतर है।
- ❖ परियोजनान्तर्गत उपलब्ध कराई गई पुस्कतों का अध्ययन अध्यापकों द्वारा किया जाता है।
- ❖ विद्यालय का कार्यदिवस 120 दिन विगत शैक्षिक सत्र में था जो कि विभागीय मन के अनुरूप निर्धारित–न्यूनतम कार्य दिवस हैं।

प्राथमिक विद्यालय गोसाईपुर :

अध्यापक–1

छात्र–78

- ❖ भाषा के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों को पढ़ाने में दिक्कत।
- ❖ अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से पाठ योजना का निर्माण करती है।
- ❖ टी0एल0एम0 निर्माण के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी नही है प्रशिक्षण में डिस्प्ले न होने के कारण समक्ष नही आया।
- ❖ बहु कक्षा शिक्षण विधा अपनाने में दिक्कत आती है, संतोषजनक शिक्षण कार्य नही हा`पाता है।
- ❖ समय–सारणी का निर्माण नही किया गया है।

बल्देव उच्च प्राथमिक विद्यालय, दतरंगवा (मान्यता प्राप्त)

अध्यापक–09

छात्र 498

- बृहद आवश्यकता (संसाधनों का आभाव)
- अध्यापक प्रशिक्षण की तथा शैक्षिक साहित्यों की मात्रा ।
- भूगोल विषय के शिक्षण कार्य में परेशानी का अनुभव, विषय अध्यापक का कथन।
- बच्चों के साथ समस्त अध्यापकों का बेहतर तालमेल।
- छात्रों का साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा।
- परीक्षा का स्वरूप त्रयमासिक, षष्टमासिक एवं वार्षिक।
- इसके अतिरिक्त मूल्यांकन की कोई पद्धति नही अपनाई जाती है।
- समय सारणी का निर्माणतथा उसका उपयोग बड़े ही सार्थक ढ़ंग से किया जाता है।
- शैक्षिक साहित्य खरीदकर पढ़ते हैं। विद्यालय में लाइब्रेरी का अभाव है। अध्यापक शैक्षिक साहित्य पढ़ने के बाद एक दूसरे शिक्षकों में उसका आदान–प्रदान करने के साथ ही कक्षा के अन्दर भी उसका उपयोग करते हैं।
- विद्यालय का कुल शिक्षण दिवस विगत सत्र में 250 दिन था।

प्राथमिक विद्यालय–पतेड़वा

अध्यापक–02

छात्र–149

- कक्षा की बैठक व्यवस्था ठीक नही।
- वर्क बुक का इस्तेमाल नही किया जा रहा है।
- सहायक शिक्षण सामग्री का शिक्षण कार्य मे कोई उपयोग नही है।
- गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य नही किया जा रहा है।

- शिक्षकों में शिक्षण कार्य करते समय घबराहट का भाव।
- शिक्षकों की वेश–भूषा ठीक नही है।
- समुदाय का पूर्ण सहयोग नही मिल पा रहा है।
- विद्यालय सुसज्जित नही है। विद्यालय अनुदान का सही ढंग से उपयोग नही किया गया है।
- वी.ई.सी. की बैठकें नियमित हो रही है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय–कटिबंध

अध्यापक – 09

छात्र–268

- अध्यापकों को भाषा का ज्ञान नहीं।
- टी.एल. एम. का आभाव है।
- शिक्षकों में झिझक है।
- पढाते समय बच्चों के मानसिक स्तर का ध्यान नही दिया जाता है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय –करमा बाबू

अध्यापक–1

छात्र–41

- अध्यापक को भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी विषय का ज्ञान नही।
- शेष सभी विषयों को पढाने में परेशानी महसूस होती है।

प्राथमिक विद्यालय–नासिरगंज

अध्यापक–02, छात्र–164

- फर्नीचर एवं चटाई का अभाव ।
- टी.एल.एम. का निर्माण नही ।

❖ समय सारणी पर कोई ध्यान नही दिया जाता है।

❖ वी.ई.सी. की बैठकें ठीक से नही हो पा रही हैं।

❖ सतत एवं व्यापक मूल्यॉकन का अभाव।

❖ अच्छे परिणामों के प्राप्ति के लिए छात्रों एवं अध्यापकों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

विद्यालयीय कार्यदिवसों का तुलनात्मक अध्ययन

(प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, परिषदीय व अन्य मान्यता प्राप्त)

क्र	कुल कार्यदिवस		विद्यालय का नाम	वास्तविक शिक्षण कार्य दिवस एवं अन्य दिवस	अनिवार्य कार्य दिवस मे विद्यालय बन्द रहने वाले दिवस		बन्द रहने का कारण
	अधिकतम 245 दिन	न्यूनतम 220 दिन					
1			प्रा0वि0 सार्डी (वि0क्षे0–नौगढ)	210 दिन	7 दिन		बाढ
					6 दिन	28	शीतलहर
					4 दिन	दिन	जनगणना
					11दिन		मीटिंग
2			प्रा0वि0 गोसाईपुर (वि0क्षे0–नौगढ)	168 दिन	7 दिन		बाढ
					6 दिन	28	शीतलहर
					4 दिन	दिन	जनगणना
					11दिन		मीटिंग
3			बलदेव उच्च प्रा0 वि0 दतरंगवां वि0 क्षे0 उरवा (मान्यता प्राप्त)	250 दिन	3 दिन 6दिन 3 दिन	12 दिन	बाढशीत लहर आकास्मिक
4			उच्च प्राथमिक विद्यालय कला बाबू वि0 क्षे0 खेसरहा	189 दिन	11 दिन 7 दिन 6 दिन 9 दिन 12 दिन	45 दिन	बाढ शतलहर आकास्मिक बैठक बाढ शीतलहर रेली अन्य

क्लास रूम आब्जरवेशन स्टडी के प्रमुख निष्कर्ष

1. विद्यालय कार्य दिवस

उपरोक्त सारणी के डाटा से स्पष्ट है कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य दिवस बहुत कम मिले पाते है। जिससे शिक्षकों में पाठ्यक्रम पूर्ण करने का बोझ पडता है तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित

होती है बच्चों को पुनरावृत्ति के अवसर नही मिल पाते हैं साथ ही समय प्रबन्धक एवं कार्य नियोजन में भी भारी उलट फैर करनी पड़ती है।

इस लिए, शिक्षकों की माँग, संगठन के दबाव में विशेष अवकास, छोटे–छोटे बगत, पर्द, व त्योहार के अतिरिक्त स्थानीय अवकाशो को कम किया जाये। शिक्षकों के ऊपर अतिरिक्त कार्या का बोझ भी बहुत अधिक है। बेहतर यह होगा कि राष्ट्रीय कार्य क्रमों के अतिरिक्त शिक्षको से अन्य दूसरे कार्य न लिये जाये।

2 समय प्रबन्धक / समय सारणी

जनपद में विद्यालय स्तर पर किये गये अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश विद्यालयों में समय प्रबन्धक का कार्य बेहतर ढफग से नही किया जा रहा है जिसमें कि अध्यापक एक निश्चत दिशा में आगे नही बढ जाते है। तथा सूचनाओं आदि के संकलन में व्यर्थ ही रपेशान रहते हैं।

ज्यातर विद्यालयों पर समय सारणी के अनुसार शिक्ष क कार्य नही किये जाते है बहुत से विद्यालयें में समय–सारणी बनाई ही नही जाती अगर कुछ विद्यालनयों पर बनाई भी जाती है तो तो उसे फालो नही किया जाता जिससे कि समस्त विषयों के शिक्षण में सामानान्तर कार्य नही हो पाता है और गुणवत्ता प्रभावित होती है।

इस कार्य हेतु समस्त अध्यापकों को प्रशिण / कार्यशाला को माध्यम से सुष्पस्ट नीति निर्धारित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाना जरूरी है।

3. मान्यताप्राप्त विद्यालय

अध्ययन के उपरान्त यह तथ्य उजागर होते है कि मान्यता प्रप्त विद्यालयों की ओर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नही दिया जा रहा है, इन विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार हेतु कोई प्रयास नही किये गये है तथा इन्हें कोई सहयोग विभाग, समुदाय व एन. जी. ओ. से नही प्राप्त हो रहा है।

इस हेतु ठोस रणनीतिति अपनाये जाने की आवश्यकता है।

मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्रथमिक विद्यालय

जपनद में शैक्षिक सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही है बहुत से असेवित क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में एवं गैरमान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयें में स्थापना का कार्य

शैक्षिक संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। इन विद्यालयों द्वारा शिक्षा के सर्वजनीकरण में सहायता प्राप्त हो रही है। जनपद में वर्तमान समय में 103 प्राथमिक विद्यालय एवं 67 उच्च प्राथमिक मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित एवं जिनमें 6–14 वय वर्ग के कुल 107067 बच्चे अध्ययनरत हैं।

हॉलाकि इन विद्यालयों का शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर परिषदीय विद्यालयों की तुलना में काफी हद तक बेहतर हैं लेकिन इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक 80./.फीसद से जायद अप्रशिक्षित हैं ओर जो 20 प्रतिशत परिशिक्षित है उन्होंने माध्यमिक स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है। इन अध्यापकों को शिक्षण कार्य करने में काफी शैक्षिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ओर अध्यापक शिक्षण कार्य में कठिनाई महसूस करते है।

यह अध्यापक और बेहतरी प्रदर्शन कर सके और इन्हें सही दिशा प्रदान करने हेतु परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों की भाँति ही नियमित रूप से सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था काम करना निहायत ही जरूरी है।

विशेष बच्चों के बारे म

जनपद में 40 प्रतिशत ज्यादा आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन पर रही है अतः आर्थिक रूप से यहाँ के लोग पिछड़े है और इनके पास आय को कोई स्रोत नही है ऐसी परिस्थिति में यह लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नही चाहते और हालात से मजबूर होकर बच्चों को खेतो में, होंटलों में, इट भट्ठो पर काम करने में लगा देते है। जिससे इनको कुछ अर्थ समर्थन अपने पाल्यों द्वारा प्राप्त होने लगता है।

चूँकि यह जनपद मुख्यतः कृषि पर आधारित है इसलिए ज्यादातर बच्चें खेतों में मजदूरी का कार्य करते है इतना ही नही इस जनपद में अभी भी बधुवा मजदूरी का प्रचलन है जहाँ पर कठिन परिस्थिति यों में वच्चें वालश्रम करने के लिये मजबूर है मुख्यतः यह बच्चे दलित और अकल्लिमती तबके के है।

शहरी क्षेत्रों में खाना बदोस जातिमयों के बच्चे भीख माँगने का काम करते है और कूड़े कचरे से कबाड़ इकट्ठा कर बिक्रय कर जीवनो पार्जन के लिये इस तरह के काम करना जैसे इनका मुकद्दर बन गया है।

जपनद में कुछ क्षेत्र वि0 ख0 भनवापुर एवं बाँसी में ऐसे भी है जहाँ पर बदनाम बस्तीया है रेडलाईट ऐरिया भी कहते है यहाँ पर रहने वाली गणिकाओं के बच्चों के लिये भी शिक्षा की कोइ व्यवस्था नही है चूँकी डी. पी. ई. पी. परियोजनान्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से ब्रिज कार्स

कैम्प आयोजित कर इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन फिर भी उपरोक्त सभी तरह के बच्चे के लिये शिक्षा की समुचित व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत करनी है ।

लिंग और असमानता

जनपद स्तरीय विद्यालयों में किये गये अध्ययन से जो तथ्य उजासगर हुये है उससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा सहित विभिन्न विषयों में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के सीखने का औसत काफी कम है। बी. ए. एस. सर्वेशक्षण के अनुसार कक्षा एक में भाषा उपलब्धी में बलकों का मध्मान प्रतिशत बालिकाओं की अपेक्षा 4.4 अधिक है एम. ए. एस. सर्वेक्षण के अनुसार 2.3 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार गणित एवं अर्थशास्त्र विषयों में यह अन्तर दो गुनो से अधिक है। जबकि ऊपर की कक्षाओं में यह अन्तर 1.5 प्रतिशत अधिक है।

इनके विभिन्न कारण कुछ सामाजिक कुछ धर्मिक, कुछ आर्थिक सामाजिक कारणों में बाल विवाह, अभिभावक की उपेक्षा, कक्षा एवं विद्यालय में भेद भाव, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भेद भाव, अध्यापको की उपेक्षा आदि कारणों में पर्दा पर्था, कुछ जातियों में बाल विवाह, रूणिवादिता, असुरक्षा की भावना आदि आर्थिक कारणों में बाल मजदूरी, छोटे भाई बहनो की देख रेख, गृह कार्य एवं पैत्रृत कार्य में अभिभावकों को सहयोग आदि।

दपरोक्त कारणों के निवारण हेतु प्रयास आवश्यक है। इस हेतु बालिका शिक्षा प्रोत्शाहन के लिये शिक्षक, अभिभावक, तथा समुदाय का सहयोग अपेक्षित है, इसे निम्न कार्यक्रमों द्वारा किया जा सकता है:-

(अ) शिक्षक अभिभावक संघ :

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ जागरूक प्रथतिक जूनियर शिक्षकों, अभिभावको (माता-पिता) तथा कुछ गणमान्य जागरूक महिलाओं का संगठन बनाकर उन्हें कम से कम तीन दिन का अभिप्रेरण प्रशिक्षण दिया जाये।

(ब) माँ-बेटी संगठन :

ग्राम पंचायत स्तर पर माँ बेटी की संगठन का स्थापना का समय-समय पर बैठकों द्वारा बालिकाओं एवं माताओं की विभिन्न समस्यों पर चर्चा द्वारा नियमित उपस्थिति, पढ़ने के प्रर्याप्त अवसर, समानता तथा अन्य समस्याओं निराकरण का प्रयास किया जा सकता है।

(स) प्रोत्साहन :

जिस विद्यालय में बालिकाओं की अधिगम सम्प्राप्ति लडकों के समान या अधिक हो तथा जिस विद्यालय में लडकियों का परीक्षाफल लडकों के बराकर हो या अधिक हो उसे विद्यालय को प्रोत्साहन दिया जाय।

अल्प दक्षता वाले शिक्षकों हेतु अतिरिक्त प्रशिक्षण पैकेज :

प्रशिक्षणोपरान्त कक्षा में इसके अवलोकन से यह देखने में आया है कि शत प्रतिशत कक्षा शिक्षण में पशिक्षण का प्रभाव नही दिखता। इसका कारण यह है कि सभी शिक्षक एक समान मानसिक दक्षता वाले नही होते अथवा कुछ शिक्षक ऐसे दृढ स्वभाव के होते हैं जो परम्परागत विधियों से हटकर शिक्षण में नवाचार का विरोध करते है।

इस हेतु ऐसे शिक्षकों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण पैकेज की आवश्यकता महसूस की गई है। इस पैकेज में परम्परागत और नवीन शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण की उपलब्धियों का अन्तर कक्षा में अभ्यास करा कर तथा इनके प्रत्येक मान्यताओं पर अभ्यास तर्क द्वारा प्रशिक्षित कर नवाचार हेतु प्रेरित किया जा सकता है। आगामी वर्षो में उकत हेतु कार्ययोजना प्रस्तावित है।

गुणवत्ता सुधार हेतु समुदाय से सहयोग :

शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन हेतु समुदाय का सहयोग आवश्यक है। समुदाय को निम्न तरीके से प्रेरित किया जा सकता है।

1. प्रत्येक माह अभिभावकों की मासिक बैठक बच्चों को दिये गये गृह कार्य को घर पर कराने के लिए प्रेरित करना।

2. समुदाय के बुजुर्ग लोगों को विद्यालय पर आमंत्रित कर उनसे बच्चों को कहानी, कविता, लोकगीत आदि सुनने के लिए कहना।

3. समुदाय के शिल्पी वर्ग–कुम्हार, बढ़ई, लुहार आदि को विद्यालय बुलाकर या बच्चों को उनके पास ले जाकर उक्त कार्यो के सम्बन्ध में बच्चों का व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना।

बाढ़ से प्रभावित स्कूलों के लिए व्यवस्था :

सिद्धार्थनगर ज़नपद में प्रतिवर्ष लगभग 200 विद्यालय बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित होते है। सवार्धिक प्रभाव जोगिया ब्लाक में पड़ता है जहां के 60 प्रतिशत स्कूल बाढ़ के समय लगभग 30-40 दिन प्रतिवर्ष बन्द रहते है। इन विद्यालयों को ग्रीष्म अवकाश में संचालित करने की योजना है।

एस.एस.ए. के अन्तर्गत गुणवत्ता संबर्धन हेतु प्रस्तावित कार्य :

बच्चों के लिए विद्यालयीय शिक्षा को अधिक पहुँच योग्य बनाने के अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान केअन्तर्गत विद्यालय के समर्थ वातावरण सृजन, एक बार नामंकित बच्चों को विद्यालय में रखने हेतु समुदाय को सक्षम बनाने और ऐसे यसहायक तंत्र की स्थापना करने के लिए प्रयास किया जायेगा। धारण किये जाने वाली नीतियों का संकेन्द्रण विशेषतः बालिकाओं, अपवंचित तथा अल्य संख्यक समुदाय के बच्चों और विकलांग बच्चों पर होगा, क्योंकि इन समूहों का झुकाव उच्चतम ड्रापआउट की तरफ होता है। प्राथमिक विद्यालया, उच्च प्राािमिक विद्यालयों तथा मान्यतगा प्राप्त बेसिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों के धारण एवं संबर्धन के लिए निम्नलिखित विशिष्ट एवं नियोजित निवेशों को लागू किया जायेगा।

1. क. आईडियल क्लास रूम की स्थापना

   ख. शौचालय, पेयजल सुविधाएं

2. क. समेकित शिक्षा

   ख. वैकल्पिक शिक्षा

   ग. पूर्व प्राथमिक शिक्षा

3. प्रशिक्षण :

   क. बी.आर.जी., डी.आर.जी. का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण।

   ख. शिक्षा मित्रों का अतिरिक्त प्रशिक्षण।

   ग. नवनियुक्त अध्यापकों का प्रशिक्षण ।

   घ. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण ।

ड. वैकल्पिक शिक्षा अनुदेशकों एवं ई.सी.सी.ई. कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण ।

च. बी.आर.सी.–एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण (पुर्नबोधात्मक) ।

छ. ए.बी.एस.ए.–एस.डी.आई. का प्रशिक्षण ।

ज. वी.ई.सी. का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण ।

झ. डी.पी.ओ. एवं डायट कर्मियों का प्रशिक्षण ।

4 पाठ सामग्री विकास (टी.एल.एम.)

5. जनपदीय इतिहास एवं भूगोल के लिए विशेष पैकेज का विकास।

6. शिक्षण समय को बढाना ।

7. गैर सरकारी संगठनों तथा सरकारी विभागों का नेटवर्क बनाना।

8. जनपद स्तर पर विभिन्न माड्यूल एवं शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री का विकास।

9 सामुदायिक एवं महिला सहभागिता ।

3.2 शिक्षा मित्र प्रशिक्षण :

न्युक्ति उपरान्त शिक्षा मित्रों को प्रदान किये गये प्रशिक्षण के अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षा मित्रों को पाठ सामग्री विकास, टी.एल.एम. निर्माण, नवीन शिक्षण विधाओं पर आधारित 4 दिसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

3.4 नवनियुक्त अध्यापकों का प्राशिक्षण :

पव नियुक्त सहायक अध्यापकों को प्रथमतः 10 दिवसीय सेवापूर्व प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3.5 प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का प्रशिक्षण :

प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिये क्लास रूप आबजर्वेशन स्टडी तथा जे. आर. एम. के सुझावों वा जनपदीय आवश्कताओं को संकेन्द्रित करते हुये गणित, पर्यावरणीय अध्ययन (विज्ञान)

के कठिन स्थलों में आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर पर सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण माड्यूल एवं सामग्री का निर्माण कर शिक्षकों को प्रशितिक्ष किये जाने की आवश्यकता है।

प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को प्रत्येक वर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो कि निम्न तालिका के द्वारा प्रदर्शित है।

प्रथम पर्ष

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण (4दिन)	❖ नवीन पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षक संदर्शिका की उपयुक्त समझ एवं उसका उपयोग। ❖ गणित, पर्यावरण (कक्षा4–5) के कठिन स्थलों पर विशेष सत्र । ❖ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति सोच विकसित करना। ❖ जनपदीय इतिहास एवं भूगोल के सम्बन्ध में जानकारी।	सेवारत प्रधानाध्यापक /सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र
2	कार्यशाला (2दिन)	❖ संसाधन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण। ❖ संसाधनों की उपलब्धता। ❖ बेहतर समन्वय स्थापित करना।	बी.आर.सी., एन.पी.आर. सी. समन्वयक
3	कार्यशाला (4दिन)	❖ बहुकक्षा, बहु स्तर कक्षा शिक्षण के प्रति सकारात्मक सोच। ❖ बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण।	एन.पी.आर.सी. समन्वय, सेवारत प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक
4	प्रदर्शनी (1दिन)	❖ प्रेरक सामग्री। ❖ शिक्षण अधिगम सामग्री।	समस्त अध्यापक, शिक्षा मित्रा, बेसिक शिक्षा अनुदेशक।

द्वितीय वर्ष

द्वितीय वर्ष

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (7दिन)	❖ बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तिका का निर्माण। ❖ विज्ञान शिक्षण में प्रयोग एवं प्रदर्शन। ❖ विद्यालय प्रबन्धन एवं साप्ताहिक प्रबन्ध योजना निर्माण।	सेवारत प्रधानाध्यापक /सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र
2	कार्यशाला (3दिन)	❖ पर्यावरणीय अध्ययन के प्रति सुस्पष्ट नजरिया कायम करना।	समस्त प्रधानाध्यापक/ समस्त सहायक अध्यापक
3	कार्यशाला (2दिन)	❖ प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण पर प्रभाव।	एन.पी.आर.सी. समन्वयक, प्र0अ0/स0 अ0
4	प्रशिक्षण (3दिन)	❖ प्राथमिक विद्यालयों में वास्तविक समय सीमा बढ़ाने हेतु नीति निर्धारण।	ए.पी.आर.सी., बी.आर. सी. समन्वयक, प्र0अ0/स0अ0

तृतीय वर्ष

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (6दिन)	❖ पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण। ❖ एलाइड लैंग्वेज (उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत)। ❖ भाषा विज्ञान एवं व्याकरण। ❖ विद्यालय स्तर पर मासिक मूल्यांकन प्रपत्र विकास। ❖ आदर्श पाठ योजना एवं शिक्षक दैनन्दिनी।	समस्त प्र0अ0/स0अ0, शिक्षा मित्र
2	कार्यशाला (2दिन)	❖ शिक्षण कार्य को रूचिकर बनाने के उपाय। ❖ शिक्षकों का पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन।	एन.पी.आर.सी. समन्वयक, प्र0अ0/स0अ0
3	कार्यशाला (2दिन)	❖ पाठ्यक्रम विभाजन, योजना निर्माण	एन.पी.आर.सी. समन्वय, प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक

4	कार्यशाला (3दिन)	❖ सी.आर.सी. स्तर पर सतत व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रश्नावली एवं विभिन्न मूल्यांकन पद्धतियों की सुस्पष्ट कार्यनीति का निर्धारण।	एन.पी.आर.सी. समन्वयक प्र0अ0, स0अ0

चतुर्थ वर्ष :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (6दिन)	❖ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ❖ शिक्षण सामग्री विकास। ❖ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। ❖ नैतिक शिक्षा।	सेवारत प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र
2	कार्यशाला (3दिन)	❖ गणित शिक्षण की आदर्श पाठ योजना निर्माण ❖ बहुउद्देशीय एवं बहुकक्षा शिक्षण अधिगम सामग्री।	समस्त प्र0अ0 / स0अ0
3	कार्यशाला (2दिन)	❖ कक्षा शिक्षण में श्रव्यदृष्टा सामग्री / उपकरण का प्रयोग।	एन.पी.आर.सी. समन्वय, प्र0अ0 / स0 अ0

पंचम वर्ष :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (5दिन)	❖ पूर्व प्रशिक्षण के आधार पर कठिन स्थलों का आवश्यकताधारित पुर्नबोध। ❖ तकनीकी शिक्षा। ❖ व्यवसाय परक एवं कार्यानुभव शिक्षा। ❖ सामग्री विकास। ❖ शिक्षणेत्तर क्रिया–कलाप।	सेवारत शिक्षक एवं शिक्षा मित्र
2	प्रशिक्षण (10दिन)	❖ नव नियुक्त अध्यापकों का सेवापूर्वागम प्रशिक्षण।	समस्त नवनियुक्त अध्यापक
3	प्रशिक्षण	❖ पदोन्नति प्रधानाध्यापकों के लिए नेतृत्त्व समय	समस्त प्रधानाध्यापक

	[illegible]	प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन, अभिलेखीकरण एवं रख–रखाव। ❖ सहायक अध्यापक के साथ समन्वय।	[illegible]
4	प्रशिक्षण (5दिन)	❖ उर्दू विषयक प्रशिक्षण।	प्रत्येक विद्यालय से एक प्र0अ0 / स0 अ0
5	कार्यशाला (3दिन)	❖ पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमो की समीक्षा, प्रभाव, कठिनाई एवं निदान।	समस्त शिक्षक प्रशिक्षक एन.पी.आर.सी. समन्वयक, प्रत्येक विद्यालय से 1 प्र0अ0 / स0अ0

3.5 उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम :

जनपद स्तर पर किये गये क्लास रूम आबर्जवेशन स्टडी के आधार पर यह तथ्य साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्राथमिक विद्यालयों के वनिस्पत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धी की जरूरत महसूस की गई है। इस आधार पर उक्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विषयाधारित होने चाहिए जो कि निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे।

प्रथम चक्र :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (8दिन)	❖ अभिप्रेरण। ❖ सामुदायिक सहयोग। ❖ अध्यापक एवं बच्चों के बारे में। ❖ सीखने की प्रक्रिया। ❖ क्रियाधारित शिक्षण। ❖ शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण।	सेवारत प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक
2	कार्यशाला (2दिन)	❖ विज्ञान विषय के कठिन स्थलों की पहचान।	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक विषय अध्यापक
3	कार्यशाला	❖ विज्ञान विषय को रोचक बनाने के तरीके व	समस्त विज्ञान

के कठिन स्थलों में आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर पर सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण माड्यूल एवं सामग्री का निर्माण कर शिक्षकों को प्रशितिक्ष किये जाने की आवश्यकता है।

प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को प्रत्येक वर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो कि निम्न तालिका के द्वारा प्रदर्शित है।

प्रथम पर्ष

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण (8दिन)	❖ नवीन पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षक संदर्शिका की उपयुक्त समझ एवं उसका उपयोग। ❖ गणित, पर्यावरण (कक्षा4–5) के कठिन स्थलों पर विशेष सत्र । ❖ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति सोच विकसित करना। ❖ जनपदीय इतिहास एवं भूगोल के सम्बन्ध में जानकारी।	सेवारत प्रधानाध्यापक /सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र
2	कार्यशाला (2दिन)	❖ संसाधन केन्द्रों का सुदृढीकरण। ❖ संसाधनों की उपलब्धता। ❖ बेहतर समन्वय स्थापित करना।	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक
3	कार्यशाला (4दिन)	❖ बहुकक्षा, बहु स्तर कक्षा शिक्षण के प्रति सकारात्मक सोच। ❖ बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण।	एन.पी.आर.सी. समन्वय, सेवारत प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक
4	प्रदर्शनी (1दिन)	❖ प्रेरक सामग्री। ❖ शिक्षण अधिगम सामग्री।	समस्त अध्यापक, शिक्षा मित्रा, बेसिक शिक्षा अनुदेशक।

द्वितीय वर्ष

द्वितीय वर्ष

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (7दिन)	❖ बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तिका का निर्माण। ❖ विज्ञान शिक्षण में प्रयोग एवं प्रदर्शन। ❖ विद्यालय प्रबन्धन एवं साप्ताहिक प्रबन्ध योजना निर्माण।	सेवारत प्रधानाध्यापक /सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र
2	कार्यशाला (3दिन)	❖ पर्यावरणीय अध्ययन के प्रति सुस्पष्ट नजरिया कायम करना।	समस्त प्रधानाध्यापक / समस्त सहायक अध्यापक
3	कार्यशाला (2दिन)	❖ प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण पर प्रभाव।	एन.पी.आर.सी. समन्वयक, प्र0अ0 / स0 अ0
4	प्रशिक्षण (3दिन)	❖ प्राथमिक विद्यालयों में वास्तविक समय सीमा बढ़ाने हेतु नीति निर्धारण।	ए.पी.आर.सी., बी.आर. सी. समन्वयक, प्र0अ0 / स0अ0

तृतीय वर्ष

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (6दिन)	❖ पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण। ❖ एलाइड लैंग्वेज (उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत)। ❖ भाषा विज्ञान एवं व्याकरण। ❖ विद्यालय स्तर पर मासिक मूल्यांकन प्रपत्र विकास। ❖ आदर्श पाठ योजना एवं शिक्षक दैनन्दिनी।	समस्त प्र0अ0 / स0अ0, शिक्षा मित्र
2	कार्यशाला (2दिन)	❖ शिक्षण कार्य को रूचिकर बनाने के उपाय। ❖ शिक्षकों का पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन।	एन.पी.आर.सी. समन्वयक, प्र0अ0 / स0अ0
3	कार्यशाला (2दिन)	❖ पाठ्यक्रम विभाजन, योजना निर्माण	एन.पी.आर.सी. समन्वय, प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक

4	कार्यशाला (3दिन)	❖ सी.आर.सी. स्तर पर सतत व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रश्नावली एवं विभिन्न मूल्यांकन पद्धतियों की सुस्पष्ट कार्यनीति का निर्धारण।	एन.पी.आर.सी. समन्वयक प्र0अ0, स0अ0

चतुर्थ वर्ष :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (6दिन)	❖ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ❖ शिक्षण सामग्री विकास। ❖ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। ❖ नैतिक शिक्षा।	सेवारत प्रधानाध्यापक /सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र
2	कार्यशाला (3दिन)	❖ गणित शिक्षण की आदर्श पाठ योजना निर्माण ❖ बहुउद्देशीय एवं बहुकक्षा शिक्षण अधिगम सामग्री।	समस्त प्र0अ0 / स0अ0
3	कार्यशाला (2दिन)	❖ कक्षा शिक्षण में श्रव्यदृष्टा सामग्री / उपकरण का प्रयोग।	एन.पी.आर.सी. समन्वय, प्र0अ0 / स0 अ0

पंचम वर्ष :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (5दिन)	❖ पूर्व प्रशिक्षण के आधार पर कठिन स्थलों का आवश्यकताधारित पुर्नबोध। ❖ तकनीकी शिक्षा। ❖ व्यवसाय परक एवं कार्यानुभव शिक्षा। ❖ सामग्री विकास। ❖ शिक्षणेत्तर क्रिया–कलाप।	सेवारत शिक्षक एवं शिक्षा मित्र
2	प्रशिक्षण (10दिन)	❖ नव नियुक्त अध्यापकों का सेवापूर्वागम प्रशिक्षण।	समस्त नवनियुक्त अध्यापक
3	प्रशिक्षण	❖ पदोन्नति प्रधानाध्यापकों के लिए नेतृत्त्व समय	समस्त प्रधानाध्यापक

	([illegible]दिन)	प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन, अभिलेखीकरण एवं रख–रखाव। ❖ सहायक अध्यापक के साथ समन्वय।	([illegible])
4	प्रशिक्षण (5दिन)	❖ उर्दू विषयक प्रशिक्षण।	प्रत्येक विद्यालय से एक प्र0अ0 / स0 अ0
5	कार्यशाला (3दिन)	❖ पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमो की समीक्षा, प्रभाव, कठिनाई एवं निदान।	समस्त शिक्षक प्रशिक्षक एन.पी.आर.सी. समन्वयक, प्रत्येक विद्यालय से 1 प्र0अ0 / स0अ0

3.5 उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम :

जनपद स्तर पर किये गये क्लास रूम आबर्जवेशन स्टडी के आधार पर यह तथ्य साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्राथमिक विद्यालयों के वनिस्पत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धी की जरूरत महसूस की गई है। इस आधार पर उक्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विषयाधारित होने चाहिए जो कि निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे।

प्रथम चक्र :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (8दिन)	❖ अभिप्रेरण। ❖ सामुदायिक सहयोग। ❖ अध्यापक एवं बच्चों के बारे में। ❖ सीखने की प्रक्रिया। ❖ क्रियाधारित शिक्षण। ❖ शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण।	सेवारत प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक
2	कार्यशाला (2दिन)	❖ विज्ञान विषय के कठिन स्थलों की पहचान।	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक विषय अध्यापक
3	कार्यशाला	❖ विज्ञान विषय को रोचक बनाने के तरीके व	समस्त विज्ञान

के कठिन स्थलों में आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर पर सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण माड्यूल एवं सामग्री का निर्माण कर शिक्षकों को प्रशितिक्ष किये जाने की आवश्यकता है।

प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को प्रत्येक वर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो कि निम्न तालिका के द्वारा प्रदर्शित है।

प्रथम पर्ष

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण (8दिन)	❖ नवीन पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षक संदर्शिका की उपयुक्त समझ एवं उसका उपयोग। ❖ गणित, पर्यावरण (कक्षा4–5) के कठिन स्थलों पर विशेष सत्र । ❖ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रति सोच विकसित करना। ❖ जनपदीय इतिहास एवं भूगोल के सम्बन्ध में जानकारी।	सेवारत प्रधानाध्यापक /सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र
2	कार्यशाला (2दिन)	❖ संसाधन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण। ❖ संसाधनों की उपलब्धता। ❖ बेहतर समन्वय स्थापित करना।	बी.आर.सी., एन.पी.आर. सी. समन्वयक
3	कार्यशाला (4दिन)	❖ बहुकक्षा, बहु स्तर कक्षा शिक्षण के प्रति सकारात्मक सोच। ❖ बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण।	एन.पी.आर.सी. समन्वय, सेवारत प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक
4	प्रदर्शनी (1दिन)	❖ प्रेरक सामग्री। ❖ शिक्षण अधिगम सामग्री।	समस्त अध्यापक, शिक्षा मित्रा, बेसिक शिक्षा अनुदेशक।

द्वितीय वर्ष

द्वितीय वर्ष

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (7दिन)	❖ बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तिका का निर्माण। ❖ विज्ञान शिक्षण में प्रयोग एवं प्रदर्शन। ❖ विद्यालय प्रबन्धन एवं साप्ताहिक प्रबन्ध योजना निर्माण।	सेवारत प्रधानाध्यापक /सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र
2	कार्यशाला (3दिन)	❖ पर्यावरणीय अध्ययन के प्रति सुस्पष्ट नजरिया कायम करना।	समस्त प्रधानाध्यापक/ समस्त सहायक अध्यापक
3	कार्यशाला (2दिन)	❖ प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण पर प्रभाव।	एन.पी.आर.सी. समन्वयक, प्र0अ0 / स0 अ0
4	प्रशिक्षण (3दिन)	❖ प्राथमिक विद्यालयों में वास्तविक समय सीमा बढ़ाने हेतु नीति निर्धारण।	ए.पी.आर.सी., वी.आर. सी. समन्वयक, प्र0अ0 / स0अ0

तृतीय वर्ष

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (6दिन)	❖ पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण। ❖ एलाइड लैंग्वेज (उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत)। ❖ भाषा विज्ञान एवं व्याकरण। ❖ विद्यालय स्तर पर मासिक मूल्यांकन प्रपत्र विकास। ❖ आदर्श पाठ योजना एवं शिक्षक दैनन्दिनी।	समस्त प्र0अ0 / स0अ0, शिक्षा मित्र
2	कार्यशाला (2दिन)	❖ शिक्षण कार्य को रूचिकर बनाने के उपाय। ❖ शिक्षकों का पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन।	एन.पी.आर.सी. समन्वयक, प्र0अ0 / स0अ0
3	कार्यशाला (2दिन)	❖ पाठ्यक्रम विभाजन, योजना निर्माण	एन.पी.आर.सी. समन्वय, प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक

4	कार्यशाला (3दिन)	❖ सी.आर.सी. स्तर पर सतत व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रश्नावली एवं विभिन्न मूल्यांकन पद्धतियों की सुस्पष्ट कार्यनीति का निर्धारण।	एन.पी.आर.सी. समन्वयक प्र0अ0, स0अ0

चतुर्थ वर्ष :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (6दिन)	❖ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ❖ शिक्षण सामग्री विकास। ❖ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। ❖ नैतिक शिक्षा।	सेवारत प्रधानाध्यापक /सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र
2	कार्यशाला (3दिन)	❖ गणित शिक्षण की आदर्श पाठ योजना निर्माण ❖ बहुउद्देशीय एवं बहुकक्षा शिक्षण अधिगम सामग्री।	समस्त प्र0अ0/स0अ0
3	कार्यशाला (2दिन)	❖ कक्षा शिक्षण में श्रव्यदृष्टा सामग्री/उपकरण का प्रयोग।	एन.पी.आर.सी. समन्वय, प्र0अ0/स0 अ0

पंचम वर्ष :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (5दिन)	❖ पूर्व प्रशिक्षण के आधार पर कठिन स्थलों का आवश्यकताधारित पुर्नबोध। ❖ तकनीकी शिक्षा। ❖ व्यवसाय परक एवं कार्यानुभव शिक्षा। ❖ सामग्री विकास। ❖ शिक्षणेत्तर क्रिया–कलाप।	सेवारत शिक्षक एवं शिक्षा मित्र
2	प्रशिक्षण (10दिन)	❖ नव नियुक्त अध्यापकों का सेवापूर्वागम प्रशिक्षण।	समस्त नवनियुक्त अध्यापक
3	प्रशिक्षण	❖ पदोन्नति प्रधानाध्यापकों के लिए नेतृत्त्व समय	समस्त प्रधानाध्यापक

	[illegible]	प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन, अभिलेखीकरण एवं रख–रखाव। ❖ सहायक अध्यापक के साथ समन्वय।	[illegible]
4	प्रशिक्षण (5दिन)	❖ उर्दू विषयक प्रशिक्षण।	प्रत्येक विद्यालय से एक प्र0अ0 / स0 अ0
5	कार्यशाला (3दिन)	❖ पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमो की समीक्षा, प्रभाव, कठिनाई एवं निदान।	समस्त शिक्षक प्रशिक्षक एन.पी.आर.सी. समन्वयक, प्रत्येक विद्यालय से 1 प्र0अ0 / स0अ0

3.5 उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम :

जनपद स्तर पर किये गये क्लास रूप आबर्जवेशन स्टडी के आधार पर यह तथ्य साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्राथमिक विद्यालयों के वनिस्पत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धी की जरूरत महसूस की गई है। इस आधार पर उक्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विषयाधारित होने चाहिए जो कि निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे।

प्रथम चक्र :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (8दिन)	❖ अभिप्रेरण। ❖ सामुदायिक सहयोग। ❖ अध्यापक एवं बच्चों के बारे में। ❖ सीखने की प्रक्रिया। ❖ क्रियाधारित शिक्षण। ❖ शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण।	सेवारत प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक
2	कार्यशाला (2दिन)	❖ विज्ञान विषय के कठिन स्थलों की पहचान।	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक विषय अध्यापक
3	कार्यशाला	❖ विज्ञान विषय को रोचक बनाने के तरीके व	समस्त विज्ञान

	(5दिन)	प्रयोग एवं प्रदर्शन। ❖ आदर्श पाठ योजना निर्माण। ❖ विज्ञान विषय आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण्ज्ञ।	अध्यापक
4	मैटेरियल मेला प्रदर्शनी	❖ विज्ञान विषय से संबन्धित माडल प्रदर्शन।	समस्त विज्ञान अध्यापक
5	मासिक बैठक कार्यशाला	❖ एन.पी.आर.सी. स्तर पर प्रशिक्षण प्रगति की समीक्षा, कक्षा शिक्षण में उपयोग। ❖ आदर्श पाठ प्रस्तुतीकरण।	एन.पी.आर.सी. के समस्त प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक।

द्वितीय चक्र :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण	❖ गणित के कठिन स्थलों की पहचान। ❖ गणित शिक्षण को रोचक बनाने के तरीके । ❖ गणित मूल्यांकन के रोचक तरीके।	समस्त विषय अध्यापक एवं एनपीआरसी, बी.आर.सी समन्वयक।
2	कार्यशाला	❖ बच्चों के स्तरानुकूल आदर्श पाठ योजना निर्माण। ❖ गणित में सामग्री का महत्व। ❖ पुस्तकों का अध्ययन	प्र0अ0/स0अ0 एनपीआरसी समन्वयक
3	प्रर्दशनी	❖ गणित विषय से संबंधित सामग्री निर्माण/प्रदर्शन	समस्त अध्यापक
4	मासिक कार्यशाला/बैठक	❖ प्रशिक्षण प्रगति का मूल्यांकन/समीक्षा ❖ कक्षा शिक्षण की कठिनाईयाँ/निदान।	समस्त अध्यापक

तृतीय चक्र :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण	❖ नवीन पाठ्यपुस्तकों का परिचय। ❖ कठिन प्रकरणों के हल। ❖ सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए गुणवत्ता कौशल का विकास। ❖ क्रियाधारित अध्ययन। ❖ सामग्री का शिक्षण में प्रयोग।	समस्त अध्यापक एवं एनपीआरसी, बी.आर.सी समन्वयक।
2	प्रशिक्षण / कार्यशाला	❖ पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित कार्यशाला। ❖ समाजोपयोगी शिक्षा।	समस्त अध्यापक
3	प्रशिक्षण	❖ क्राफ्ट, कताई–बुनाई, कृषि, पुस्तक कला, शिल्प आदि से संबंधित।	समस्त विषयाध्यापक
4	मासिक कार्यशाला / बैठक	❖ प्रशिक्षण प्रगति का मूल्याकन / समीक्षा। ❖ कला शिक्षण की कठिनाईयाँ / निदान।	समस्त अध्यापक

चतुर्थ चक्र :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण	❖ भाषा क्या ? क्यों ! ❖ हिन्दी और संस्कृत में शिक्षण समानता। ❖ कठिन स्थलों की पहचान। ❖ क्रियाधारित एवं रूचिपूर्ण शिक्षण कार्य। ❖ सतत् एवं व्यापक मूल्याकन के तरीके।	समस्त प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक
2	कार्यशाला	❖ सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण। ❖ कक्षा शिक्षण में उपयोग।	समस्त अध्यापक
3	प्रशिक्षण	❖ कार्यानुभव शिक्षण। ❖ उत्पादक कार्य। ❖ समाजोपयोग, जीवनोपयोगी शिक्षा।	समस्त अध्यापक
4	मासिक	❖ प्रशिक्षण प्रगति का मूल्यांकन / समीक्षा	समस्त प्र0अ0 /

	कार्यशाला / बैठक	❖ कक्षा शिक्षण में उपयोग	स0अ0

पंचम चक्र :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण	❖ पूर्व प्रशिक्षणों का पुर्नबोध। ❖ एलाईड लैंगवेज (उुर्द, परसियन, अंग्रेजी)। ❖ कठिन स्थलों की पहचान। ❖ क्रियाधारित शिक्षण। ❖ व्याकरण का महत्व एवं उपयोगिता। ❖ सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग।	समस्त विद्यालय से 1 प्रधानाध्यापक / स0अ0
2	प्रशिक्षण / कार्यशाला	❖ बहुकक्षा / बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण। ❖ शिक्षणेत्तर क्रिया–कलाप। ❖ पाठ्य सामग्री विकास (प्रेरक सामग्री)	समस्त एन.पी.आर. समन्वयक, प्र0अ0 / स0अ0
3	प्रशिक्षण	❖ दूरस्थ शिक्षा / आडियो विजुअल प्रोग्राम। ❖ तकनीकी संसाधन / उपकरण / सामग्री का कक्षा शिक्षण में उपयोग।	समस्त एनपीआरसी समन्वयक, प्र0अ0 / स0 अ0
4	प्रशिक्षण	❖ कम्प्यूटर शिक्षा महत्व। ❖ शिक्षण में मदद /उपयोगिता। ❖ मूल्यांकन के नवीन तरीके।	समस्त विद्यालय से एक अध्यापक
5	प्रशिक्षण / कार्यशाला	❖ विज्ञान,गणित, भाषा शिक्षण पर पुर्नबोध। ❖ शिक्षण की नवीन आवश्यकताओं की पहचान। ❖ नियोजन एवं प्रबन्धन / साप्ताहिक योजना का पुर्नबोध।	

प्राथमिक शिक्षा में नवाचार :

बच्चों को सीखने के अधिक अवसर प्राप्त हो सके तथा बच्चों में बहुमुखी विकास हेतु गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशल पर बल देती हो प्रदान किया जाना अनिवार्य है। विज्ञान, गणित के कुछ कठिन स्थलों में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु शैक्षिक सर्पोट के साथ ही शिक्षकों को शैक्षिक नवाचार के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत जीवनोपयोगी गुणत्तापरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाकर ही किया जा सकता है। जिसमें नवाचार कार्यक्रमों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिक्षकों एवं बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए परिवर्तन के लक्ष्यों प्रति समान विचार एवं अवधारणाएं बनाने हेतु शिक्षकों की विजनिंग कार्यशालओं का आयोजन विभिन्न स्थलों पर अयोजित करने की जरूरत है।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनकें शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, अनेक विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षणों एवं कार्यशालओं के अतिरिक्त नवाचार कार्यक्रमों का श्रृखला बद्ध नियोजन किया जाना अनिवार्य है। नवाचार कार्ययोजनाएं शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होंगी।

शिक्षण विधाओं में विविधता एवं नयापन अपनाकर शिक्षक बच्चों को आसानी से सीखने, सिखाने की प्रक्रिया को सुगम बना सकते है। बच्चों में सुगमतापूर्वक सीखने की उत्सुकता, कौतूहल एवं जिज्ञासाएं भी बढ़ती हैं और वह स्वयं करके अनुभवशील होते हैं तथा उनकी शिक्षा को चिरस्थायित्व भी प्राप्त होता है। बच्चों को स्वयं नये कार्यो को करने से बच्चों का ज्ञान पूर्ण विकसित होता है और उनमें क्रियाशीलता भी आती है।

शैक्षिक नवाचार के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षण को भी अपनाया जा सकता है अतः इसके शिक्षण से पूर्व अध्यापकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था दिया जाना अनिवार्य है। कम्प्यूटर की सहायता से बच्चों के शिक्षण स्तर को बढ़ाया जा सकता है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवाचर कार्यक्रमों को सफल बनाने एवं शिक्षकों व बच्चों को सक्षम बनाने हेतु नवाचार कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना इस प्रकार है--

❖ बच्चों के लिए सामग्री विकास।

4	कार्यशाला (3दिन)	❖ सी.आर.सी. स्तर पर सतत व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रश्नावली एवं विभिन्न मूल्यांकन पद्धतियों की सुस्पष्ट कार्यनीति का निर्धारण।	एन.पी.आर.सी. समन्वयक प्र0अ0, स0अ0

चतुर्थ वर्ष :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (6दिन)	❖ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ❖ शिक्षण सामग्री विकास। ❖ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। ❖ नैतिक शिक्षा।	सेवारत प्रधानाध्यापक /सहायक अध्यापक एवं शिक्षा मित्र
2	कार्यशाला (3दिन)	❖ गणित शिक्षण की आदर्श पाठ योजना निर्माण ❖ बहुउद्देशीय एवं बहुकक्षा शिक्षण अधिगम सामग्री।	समस्त प्र0अ0 / स0अ0
3	कार्यशाला (2दिन)	❖ कक्षा शिक्षण में श्रव्यदृष्टा सामग्री / उपकरण का प्रयोग।	एन.पी.आर.सी. समन्वय, प्र0अ0 / स0 अ0

पंचम वर्ष :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (5दिन)	❖ पूर्व प्रशिक्षण के आधार पर कठिन स्थलों का आवश्यकताधारित पुर्नबोध। ❖ तकनीकी शिक्षा। ❖ व्यवसाय परक एवं कार्यानुभव शिक्षा। ❖ सामग्री विकास। ❖ शिक्षणेत्तर क्रिया–कलाप।	सेवारत शिक्षक एवं शिक्षा मित्र
2	प्रशिक्षण (10दिन)	❖ नव नियुक्त अध्यापकों का सेवापूर्वागम प्रशिक्षण।	समस्त नवनियुक्त अध्यापक
3	प्रशिक्षण	❖ पदोन्नति प्रधानाध्यापकों के लिए नेतृत्त्व समय	समस्त प्रधानाध्यापक

	[illegible]	[illegible] प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन, अभिलेखीकरण एवं रख–रखाव। ❖ सहायक अध्यापक के साथ समन्वय।	[illegible]
4	प्रशिक्षण (5दिन)	❖ उर्दू विषयक प्रशिक्षण।	प्रत्येक विद्यालय से एक प्र0अ0 / स0 अ0
5	कार्यशाला (3दिन)	❖ पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमो की समीक्षा, प्रभाव, कठिनाई एवं निदान।	समस्त शिक्षक प्रशिक्षक एन.पी.आर.सी. समन्वयक, प्रत्येक विद्यालय से 1 प्र0अ0 / स0अ0

3.5 उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम :

जनपद स्तर पर किये गये क्लास रूप आबर्जवेशन स्टडी के आधार पर यह तथ्य साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्राथमिक विद्यालयों के वनिस्पत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धी की जरूरत महसूस की गई है। इस आधार पर उक्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विषयाधारित होने चाहिए जो कि निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे।

प्रथम चक्र :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण (8दिन)	❖ अभिप्रेरण। ❖ सामुदायिक सहयोग। ❖ अध्यापक एवं बच्चों के बारे में। ❖ सीखने की प्रक्रिया। ❖ क्रियाधारित शिक्षण। ❖ शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण।	सेवारत प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक
2	कार्यशाला (2दिन)	❖ विज्ञान विषय के कठिन स्थलों की पहचान।	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक विषय अध्यापक
3	कार्यशाला	❖ विज्ञान विषय को रोचक बनाने के तरीके व	समस्त विज्ञान

	(5दिन)	प्रयोग एवं प्रदर्शन। ❖ आदर्श पाठ योजना निर्माण। ❖ विज्ञान विषय आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण्ज्ञ।	अध्यापक
4	मैटेरियल मेला प्रदर्शनी	❖ विज्ञान विषय से संबन्धित माडल प्रदर्शन।	समस्त विज्ञान अध्यापक
5	मासिक बैठक कार्यशाला	❖ एन.पी.आर.सी. स्तर पर प्रशिक्षण प्रगति की समीक्षा, कक्षा शिक्षण में उपयोग। ❖ आदर्श पाठ प्रस्तुतीकरण।	एन.पी.आर.सी. के समस्त प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक।

द्वितीय चक्र :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण	❖ गणित के कठिन स्थलों की पहचान। ❖ गणित शिक्षण को रोचक बनाने के तरीके । ❖ गणित मूल्यांकन के रोचक तरीके।	समस्त विषय अध्यापक एवं एनपीआरसी, बी. आर.सी समन्वयक।
2	कार्यशाला	❖ बच्चों के स्तरानुकूल आदर्श पाठ योजना निर्माण। ❖ गणित में सामग्री का महत्व। ❖ पुस्तकों का अध्ययन	प्र0अ0/स0अ0 एनपीआरसी समन्वयक
3	प्रर्दशनी	❖ गणित विषय से सबंधित सामग्री निर्माण/प्रदर्शन	समस्त अध्यापक
4	मासिक कार्यशाला/बैठक	❖ प्रशिक्षण प्रगति का मूल्यांकन/समीक्षा ❖ कक्षा शिक्षण की कठिनाईयाँ/निदान।	समस्त अध्यापक

तृतीय चक्र :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण	❖ नवीन पाठ्यपुस्तकों का परिचय। ❖ कठिन प्रकरणों के हल। ❖ सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए गुणवत्ता कौशल का विकास। ❖ क्रियाधारित अध्ययन। ❖ सामग्री का शिक्षण में प्रयोग।	समस्त अध्यापक एवं एनपीआरसी, बी.आर.सी समन्वयक।
2	प्रशिक्षण / कार्यशाला	❖ पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित कार्यशाला। ❖ समाजोपयोगी शिक्षा।	समस्त अध्यापक
3	प्रशिक्षण	❖ क्राफ्ट, कताई–बुनाई, कृषि, पुस्तक कला, शिल्प आदि से संबंधित।	समस्त विषयाध्यापक
4	मासिक कार्यशाला / बैठक	❖ प्रशिक्षण प्रगति का मूल्यांकन / समीक्षा। ❖ कला शिक्षण की कठिनाईयाँ / निदान।	समस्त अध्यापक

चतुर्थ चक्र :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण	❖ भाषा क्या ? क्यों ! ❖ हिन्दी और संस्कृत में शिक्षण समानता। ❖ कठिन स्थलों की पहचान। ❖ क्रियाधारित एवं रूचिपूर्ण शिक्षण कार्य। ❖ सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के तरीके।	समस्त प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक
2	कार्यशाला	❖ सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण। ❖ कक्षा शिक्षण में उपयोग।	समस्त अध्यापक
3	प्रशिक्षण	❖ कार्यानुभव शिक्षण। ❖ उत्पादक कार्य। ❖ समाजोपयोग, जीवनोपयोगी शिक्षा।	समस्त अध्यापक
4	मासिक	❖ प्रशिक्षण प्रगति का मूल्यांकन / समीक्षा	समस्त प्र0अ0 /

	कार्यशाला / बैठक	❖ कक्षा शिक्षण में उपयोग	स0अ0

पंचम चक्र :

क्र.	कार्यक्रम	संकेन्द्रण	प्रतिभागी विवरण
1	प्रशिक्षण	❖ पूर्व प्रशिक्षणों का पुर्नबोध। ❖ एलाईड लैंगवेज (उर्दू, परसियन, अंग्रेजी)। ❖ कठिन स्थलों की पहचान। ❖ क्रियाधारित शिक्षण। ❖ व्याकरण का महत्व एवं उपयोगिता। ❖ सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग।	समस्त विद्यालय से 1 प्रधानाध्यापक / स0अ0
2	प्रशिक्षण / कार्यशाला	❖ बहुकक्षा / बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण। ❖ शिक्षणेत्तर क्रिया–कलाप। ❖ पाठ्य सामग्री विकास (प्रेरक सामग्री)	समस्त एन.पी.आर. समन्वयक, प्र0अ0 / स0अ0
3	प्रशिक्षण	❖ दूरस्थ शिक्षा / आडियो विजुअल प्रोग्राम। ❖ तकनीकी संसाधन / उपकरण / सामग्री का कक्षा शिक्षण में उपयोग।	समस्त एनपीआरसी समन्वयक, प्र0अ0 / स0 अ0
4	प्रशिक्षण	❖ कम्प्यूटर शिक्षा महत्व। ❖ शिक्षण में मदद /उपयोगिता। ❖ मूल्यांकन के नवीन तरीके।	समस्त विद्यालय से एक अध्यापक
5	प्रशिक्षण / कार्यशाला	❖ विज्ञान,गणित, भाषा शिक्षण पर पुर्नबोध। ❖ शिक्षण की नवीन आवश्यकताओं की पहचान। ❖ नियोजन एवं प्रबन्धन / साप्ताहिक योजना का पुर्नबोध।	

प्राथमिक शिक्षा में नवाचार :

बच्चों को सीखने के अधिक अवसर प्राप्त हो सके तथा बच्चों में बहुमुखी विकास हेतु गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशल पर बल देती हो प्रदान किया जाना अनिवार्य है। विज्ञान, गणित के कुछ कठिन स्थलों में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु शैक्षिक सर्पोट के साथ ही शिक्षकों को शैक्षिक नवाचार के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत जीवनोपयोगी गुणत्तापरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाकर ही किया जा सकता है। जिसमें नवाचार कार्यक्रमों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिक्षकों एवं बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए परिवर्तन के लक्ष्यों प्रति समान विचार एवं अवधारणाएं बनाने हेतु शिक्षकों की विजनिंग कार्यशालओं का आयोजन विभिन्न स्थलों पर अयोजित करने की जरूरत है।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, अनेक विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षणों एवं कार्यशालओं के अतिरिक्त नवाचार कार्यक्रमों का श्रृखला बद्ध नियोजन किया जाना अनिवार्य है। नवाचार कार्ययोजनाएं शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखी करण में सहायक सिद्ध होंगी।

शिक्षण विधाओं में विविधता एवं नयापन अपनाकर शिक्षक बच्चों को आसानी से सीखने, सिखाने की प्रक्रिया को सुगम बना सकते है। बच्चों में सुगमतापूर्वक सीखने की उत्सुकता, कौतूहल एवं जिज्ञासाएं भी बढ़ती हैं और वह स्वयं करके अनुभवशील होते हैं तथा उनकी शिक्षा को चिरस्थायित्व भी प्राप्त होता है। बच्चों को स्वयं नये कार्यो को करने से बच्चों का ज्ञान पूर्ण विकसित होता है और उनमें क्रियाशीलता भी आती है।

शैक्षिक नवाचार के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षण को भी अपनाया जा सकता है अतः इसके शिक्षण से पूर्व अध्यापकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था दिया जाना अनिवार्य है। कम्प्यूटर की सहायता से बच्चों के शिक्षण स्तर को बढ़ाया जा सकता है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवाचर कार्यक्रमों को सफल बनाने एवं शिक्षकों व बच्चों को सक्षम बनाने हेतु नवाचार कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना इस प्रकार है–

❖ बच्चों के लिए सामग्री विकास।

- बालिकाओं के लिए कार्यानुभव कार्यक्रम।
- संसाधन केन्द्रों द्वारा पत्रिकाओं का संपादन एवं प्रकाशन।
- विद्यालयों से न्यूज लेटर का सम्पादन।
- डायट द्वारा गुणवत्ता संबंर्धन पैकेजों का निर्माण।
- एस0सी0इ0आर0टी0, एस0आई0ई0एम0टी0, आई0एस0पी0ओ0 आदि से शिक्षकों हेतु पत्रिकाओं का प्रेषण।
- विद्यालयों द्वारा शैक्षिक कलेन्डरों का निर्माण।
- शिक्षक संगम ।
- सहभागी प्रक्रिया प्रसरण (प्रेरक सामग्री)
- दक्षताधारित शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास।
- विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन।
- बाल मेलों का आयोजन।
- टी0एल0एम0 मेलों का आयोजन।
- विषयवस्तु शारांस विकास।
- स्वअधिगम सामग्री का विकास।
- समूह अधिगम को सुसाध्य बनाना।
- शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए विश्वसनीय तकनीक का विकास।
- तकनीकी संसाधनों का विकास।
- प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का निर्माण।
- विभिन्न (छात्र–अध्यापक) प्रतियोगिताओ का आयोजन।
- व्यावसायिक शिक्षा।
- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम।

❖ कम्प्यूटर शिक्षा।

❖ जनपद स्तरीय पैगगाजी यूनिट का निर्माण।

प्रशिक्षणों में दूरस्थ शिक्षा माध्यम का अधिकतम् उपयोग किया जायेगा। उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमितक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण :

सूचना प्रौद्योगिकी के बढते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियो को ध्सयान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी दी जायेगी । इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड में कुल 07 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिए डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरान्त उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एन.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विधालयों में छात्र छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी शिक्षण प्रदान करेंगे। पायलट आधार पर चलाए गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के [illegible]

2. जेन्डर सेंसिटाइजेशन :

कक्षा मे बालिकाओं के प्रति व्यवहार में संवेदनशीलता लाने हेतु बी.आर.सी. स्तर पर दो दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी, जिसमें प्रत्येक उच्च प्राथमिक से एक शिक्षक प्रतिभाग करेंगे।

3. नेतृत्व प्रशिक्षण :

सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का नेतृत्त्व प्रशिक्षण तथा समय प्रबन्धन एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया जायेगा यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा तथा इसके लिए प्रशिक्षण माड्यूल का विकास सीमेट इलाहाबाद के सहयोग से डायट द्वारा किया जायेगा।

4. अन्य प्रशिक्षण :

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण –

जनपद में शिक्षा मित्रों तथा ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए तीस दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. वैकल्पिक शिक्षा –

जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए अराधार भूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एन. सी.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर. सी. बी.आर.सी. के समन्वकों के द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक 2 वर्ष के अन्तराल पर किया जायेगा।

3. ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण –

पूर्व माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि से शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा।इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार आधार शिला (भाग 1 व 11) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट सतर पर आयोजित किया

जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य विन्दु इस प्रकार है। स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखरेख को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शरीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक संवेगात्मक एवं सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है। तथा इसके अतिरिक्त पांच केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का प्रयोग आगामी तीन–चार वर्षो में किया जायेगातदन्तर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. बी.आर.सी. / एन.पी.आर.सी.समन्वयों का प्रशिक्षण–

डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयो को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया जा रहा है।एस.एस.ए. परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल, इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाता है। इस प्रकार बी.आर.सी., एन.पी. आर.सी.समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर.सी., एन.पी.आर. सी. समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट सतर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित, परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारण्टी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर. सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकेंगे।

5. ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. प्रशिक्षण –

जनपद, विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका पांच दिवसीय ओरियन्टेशन कार्यक्रम डायट पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्यविन्दु इस प्रकार हैं–अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासकीय निमंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्र आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण

हेतु आयेजित प्रशिक्षण ई.एम.आई.एस. माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. ग्राम शिक्षा के समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण :

स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने बच्चों खसकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने हेतु ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर इसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा सतिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। ये प्रतिशक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किये जायेंगे।तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–तृतीय के अन्तर्गत किया गया है, जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूपजनपद स्तर पर संशोधित परिवर्धित किया जायेगा । ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे–ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, माडल कलस्टर के एप्रोच की दृष्टि से, चयनित क्षेत्रों या, जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में में प्रयासों को और अधिक बढावा देने की आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्र में डब्लू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए. युवक मंगलदल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतियोगिता बढाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण स्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों एवं स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होंती है। इसके अतिरिक्त स्कूल समितियों के [illegible] वाले बच्चे की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने का प्रयास किया जाता है, स्कूल के कार्यो में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्वों का पालन सुनिश्चित होता है, जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण :

सर्वशिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथ डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा।प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के सम्बन्ध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगमीवर्ष में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे। इसी प्रकार के प्रशिक्षणों के अनुभवों को विभिन्न स्तरों पर शेयरिंग की जायेगी तथा इनका डाकूमेन्टेशन भी किया जायेगा।

पाठ्य सामग्री :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्रार्थमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई 2000 के सत्र मे प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इस पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी 2005 तक जारी रहेगा तदोपरान्त एन.सी.ई.आर.टी., उ.प्र. द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों का यथा आवश्यक संशोधन किये जाने पर तदनुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 16 हजार बालिकाएं तथा तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग रूपये 1 करोड़ 68 लाख (एक करोड़ अड़सठ लाख) होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षण–संदर्शिकराएं जो डी.पी.ई.पी. के अन्तगर्त विकसित की गयी थीं उनमें सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत सभी प्राथमिक शिक्षका के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संसोधित कार्यकम बेसिक शिक्षा परियोजना उ.प्र. द्वारा जुलाई,1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संसोधित कार्यकम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम अगामी पाठ्यकम संसोधन की कार्यवाही किये जानें तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें।इस हेतु बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फ्लोआन किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशाधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस.सी.ई.आर.टी. तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तके एस.सी.ई.आर.टी. के विशिष्टि संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं इन पाठ्यपुस्तको की फील्ड ट्राईलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरोन्त जुलाई 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हे लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तों के आधार शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेंगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयो में अध्ययनरत सभी बालिकाओ तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करायी जायेंगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षा अधिगम सामग्री विकसित की जाएगी जो किशोरी बालिकाओं की जावन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिए अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिका जीवनापयोगी कौशलों का यथेष्ट तथा सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सके। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध करायी जायेगी।

अध्याय –10

परियोजना क्रियान्वयन एंव अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित किया जायेगा। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6–14 आयु के सभी बालक /बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियेजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिए जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतान्त्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी की यह अधिकतम जन सहभगिता सुनिश्चत कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनितियों के परिर्वतन के लिए इसे तत्पर रहना होगा, और यह परिवर्तन भी सह सहभागिता पर आधरित होगा। इससे सबसे निचले स्तर पर जबाबदेही, दिन–प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी, तथा सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया हैं इस कार्यक्रम में जन सहभागिता तथा अन्य विभागों सें भी आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

प्रबंध तन्त्रः संवेदनशील और लचीली प्रणलीः–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सह भागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीयकृत शैक्षिक प्रबंध प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिक करण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिए प्रशासनिक कार्यो के लिए उच्चकोटि के लिए उच्च कोटि का लचिलापन लाने, जबाब देही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों की अवाध–प्रवाह प्रदान करने और सकारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक प्रबंधतन्त्र तैयार किया गया है। जो निम्नवत् दर्शाया गया है।

संगठनात्मक ढांचाः–निति निर्धारण–

ग्राम शिक्षा समितिः

ग्राम पंचायत स्तर पर बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्र्तगत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है। समिति का स्वरूप निम्नवत् है।

1. ग्राम पंचायत का प्रधान
2. ग्राम पंचायत में स्थित वेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हो तो उनके प्रधानाध्यापकों में ज्येठष्तम् प्रधानाध्यापक ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।
3. बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगे। सदस्य होंगे।

अधिकार एंव दायित्वः

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी।

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासनिक नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, ई.जी.एस., ई.सी.सी.ई. की अभिवृद्वि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों के भवनों और उनके उपकरण के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जांय।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर उेसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ढ देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बंधित अन्य कृत्यों को करना जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौपे जांय।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत यह समिति निति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायि संस्था केरूप में कार्य करती रही, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिसर में सुधार शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है।ग्राम शिक्षा समिति वेसिक शिक्षा सम्बंधित कार्यो में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समय बद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रो प्लानिंग आदि विधाओं द्वारा सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रा0 शिक्षा का विकास हो सके ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्दों की मांग तथा शिक्षा के लिए प्रवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का

अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों अनुदेशकों आचार्यो आगनवाडी केन्द्रों के स्टाप के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण पोषाहार का वितरण निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्यायपंचायत संसाधन केन्द्रः(एन.पी.आर.सी.):

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एंव क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना ।
2. अध्यापकों की माह के अन्तिम शनिवार को बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार विमर्श एंव उपस्थित अन्य अध्यापको के सहयोग से उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एंव सूक्ष्म नियोजन
6. विद्यालय न जाने वाले बच्चे जो चिंन्हित है तथा ड्राप आउट हैं उनके नामांकन के लिये हर स्तर पर प्रयास करके नामांकन कराना तथा उनका ठहराव सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना निर्माण कर उसे सम्पादित कराना।

विकाश खण्ड सलाहकार समिति :-

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है। जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड़ स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिए उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मलित है।

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक वेसिक शिक्षाधिकारी/प्रतिउप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य/सचिव
3.	विकास खण्ड़ का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
4.	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक	सदस्य

• (ए. बी. एस. ए.) द्वारा नाम निर्दिष्ट।

अधिकार एंव दायित्व

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन एंव न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना जिला शिक्षा परियोजना समिति के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अर्न्तगत विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एंव अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एंव जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी । इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन समूह का गठन किया जायेगा। जिसके सदस्य निम्नवत होगे।

1. एबीएस.ए	अध्यक्ष
2. ब्लाक समन्वयक	सचिव
3. सह समन्यवक	सदस्य
4. संकुल प्रभारी (ए.बी.एस.ए द्वारा नाम निर्दिष्ट)	सदस्य
5. जू0 हा0 स्कूल प्रधानध्यापक"(ए.बी.एस.ए द्वारा नाम निर्दिष्ट)	सदस्य
6. प्रधानध्यापक प्राथमिक विद्यालय (ए.बी.एस.ए द्वारा नाम निर्दिष्ट)	सदस्य
7. प्रशिक्षक (टी.ओ.टी.)	सदस्य
8. शिक्षक प्रतिनिधि	सदस्य
9. स्थानीय पत्रकार	सदस्य
10. अन्य उत्साही व्यक्ति	सदस्य
11. एन.जी.ओ. के सदस्य	सदस्य

कार्यदायित्व–

1. विद्यालय का पर्यवेक्षण करना और उनका रिकार्ड रखना।
2. अकादमिक सहयोग प्रदान करना।
3. प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक उपाय करना।
4. विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं उपयोगिता हेतु सहयोग करना।
5. बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान कराने में सहयोग करना।
6. पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कराना ।

7 नामांकन एंव ठहराव में मुख्य भूमिका का निर्वाह करना।

प्रशासनिक संगठनः ब्लाक स्तरः–

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उपविद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला वेसिक शिक्षाधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे, तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यायल निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एंव प्रगति हेतु उत्तरदायी होगें। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों , ब्लाक संसाधन केन्द्रों, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिए उन्हें आवश्यक अधिकार एंव सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड की विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना साथ ही सांख्यिकी की शुद्वता को बनाये रखने में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजनाधिकारी होगें। इनके प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे–

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराना।
2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना ।
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
4. विकास खण्ड सलाहकार समिति की बैठक कराना एवं उनके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आकड़ें एकत्रित कर संकलित करना।
6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।
8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एंव अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।
9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु समन्वयकों को सहयोग देना एवं नामांकन ठहराव एवं सम्प्राप्ति के लिए प्रयास करना।
10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक–छात्र अनुपात बनाये रखना और आश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियाँ सुनिश्चित कराना।
11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापको, समन्वयकों आदि के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

13. शिक्षा मित्रों , आचार्यों को समय से मानदेय भुगतान कराने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों का सहयोग करना।

14. प्रत्येक अकादमिक एवं वित्तीय कार्यो का लेखा–जोखा रखना।

ई. जी. एस. तथा ए. आई ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगे। तथा ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमिति रूप से जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना।

सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी का कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित बलाक संसाधन केन्द्र में स्थापित किया गया है। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वाह करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्वि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल डी.पी.ई.पी से उपलब्ध कराई गयी है तथा यात्रा भत्ता एवं रख–रखाव हेतु नियत धनराशि (18000 प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक अतिरिक्त सह समन्यवयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा जो कार्यो में सहयोग करते हुए शैक्षिक क्रिया–कलापों में भी सहयोग करेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में डी.पी.ई.पी. वर्ष 1997 से संचालित हैं और विकास खण्डों पर ब्लाक संसाधन केन्द्र निर्माणाधीन हैं तथा उन्हें सुसज्जित करने का प्राविधान है। यहां एक समन्यवयक तथा एक सह–समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं, और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्र्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किये जाने का प्राविधान है। जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करने में सहयोग, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहयोग करेगा तथा इनका रिकार्ड भी रखेगा। शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय

सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकरण करनें की योजना है। जिसके लिए प्रत्येक बी0आर0सी0 पर एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। अतिरिक्त नियुक्त सहसमन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का अकादमिक सहयोग करना तथा यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नही ।
3. विकास खण्डों की अकादमिक आवश्यकताओं का आकलन एंव संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों तथा जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एंव अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड के अन्र्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के सम्बन्ध में बस्ती वार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराइज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एकत्रीकरण व सैम्पल चेकिंग व अनुश्रवण करना।
9. विद्यालयों एवं ई.जी.एस. / ए.आई.ई. केन्द्रों का अनुश्रवण कर ग्रेडिंग करना।
10. गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
11. विकास खण्ड स्तरीय समस्याओं के निदान हेतु विभिन्न प्रशिक्षण एवं माड्यूल विकसित करना।
12. विभिन्न स्तरों पर खेल–कूद प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं का आयोजन करना।

जनपद स्तरीय समितिः–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्र्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्र्तगत पूर्व में

ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षाधिकारी है। समिति का गठन निम्नवत है–

1.	जिलाधिकारी–	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकासधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जिला वेसिक शिक्षाधिकारी	सदस्य सचिव
4.	प्राचार्य डायट	सदस्य
5.	जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
6.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
7.	अधिशाषी अभियन्ता (पी0 डब्लू0 डी0)	सदस्य
8.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
9.	दो शिक्षा विद्(विश्व विद्यालय एवं महाविद्यालय) जिलाधिकारी द्वारा नामित।	सदस्य
10.	दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिए)	सदस्य
11.	दो शिक्षक राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त	सदस्य
12.	स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि(जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
13.	जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य
14.	अध्यक्ष नगर पालिका जनपद मुख्यालय द्वारा नामित एक सदस्य	सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः–

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिर्वतन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं सहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में इसके निर्णय प्रभावी होंगे।

प्रवेश धारण, गुणवत्ता संवर्द्धन, निर्माण के लिए तकनीकी पर्यवेक्षक के लिए संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार–प्रसार के लिए सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देशों के लिए जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में इ0जी0एस0/ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति:

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है। जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है–

1. जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य–सचिव
3. मुख्य विकास अधिकारी	पदेन सदस्य
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5. जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6. तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों मे से राज्य द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
7. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	सहायक सचिव

जिला बेसिक शिक्षा समिति, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करती है।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार सुधार के लिए योजनायें तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों के लिए स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी।

प्रशासनिक तंत्र–जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, इनका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगें इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। इसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार डी.पी.ई.पी. में पहले से ही सृजित एवं कार्यरत है। इनके ही द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के

कार्यो का सम्पादन भी कराया जायेगा। जिससें उनके डी0पी0ई0पी के अनुभवों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान में किया जा सके।

अधिकारी / कर्मचारी	पद संख्या	विवरण
1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	1	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2. जिला समन्वयक	05	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
3. कम्प्यूटर आपरेटर	1	रू0 7000 / – नियत वेतन
4. सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
5. लेखाकार	1	,, ,,
9. लिपिक	1	प्रतिनियुक्ति
10. आशुलिपिक	1	प्रतिनियुक्ति / नियत मानदेय
11. सहायक लेखाकार	1	नियत मानदेय / प्रतिनियुक्ति
12. परिचारक	3	नियत मानदेय के आधार पर
13. वाहन चालक	1	नियत मानदेय के आधार पर (वाहन की उपलब्धता पर)

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यक्रम की बृहद रूपरेखा को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित अन्य पद भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किये जा रहे है।

1.	अभियन्ता	1	10000 / –नियत मानदेय / प्रतिनियुक्ति
2.	ई.एम.आई.एस. अधिकारी	1	10000 / –नियत मानदेय / प्रतिनियुक्ति
3.	कम्प्यूटर आपरेटर / सां.सहायक	2	7000 / –नियत मानदेय / प्रतिनियुक्ति
4.	लिपिक	2	4000 / –नियत मानदेय / प्रतिनियुक्ति

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उनके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद में कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति–उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्र्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भाँति रखी जायेगी निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा जिसके लिए उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के अन्र्तगत निर्धारित है, प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु 1000 प्रति अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर से अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन में साथ शौचालय के निर्माण हेतु तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए अलग से मानदेय नही दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्राविधान रखा जायेगा। अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा। जनपद स्तर पर विकास खण्ड की कार्यो की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु एक सहायक अभियन्ता प्रतिमाह रू0 10000.00 नियत मानदेय पर रखा जायेगा जो कार्यो की समीक्षा, निरीक्षण करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्माण कार्यो में प्रत्येक स्तर पर सहयोग प्रदान करेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम (ई0एम0आई0एस0):–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित एम.आई.एस. को और सुदृढ़ एवं क्रियाशील बनाया जायेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में एक कम्प्यूटर भी उपलब्ध है जिसमें वर्ष 1997–98 से 2001 तक की

शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी।

प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रति वर्ष सांख्यिकी के व्यापक कार्य को सम्पादित करने के लिए स्थापित कम्प्यूटराईज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालना हेतु एक ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक रखे जाने का प्राविधान है। जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सकें और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0 एम0 आई0 एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डिकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक से किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक वर्ष की कार्ययोजना तैयार करने एवं क्रियान्वयन में सहयोग मिलेगा।

ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी के कार्य एंव दायित्व–

जिला परियोजना कार्यलय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबंध प्रणाली में तैनात ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एंव दायित्व होगे–

- विद्यालय हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों की व्यवस्था तथा वितरण कराना।
- समयानुसार बी0 आर0 सी0 समन्वयक, एन.पी.आर.सी. समन्वयक, एवं अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- प्रपत्र भरने की कार्ययोजना तैयार करते हुए प्रपत्रों को भरवाने में प्रत्येक स्तर पर सहयोग करना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चेकिंग कराना तथा परिर्वतन यदि कोई हो तो पूर्ण कराते हुए संकलित कराना।
- समयवद्ध रूप से माह नवम्बर 2001 के अन्त तक डाटा इन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार करा कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- विद्यालयवार, संकुलवार व विकास खण्ड वार जनपद की ई0 एम0 आई एस0 की रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों को तथा सहायक बेसिक शिक्षाधिकारियों को उपलब्ध कराना।

- ❖ सर्व शिक्षा अभियान के जिलापरियोजना कार्यालय में सभी प्रकार के शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।
- ❖ माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी सम्बंधित को प्रस्तुत/प्रेषित करना।
- ❖ ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर आरपेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकीय विश्लेषण में अभिहित जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा ।

प्रशिक्षणः–

विद्यालय सांख्यिकी सम्बंधी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, बी0 आर0 सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षाधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा, और उन्हें ई0 एम0 आई0 एस0 सम्बंधी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बंधी आकड़ों की सैम्पल चेकिंग के लिए भी उक्त स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकड़ों की शुद्वता की जांच हो सके।

ई0 एम0 आईएस0 का प्रशिक्षण

1. जिला स्तर पर

यह प्रशिक्षण दो दिवसीयहोगा और इसमें जिला परियोजनाधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ कम्प्यूटर आपरेटर लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. ब्लाक स्तर पर

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक वेसिक शिक्षाधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0 आर0 सी0 समन्वयक/ सहसमन्वयक आदि प्रतिभाग करेगे।

3. न्याय पंचायत स्तर पर

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक/सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. प्रोजेक्ट मेनेजमेण्ट स्तर पर

एस0 पी0 ओ0/सीमैट द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0 पी0 ओ0 एवं बी0 आर0 सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेगें। प्रथम तीन दिन ई0 एम0 आई0 एस0 एंव दूसरे तीन दिनों में प्रोजेक्ट मैंनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः–

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों के लिए नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है। जिसपर प्रति वर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटाइण्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालय से प्राप्त भरे हुए प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भेजा जायेगा, ताकि प्रधानाध्यापकों को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भर कर भेजी गयी थी वह सही है अथवा नही। अप्रत्यक्ष रूप से वह सूचना की पुष्टिस्वरूप होगा और यदि कोई त्रृटि हो गयी तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आकड़ों का उपयोग–

ई0 एम0 आई0 एस0 आकड़ो के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स जैसे जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप आउट दर, रिपेटीशन दर, छात्र–अध्यापक अनुपात, कक्षा–कक्ष अनुपात एवं एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रति वर्ष प्राप्त होगे। इण्डीकेटर्स का उपयोग कार्य योजनाओं को तैयार करने में तथा समस्याओं को दूर करने में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो एवं योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो सके। कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों समावेश/संशोधन किया जा सके। ई0 एम0 आई0 एस0 से प्राप्त आकड़ों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आकडों तथा ई0 एम0 आई0 एस0 से प्राप्त आकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तद्नुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभिहित होगा। ई0 एम0 आई0 एस0 एवं माइक्रोप्लानिंग के आकडों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा।

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान करने में।

2 शिक्षा गारण्टी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता निर्धारण।

3. छात्र सं0 में वृद्धि के फल स्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान ।

4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्ही करण।

5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।

6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालय व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण

7. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आकलन

8. अवस्थापना सम्बंधी मांग का आकलन एंव निर्धारण।

9. शिक्षकों का विवरण ।

10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षरण का रोस्टर

11. विकलांगतावार आकडों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0 एम0 आई0 एस0 से प्राप्त महत्व पूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बंधित अधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथिमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा। जिसके लिए उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहार्ट स्टडी–

छात्र–छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप–आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहार्ट स्टडी करायी जायेगी स्टडी वाह्य एजेन्सी द्वारा करायी जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा।यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्रथमिक स्तर के लिए पृथक–पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत 2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेजेमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टमः–

ई0 एम0 आई0 एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमो के क्रियान्वयन की भैतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रति माह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी। और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है। उनकी ओर जनपद के सम्बंधित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान–

गुणवत्ता सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत कुछ हद तक सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए उसे और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य होंगे–

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख स्थानो से सर्म्पक स्थापित करना तथा शिक्षा के नवीन कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिए डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।
3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों एवं लक्ष्यों से अवगत करना।
4. जिले स्तर की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं के निदान एंव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/निष्कर्षो की जानकारी सर्व संम्बधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।
5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण करना उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।
6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों को निर्देशित एंव नियंत्रित करना ।
7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एंव अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में सहयोग लेना।
8. जिले स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।
9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।
10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।
11. शैक्षिक आकडों को ई0 एम0 आई एस0 के माध्यम से संकलित कर विश्लेषित करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।
12. शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षक अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
13. विभिन्न प्रशिक्षणों हेतु माड्यूल विकसित करना तथा कार्यशाला आदि का आयोजन करना।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो आफ फण्ड):–

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्ततु करेगा। सीमैट के अप्रेजल के पश्चात एवं उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण अकादमिक पर्यवेक्षण गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0 आर0 सी0 एवं एन0 पी0 आर0 सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिए धनाराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं जैसे ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के खातों में सीधे हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैक खाता होगा जो जिला प्राथामिक शिक्षा कार्यक्रम की भाँति ही परिचालित किया जायेगा। सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय संदर्शिका पहले से ही विकसित है, जिसके अनुसार जिलाधिकारी को जनपद स्तर पर विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। वित्तीय कार्यो के सम्पादन, रख–रखाव आदि हेतु सहायक लेखाधिकारी एवं उनके सहयोग हेतु लेखाकार की व्यवस्था की जायेगी जैसा डी0पी0ई0पी के अर्न्तगत पहले से ही कार्यो का सम्पादन कराया जा रहा है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका लेखा–जेखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित है। क्रम प्रक्रिया के नियम भी स्पष्ट निर्धारित है। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्ति एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह प्रेषित किया जायेगा।

संप्रेक्षण व्यवस्था :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के लेखों का स्वतंत्र संप्रेक्षण चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा। इनका चयन एवं टर्म्स आफ रिफरेन्स का निर्धारण राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा। साथ ही महालेखाकार उ.प्र. द्वारा भी सम्प्रेक्षण का कार्य किया जायेगा। इस अभियान के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय–समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था रहेगी।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाईयों, प्राप्त विभिन्न इन्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्षो में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डो में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत-प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठया का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रेल केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - Siddharth Nagar

(Rs. In Thous...)

S.	Head	Spillover Physical	Spillover Financial	Approved Fresh Proposals 2003-04 Unit Cost	Approved Fresh Proposals 2003-04 Physical	Approved Fresh Proposals 2003-04 Financial	Total Proposals Physical	Total Proposals Financial	Remark
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
I)	**BRC**								
	Asstt. Coordinator 1 No 1 @ 3.5 for 12 Months	0	0	0.00	0	0.00	0	0	12 Month
	Furniture, fixture & Equipments	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
3	Travelling Allowance & Meeting	0	0	6.00	14	84.00	14	84	
	Maintenance of equipments	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
	Maintenance of building	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
6	TLM	0	0	5.00	14	70.00	14	70	
7	Contegency	0	0	12.50	14	175.00	14	175	
	TOTAL BRC	0	0.00		42	329.00	42	329	
II)	**CRC**								
8	Furniture, fixture & Equipments	0	0	10.00	0	0.00	0	0.00	
9	Salary Coordinator (21) for 12 Months	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
10	TLM	0	0	1.00	160	160.00	160	160.00	
11	Contegency	0	0	2.50	160	400.00	160	400.00	
12	Meeting & TA	0	0	2.40	160	384.00	160	384.00	12 Month
	TOTAL CRC	0	0.00		480	944.00	480	944.00	
III)	**CIVIL WPRKS**								
	New Primary School	0	0.00	259	72	18648.00	72	18648.00	Spill Handing...
14	New Upper Primary School	0	1360.00	280	200	56000.00	200	57360.00	Spill Handing...
	Additinal Classrooms PS	0	0.00	70.00	0	0.00	0	0.00	
16	Additinal Classrooms UPS	0	0.00	70.00	40	2800.00	40	2800.00	
17	Toilets PS	0	0	10.00	100	1000.00	100	1000.00	
18	Toilets UPS	0	0	10.00	40	400.00	40	400.00	
19	Reconstruction PS	0	0	191.00	10	1910.00	10	1910.00	
20	Reconstruction UPS	0	0	383.00	10	3830.00	10	3830.00	
21	Drinking Waters PS	0	0.00	15.00	0	0.00	0	0.00	
	Drinking Waters UPS	0	0	15.00	0	0.00	0	0.00	
	Repair PS	0	0	20.00	0	0.00	0	0.00	
24	Repair UPS	0	0	70.00	0	0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplaining	0	0	250.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	0	1360.00		472	84588.00	472	85948.00	
IV)	**EGS**								
	TOTAL EGS	0	0	0.845	260	5492.50	260	5492.50	
(V)	**AIE**								
	AIE (P.S.) (0.845x25x132)	0	0	0.845	132	2788.50	132	2788.50	
	AIE (U.P.S.) (1.2x30x100)	0	0	1.20	100	3600.00	100	3600.00	
	Bridge Course at NPRC level (.845x40x160)	0	0	0.845	160	5408.00	160	5408.00	
	Bridge Course (C.S.) [illegible]	0	0	3.00	16	2880.00	16	2880.00	
		0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL AIE	-	0.00		408	[illegible]	408	[illegible]	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00		668	20169.00	668	20169.00	
VI)	**FREE TEXT BOOKS**								
	Free Text Books PS	0	0	0.05	118401	5920.05	118401	5920.05	
	Free Text Books UPS	0	0	0.15	20812	3121.80	20812	3121.80	
	TOTAL Text Book	0	0.00		139213	9041.85	139213	9041.85	
VII)	**IED**								
	TOTAL IED	0	0.00	1.20	1444	1732.80	1444.00	1732.80	
	INNOVATIVE ACTIVITIES				0	5000.00	0	5000.00	
	TOTAL Computer Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCE				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL SC/ST Intervention				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00		0	5000.00	0	5000.00	
XII)	**MAINTENANCE**								
58	P.S.	0	0.00	5.00	1250	6250.00	1250	6250.00	
59	U.P.S.	0	0.00	5.00	205	1025.00	205	1025.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00		1455	7275.00	1455	7275.00	
XIII)	**DPO**								
	Management Cost	0	0.00			4320.00	0	4320.00	
(XIV)	**RESEARCH, MONITORING & EVALUATION**								
	P.S.	0	0.00	1.40	1250	1750.00	1250	1750.00	
73	U.P.S.	0	0.00	1.40	205	287.00	205	287.00	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00	0.00	1455	2037.00	1455	2037.00	
(XV)	**SCHOOL GRANT**								
74	School Improvement Grants PS @ 2	0	0	2.00	1275	2550.00	1275	2550.00	
75	School ImprovementGrants UPS @ 2	0	0	2.00	305	610.00	305	610.00	
	Total School Grant	0	0.00	0.00	1580	3160.00	1580	3160.00	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004

District - Siddharth Nagar

(Rs. In Thousand)

No.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-04			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(XVI)	SALARY GRANT (2001-2002 & 2002-03)								
76	Salary of Asstt Teacher PS	0	0	9.00	0	0.00	0	0.00	12 Months
77	Salary of Asstt Teacher UPS	0	0	10.00	60	7200.00	60	7200.00	12 Months
78	Salary of Additional Teachers PS	0	0	8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
79	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25	0	0	2.25	0	0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary Grant (2001-2002 & 2002-03)	0	0.00	0.00	60	7200.00	60	7200.00	
(XVII)	SALARY GRANT (2003-04)								
80	Salary of Asstt. Teachers 2003-04 (P.S.)	0	0	9.00	72	3888.00	72	3888.00	6 Months
80	Salary of Asstt.Teachers 2003-04 (U.P.S.)	0	0	10.00	600	36000.00	600	36000.00	6 Months
81	Salary of Additional Teachers (PS)	0	0	8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
82	Salary of Fresh SM (PS)	0	0	2.25	72	972.00	72	972.00	6 Months
83	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR	0	0	2.25	1613	21775.50	1613	21775.50	6 Months
	TOTAL Salary Grant (2003-04)	0	0.00	0.00	2357	62635.50	2357	62635.50	
	TOTAL TEACHERS' SALARY GRANT	0	0.00	0.00	2417	69835.50	2417	69835.50	
(XVIII)	TEACHER GRANT (TLM)								
84	Teacher Grants PS @ 0.5	0	0	0.50	2593	1296.50	2593	1296.50	
85	Teacher Grants UPS @ 0.5	0	0	0.50	1728	864.00	1728	864.00	
	TOTAL Teacher Grant	0	0.00	0.00	4321	2160.50	4321	2160.50	
(XIX)	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS								
87	TLE PS @10	0	0.00	10.00	72	720.00	72	720.00	
88	TLE UPS @50	20	1000.00	50.00	200	10000.00	220	11000.00	
89	TLE UPS not covered under OEB	25	1250.00	0.00	0	0.00	25	1250.00	
	TOTAL Teaching Learning Equipments	45	2250.00	60.00	272	10720.00	317	12970.00	
(XX)	TEACHER TRAINING								
89	Induction Trainining of SM	0	0	0.07	72	151.20	72	151.20	
90	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC)	0	0	0.07	2581	3613.40	2581	3613.40	
91	Teachers (UPS)	0	0	0.07	828	869.40	828	869.40	
	TOTAL Teacher Training	0.00	0.00	0.21	3481	4634.00	3481	4634.00	
(XXI)	STRENGTHENING OF VEC								
[illegible]	VEC Training (30x2x8)	0	0.00	0.48	1118	536.64	1118	536.64	
	TOTAL Strengthening of VEC	0	0.00	0.00	1118	536.64	1118	536.64	
(XXII)	EMIS CELL								
	TOTAL EMIS Call	0	0.00	0.00		554.00	0	554.00	
(XXIII)	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
	GRAND TOTAL	45	3610.00		158418	227037.29	158463	230647.29	

PROJECT COST
SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Siddharthnagar

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	72	18648	0	0	5	1280	0	0	77	19928
A2	New Upper Primary Schools	451	20	9020	200	56000	0	0	5	1400	0	0	225	86420
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	60	6120	60	7200	60	7200	60	7200	60	7200	300	34920
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	72	972	72	1782	77	1905.75	77	1905.75	298	6565.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	72	3888	72	7776	77	8316	77	8316	298	28296
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	600	36000	600	72000	615	73800	615	73800	2430	255600
A8	Teaching/learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	72	720	0	0	5	50	0	0	77	770
A8.2	UPS	50	34	1700	200	10000	0	0	5	250	0	0	239	11950
A9	TLE UPS not covered OBB	50	25	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1250
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**18090**	0	**133428**	0	**88958**	0	**94401.75**	0	**91421.75**		**426299.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			0
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	260	5492.5	448	9464	448	9464	448	9464	1604	33884.5
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	[illegible] models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0	0	132	2788.5	182	3844.75	182	3844.75	182	3844.75	678	14322.75
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	100	3600	201	7236	201	7236	201	7236	703	25308
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	8	480	8	480	6	360	22	1320
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	16	2880	8	1440	4	720	6	1080	34	6120
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	160	5408	160	5408	160	5408	160	5408	640	21632
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	30	460.5	30	460.5	30	460.5	90	1381.5
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**18090.00**	0	**153597.00**	0	**117541.25**	0	**122265.00**	0	**119525.00**	**0**	**531018.25**
R	**RETENTION**		0	0	0	0	0	0	0		0			0
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	10	1910	70	13370	0	0	0	0	80	15280
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	10	3830	14	5362	0	0	0	0	24	9192
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0	0	0	0	0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	366	25620	194	13580	194	13580	754	52780
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	10	700	40	2800	362	25340	362	25340	0	0	774	54180
R4.1	Toilets Upper Primary	10	30	300	40	400	14	140	0	0	0	0	84	840
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	100	1000	150	1500	100	1000	0	0	350	3500
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1250	6250	1328	6640	1328	6640	1333	6665	5239	26195
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	159	795	205	1025	405	2025	405	2025	410	2050	1584	7920
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2 25 pm	2.25	0	0	0	0	1613	39921.75	1613	39921.75	1613	39921.75	4839	119765.25
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	650	62400	714	68544	767	73632	2131	204576
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1613	21775.5	0	0	0	0	0	0	1613	21775.5
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	1275	2550	1328	2656	1333	2666	1333	2666	5269	10538
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	159	318	305	610	466	932	471	942	471	942	1872	3744
R12	**Promoting Girls Education**		0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3150
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	30	135	30	135	10	45	70	315
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	5	375	5	375	5	375	15	1125
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	131	524	132	528	32	128	295	1180
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	100	2500	80	2000	0	0	180	4500
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	250	1250	0	0	0	0	250	1250
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	250	937.5	250	937.5	250	937.5	750	2812.5
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	250	375	250	375	250	375	750	1125
R13.5	Training		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	250	17.5	0	0	0	0	250	17.5
R16	Community Mobilization		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	5	14	5	14	5	14	15	42
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	160	800	160	800	160	800	480	2400
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	1118	536.64	1118	536.64	1118	536.64	1118	536.64	4472	2146.56
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	14	70	14	70	14	70	42	210
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	0	0	5000	5	333.5	0	0	0	0	5	5333.5
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	0	0	10	600	25	1500	25	1500	60	3600
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1733	4332.5	1733	4332.5	1733	4332.5	5199	12997.5
	RETENTION Sub Total		0	**5763.0**	0	**47687.1**	0	**198758.8**	0	**172313.79**	0	**148621.79**	**0**	**673144.61**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0	0	0	0	0		0			
Q1	**Training Programmes**		0	0	0	0	0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	72	151.2	651	1367.1	70	147	54	113.4	847	1778.7
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	102	214.2	0	0	650	1365	84	176.4	53	111.3	889	1866.9
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	455	637	2581	3613.4	3782	5294.8	6902	9662.8	7009	9812.6	20729	29020.6
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	828	869.4	1381	1450.05	1396	1465.6	1396	1465.8	5001	5251.05
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	1613	2258.2	2331	3263.4	2406	3368.4	6350	8890
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	831	1745.1	0	0	0	0	631	1745.1
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	28	19.6	28	19.6	28	19.6	84	58.8
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	160	112	160	112	160	112	480	336
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	30	42	30	42	6	8.4	66	92.4
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	14	4.9	14	4.9	14	4.9	42	14.7
Q2	IED Provision for disable children	1.2	400	160	1444	1732.8	3370	4044	3370	4044	3370	4044	11954	14024.8
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S!

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	10	1408	10	1408	2	281.6	22	3097.6
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	3	7.5	3	7.5	3	7.5	9	22.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	3	6	3	6	3	6	9	18
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0	0	0		0	0	0	0		
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	2593	1296.5	6685	3342.5	6907	3453.5	7014	3507	23199	11599.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	557	278.5	1728	864	1572	786	1587	793.5	1587	793.5	7031	3515.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	118401	5920.05	161996	8099.8	170996	8549.8	175803	8790.15	627196	31359.8
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	25762	3864.3	20812	3121.8	48678	7301.7	49653	7447.95	50646	7596.9	195551	29332.65
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1794	269.1	0	0	0	0	1794	269.1
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	448	22.4	383	19.15	0	0	831	41.55
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	630	9450	630	9450	630	9450	1890	28350
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	201	1507.5	201	1507.5	201	1507.5	603	4522.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**5154**	0	**17569.16**	0	**49953.25**	0	**51630.8**	0	**51050.55**		**175357.75**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0	0	0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0	0	0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenence of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	14	140	14	140	14	140	42	420
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	14	84	14	84	14	84	14	84	56	336
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	14	28	14	28	14	28	42	84
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	14	140	14	140	14	140	42	420
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	14	70	14	70	14	70	14	70	56	280
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	14	70	14	70	14	70	42	210
C2.11	Contigency	12.5	0	0	14	175	14	175	14	175	14	175	56	700
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	14	50.4	14	50.4	14	50.4	42	151.2
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	14	70	14	70	14	70	42	210
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	C	0	160	800	160	800	160	800	480	2400
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	160	160	160	160	160	160	160	160	640	640
C3.4	Contingency	2.5	0	0	160	400	160	400	160	400	160	400	640	1600
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	160	384	160	384	160	384	160	384	640	1536
C4	District Project Office/Management		0	812	0	4320	0	0	0	0	0	0	0	5132
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	9	1620	9	1620	9	1620	27	4860
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	3	90	3	90	3	90	9	270
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	14	252	14	252	14	252	42	756
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	15	150	15	150	15	150	45	450
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	2	80	2	80	2	80	6	240
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	2	60	2	60	2	60	6	180
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	2	200	2	200	2	200	6	600
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	1250	1750	1328	1859.2	1328	1859.2	1328	1859.2	5234	7327.6
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	193	270.2	205	287	405	567	405	567	405	567	1613	2258.2
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	**1082.2**	0	**7630**	0	**8517.6**	0	**8457.6**	0	**8457.6**	0	**34146**
C5	MIS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	0	554	1	200	0	0	0	0	1	754
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	0	0	0	0	1	30
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	2	20	2	20	2	20	6	60
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**1082.2**	**0**	**8184**	0	**9251.6**	0	**8861.6**	0	**8861.6**	**0**	**36241**
	GRAND TOTAL		0	**30089.20**	0	**227037.29**	0	**375504.89**	0	**355071.19**	0	**328058.94**	**0**	**1315761.51**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention						**Siddharthnagar**
	2002-03	**2003-04**	**20004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**Total**
Civil	10020.0	84588.0	71332.0	42600.0	13580.0	222120.0
Management	270.2	2037.0	5772.2	5442.2	5442.2	19517.8
Programme	19799.0	140412.3	298400.7	307029.0	309036.7	1074123.7
Total	**30089.2**	**227037.3**	**375504.9**	**355071.2**	**328058.9**	**1315761.5**
Percentage - Civil	**33.3**	**37.3**	**19.0**	**12.0**	**4.1**	**16.9**
Percentage - Management	**0.9**	**0.9**	**1.5**	**1.5**	**1.7**	**1.5**
Percentage - Programme	**65.8**	**61.8**	**79.5**	**86.5**	**94.2**	**81.6**
Percentage - Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**